ISSN 2277-5587
Indexed in ULRICH & IIJIF
Impact Factor 2.541

Shodh Shree

(International Referred Journal of Multidisciplinary Research)

शोध श्री

Volume-20 Issue-3 July-September 2016 RNI No. RAJHIN/2011/40531

SHODH SHREE
ज्ञानं भारः क्रियां विना
RNI RAJHIN/2011/40531
ISSN 2277-5587

CHIEF EDITOR
Virendra Sharma

EDITOR
Dr. Ravindra Tailor

shodhshree@gmail.com
www.shodhshree.com

Shodh Shree Volume-20 Issue-3 July-September 2016

Shodh Shree

(International Referred Journal of Multidisciplinary Research)

Virendra Sharma
Chief Editor
Government Girls P.G. College,
Ajmer

Dr. Ravindra Tailor
Editor
Shodh Shree,
Jaipur

Editorial Board

Prof. H.S. Sharma (Retd.)
University Of Rajasthan, **Jaipur**

Prof. T.K. Mathur (Retd.)
M.D.S. University, **Ajmer**

Prof. Ravindra Kumar Sharma
Kurukshetra University, Kurukshetra **(Haryana)**

Sarah Eloy
Museum The House of Alijn, **Belgium**

Prof. B.P. Saraswat
Dean of Commerce
M.D.S. University, **Ajmer**

Prof. Pushpa Sharma
Kurukshetra University, Kurukshetra **(Haryana)**

Dr. Rajesh Choudhary
Deputy Director (Research)
Indian Council of Historical Research, **NewDelhi**

Dr. Avdhesh Kumar Sharma
BBD Govt. PG College, Chimanpura

Dr. Pankaj Gupta
Government P.G. College, **Kotputli**

Advisory Board

Prof. S.P. Vyas
Jainarain Vyas University, **Jodhpur**

Prof. S.N. Tailor (Retd.)
S.D. Government P.G. College, **Beawar**

Dr. Mahesh Narayan
Archivist (Retd.)
National Archives of India, **NewDelhi**

Shodh Shree

(International Referred Journal of Multidisciplinary Research)

Contents

Volume-20 | **Issue-3** | **July-September 2016**

1. **स्वामी रामतीर्थ के वेदान्त-चिन्तन में मानव और समाज** — 1-4
   संजीव कुमार लवानियां, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
2. **वैदिकराष्ट्र का स्वरुपविमर्श : एक पर्यालोचन** — 5-7
   डॉ. आशुतोष पारीक, ब्यावर
3. **शोभा ब्रूटा का कला संसार** — 8-10
   साक्षी गुप्ता, आगरा (उत्तर प्रदेश)
4. **मालानी के विशिष्ट भक्ति गीतो का अध्ययन** — 11-13
   दुष्यन्त त्रिपाठी, ब्यावर
5. **ग्रामीण जीवन के परम्परागत रीति रिवाजों एवं जीवन शैली में नगरीय प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (जनपद उधम सिह नगर के रुद्रपुर ब्लाक के विशेष सन्दर्भ में)** — 14-18
   अनीता बिष्ट, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)
6. **कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता : एक विकासात्मक अध्ययन** — 19-23
   अनसुया शर्मा एवं डॉ. मुरलीधर मिश्रा, टोंक
7. **''कैलाश मन्दिर'' की मूर्तिशिल्प परम्परा** — 24-27
   नीतू यादव, आगरा (उत्तर प्रदेश)
8. **भारत में महिलाओं का वित्तीय समावेशन** — 28-32
   डॉ. शालिनी चतुर्वेदी, जयपुर
9. **आधुनिक युग में भित्ति-चित्रों का उपयोग व विस्तार** — 33-35
   दिव्या सिंह, आगरा (उत्तर प्रदेश)
10. **सूफीवाद परम्परा - अभ्युदय - वर्तमान में (सांगीतिक पक्ष)** — 36-39
    डॉ. नासिर मोहम्मद मदनी, अजमेर
11. **अर्वाचीन संस्कृत गीतकार डॉ. रमाकान्त शुक्ल की कृति 'भाति मे भारतम्' में राष्ट्रीय चेतना** — 40-42
    डॉ. ऋतु दीक्षित, एटा (उत्तर प्रदेश)
12. **पर्वतीय उच्च शिक्षा : समस्याएँ एवं समाधान** — 43-46
    डॉ. अनीता सिंह, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)
13. **मालाणी के सिद्ध पुरुष रावल मल्लीनाथजी** — 47-51
    डॉ. भंवरसिंह, बाड़मेर
14. **राजस्थान जनसुनवाई कानून : क्रियान्विति एवं परिणाम** — 52-55
    शान्ति लाल जैन एवं डॉ. विक्रान्त कुमार शर्मा, कोटा
15. **झारखंड राज्य का निर्माण और नक्सल आतंकवाद** — 56-58
    पूनम अग्रवाल, जयपुर

16.	उच्च शिक्षा स्तर पर गुणवत्ता एवं आवश्यकता मिथलेश कँवर, चित्तौड़गढ़	59-61
17.	कौटिल्य के मन्त्रीपरिषद् विषयक विचार दिनेश कुमार चारण, चूरू	62-64
18.	**Study on Behavior Problems of Individuals With Intellectual Disabilities Residing in a Residential Set Up** Narendra Kumar, Rangareddy (Telangana)	65-71
19.	**Energy Management for Domestic Requirement in Arid Villages** Dr. Niranjana Kumar Bohra, Jodhpur	72-74
20.	**Water as a Element for Passive Cooling of Building** Ajaypal Singh Rathore, Jodhpur	75-80
21.	**MNREGA For Women: A Comparative Study of Pauri & Beeronkhal Block of District Garhwal (Uttarakhand)** Abhay Kumar, Garhwal (Uttarakhand)	81-88
22.	**QPO Detection for The Fast Spinning Transient Pulsar 4u0115+63 by RXTE Satellite** Shubhra Tiwari, Nathdwara (Rajsamand)	89-95
23.	**Want to be a Good Leader? - "Lead by Example, Not by Extortion"** Mamta Jain, Jodhpur	96-100
24.	**Sexual Abuse of Children: Indian Legal Perspective and Challenges Before Law** Dr. Meenakshi Punia, Jodhpur	101-105
25.	**Diatoms: An Observation of Jait Sagar Lake of Bundi (Rajasthan)** Dr. Dilip Kumar Rathore & Preeti Sharma, Bundi	106-108
26.	**Role of Department of Redress of Public Grievances in Rajasthan in Fight Against Corruption** Dr. Rajesh Bohra, Jodhpur	109-112
27.	**Corporate Governance and Market Reaction with Reference to Banking Sector** Dr. Neha Sarin, Jaipur	113-119
28.	**Prospects and Issues for Development of Tourism: A Case of Desert Circuit** Saurabh Gehlot, Jodhpur	120-122
29.	**Importance of Planning and Development in Tourism** Dr. Bindu Jain & Omika Bhalla Saluja, Jaipur	123-126
30.	**Provisions of The Panchayat (Extension To The Schedule Areas), Act 1996** Poonam Kanwar Rathore, Jodhpur	127-130

स्वामी रामतीर्थ के वेदान्त-चिन्तन में मानव और समाज

संजीव कुमार लवानियां
सहायक आचार्य, पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

shodhshree@gmail.com

स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ दोनों ही व्यावहारिक वेदान्त के अद्वितीय व्याख्याता थे। वेदान्त-सिद्धान्त पर जो रुढ़ियों का मैल और कठोरता का आवरण चढ़ गया था, दोनों ने ही उसे हटाकर वेदान्त को सर्वसुलभ और सर्वजनग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया था। अभी तक वेदान्त का स्वरुप ग्रन्थ-विशेष और व्यक्ति-विशेष की मान्यताओं को मानने तक ही सीमित था, दोनों ने वेदान्त को सीमित कर देने वाली समस्त सीमाओं को तोड़कर सम्पूर्ण विश्व में उसके सिद्धान्तों को बिखेर दिया। वेदान्त को अधिक से अधिक विज्ञान-सम्मत और युक्ति-संगत बनाने का प्रयत्न भी दोनों ने ही किया था। दोनों ने ही समस्त विश्व के धर्मावलम्बियों को सम्बोधित करते हुए यह उद्घोषित किया कि विश्व के किसी भी धर्म का अनुयायी और किसी भी मत को मानने वाला व्यक्ति अपने मत और धर्म को न छोड़ते हुए भी वेदान्ती बन सकता है, यदि उसके हृदय में विश्व के प्राणियों के प्रति आत्मीयता और आर्द्रता के भाव हैं तो। दोनों ने ही वेदान्त के चरम लक्ष्य को देश-सेवा और मानव-सेवा से अभिन्न बतलाया। अद्वैत-वेदान्त के अनुयायी होने पर भी दोनों ने ही भक्तिभावना से वेदान्त को सरस और भावपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया। सिद्धान्तों की उलझन और वाद-विवाद में न पड़ते हुए दोनों ने ही वेदान्त के यथार्थ स्वरुप को सबके समक्ष रखा।

अपनी भक्तिमय भावसुलभ सुकुमारता में,हृदय को द्रवीभूत करने वाले भावोद्रेक में, संगीत की मधुरता में, और अपने उस आप्लावित कर देने वाले समाधि के अह्लाद में, जिससे कि उनके चेहरे पर सदा अज्ञात चैतन्य की दिव्यता खेला करती थी, आदि कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं, जिनमें कि स्वामी रामतीर्थ अनुपम थे। तथापि दोनों महापुरुषों में बौद्धिक सम्बन्ध इतना अपूर्व और व्यापक था कि हम दोनों को अपनी संसार-यात्रा में वेदान्त विषयक एकता का सन्देश देते हुए पाते हैं।[1]

महान सन्त स्वामी रामतीर्थ अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उनका एक-एक वाक्य व्याकुलता से भीगा हुआ और एक-एक विचार आनन्द से स्निग्ध होता था। वे चिड़ियों जैसी चहचहाती वाणी से, चाहे उसे कविता कहो चाहे संगीत, अपने आसपास के वायुमण्डल में जादू भर देते थे। उनका शरीर उस झील के समान था, जिसके अन्तराल में अध्यात्म सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ते ही कम्पन होने लगता है। उनकी दिव्य मस्ती के आगे तर्क के पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं। जहाँ हमें सैकड़ों विरोध प्रतीत होते हैं, वहाँ वे आत्म-साक्षात्कार करते हैं। एक बार स्वामी रामतीर्थ के दर्शन कर लेने का अर्थ था- जीवन को नये सिरे से प्रारम्भ करना। हृदय की क्षुद्रता और नीचता उस व्यक्तित्व के सामने लुप्त हो जाती थी। देश-काल के आवरण को हटाकर वेदान्त को जन-जन के लिए सुलभ और सर्वग्राही बना देने का प्रयत्न उनके वचनों में सर्वत्र देखा जा सकता है। स्वामी जी जीवन की प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक कार्य को वेदान्त से स्निग्ध कर लेने का उपदेश दिया करते थे। उनके जीवन में उदारता और समन्वयात्मकता इतनी थी कि जब वे जापान-यात्रा पर गये तो वहाँ के प्रो. ताकाकुसु को कहना पड़ा कि स्वामी रामतीर्थ वेदान्त और बौद्ध दर्शन के समन्वित रुप हैं। अद्वैत वेदान्त

जैसे शुष्क और नीरस तर्क को कविता-कामिनी के मृदु स्पर्श से उन्होंने सरस और श्यामल बनाया। उनके एक ही व्यक्तित्व में दार्शनिक जैसी बौद्धिक विलक्षणता, भक्त जैसी भाव-प्रवणता और साहित्यकार जैसी बाल-सुलभ सरलता और कोमलता के समन्वय के दर्शन हो सकते हैं।

स्वामी रामतीर्थ ने वेदान्त के जिस विस्तृत, व्यापक और उदार स्वरुप को प्रस्तुत किया वैसा न तो प्राचीन आचार्यो द्वारा और न ही आधुनिक विचारकों द्वारा ही समुपस्थित किया गया। इस दिशा में स्वामी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने वेदान्ती चिन्तन को, वेदान्त के मूलभूत सत्यों को जो अब तक एक व्यक्ति विशेष, ग्रन्थ-विशेष और देश-विशेष की सीमाओं में आबद्ध थे- समस्त विश्व में बिखरा दिया। स्वामी जी का कथन है कि जब वेदान्त नाम-रुप को गर्ह्य मानता है और जब वेदान्त का परमतत्व सब प्रकार के अनन्तत्व से युक्त परम ब्रह्म है, तो यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि हम उस चरम सत्य को देश और ग्रन्थ विशेष को या नामरूप की सीमाओं को आवृत कर दें।[3] नामों ने अध्यात्म के प्रचार में सर्वाधिक अनर्थ का कार्य किया है। अत: आज वह समय आ गया है जब हमें नामों से ऊपर उठना होगा।[4] वेदान्त के तथ्यों को ग्रहण कर आत्मसात् कर लो, इन्हें स्वरुप में ढाल लो, फिर तुम इसे ईसाई-धर्म ही कहो या अन्य किसी नाम से अभिहित करो, नाम का हमारे लिए कोई महत्व नहीं।[5] ईसा अथवा अन्य किसी भी महापुरुष में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी वेदान्ती हो सकता है। वह भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वह अपनी 'अहंगत' समस्त परिच्छिन्नताओं को समाप्त कर दे।[6] स्वामी जी के अनुसार कोई भी राष्ट्र, धर्म और जाति, जो समुन्नति के उच्च शिखर पर है वे सब वेदान्तीय चरम सत्यों का आश्रय लेकर ही उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हुए हैं, क्योंकि ,श्रुति में 'सत्यमेव जयते' की प्रतिज्ञा की गयी है।[7] वेदान्त किसी भी प्रकार की दासता और सीमाओं को स्वीकार नहीं करता[8], क्योंकि वेदान्त का तात्पर्य है स्वातन्त्र्य और सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति।[9] जिस प्रकार बौद्ध-धर्म बुद्ध की एवं ईसाई-धर्म ईसा की दासता को स्वीकार करते हैं, वैसा वेदान्त नहीं कर सकता। वेदान्त केवल सत्य रुप है और वेदान्त केवल सत्य का पर्याय है।[10] वेदान्त उस सत्य का नाम है जो प्रत्येक मानव में विद्यमान है।[11]

स्वामी जी ने वेदान्त की व्यावहारिकता का प्रतिपादन करते हुए कहा कि जो धर्म आत्म-साक्षात्कार की भित्ति पर स्थित न हो वह धर्म नहीं, सुनी-सुनायी कहानी है।[12] जो वेदान्त तुम्हारे कष्ट और पीड़ाओं का, दु:ख और चिन्ताओं का निराकरण नहीं कर सकता, जो वेदान्त तुम्हें सांसारिक दलदल से नहीं बचा सकता, तुम्हारे बोझों को दूर नहीं हटा सकता, उसे ठुकरा कर दूर फेंक दो।[13] तुम तभी वेदान्त सीखते हो, और तुम तभी उसे प्राप्त करते हो जब कि उसको तुम व्यवहार में लाते हो।[14] वेदान्त तोते के समान रट लेने की वस्तु नहीं है, और किस्से-कहानियों के समान याद कर लेना भी वेदान्त नहीं है। उसका एक-एक शब्द, 'चबा-चबा' कर, आत्मसात् कर लेने को है और स्वस्वरूप बना लेने को है।[15] इन शब्दों के साथ स्वामी जी वेदान्त को उसके बौद्धिक क्षेत्र से खींच कर व्यावहारिकता के धरातल पर अवतरित कर देने का प्रयत्न करते हैं। वह विद्या जो कि आचरण के पतित्व से युक्त नहीं है, विधवा है। वह ज्ञान जो कि व्यवहार की दंष्ट्राओं द्वारा चर्वित नहीं किया गया है अजीर्णकारी है।[16] एक मन घास का भार वहन करना एक पशु के लिए कष्टसाध्य होगा, किन्तु यदि वह पशु उसी भोज्य पदार्थ को खाकर पचा लेता है तो उसके लिए शक्तिदायी हो जाता है। वेदान्त के सिद्धान्त भी केवल मस्तिष्क द्वारा वहन करने वाले व्यक्तियों के लिए भार-रुप ही हैं। यदि उन्हें पचाकर आत्मसात् कर लिया जाय तो निश्चय ही वे श्रेयस्कर होंगे।[17] यदि वेदान्त को प्रतिदिन के जीवन में व्यवस्तृत नहीं किया गया तो वह निरर्थक है। पुस्तकों में निहित और कीटादि के भक्षण के लिए पुस्तकालयों में रखा हुआ वेदान्त निष्प्रयोजन है।[18] वेदान्त को सीखने का एक ही उपाय है और वह यह है कि वेदान्त को ही आचरण में लाते हुए जीवित रहो।[19]

वेदान्त के व्यावहारिक स्वरुप को स्वामी जी द्वारा इतना महत्व प्रदान किया गया कि उनके दर्शन को 'व्यावहारिक वेदान्त' के नाम से अभिहित किया जा सकता है।[20] यहाँ पर प्राचीन आचार्यो और स्वामी जी में यह भेद परिलक्षणीय है कि प्राचीन आचार्यो ने वेदान्त के व्यावहारिक स्वरुप की अपेक्षा बौद्धिक विवेचन पर अधिक ध्यान दिया है, जबकि स्वामी जी वेदान्त के अध्यात्म तत्व को व्यवहार में उतारने पर विशेष बल देते हैं। वेदान्त को आचरण में लाने की जितनी प्रेरणा और उत्साह स्वामी जी के शब्दों में प्राप्त है, उस प्रेरणा-उत्साह का प्राचीन आचार्यो की वाणी में अभाव है। स्वामी जी ने सामाजिक सुधार का उपाय भी वेदान्त की व्यावहारिकता को ही बतलाया। उन्होंने कहा कि- वेदान्त को फैलाने का सर्वोत्तम उपाय है कि इसको व्यवहार में लाया जावे। संगठनों से या बड़ी-बड़ी संस्थाओं से आज सुधार की आशा करना या वेदान्त के प्रचार की इच्छा करना मूर्खता है। संसार को सुधारने के ये सब उपाय जो आत्मा को छोड़कर बाह्य साधनों पर आश्रित है, सब असफलता में समाप्त होंगे, अत: केवल भीतरी परम और अनन्त शक्ति का ही आश्रय ग्रहण करो। समाज-सुधार के लिए तुम्हें केवल एक बार आत्म-साक्षात्कार के बीजों का वपन करना होगा, फिर तुम्हें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। उनकी वृद्धि अवश्यम्भावी है।[21] याद रखो, आत्म-साक्षात्कार के बिना जिस क्षण तुम संसार के सुधारक बन कर खड़े होते हो, उसी क्षण संसार के बिगाड़ने वाले तुम होते हो।[22]

स्वामी जी ने जिस प्रकार परम सत्य और वेदान्त को पर्याय माना है, उसी प्रकार धर्म और वेदान्त को भी परस्पर सम्बन्धित माना है। धर्म मानुषी अस्तित्व का कोई अंश नहीं, अपितु वह मुख्य तत्व है, जिसमें शरीर और मन तरंगों के समान इतस्तत: विचरण कर रहे हैं। मुख्य तत्व ही आत्मा है।[23] इस प्रकार स्वामी जी ने जहाँ वेदान्त को

समस्त परिच्छिन्नताओं से उन्मुक्त किया, वहाँ धर्म के भी सार्वजनिक एवं विश्वजनीन स्वरुप को प्रस्तुत कर समस्त विश्व के धर्मो की मूलभूत एकता पर बल दिया। विश्व का प्रत्येक धर्म ईश्वर को जानने और यथानुसार आचरण करने का उपदेश देता है।[24] विश्व का कोई भी धर्म कलह और संघर्ष करने का आदेश नहीं देता। आंग्ल भाषा के रिलीजन (Religion) शब्द का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने कहा कि- इस शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है वह रहस्यात्मक प्रक्रिया, जिसमें मन और बुद्धि परमात्मा में विलीन हो जाय। इस प्रकार से परिभाषित होने वाला धर्म ही समस्त कर्मो का सार एवं प्राण रुप है। यहाँ वर्ण, जाति देश आदि समस्त विभाजन करने वाले तत्व अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं।[25] उन्होनें विभिन्न एवं विरुद्ध प्रतीत होने वाले हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मो की विरोधिता एवं कट्टरता पर व्यंग्य करते हुए विश्व के समस्त धर्मो की समन्वयात्मकता पर बल दिया।

इसी प्रकार स्वामी जी ने धार्मिक विचारों के विषय में भी समस्त रुढ़ियों और सीमाओं को त्याग कर चिन्तन करने का उपदेश दिया। किसी धर्म को केवल उसकी प्राचीनता से ही प्रभावित होकर ग्रहण न कर लो, क्योंकि कभी-कभी पुराने घर गिरा देने योग्य होते हैं, नवीन होने के कारण भी किसी विचार या शर्त को ग्रहण न करो, क्योंकि नवीन वस्तुएँ सदैव ग्राह्य नहीं होतीं। न ही किसी धर्म को उसके अनुयायियों की वृहत् संख्या से प्रभावित होकर ही अपनाओ, क्योंकि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग अविद्या के धर्म पर विश्वास करता है। अत: किसी भी विचार और ज्ञान को उसके गुणों का अन्वीक्षण करने के उपरान्त ही ग्रहण करो। स्वयं उसकी परीक्षा करो।[26]

स्वामी जी ने अपनी वेदान्ती मान्यताओं में मानव-सेवा और देश-सेवा जैसे विषयों पर भी, जो कि प्राचीन आचार्यों द्वारा उपेक्षित थे, बल दिया। यदि कोई व्यक्ति मानव मात्र में भ्रातृत्व की भावना को व्यवहार में नहीं अवतरित करता है तो वह जीवन के पवित्रतम सत्य की उपेक्षा करने का दोषी है।[27] वेदान्ती साधक जब तक आत्म-स्वरूप को विश्व-प्रेम में प्रकट नहीं कर देता तब तक वह ईश्वर-साक्षात्कार का अधिकारी नहीं है।[28] क्योंकि स्वरुपाध्यास की निवृत्ति तभी हो सकती है जब साधक अपनी आत्मा को ही समस्त प्राणि-वर्ग की आत्मा मानकर तद्वत् प्रेमाधान करे।[29] वेदान्त के अनुसार कोई भी व्यक्ति ईश्वर-दर्शन तक तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका सम्पूर्ण अस्तित्व सार्वभौमिक प्रेम में न परिवर्तित हो जाये और जब तक कि वह समस्त विश्व को अपना शरीर न मानने लग जाय। आत्म-साक्षात्कार के लिए यह साधन-क्रम का प्रथम चरण है।30 यह सब सत्यों का सत्य है कि समस्त संसार के समग्र शरीर तुम्हारे शरीर है, जैसे तुम स्व-शरीर को चलायमान कर सकते हो वैसे ही समस्त शरीरों को भी चालित कर सकते हो।[31] और फिर यह तो पदार्थ-विद्या से भी सिद्ध है- केवल वेदान्तीय सत्य ही नहीं कि समस्त शरीर एक ही तत्व द्वारा निर्मित है।[32] और इस प्रकार यह भी स्वत: सिद्ध है कि विश्व-भ्रातृत्व की भावना का अनुसरण कर तुम जो दीन-दु:खियों की सेवा करोगे वह उनकी सेवा नहीं है, वरन् तुम्हारी 'स्वयं' की सेवा है।[33] जिस प्रकार एक व्यष्टिगत शरीर के सब अंगों में समन्वयात्मक भावना का होना अनिवार्य है।[34] इसके विपरीत जो मनुष्य को सीमित और स्वार्थमय दृष्टि से देखता है वह 'ईश्वर-हत्या' का अपराधी है। वह पापी है।[35]

स्वामी जी ने स्वदेशानुराग, स्वदेश-सेवा को भी वेदान्त का ही एक अंग माना। उनके अनुसार कोई व्यक्ति उस समय तक परमात्मा के साथ, उस अखिल आत्मा के साथ एकता का अनुभव नहीं कर सकता, जब तक सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ एकता का भाव उसकी नस-नस में जोश न मारने लगे- स्वदेशानुराग ही सच्ची ब्रह्मविद्या है, वही सच्चा वेदान्त है। भारत में ब्रह्मविद्या का सदा वाद-विवाद के लिए दुरुपयोग किया गया। वेदान्त को व्यावहारिक बनाने बिना देशोन्नति नहीं हो सकती,[36] एक व्यक्ति तभी उस परमतत्व से अभिन्नता प्राप्त कर सकता है, जब स्वदेश की एक-एक पीड़ा उसके शरीर में शूलवत् चुभती हो।[37] सच्चे वेदान्त पर आचरण तभी हो सकता है जब कि मैं यह अनुभव कर लूँ कि मैं हिन्दुस्तान हूँ, भारत की समस्त भूमि मेरा शरीर है। मेरी आत्मा समस्त भारत की आत्मा है, मेरे दम लेने से सारा भारत दम लेता है, मैं चलता हूँ तो सारा भारत चलता है- यही वास्तविक वेदान्त है, यही सच्चा देशहित है।[38] देश-सेवा ही ईश्वर-सेवा और ब्रह्म प्राप्ति है, देश-सेवा ही सच्चा सन्यास है।[39] जनतान्त्रिक पद्धति का अनुसरण करना, पराधीनता की श्रृंखलाओं को तोड़ना और अत्याचारों एवं दरिद्रता से संघर्ष करना ही वेदान्त का मौलिक स्वरुप है।[40]

अब तक वेदान्त आध्यात्मिक उन्नति के साधन के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता था। भौतिक सुख-समृद्धि की प्रगति को अध्यात्म से पृथक् ही नहीं, विरुद्ध भी माना जाता था। परन्तु स्वामी जी ने अपने भाषणों में सर्वत्र कहा कि यदि तुम भौतिक वैभव और समृद्धि से भी युक्त बनना चाहते हो तो तुम्हें अध्यात्म की नींव दृढ़ बनानी होगी, क्योंकि 'सत्यमेव जयते' श्रुति यह सिद्ध करती है कि सर्वतोमुखी प्रतिभा का अधिकारी वही व्यक्ति और वही राष्ट्र हो सकता है जो कि सत्यारुढ़ हो।41 ऐश्वर्य किसी स्थान या जातिविशेष से सम्बद्ध नहीं है। वे ही अमेरिका और इंग्लैंड जो कि किसी समय पराधीन थे, आज वैभव-सम्पन्न हो गये हैं। इसका एक मात्र कारण यही है कि उन्होंने वेदान्तीय सत्यों का व्यवहार किया है।[42] जितने भी महान् कवि, योद्धा, ऐश्वर्यवान् और महापुरुष हुए हैं, उन सबके जीवन में यह तथ्य स्पष्टत: देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में जब श्रेष्ठ कार्य किये तब वे मिथ्या, लौकिक 'अहं' से रहित थे। वह वेदान्ती सत्य ही उनकी उन्नति का मूलभूत रहस्य है। कार्य का सौन्दर्य 'मैं' की अनुपस्थिति में ही निखरता है। ये बड़े-बड़े वैज्ञानिक, योद्धा और लेखक सभी व्यष्टिगत 'परिच्छिन्नत्व' को विस्मृत कर समष्टि में लय का उपदेश दे रहे हैं।[43] स्वामी जी ने इस तथ्य को कि भौतिक प्रतिभा भी अध्यात्म की नींव के दृढ़ होने पर ही प्राप्त की जा सकती है, प्रतिपादित किया।

स्वामी जी के द्वारा वेदान्त का अन्तरर्राष्ट्रीय समस्याओं के सन्दर्भ में प्रयोग अपूर्व है। वेदान्त से समाजवाद की तुलना कर समाज में से गरीब-अमीर की खाई को दूर करने के लिए वेदान्त का प्रयोग इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है। समाजवाद का उद्देश्य है पूँजीवाद को- व्यक्ति के एकाधिपत्य को समाप्त कर देना। वेदान्त भी इसी उद्देश्य को लेकर चलता है। वेदान्त की यह मान्यता है कि जब तक मनुष्य व्यक्तिगत सम्पति की, उसके प्रति आसक्ति और आकांक्षा की समाप्ति नहीं कर देता, तब तक वह परम-तत्व-लाभ से वंचित ही रहेगा।" समाजवाद भी इसी उद्देश्य को लेकर चलता है कि स्थायी और अस्थायी सम्पत्ति से व्यक्ति का नियंत्रण हटाकर उस पर सबका समान नियंत्रण हो, परन्तु समाजवाद की कमी यह है कि वह सम्पत्ति पर व्यक्तिगत आधिपत्य की समाप्ति के लिए केवल भौतिक साधनों का आश्रय लेता है, जब कि वेदान्त इस विषय में अध्यात्म का आश्रय लेकर अधिक सक्षम साधन प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार स्वामी रामतीर्थ जी वेदान्त दर्शन को सर्वथा मौलिक और प्रायोगिक रुप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मानव और समाज का भौतिक एवम् आध्यात्मिक उत्कर्ष सन्निहित है। इतना ही नहीं, वे अपने वेदान्तचिन्तन के आलोक में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और विश्वशान्ति, सुख, समृद्धि के आदर्श के फलीभूत होने के प्रति सर्वथा आश्वस्त हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सरदार पूरणसिंह : स्वामी राम जीवन कथा : पृ.124*
2. *वही : पृ. 125*
3. *Names in religion are working great evils in this world – Complete Works of Swami Ram : Vol. VIII : P. 46.*
4. *Ibid : Vol. II : P. 21.*
5. *Ram brings to you Vedanta, not with the intention of nicknaming you Vedantin. No, take all that, assimilate it, make it your own, you may call it Christianity, names are nothing to us. Idid, P.26.*
6. *Complete Works of Swami Ram : Vol. II : P. 168-9.*
7. *स्वामी राम के हिन्दी उर्दू के लेख व उपदेश : भाग 2 : पृ.209*
8. *The Word Vedanta means no Slivary to any personality or individuality : Complete Works of Swami Ram : Vol. VI : P. 124.*
9. *Vedanta means liberty and freedom : Ibid : Vol. II : p. 82.*
10. *Ibid : Vol. II : p. 21.*
11. *Vedanta is truth. Truth which belongs to everybody. : Ibid : Vol. VIII : p. 42-3.*
12. *स्वामी राम के हिन्दी उर्दू के लेख व उपदेश : भाग 2 : पृ.303*
13. *You must leave it....if Vedanta does not make you happy, if it does not cast off your burdens then kick it aside. : Complete Work of Swami Ram : Vol. III : p. 253.*
14. *Ibid : Vol. III : p. 253.*
15. *Complete Works of Swami Ram : Vol. V : p. 234.*
16. *Ibid : Vol. III : p. 131.*
17. *स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश : चौथा भाग : पृ.174*
18. *If Vedanta is not practiced in everyday life, what is the use of it? Vedanta printed in books and placed on shelves to be eaten up by worms is useless. : Complete Works of Swami Ram : Vol. III : p. 253.*
19. *This is the way to learn Vedanta, live Vedanta and practice Vedanta. : Ibid : Vol. V : p. 236.*
20. *Swamiji's philosophy can really be called practical Vedanta. : Dr. B.L. Atreya : Practical Vedanta : The Philosop[hy of Swami Ram : p. 6.*
21. *स्वामी राम के लेख व उपदेश : भाग 2 : पृ. 123*
22. *वही : पृ. 125*
23. *स्वामी राम के लेख व उपदेश : भाग 2 : पृ.196*
24. *वही : भाग 3 : पृ.360*
25. *Complete Works of Swami Ram : Vol. V : p. 2-3.*
26. *Ibid : Vol. II : p. 22.*
27. *स्वामी राम के लेख व उपदेश : भाग 3 : पृ.245*
28. *वही : पृ.174*
29. *Complete Works of Swami Ram : Vol. II : p. 176.*
30. *According to Vedanta nodoby can realize God unless his whole being is converted into universal love, unless he looks upon the whole universe as his body. This is the first step in the realization of self. : Vol. V : p. 175.*
31. *Ibid : Vol. IV : p. 192.*
32. *स्वामी राम के लेख व उपदेश : भाग 3 : पृ.248*
33. *वही : पृ.250।*
34. *Complete Works of Swami Ram : Vol. IV : p. 221-2.*
35. *स्वामी राम के लेख व उपदेश : भाग 3 : पृ.100-*
36. *वही : पृ.295*
37. *A person can never realize his unity with God except when unity with the whole nation throbs in every fibre of his frame. : Complete Works of Swami Ram : Vol. VII : p. 26.*
38. *स्वामी राम के लेख व उपदेश : भाग 3 : पृ0 417*
39. *Complete Works of Swami Ram : Vol. VII : p. 2-3.*
40. *Ibid : p. 9.*
41. *स्वामी राम के लेख व उपदेश : भाग 2 : पृ0 208-9*
42. *वही : पृ.96-7*
43. *वही : भाग 4 : पृ.102-3*
44. *Complete Works of Swami Ram : Vol. VI : p. 168.*

ISSN 2277-5587

वैदिकराष्ट्र का स्वरुपविमर्श : एक पर्यालोचन

डॉ. आशुतोष पारीक
व्याख्याता, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

shodhshree@gmail.com

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य: शूर इषव्योऽतीव्याधी
महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशु: सप्ति: पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा:
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे न: पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो
न औषधय: पच्यन्तां योगक्षेमो न: कल्पताम्।।[1]

राष्ट्र के माहात्म्य को प्रतिपादित करता यह यजुर्वेद का मन्त्र उदात्त विचारों का सम्प्रेषण करता है। हम जानते हैं कि सम्पूर्ण विद्याओं और प्रत्ययों का मूल वेद है। स्वामी दयानन्द के मत में **"वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।"[2]** अत: हमें जब भी किसी प्रत्यय पर विचार करना होता है तो हम उसका मूल वेद में खोजने का प्रयत्न करते हैं। हमारा सनातन राष्ट्रीय चिन्तन भी वेदमूलक है। समग्र राष्ट्रीय चिन्तन ब्रह्मज्ञान में समाहित है। वेद ब्रह्म है, ब्रह्म बल है, बल राष्ट्र है, जिसकी प्रधान रुप से चार शक्तियाँ हैं- 1. ज्ञानशक्ति, 2. रक्षकशक्ति, 3. पोषकशक्ति एवं 4. धारकशक्ति। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है-

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य: कृत:।
उरू तदस्य यद् वैश्य: पद्भ्यां शूद्रोऽजायत।।[3]

अर्थात् उस विराट् पुरुष से ही चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो राष्ट्र के अंग थे। यह मन्त्र शरीर, समाज, राष्ट्र और भूमण्डल तथा विश्व मण्डल के राष्ट्र स्वरुप में समान रुप से घटित है। अथर्ववेद में राष्ट्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा गया है-

भद्रमिच्छन्त: ऋषय: स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे।
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तस्मै देवा उपसंनमन्तु।।[4]

अथर्ववेद के उच्छिष्ट सूक्त में राष्ट्र को उच्छिष्ट में निहित बताया गया है।[5] 'राजृ दीप्तौ' धातु से करण अर्थ में ष्ट्रन् प्रत्यय से राष्ट्र शब्द निष्पन्न हुआ है। कोशों में राष्ट्र का अर्थ राज्य, देश, साम्राज्य, जिला, प्रदेश, दुर्ग, बल आदि किये गये हैं[6] किन्तु जिस राष्ट्र की अवधारणा वेद में है, वह सम्पूर्ण त्रिलोक है, वह अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत अर्थ का प्रतिपादक है। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में वाक् सूक्त के अन्तर्गत मिलता है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, पुराणादि में राष्ट्र की सीमा व स्वरुप का चिन्तन विस्तृत रुप से अभिव्यक्त हुआ है। हमारा वर्तमान जगत् राष्ट्र के आधिभौतिक स्वरुप को ही महत्त्व प्रदान कर पा रहा है किन्तु इसके अध्यात्म व अधिदैव स्वरुप का दर्शन कराने वाले मन्त्रों का भी निदर्शन वर्तमान समाज के लिए उपादेय होगा। यजुर्वेद के अध्याय 20 में राज्य के आध्यात्मिक स्वरुप का इस प्रकार वर्णन मिलता है-

शिरो मे श्रीर्यशो मुखं त्विषि: केशाश्च श्मश्रूणि।
राजा मे प्राणो अमृतं सम्राट् चक्षुर्विराट् श्रोत्रम्।।
जिह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्यु: स्वराड् भाम:।
मोदा: प्रमोदाऽङ्गुलीरङ्गानि मित्रं मे सह:।।

बाहू मे बलमिन्द्रियं हस्ती मे कर्म वीर्यम्।
आत्मा क्षत्रमुरो मम॥
पृष्ठीर्मे राष्ट्रमुदरमसी ग्रीवाश्च श्रोणी।
उरू अरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि॥[7]

प्रस्तत मंत्र में पृष्ठ भाग को राष्ट्र कहा गया है जो समस्त जीवन का सुदृढ़ आधार है। अधिदैवत राष्ट्र के स्वरुप का निदर्शन कराता हुआ वेद कहता है-

राज्यसि प्राची। सम्राडसि प्रतीची। स्वराडस्युदीची।
अधिपत्न्यसि बृहती॥[8]

इसी प्रकार अथर्ववेद में कहा गया है कि अधिदैव रुप से वर्तमान राष्ट्र को सविता, अग्नि, इन्द्र, बृहस्पति, मित्रावरुण आदि देवों द्वारा धारण किया जाता है। वरूण को राजा कहा गया है-

येन देवं सविस्तारं परि देवा धारयन्,
तेनैव ब्रह्मणस्पते परिराष्ट्राय धत्तन।
ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवा बृहस्पतिः,
ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्॥[9]

अथर्ववेद में राष्ट्रभृत् देवों को सूर्य के चारों ओर विचरण करते हुए बताया गया है।[10] कहा गया है कि जो राष्ट्रीभूत देवता सूर्य के अभिमुख होकर गति करते हैं, वे सम्यक् ज्ञान, सुमन वाने रोहित राष्ट्र को धारण करें। अथर्ववेद के 13वें काण्ड में रोहित का सविस्तार वर्णन है। मन्त्रों में आया हुआ राष्ट्र शब्द व्यष्टि और समष्टि से संवलित व्यापक आधार को सूचित करता है। राष्ट्र के रक्षक के रुप में क्षत्र अथवा क्षत्रिय की नियुक्ति की गई है, जिसके कर्म आश्रमव्यवस्था के अन्तर्गत नियन्त्रित किये गये हैं। अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त में कहा गया है-

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति॥

यहाँ ब्रह्मचर्य तप से तात्पर्य राष्ट्र के समग्र वृद्धिभाव से है तथा रक्ष् धातु संवरण, दान, व्यापन, हिंसा एवं रक्षा अर्थ वाली धातुओं का अर्थ ग्रहण किए हुए हैं। श्रीमद्भागवत में तेज, बल, धृति, शौर्य, तितिक्षा, औदार्य, उद्यम, स्थैर्य, ब्रह्मण्य, ऐश्वर्य को क्षत्रप्रकृतियाँ कहा है।[11] इन्द्र को प्रधान योद्धा के रुप में चित्रित किया गया है।[12] यजुर्वेद में आपोदेवी को राष्ट्रदा कहा गया है।[13] यजुर्वेद में सब कुछ यज्ञ से सम्पन्न होने की कामना है। राजा से सम्बन्धित आसन्दी, कुम्भी, सुरापानी आदि नामों का उल्लेख प्राप्त होता है।[14] अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियों के रुप में सभा और समिति का उल्लेख[15] किया गया है-

सभा च समितिच्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने॥

सभा को नरिष्टा एवं सभा में बैठने वालों को सभासद् कहा गया है तथा सभी की वाणी को संयत होने की कामना की गई है-

सभा विदुषां समाजः।
सर्वत्र भान्ति देवा यत्र सा सभा यद्वा समानरुपेण यद्वा सह।
समितिः संयन्ति संगच्छन्ते युद्धाय अत्रेति समितिः।
संग्रामः। सा ग्रामीणजनसभेत्यर्थः।
यद्वा संग्रामनामानि यज्ञनामानि भवन्तीति यास्केनोक्तत्वात्
समितिः शब्देन यज्ञ उच्यते॥[16]

वर्तमान में सभा, समिति शब्द मन्त्रिपरिषद् अर्थों में प्रयुक्त होता है। शासन कार्य में राजा को सब प्रकार से सहायता देने वाले मन्त्री होते हैं, राजा इन पर आश्रित रहता है, इनसे पथप्रदर्शन प्राप्त करता है, इन्हें रत्निन् भी कहा जाता है। ये राजकर्ता या राजकृत् कहे गये हैं।[17] जो राजा के लिए उपदेशक, राजपुत्रों व प्रजाओं के लिए शिक्षक, विचारमन्त्र में ऋषि, समाज के लिए पथप्रदर्शक और योद्धाओं के लिए अग्रगामी होते हैं उन्हें पुरोहित कहा गया है-

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः॥

अथर्ववेद में पौरोहित्य कर्म वर्णित है।[18] ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए कहा गया है। आधिभौतिक पुरोहित के स्वरुप का वर्णन करते हुए कहा गया है-

अग्निर्वाव पुरोहितः। पृथ्वी पुरोधाता,
वायुर्वा पुरोहितोऽन्तरिक्ष पुरोधाता,
आदित्यो वाव पुरोहितो द्यौः पुरोधाता।
एष वै पुरोहित य एवं वेद अथ स तिरोहितो य एवं न वेद।
पुर एनम् अग्रे दधाति दधति इति वा पुरोहितः॥[19]

जिस प्रकार पृथ्वी आदि पिण्डों में पुरोहित अग्नि का प्राधान्य रहता है, उसी प्रकार राजा के यहाँ पुरोहित का प्रभाव रहता था। अग्नि, वायु, सूर्य का तीनों वेदों से क्रमशः सम्बन्ध है, अतः पुरोहित का वेदविद् होना आवश्यक माना गया है। बृहस्पति देवों के पुरोहित थे। तद्वत् मनुष्य राजा के पुरोहित होते हैं।

बृहस्पतिर्ह देवानां पुरोहितः तमन्वन्ये मनुष्य राज्ञां पुरोहिताः॥[20]

यजुर्वेद में भी बृहस्पति को पुरोहित कहा गया है। ऐसे शासकों को क्रमिक उच्चता के अनुसार अधिराज, राजाधिराज, सम्राट्, स्वराट्, विराट्, सर्वराट् कहा गया है। अपने पद-गौरव प्रदर्शन के लिए राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध आदि यज्ञ करते थे। इनका विस्तार से वर्णन ब्राह्मणग्रन्थों में प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में तत्कालीन शासनपद्धतियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है।

स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यराज्यं
महाराज्याधिपत्य... पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति,
तदप्येष श्लोकोऽभिगीयते॥

इन सभी शब्दों के मूल में राज् धातु है जिसका अर्थ दीप्त होना है। सम्राज् अर्थात् सम्यक् रुप से प्रकाशित होना, विराट् अर्थात् विशेष या विविध रुप से प्रकाशित होना। प्रकाशमान सम्राज् स्वयं एक ओर अद्वैत है, स्वराज् अवस्था में वह अपने स्व को ही विषय बना लेता है और एक बाह्य इदं रुप में देखकर अहमस्मि का अनुभव करता है। यही स्व विराज् अवस्था में पहुँचकर वि में परिवर्तित हो जाता है, यही विराज् के स्थान पर विराजानि बन जाता है।

ISSN 2277-5587

प्राकृतिक पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ: के अधिपति क्रमश: अग्नि, वायु और आदित्य को माना गया है। सूर्य की त्रिलोकी रोदसी में सूर्य की प्रधानता है। सूर्य की अग्नि के अधीन उसी के विकास रुप से अन्तरिक्ष की अग्नि विद्युत् तथा पृथ्वी की अग्नि दोनों ही सूर्य से उत्पन्न हैं।

सूर्याप्रसूतावग्नी तु दृष्टी मध्यमपार्थिवौ।।

इस प्रकार सूर्य ही सबका अधिपति नियामक स्वराट् है, सूर्य प्राण ही इन्द्र है, फलत: स्वराट् है, सूर्य की शक्ति ही ब्रह्माण्ड मे शासन करती है। स्वयंभू एवं परमेष्ठी से ब्रह्म और विष्णु विराट् कहे गए हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक व्यवस्था के आधार पर भौम त्रिलोकी की व्यवस्था हुई। भौम स्वर्ग के अधिपति इन्द्र माने गये हैं, अत: हमारी राजा आदि अवधारणाएँ वैदिक हैं। राजा अपने राज्य में स्वतंत्र होता था किन्तु अन्य राजाओं के सम्बन्ध में वह सम्राट् के अधीन माना जाता था। इसी प्रकार सम्राट् भी स्वराट् के अधीन समझा जाता था। इन्द्र त्रिलोक के अधिष्ठाता थे, इसका स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है।[21] वरुण को भी राजा कहा गया है।[22] वाक् सूक्त में परमेष्ठी मण्डल की अधिष्ठात्री आपो देवी स्वयं को राष्ट्री कहती है-

अहं राष्ट्री संगमनी।[23]

वेदमन्त्रों में आए हुए ग्राम, ग्रामणी, विश्, विशांपति, जन, जनपद, गोप्ता आदि शब्दों को देखकर सम्पूर्ण राजतन्त्र को पाँच भागों में बाँटा गया है- 1. गृह, 2. कुल, 3. जन, 4. जनपद, 5. राष्ट्र। इस प्रकार वैदिक मन्त्रों में आए हुए राष्ट्र, राष्ट्री, राष्ट्रभृत् आदि शब्द अपना व्यापक अर्थ रखते हैं। आध्यात्मिक और आधिदैविक राष्ट्र के स्वरुप को अभिमुख कर उससे समतुलित पार्थिव राष्ट्र-जीवन की योजना हमारे मनीषियों ने की है। राष्ट्र को ध्रुव रुप में स्थिर रखने के मन्त्र भी प्राप्त होते हैं। वैदिक राष्ट्रचिन्तन अहं भाव से ऊपर उठकर सर्वात्मभाव वाला था। वहाँ सभी के हित की कामना है। उनके चिन्तन में सूक्ष्मता से स्थूलता और स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गति-आगति करने वाले प्राणों की अभिव्यक्ति थी। अत: उन्होंने सबके कर्म, गति, वाणी, मन, चित्त और संकल्प के एक होने की कामना की। ऋग्वेद के दसवें मण्डल का अन्तिम संज्ञान सूक्त इन्हीं भावों को प्रदर्शित करता है।

समानो मन्त्र: समिति: समानी समानं मन: सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व: समाने वो हविषा जुहोमि।।[24]

वर्तमान जगत् राष्ट्रवादी होने का तात्पर्य क्षेत्रविशेष अथवा वर्गविशेष के प्रति अपनी निष्ठा से समझने का प्रयास करता है, ऐसा राष्ट्रवाद स्वयं में अहं और अन्यों में विद्रोह के भावों को ही भर सकता है। अत: वैदिक राष्ट्र की व्यापक अवधारणा ही हमारे जीवन को सर्वांगपूर्ण बना सकेगी। मात्र स्वयं के हित की कामना न करते हुए सम्पूर्ण विश्व के कल्याण की कामना ही वैदिक राष्ट्र की वास्तविक अभिव्यक्ति है। जब वेद कहता है **'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'** तो इसका तात्पर्य किसी वर्गविशेष से नहीं अपितु समस्त विश्व के कल्याण से है।

अत: आइये हम ऐसे ही राष्ट्रवाद के पोषक और प्रेरक बनें... विश्व के कल्याण में अपने हित को देखें... स्वार्थभाव से विमुख हो परमार्थ भाव का चिन्तन करें, तब ही हम राष्ट्र के स्वरुप और उसकी शक्ति से सच्चे अर्थों में अवगत हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *यजुर्वेद 22.22*
2. *आर्यसमाज का तीसरा नियम*
3. *ऋग्वेद 10.90.1*
4. *अथर्ववेद 19.42.1*
5. *पूर्ववत् 11.9.17-18*
6. *अमरकोष, मनुस्मृति 7.32, 7.109, 9.254, 10.61*
7. *यजुर्वेद 20.4-8*
8. *यजुर्वेद 15.10,12-14*
9. *अथर्ववेद 13.1.20, 6.88.2*
   ऋग्वेद 10.173.5
10. *अथर्ववेद 13.1.35*
11. *श्रीमद्भागवत 11.17.17*
12. *ऋग्वेद 31.12.3*
13. *यजुर्वेद 10.3*
14. *यजुर्वेद 19.16*
15. *अथर्ववेद 7.13.1, 8.11.8-11*
16. *अथर्ववेद 7.13.21*
17. *अथर्ववेद 3.5.7*
18. *अथर्ववेद 3.19.11*
19. *ऐतरेयब्राह्मण 8.5.1*
20. *ऐतरेय ब्राह्मण 8.5.3*
    यजुर्वेद 20.11
21. *ऋग्वेद 10.89.10*
22. *ऋग्वेद 1.25.5*
23. *ऋग्वेद 10.125.3*
24. *ऋग्वेद 10.191.3*

सहायक ग्रन्थसूची

1. *ऋग्वेद भाष्य - स्वामी दयानन्द सरस्वती, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर।*
2. *यजुर्वेद भाषा भाष्य - स्वामी दयानन्द सरस्वती, दयानन्द संस्थान, दिल्ली।*
3. *सामवेद भाष्य - ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामार्तण्ड, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर।*
4. *अथर्ववेद भाष्य - प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर।*
5. *मनुस्मृति - महर्षि मनु, सं. प्रो. सुरेन्द्र कुमार, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली।*
6. *ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका- स्वामी दयानन्द सरस्वती, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली।*
7. *सत्यार्थप्रकाश - स्वामी दयानन्द सरस्वती, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर।*

शोभा ब्रूटा का कला संसार

साक्षी गुप्ता
शोधार्थी, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा (उत्तर प्रदेश)

shodhshree@gmail.com

"We are all born...then we go through conditioning. We are taught to live in a certain way. Slowly we get bound by beautiful frills of life. We live blindly thinking this is it, but somewhere deep down, I knew this was not the true life. It s all made up of conveniences. Once I realized this, I surrendered. I found there is another realm of existe..."

- Shobha Broota

Artist Shobha Broota with Sakshi Gupta

भारतीय कला की आधुनिक चेतना के निर्माण में जिन कलाकारों की सर्वाधिक भूमिका रही है, उनमें महिला चित्रकारों का विशिष्ट स्थान रहा है। जिन्होंने यह सिद्ध किया कि कला वह सरिता है, जो सदैव अपने मार्ग को बदलती रहती है, युग, जाति, देश रुपी तटों का प्रतिबिम्ब उस पर पड़ता रहता है। कला वैज्ञानिक साधनों की उपलब्धि है और विकास के साथ परिवर्तनशील व विकासोन्मुख रहती है। समकालीन कला 21वीं शताब्दी की कलाओं की हलचल व उत्तेजना भरी गतिविधियों का प्रतीक है। 21वीं शताब्दी के चित्रकारों ने कला को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखा है कि कलाकृतियाँ प्रयोगशाला का अनुभव कराती हैं। आधुनिक कला की असाधारण विविधता और नई दिशाओं में की जा रही गहन खोज से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इन्हीं खोजों व आविष्कारों के परिणामस्वरुप कला जगत में नित-नवीन विधाओं का, शैलियों का व वादों का जन्म होता आया है। आधुनिक भारतीय चित्रकारों ने भारतीय दर्शन व पाश्चात्य अमूर्त आकारों का मिश्रण कर एक नवीन विधा को जन्म दिया, जिसे **नव-तान्त्रिकवाद** कहा गया।

Figure 1 Malaysion Experience

तन्त्र अर्थात् ज्ञान के विस्तार का साधन, ध्यान केन्द्रित करने की क्रिया। यह आरम्भ से ही जीवन व ब्रह्माण्ड के आधारभूत तत्वों की अराधना का साधन है। चित्रकला में तन्त्र-दर्शन का समावेश शताब्दियों पूर्व विकसित हो चुका था किन्तु आधुनिक चित्रकला के विकास में तन्त्र-दर्शन को पूर्णतया नवीन रुप देकर कलाकारों ने प्रस्तुत किया। जिसमें आकृतियाँ अमूर्त थीं व भावना दार्शनिक। इस

ISSN 2277-5587

नवीन कला शैली के प्रणेता थे जी. आर. संतोष। इस शैली द्वारा भारतीय परम्परा व आध्यात्मिकता को जीवन्त रखने का कार्य अनेक कलाकारों ने किया। ऐसी ही एक विश्वविख्यात कलाकार हैं, ''शोभा ब्रूटा'', जिनका नाम स्मरण करते ही हमारे नेत्रों के समक्ष साधारण आकृतियों व आकर्षक रंगों से भरे चित्र आ जाते हैं। जो कि देखने में जितने सहज प्रतीत होते हैं, उनका विषय उतना ही गम्भीर व जटिल होता है।

शोभा ब्रूटा ने जिस प्रकार भारतीय दर्शन व पाश्चात्य अमूर्त आकारों का मिश्रण कर जिस कला-मूर्धन्ता का परिचय दिया वह एकदम अनोखा है जैसे कि भारत का वैचन्य हो, उसका रुढ़िवादी हो और सर्वत्र पसरे अवसाद की अभिव्यक्ति हो या अपनी परम्परा के आदर्श कला मूल्यों का अपना सृजन में विन्यास हो।

Figure 2 Mother Earth

आपका कला सृजन उस प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित और प्रभावित करता है जो कला की सच्ची साधना का सम्मान करता है। वे कल्पनाशक्ति से परिपूर्ण उन चुनिन्दा चित्रकारों में हैं, जिन्होंने हमारे देश की कला को नवीन दृष्टिकोण व मंच प्रदान किया। उन्होंने रंगों व आकारों को चैतन्यता के साथ प्रयोग किया, आपने अन्तराल का विभाजन एक अनोखी दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया। चित्र तल पर खाली स्थान को छोड़कर अद्भुत विस्तार उत्पन्न किया। चित्र संयोजन में आकृतियाँ प्रभावपूर्ण व सम्पूर्ण धरातल पर फैली होती हैं। आपने धरातल पर पोत के प्रयोग से सम्पूर्णता को प्रकट किया है।

कला संसार की इस दीप्तमान ज्योति का जन्म 1943 में दिल्ली में हुआ था। आपने सन् 1964 में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त सन् 1964 में संगीत गायन में विशारद की उपाधि प्राप्त की। आप स्वतन्त्र रुप से चित्रकार होने के साथ **त्रिवेणी कला संगम, दिल्ली** में कुशल कला शिक्षिका भी थीं। अपने कलात्मक जीवनवृत्त के चार से अधिक दर्शकों में आपने अपनी कृतियों का प्रदर्शन न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी किया है। आपकी कृतियों की प्रदर्शनी दिल्ली, मुम्बई, सिंगापुर, शिकागो, सिडनी, हंगरी, पोलैण्ड, इटली में हुई। इसके अतिरिक्त आपकी कृतियां 6ठवें **त्रिनाले व एशियन यूरोपियन आर्ट बिनाले, टर्की** में भी प्रदर्शित हुई।

अपने चार से अधिक दशकों की कला साधना से शोभा जी भारतीय चित्रकला में दीप्त सूर्य के समान हैं, उनका वयोवृद्ध जीवन सृजन सक्रिय जीवन उदात्ता और उदारता से उजला है। उनकी कला-साधना को अन्तर्राष्ट्रीय कला बाज़ार ने समय-समय पर सम्मानित किया गया है, सन् 1982 में AIFCAS द्वारा व 1986 में साहित्य कला परिषद् द्वारा आपको सम्मानित किया गया है।

आपकी कृतियों में आध्यात्मिकता व योग की दृष्टि लयपूर्ण रुप से कम्पन उत्पन्न करती है, जो कि चलायमान सी प्रतीत होती है। कृतियों में प्रयुक्त सरल, कम व छोटी-छोटी आकृतियाँ शून्य से धरातल पर हलचल उत्पन्न करती हैं व दर्शक की दृष्टि को केन्द्रित करती हैं। आपके चित्र दार्शनिक गम्भीरता से परिपूर्ण, साधारण परन्तु जटिल विषयों से व्यवहारित, उत्कृष्ट हैं, जो दर्शक के विचलित मन को एकाग्रता प्रदान करता है। चित्रों मे भौतिकता से अधिक आत्मियता है। जब कलाकार मूलरुप (आत्मा) की रुप योजना को विषय बना कर चित्रित करता है तो वह निश्चय ही स्थायी होती है। उसी मूल रुप से यदि परम्परायें, भावनायें परिवर्तन व गतिविधियाँ सम्बन्धित हों तो कलाकृति का निखार द्विगुणित हो जाता है और यही कलाकार की सच्ची मौलिकता व रचनात्मकता है। कलाकार की कृति में कुछ बिन्दु अवश्य होते हैं जो उसकी रचनात्मकता एवं आधुनिकता को पहचान देते हैं और उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शोभा जी की कृतियों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पोत (Texture) जैसे- ऊन, लोहे की जाली, कपड़ा आदि उनकी प्रयोगधर्मिता, कल्पनाशीलता व रचनात्मक स्वभाव को प्रदर्शित करता है। समतल कृति में अमूर्तन प्रभाव प्रयोगात्मक गुणवत्ता को प्रस्तुत करता है। आप पेपर, कैनवास व बोर्ड पर विभिन्न प्रकार के पोत व रंगों से समान रुप से सन्तुलन व संयोजन को जन्म देती हैं।

Figure 3 Origin

आपने आरम्भ में व्यक्ति चित्रण किया व अब अत्यधिक सूक्ष्मवाद आपके पोत की अमूर्तता पर आपकी रुचि को दिखाता है। रंगों के प्रयोग की तकनीकि भी पूर्णत: नई है। वे Throwing Colour की तकनीकि द्वारा अर्थात् रंगों को बिना तूलिका का प्रयोग किये ऊन, कपड़े, मोतियों आदि की परतों को कैनवास पर भिन्न-भिन्न प्रकार के आकारों से प्रयोग करती हैं जिसके फलस्वरूप जैविक रंग से युक्त छोटे-छोटे कणों से युक्त आकृति उभरती है।

लगभग सन् 1998 के पश्चात् आपने अपनी कृतियों में तन्त्रिक

दार्शनिकता का प्रयोग कर एक नवीन शैली में कलाकृतियों का निर्माण प्रारम्भ किया। आपकी इन कृतियों में पहले की भांति ही अमूर्तता व रंग संयोजन है परन्तु विषय में नवीनता है। इस शैली में बनी इनकी कृतियाँ **Origin, Divinity, Deity, Malaysion Experience** आदि परब्रह्म की उपस्थिति को प्रस्तुत किया है।

Figure 4 Divinity

अपनी कलाकृतियों द्वारा आपने दैवीय लय, ब्रह्माण्डीय अन्तराल में जीवन व सूक्ष्म कणों के परिभ्रमण को दिखाया है। कलाकृति के मध्य केन्द्र बिन्दु स्थापित कर उसे को ध्यान केन्द्रित करने के साधन व रंगों द्वारा दैवीय सौन्दर्य व तेज को प्रस्तुत किया है। कलाकृति में प्रयुक्त श्वेत किरणों से प्रकाश के फैलाव को प्रस्तुत किया है जो कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की संवेदनशील ऊर्जा है।

As an artist I was always interested in the play of colour, light, movement and rhythm; and then varying forms were revealed to me in consonance with my different experiences in life. In the long pursuit of artistic creations, my endeavours as a painter passed through a lot of changes. I painted portraits, human forms, birds, animals, insects,... - SHOBHA BROOTA

Figure 5 Deity

शोभा जी की अपनी एक अनोखी शैली है, जिसने इन्हें कला जगत में सबसे अलग पहचान दिलाई है। इनका व्यक्तित्व व कृतियां किसी के परिचय की मोहताज नहीं हैं। पोत के आविष्कारक प्रयोग से उत्पन्न व विकसित शैली इनकी कृतियों की पहचान है। आपके चित्र विश्वपटल पर अपनी पहचान बनाये हुये हैं।

Painting is a vocation which gives me total freedom but this freedom implies a lot of discipline, poise, focus, clarity and perseverance. The discipline of observation that started way back in childhood became a string connecting me to essentialism through realism. This link is the cornerstone of all my work. My work is geared towards silent in..." - SHOBHA BROOTA

Figure 6 Waves

कलाकृतियों में प्रयुक्त साधारण आकृतियाँ, आकर्षक वर्ण योजना ने सदैव कलाप्रेमियों को आकर्षित किया है। अपने कृतित्व की इन्हीं विशेषताओं द्वारा शोभा जी ने आज कला जगत में प्रयोगधर्मिता, रचनात्मकता व कल्पनाशीलता की नूतन विधा को प्रस्तुत कर कला के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया है। अपनी रचना द्वारा आपने भौतिकता से परिपूर्ण संसार में आत्मियता, आध्यात्मिकता व परमतात्विकता को नया जन्म दिया है। शोभा जी भारतीय समकालीन कला की सशक्त स्तम्भ हैं। जिन्होंने अपनी कलाकृतियों में अपनी शैली के बल पर अनेकों नये आयामों को विस्तार दिया है। अपनी कला के द्वारा उन्होंने समकालीन भारतीय कला की धाराओं को विदेशी कला धाराओं से सफलता से जोड़ा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 *मगो, प्राण नाथ : भारत की समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, 2006, ISBN 978-81-237-4617-3*

2. *Lallan Prasad Singh : Tantra its Mystic and Scientific Basis Concept Publishing Company, New Delhi.*

3. *Philip Rowson : The Art of Tantra , Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1973*

4. *http://www.galleryartpositive.com/artist_detail.php?action=profile&id=77*

5. *http://www.indiaart.com/Artists/shobha-broota/profile-of-shobha-broota.asp*

6. *http://www.tehelkaart.com/index.asp?id=68*

7. *http://www.artalivegallery.com/artists.php?cat=artists&scat=26*

8. *http://in.linkedin.com/pub/shobha-broota/1a/76a/894*

मालानी के विशिष्ट भक्ति गीतो का अध्ययन

दुष्यन्त त्रिपाठी
व्याख्याता, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

shodhshree@gmail.com

पश्चिमी राजस्थान का वर्तमान बाड़मेर जिला एवं उसके समीपवर्ती कुछ भू भाग, पोकरण तक का क्षेत्र एतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से मालानी/मालाणी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राव सलखा का टीका रावत मल्लिनाथ को मिला जिनके नाम से बह क्षेत्र मालाणी कहलाया व एक प्रसिद्ध संत शासक थे।[1]

त्याग, संयम, संस्कार, धर्म के प्रति निष्ठा आदि गुणों ने रावल मल्लिनाथ को महान शासकों में स्थापित किया है। जब शासक के गुण विशिष्ट होते हैं तो जनता उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। संपूर्ण क्षेत्र में उन्हे आज भी अत्यंत आदर व श्रद्धा से याद किया जाता है। भाई भतीजों को ठिकानो का अधिकारी बनाते समय रावल मल्लिनाथ ने कहा कि ''माला रे मढ़ै वीरम रै गढ़ै''[2] अर्थात् मलिनाथ जी के वंश में गढ़ अर्थात् महलों, किलो का क्षेत्र होगा। इस त्याग भाव से मल्लिनाथ जी का बड़प्पन, समर्पण भाव, बंधु बांधको से स्नेह आदि महान गुण तो प्रकट होते ही है। लेकिन राजनैतिक रूप से जोधपुर मारवाड़ की सत्ता का केन्द्र बन गया। राव सीहा से रावत मल्लिनाथ तक तो मालाणी के शासकों का पृथक वर्णन मिलता है। उसके पश्चात मालाणी का इतिहास इसमें समाहित हो जाता है।''[3] शोध पत्र का मुख्य प्रतिपाद्य मारवाड़ अथवा मालाणी राज्य का एतिहासिक अध्ययन करना नहीं है अपितु संक्षिप्त भूमिका के माध्यम से यह दर्शाना है कि मालानी क्षेत्र में आध्यात्मिक विचारों की सरिता का प्रवाह राजनैतिक अनुकरण, प्रेरणा व प्रोत्साहन द्वारा विशेष प्रबल हुई है। आध्यात्मिक धारा के प्रबल प्रवाह को मालानी क्षेत्र में जाकर मैने स्वयं अनुभव किया है। क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना को प्रेरणा देने के अनेको मठ, मंदिर, धाम, धूनियां है। सती राणी भटियाणी तीर्थ, नाकोड़ा तीर्थ, आसोतरा ब्रह्मधाम, वीरातरा माता, किराडू, नाथ सम्प्रदाय मठ चौहटन, रुणीचा धाम पोकरण, नागणेची माता, तिलवाड़ा मलीना धाम आदि प्रसिद्ध आध्यात्मिक केन्द्र है। ''मल्लिनाथ जी की यादगार में चेत वदी ग्यारस से मेला मुकाम तिलवाड़ा परगने मालानी में भरता है।''[4]

रात के शांत व स्थिर वातावरण में रेतीले मैदानो पर वीणा, ढोलक, खड़ताल, मंजीरे, कामायचा, सारंगी जैसे लोक वाध्यों की संगती के साथ जब ईशरदासजी, अमरारामजी, उतमराम, गोरखनाथ, बालकनाथ, डूंगरपुरी महाराज, चनणशाह, मुरादखां, पत्तेखां, कबीरदास जैसे संत कवियों की वाणियां हेली, चेतावनी, बिरहणी, फकीरी, सुरता, सायल आदि सगुण निर्गुण रचनाएं गायी जाती है तो उन रेतीले मैदानो पर आत्मा परमात्मा से मिलने को आतुर हो उठती है। शोध कार्य के दौरान मैने ऐसी अनेक रचनाएं सुनी जो साहित्यिक दृष्टि से पूर्णत: छंद बद्ध व उत्कृष्ट शब्द चयनता का परिचय देती है तथा सांगीतिक प्रस्तुति में उच्च शास्त्रीय संगीत से तुलना पाती है। कुछ विशिष्ट रचनाओं को उल्लेखित किया गया है।

1. सरस्वती स्तुति ,   रचनाकार-पत्ता खां

सुर आदि सगति, दैण सुमति त्रो भज्यां भवतारिणी

ISSN 2277-5587

सुध बुद्धि दीज्यों रंग रीझों, दर्द दोष मिटावणी
परमेसरी परनाम पालण संत काज सुधारणी
भव बंधन मेटण, क्लेस काटन, पाप भव दुःख भंजणी
कुळबंध काळी बिरद बाळी तिहूं लोका तारणी
परखंड खंडी चकर चंडी दुसट दाणव दळणी
मन मान लिछमी मुखे अम्बि निर्धनां धन देवणी
धण दैण दौलत अनत संपत अमिय रस बरसावणी
सुरसत्त मातां बीण हाथां राय दे सुररावणी
गुण ज्ञान देवे, संत सेवे अणमय राग उचारणी
भगवती भवनी, तरण जुंगनी, जुगां अंबर जोगणी
दरशण्ण आवे, सुख्ख पावें, बिड्द भाग बधारणी
संतोस गुणते प्रगट सगति तिहूं रुपां तारणी
चत्रभुज्ज तोरा बदन गोरा बरण उज्जवल अंगणी
गळ माळ मोती, हाथ पोथी, परम मुग्ध दिसावणी
चन्द्र झेम झळळळ, रुप फळळळ, तेज भल प्रकासणी
अंकूस वीणा, हाथ लीना रंग सुरमई रागणी
सिणगार सजणी, मोर वहणी, वीण हाथां साजणी
या गळ भैरु हाथ डमरु, संग चौसठ जोगणी
कवि पत्त ऊपर, करण किरचा, परम विद्या पूरणी।।

इस रचना में सरस्वती को विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, सरल व रौद्र रुपी, दुष्ट नाशिनी, मोर वाहिनी, वीणा व पुस्तक धारित स्वरूप में दर्शाया गया है। यह गीत मुझे आकाशवाणी बाड़मेर केन्द्र से प्राप्त हुआ। तत्पश्चात पत्ताखान जी से मुलाकात कर अन्य ऐसी अनेक रचनाएं प्राप्त की।

2. सात वार ज्ञान गीत, रचनाकार-चनणशाह

प्यारी ए! सोम दिरावे ओम राम गुण गाविए, क्रोध विधन होय
जाय नाम नाहि छोड़िए
प्यारी ए! मंगल मांय न बाप मंगल गुरु आपणा, निज मंगल
ने धाय मंगल घर लावणा
प्यारी ए! बुद्ध करो व्यवहार अबख नहीं भाखणा, देख परायों
माल कदे नी ताकणा
प्यारी ए! बिसपत विष की बैल विषयां को जालणा, निज
विषयर ने टाल विषयां ने बालणा
प्यारी ए! सुकु सांच कमाय फिकर नहीं राखणा, धरणों अंतर
ध्यान सवेरा जागणा,
प्यारी ए! शनि मोटो वार सतोसत बोलणा, बोलो बोल अबोल
कदे नीं उथावणा
प्यारी ए! उदित करावे जीत हिम्मत नी हारणा, जीते न
जाओं जुग रे मांय उसी का वारणा
प्यारी ए! सात वार रो ज्ञान कण्ठ सूं गावणां, चनणशाह भणे
कर जोड़ फेर नहीं आवणा

इस गीत में प्रख्यात संत कवि चनणशाह ने सात बार के माध्यम से संत वाणी को जन जीवन में सहज रुप से संप्रेषित करने का प्रयास किया है। यह गीत प्रख्यात मिरासी गायक सूरत खां के संग्रह से प्राप्त हुआ है।

3. सिमरन महिमा , रचनाकार-अमराराम गांव-चोखे री ढूडी मालानी

देख्या रे हमने सिंवरण में सुख भारी। टेर
जिसके मौज लगी सिवरण रे लगी तंत विच तारी
गोपीचंद भरत री रटिया, छोड़ चल्या नर नारी।
धूं की मौज लगी सिवरण सूं लियो पैलाद विचारी
कष्ट पड़यो सिवरण नी छोड़यो लिवी मोक्ष ललकारी।
राजा हरिचन्द्र राणी तारा दे नीच घरे परिणाणी
श्वासों श्वास लग्यां सिवरण में सब दुःख दिया विदारी
सिवरण मौज लगी उर अन्दर धिन नर वै अवतारी
अमराराम जपै अजपा जप घट संता री बलिहारी।

इस गीत में ध्रुव, प्रहलाद, राजा हरीशचन्द्र के उदाहरण द्वारा नाम स्मरण की कसौटी को परखा गया है तथा उसका सूत्र बताते हुए कहा है कि श्वास-श्वास में भक्तिभाव से जाप किया जाए।

4. परावाणी, रचना-गोरखनाथ

साधो भाई ऐसा अणघड़ (अंधड़) धाया,
आवे नी जावे, मरे नी जन्मे, नहीं धूप नहीं छाया। टेर
जरणी पहला हम जल मियां, नहीं अधर सूं आया
बिना धरणी पग धरिया, बिना नीर सूं नहाया।
बिना धरणी धूणी धुकाई बिना अग्नि तप तापा
बिना हाड़ बूंद कसिया लांगोटा जीवत जोग कमाया
बिना गैरु हम भगवा रंगिया बिन घर अलख जगाया
बिना झोली सब जग जोयो बिना भोजन पाया।
पग बिन पंथ नैण बिन निरख्या निरखत नजर नी आया
निरख्या जके निगे कर निरख्या गुरु शरणे सुख पाया
नाथ मछंदर मिल्या, गुरु पूरा भिन्न-भिन्न कर समझाया
मछंदर प्रताप जाति गोरख बोले जोत में जो समाया।

मालाणी क्षेत्र के नाथ सम्प्रदाय के मठ, धाम, धूणियां व अनुयायी हैं। इन वाणियों में हिन्दू, मुस्लिम सभी धर्मावलंबियों की आस्था है। साहित्य व भावार्थ की दृष्टि से यह रचनाएं अत्यंत गूढ़ होती है। जिन्हे गायक वर्ग अर्थात (व्याख्या) कहा जाता है।

5. गुरु महिमा , रचनाकार-ईश्वरदास बारहठ

साधो भाई सतगरु तार लियो
सतगुरु मुझसे मैं सतगरु में, जल विच तुरंग धयो, टेर
जागा मेरा भाग पुरबला सिमरण हाथ धर्यो
उड़ी मेरी नींद सपन हूं चेती, गुरु गम सैन सयो।
भूल-भूल घणा खण खोया अबके जाग रयो

ISSN 2277-5587

ऐड़ा-ऐड़ा हरि धणियां बिना सूंना जंवरी लूट रयो।
अकल अरूपी ब्रह्म सरूपी खोजत अणद भयो
कटिया कर्म मर्म सब भागा भव जल पाट कियो।
धिन सुखराम मिल्या गुरू पूरा केवल भेद दियो
ईसरदास खेल ख्याली रो बहुरंग निरख लियो।[9]

संत ईसरदास जी बारहठ मालाणी क्षेत्र में अत्यंत श्रद्धा, आस्था व विश्वास के प्रतीक संत कवि हैं। राजस्थानी साहित्य, चारण साहित्य, संत साहित्य में इनकी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जानी जाती है।

हेली रचनाकार-मुराद खां

हंसा अधर से आया, पंछी म्हारे पिंजड़े समाया
धड़ सीस पांव नहीं लाया। टेर

अधर सरुपी एक हंसा आया, चोंच पांख नी काया
बिना चोंच हंसा चुण चुगत है, चुग-चुग मोती खाया

अधर सरुपी एक सरवर भरियो वहां जाये हंसा नहाया
सुख सागर ही नीर बहत है, बहुत आनंद सुख पाया
बिना गूंढ एक तरवर उबो, डाल मूल नी छाया
फूंला बिच इक मेवा पाका, वह फल बिरले खाया
गिगन मंडल सूरत लगाई निर्भय देव बहे आया
निर्भय देश रास देव निरंजण नित उठ दर्शन पाया।
जल की बूंद मिली सागर में, सीर मे हीर मिलाया
भणे मुराद मेटी ममता सतगुरु अलख लखाया।[10]

''ईश्वर व मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का माध्यम धर्म है। जाति, कुल, देश, काल व परिस्थिति से निरपेक्ष होकर नैतिक दायित्व का निर्वाह धर्म है।''[11]

मालानी क्षेत्र हिन्दू मुस्लिम संस्कृति के समन्वयक का प्रतीक व धार्मिक विश्वासों, परम्पराओं से ओतप्रोत क्षेत्र है। जिन्हे संत, कवियों व गायको की उच्च साहित्यिक रचनाएं, प्रभावी सांगीतिक प्रस्तुति व धार्मिक आबोहवा पल्लवित करते है। क्षेत्र की लोक संगीत संपन्नता व लंगा, मांगणियार, ढोली, कामड़, राव, जोगी, भोपे, मेघवाल आदि संगीतजीवी जातियों ने यहां की गायन शैली को विशिष्ट आयाम प्रदान किए है। सगुण व निर्गुण भक्तिधारा के गीत सांगीतिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न तो है ही, संगीत शास्त्रियों के लिए भी अकूत सम्पदा है। तान, मुर्की, खटके, गमक आदि अलंकारो से सजे यह गीत देश, बिलावल, सौरठ, सारंग, खमाज, आसावरी आदि रागो में बद्ध होकर लय की एक विशिष्ट ठुमक व मचक के साथ शब्दो में घुमाव पाते हुए संस्कारवान आवाजो द्वारा प्रवाहित होते है। यह गीत ''स्थानीय समाज को स्थिर रखने में व सांस्कृतिक एकता कायम रखने में सहायक है।''[12] तेल भंडारो की अकूत सम्पदा ने क्षेत्र में भौतिक चहल पहल को बढा दिया है। लेकिन सांस्कृतिक परिवेश में परम्परा का अनुशीलन, संगीत व साहित्य के संरक्षण व हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति की समन्वयता राष्ट्रीय जीवन को प्रेरणा देने हेतु श्रेष्ठ उदाहरण है।

यह गीत शब्द चातुर्य, गीत रचना, गायन प्रस्तुति, भावनात्मक संप्रेषण, शास्त्रीय संगीत का पैमाना, लयात्मक वैचित्र्य व रस सृष्टि में पूरे खरे उतरते है तथा इनसे प्राप्त प्रेरणा द्वारा जीवन का स्वत: निर्धारण समाजिक व शास्त्रीय महत्व के बिन्दु है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मालानी का इतिहास, बी.एल.भदानी, पृ.-7
2. रावल जोरावर सिंह, जसोल द्वारा जोधपुर महाराज उम्मेदसिंह जी को लिखे पत्र 30 जनवरी 1928 से
3. मालानी का इतिहास, बी.एल.भदानी, पृ.-9
4. मालानी का इतिहास, बी.एल.भदानी, पृ.-96
5. रचना सरस्वती स्तुति, आकाशवाणी केन्द्र बाड़मेर से प्राप्त
6. रचना वार ज्ञान गीत, मिरासी गायक सूरत खां के संग्रह से प्राप्त
7. रचना सिमरन महिमा, गुटखा खेम सिद्ध बाबे री कथा से संकलित
8. रचना परावाणी गायक रमेश जवड़ा पचपदरा के संग्रह से प्राप्त
9. गुरु महिमा गायक जगदीश गौड़ बाड़मेर के संग्रह से प्राप्त
10. हेली मुराद खां, गायक फकीरा खान के संग्रह से प्राप्त
11. हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ.नगेन्द्र पृ.99
12. राजस्थान का लोक संगीत, शन्नों खुराना, पृ.-42

ग्रामीण जीवन के परम्परागत रीति रिवाजों एवं जीवन शैली में नगरीय प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (जनपद उधम सिह नगर के रुद्रपुर ब्लाक के विशेष सन्दर्भ में)

shodhshree@gmail.com

अनीता बिष्ट
शोधार्थी, एम. बी. राज. स्ना. महाविद्यालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)

ग्रामीण मूल्यों तथा ग्रामीण जीवन शैली का स्थान नगरीय संस्कृति के मूल्य व प्रवृत्तियाँ लेती जा रही हैं। आज ऐसा कोई भी गाँव अपवाद रुप में नहीं बचा है जो नगरीय संस्कृति व मूल्यों से अछूता हो। प्रथाओं-परम्पराओं के केन्द्र के रुप में पहचाना जाने वाला ग्रामीण समाज में परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों जैसे - सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक आदि में प्रभावपर्ण् ढ्गं से परिलक्षित हुए हैं। जहाँ ग्रामीण समुदाय आध्यात्मवाद, धर्म, ईश्वर, नैतिकता तथा पवित्रता के प्रतीक माने जाते थे वहीं आज इन मूल्यों पर नगरीय संस्कृति के मूल्य बाह्य आडम्बर, कृत्रिमता, अपवित्रता तथा असहजता ने ले लिया है। धर्म के महत्व में कमी आई है, वहीं पर आज धर्म निरपेक्ष मूल्यों का महत्व बढ़ा है। धार्मिक कट्टरता का स्थान धार्मिक सहिष्णुता ने ले लिया है।
वर्तमान ग्रामीण जीवन मुक्त जीवन शैली को अपना रहा है जो कि पूर्णतया नगरीकृत दिखलाई पड़ रहा है। आज ग्रामीण सम्बन्धों में भी व्यापक परिवर्तन आये हैं। ग्रामीण घनिष्ठता, भाईचारा व सहयोगी जीवन का स्थान कृत्रिमता व आडम्बर लेते जा रहे हैं। ग्रामीण समुदाय अपनी मौलिकता को खोता जा रहा है। ग्रामीण सादगी पूर्ण जीवन भी नगरों की भांति आडम्बर व दिखावा पूर्ण होता जा रहा हैं। मानव व्यवहार यन्त्रवत होता जा रहा है। मानव शांतिपूर्ण जीवन की खोज गाँवों में करता था किन्तु ग्रामीण जीवन में मूलभूत परिवर्तन होने के कारण ग्राम्य जीवन यन्त्रवत होता जा रहा है।
समाजिक सांस्कृतिक मूल्य व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, यदि वे परिवर्तित होते हैं तो उससे भी सामाजिक परिवर्तन होता है। ग्रामीण समुदाय में मूल्यों का संघर्ष आधुनिक सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण कहा जा सकता है। वहाँ पुरानी पीढ़ी के लोग अब भी परम्परागत सामाजिक मूल्यों को धारण किए हुए हैं जबकि नई पीढ़ी के सदस्य नये मूल्यों को लेकर चल रहे हैं मूल्यों में संघर्ष के कारण ही परम्परागत सामाजिक ढाँचा परिवर्तित हो रहा है। फैशन के क्षेत्र में आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं। है। पी.एम. ग्रेगरी (1948),का अध्ययन भी कुछ इसी प्रकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। उनका मानना है कि फैशन का प्रवाह प्रायः सिनेमा के नायक-नायिकाओं के द्वारा अथवा समाज के सभ्रांत जनों के द्वारा होता है जो एक प्रकार से नगरीय मूल्यों का ही प्रतीक है। वेश-भूषा में फैशन का प्रवाह हमेशा समाज में उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर होता है। वस्त्रों की तीन उपयोगिता सौन्दर्यात्मकता, प्रतीकात्मकता और व्यक्ति की प्रस्थित बहुत कुछ उसके परिधानों पर निर्भर करती है। यदि कोई स्त्री-पुरुष बहुत अधिक फैशन के परिधान ग्रहण करता है तो समाज में उसको उच्च वर्ग (प्रोफेसर, डॉक्टर, इन्जीनियर, जज, जमींदार, वकील, व्यवसायी आदि) द्वारा इंगित किया जाता है। परम्परागत भारतीय ग्रामीण समुदाय में शक्ति संरचना का जो स्वरुप रहा है उसका प्रमुख आधार जाति व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था एवं विवाह सम्बन्ध रहे हैं। ग्रामीण समुदाय में पंचायतों का अस्तित्व रहा है। जो ग्रामीण समुदाय पारस्परिक विवादों के समाधान का प्रमुख साधन नही है। वर्तमान समय में ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन विशेष रुप से दो आयामों में हो रहा है।
नगरीकरण की प्रक्रिया ने जाति व्यवस्था पर आधारित परम्परागत स्थिर भारतीय समाज को आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब लोग जाति-पाति की अधिक चिन्ता नही करते है। विज्ञान एंव जनसंचार ने स्थिर समाज को गतिशील समाज और परम्परागत समाज को आधुनिक समाज

 ISSN 2277-5587

में बदलने मे योगदान दिया है। पारिवारिक सदस्यों द्वारा अपनाये जाने वाले एक व्यवसाय के रुप में आर्थिक सजातीयता के मूल्य टूट रहे हैं। पृथक् व्यवसाय अपनाने के कारण, परिवार के सदस्य अब अपनी आमदनी पर व्यक्तिगत अधिकार चाहते हैं। इसके साथ ही ये परिवार की संयुक्त संपत्ति के बंटवारे की माँग भी करने लगे हैं। पूंजीवादी दृष्टिकोण की प्रबलता के कारण आर्थिक विकास योजनाओं के साथ परिवारों की सामूहिक पृष्ठभूमि का बंटवारा भी होने लगा है। आज के ग्रामीण नवयुवक सामूहिक जीवन के लिये परिवार पर निर्भर न होकर अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में विकसित होने वाले क्लब, होटल, युनियन, सभा आदि से सम्बद्ध होते जा रहे है।(ए. आर देसाई,1969)[3]

साहित्य सर्वेक्षण: अलोने चंद्रशेखर त्रिबंक (2015) ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि गाँवों की सामाजिक संरचना एक नये सामाजिक जीवन को स्वीकार कर रही है। गाँवों की परिवार संस्था, जातिसंस्था, अर्थसंस्था, राजकीय संस्था, धर्मसंस्था, शिक्षा व्यवस्था, मनोरंजन के साधन एवं जीवन मूल्य बदल रहे है नगरीय प्रभाव से कुछ भी अछूता नही रहा है। आज गाँव के नवयुवक परम्परा से चले आ रहे अपने व्यवसाय को छोडकर नये व्यवसाय में कदम रख रहे है। आज गांव की लड़किया भी पढलिखकर अपने अस्तित्व की पहचान बना रही है। परिणाम स्वरुप गांवों का युवावर्ग एक नये शैक्षिक जीवन को स्वीकार सहर्ष करते हुए दिखाई दे रहा है आज ब्राम्हण हो या शुद्र हो उनके बेटे डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, प्राध्यापक आदि पदो के हकदार बन रहें है यह सारा परिवर्तन नगरीकरण औद्योगिकरण एवं बदलती शिक्षा के कारण ही है।[4] डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह (2014) ने भारतीय हिन्दू विवाह पर नगरीकरण के प्रभाव को अपने अध्ययन के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरुप परिवार विवाह, धर्म, जाति आदि आधारभूत संस्थाएं परिवर्तन की तीव्र प्रक्रिया से गुजर रही है। नि:सन्देह नगरीकरण का हिन्दु विवाह की संरचना एवं प्रकार्यात्मकता पर प्रभाव पड़ा है किन्तु यह भी सच है कि हिन्दू विवाह की बुनियादी संरचना और प्रतिमान में विशेष परिवर्तन नही आया है।[5]

उद्देश्य: प्रस्तुत शोध का उद्देश्य रुद्रपुर ब्लाक के ग्रामीण जीवन के परम्परागत रीति रिवाजों एवं जीवन शैली में नगरीय प्रभाव का अध्ययन करना है। इस अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात किया गया कि रुद्रपुर ब्लाक के ग्रामीण जीवन के परम्परागत रीति रिवाजों एवं जीवन शैली में कितना नगरीय प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है।

1. ग्रामीण जीवन के परम्परागत रीति रिवाजों पर नगरीय प्रभाव का अध्ययन।
2. ग्रामीण जीवन जीवन शैली में नगरीय प्रभाव का अध्ययन।

शोध अभिकल्प:- प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प लिया गया है। प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प लिया गया है। प्रस्तुत शोध हेतु निर्दशितों के चयन में निर्दशन पद्धति की सहयता ली गयी है। इस अध्ययन में रुद्रपुर नगर के निकटवर्ती ग्रामों को उद्देश्यपूर्ण निर्दशन के द्वारा चार ग्रामों का चयन किया गया है। ग्रामों के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि रुद्रपुर नगर के निकट स्थित गाँवों को चुना गया है। चयनित चार ग्रामों के कुल परिवारों की संख्या 1258 है। प्रत्येक गाँव से 25 प्रतिशत परिवारों का अध्ययन हेतु चयन किया गया है अर्थात् कुल 314.5 अर्थात् 315 परिवारों का चयन किया गया है। प्रत्येक परिवार की मुखिया महिला को न्यादर्श की इकाई माना गया है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव से परिवारों का चयन समानुपातिक दैवनिर्दशन प्रणाली के द्वारा किया गया है। इन चयनित ग्रामों के नाम एवं परिवारों की संख्या निम्न तालिका से दर्शायी गयी है-

इन ग्रामों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	25 प्रतिशत चयनित परिवारों की संख्या
1.	छत्तरपुर	396	99
2.	धर्मपुर	260	65
3.	बिन्दु खेड़ा	326	82
4.	फौजी मटकोटा	276	69
कुल योग		**1258**	**315**

तथ्य संकलन की प्रविधि एवं उपकरण:- प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण जीवन के परम्परागत रीति रिवाजों एवं जीवन शैली में नगरीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ब्लॉक ऑफिस, ग्राम प्रधान कार्यालय से द्वितीयक आकड़ों का संग्रह किया गया हे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक आकड़ो के संग्रह के लिए उत्तरदाताओं से सूचनाएँ साक्षात्कार अनुसूची और अवलोकन विधि के द्वारा संकलित किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन:- प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतो से प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक विधियों से विश्लेषण द्वारा वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त कर अध्ययन विषय की अर्थपूर्ण व्याख्या की गयी है।

तालिका संख्या-1

परिवार के स्वरुप के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	परिवार का स्वरुप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	संयुक्त	231	73.33
2	एकांकी	84	26.67
	कुल योग	315	100.00

तालिका से स्पष्ट होता है कि 231 (73.33 प्रतिशत) उत्तरदाता संयुक्त परिवार से है तथा 84 (26.67 प्रतिशत) उत्तरदाता एकांकी परिवार से है।

तालिका संख्या-2

वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	विवाहित	293	93.02
2	विधवा	19	6.03
3	तलाक शुदा	3	0.95
	कुल योग	315	100.00

तलिका के सामान्य सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि 293 (93.02 प्रतिशत) उत्तरदाता विवाहित हैं। 19 (6.03 प्रतिशत) उत्तरदाता विधवा है। तथा 3 (0.95 प्रतिशत) उत्तरदाता तलाक शुदा हैं।

तालिका संख्या 3

आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	आयु समूह	आवृत्ति	प्रतिशत
1	21-30	59	18.73
2	31-40	104	33.02
3	41-50	119	37.78
4	50 से अधिक	33	10.48
	कुल योग	315	100.00

तलिका से स्पष्ट होता है कि 59 (18.73 प्रतिशत) उत्तरदाता 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के है। 104 (33.02 प्रतिशत) उत्तरदाता 31-40 वर्ष की आयु वर्ग के है। 119 (37.78 प्रतिशत) उत्तरदाता 41-50 वर्ष की आयु वर्ग के है तथा 33 (10.48 प्रतिशत) उत्तरदाता 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के है।

तालिका संख्या-4

धर्म में विश्वास के प्रति उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	279	88.57
2	नही	36	11.43
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 4 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 279 (88.57 प्रतिशत) उत्तरदाता धर्म पर विश्वास करते है तथा 36 (11.43 प्रतिशत) उत्तरदाता धर्म पर विश्वास नही करते हैं।

तालिका संख्या-5

भूत -प्रेत एवं अन्य प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करने के संदर्भ में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	149	47.30
2	नही	169	52.70
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 5 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 149 (47.30 प्रतिशत) उत्तरदाता भूत-प्रेत एवं अन्य प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते है तथा 169 (52.70 प्रतिशत) उत्तरदाता भूत-प्रेत एवं अन्य प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास नही करते है।

तालिका संख्या-6

विभिन्न अवसरों के मनाये जाने के संदर्भ में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामूहिक रुप से	147	46.67
2	व्यक्तिगत रुप से	168	53.33
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 6 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 147 (46.67 प्रतिशत) उत्तरदाता विभिन्न अवसरों को सामूहिक रुप से मनाते है तथा, 168 (53.33 प्रतिशत) उत्तरदाता विभिन्न अवसरों को व्यक्तिगत रुप से मनाते है।

तालिका संख्या-7

उत्तरदाताओं के परिवार में पूजा के अवसर पर बालि प्रथा के प्रचलन के संदर्भ में

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	116	36.83
2	नही	199	63.17
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 7 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 116 (36.83 प्रतिशत) उत्तरदाता के परिवार में पूजा के अवसर में बलि प्रथा का प्रचलन है, तथा 199 (63.17 प्रतिशत) उत्तरदाता के परिवार में पूजा के अवसर पर बलि प्रथा का प्रचलन नही है।

तालिका संख्या-8

देवी-देवताओं की पूजा करने का स्तर

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	व्यक्तिगत	89	28.25
2	सामूहिक	226	71.75
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 8 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 89 (28.25 प्रतिशत) उत्तरदाता देवी-देवताओं की पूजा व्यक्तिगत स्तर पर करते है, तथा 226 (71.75 प्रतिशत) उत्तरदाता देवी-देवताओं की पूजा सामूहिक स्तर पर करते है।

तालिका संख्या-9

रहन-सहन के ढंग के संदर्भ में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	परम्परागत भारतीय	12	3.81
2	साधारण	211	66.98
3	आधुनिक	92	29.21
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 9 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 12 (3.81 प्रतिशत) उत्तरदाता के रहन-सहन का ढंग परम्परागत भारतीय है। 211 (66.98 प्रतिशत) उत्तरदाता के रहन-सहन का ढंग साधारण है तथा 92 (29.21 प्रतिशत) उत्तरदाता के रहन-सहन का ढंग आधुनिक है।

तालिका संख्या-10

मोबाइल फोन प्रयोग के संदर्भ में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	236	74.92
2	नही	79	25.08
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 10 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 236 (74.92 प्रतिशत) उत्तरदाता मोबाइल फोन का प्रयोग करते है, तथा 79 (25.08 प्रतिशत) उत्तरदाता मोबाइल फोन का प्रयोग नही करते है।

तालिका संख्या-11

उत्तरदाताओं का टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रति आकर्षण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नियमित	97	30.79
2	कभी-कभी	195	61.90
3	कभी-नही	23	7.30
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 11 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 97 (30.79 प्रतिशत) उत्तरदाता नियमित रुप से टेलीविजन पर कार्यक्रमों को देखते है। 195 (61.90 प्रतिशत) उत्तरदाता टेलीविजन पर कार्यक्रमों को कभी-कभी देखते है, तथा 23 (7.30 प्रतिशत) उत्तरदाता टेलीविजन पर कार्यक्रमों को नही देखते है।

तालिका संख्या-12

प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	टीवी/रेडियों	98	31.11
2	समाचार पत्र	128	40.63
3	वार्तालाप	89	28.25
	कुल योग	315	100.00

तालिका संख्या 12 से स्पष्ट होता है कि कुल 315 उत्तरदाताओं में से 98 (31.11 प्रतिशत) उत्तरदाता प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी टीवी/रेडियों के माध्यम से प्राप्त करते है। 128 (40.63 प्रतिशत) उत्तरदाता प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त करते है। तथा 89 (28.25 प्रतिशत) उत्तरदाता प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी वार्तालाप के माध्यम से प्राप्त करते है।

निष्कर्षः- प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त तथ्यों से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी धर्म पर लोग विश्वास बहुत ज्यादा करते है नगरीकरण के प्रभाव से उनके विचारो में परिवर्तन जरुर आया है किन्तु यह परिवर्तन अभी कम है बहुत कम लोग ही ऐसे है जो धर्म पर विश्वास नहीं करते है। नगरीकरण, औद्योगीकरण शिक्षा के प्रचार - प्रसार वैज्ञानिकवाद आदि के प्रभाव के कारण ग्रामीणों में भूत- प्रेत एवं अन्य प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करने के प्रति काफी कमी आयी है। विभिन्न अवसरों को ग्रामीण अब व्यक्तिगत रुप से मनाने लगे है किन्तु अभी सामूहिक रुप से विभिन्न अवसरों को मनाये जाने की परम्परा बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब बलि प्रथा का प्रचलन पूजा के अवसरों पर कम होता जा रहा है। देवी- देवताओं की पूजा आज भी ग्रामीण लोग सामूहिक रुप से एकत्रित होकर ही करते है। ग्रामीणें के रहन- सहन के ढंग में नगरीकरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। परम्परागत भारतीय ढंग से रहने वाले बहुत ही कम परिवार बचे है। अधिकांश ग्रामीण लोग आज मोबाइल फोन का प्रयोग करने लगे है। टेलीविजन के प्रति ग्रामीणें का आकर्षण बढ़ा है, दिन- प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी ग्रामीण लोग समाचार पत्र, टीवी के माध्यम से प्राप्त करने लगे हैं। आधुनिक समय में ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्षों मे परिवर्तन हुआ है। कुछ परिवर्तन अच्छी दिशा में हुए है तथा कुछ परिवर्तन ऐसे हुए हैं जो गांवों में होने वाले

परिवर्तनों के करण गांव की परम्परा से एकदम भिन्न एंव आधुनिक नही वरन् परिवर्तन की संक्रमणकालीन स्थिति में है। उनमें परम्परा और आधुनिकात का मिश्रित रुप देखा जा सकता है। गांवों में नगरीकरण हो रहा है, नगरीकरण, औद्योगीकरण, धर्म निरपेक्ष वाद, नवीन मूल्यों के स्थापन आदि के फलस्वरुप युवजनों के मूल्यों एवं मनोवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं जो पुरानी पीढ़ी से भिन्न हैं।ग्रामीण समाज के परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन आया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 *ग्रेगरी, पी.एम. : फैशन एण्ड मोनो पोलिस्टिक कम्पटीशन, दि जर्नल ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी, 1948, पृ.-69*

2 *देसाई, ए. आर, रुरल सोशियोलोजी इन इंडिया, बाम्बे एशिया पापुलर प्रकाशन, 1969, पृ.- 34*

3 *त्रिबंक, अलोने चन्द्रशेखर, ''बदलता ग्रामीण परिवेश'',', इंडियन स्ट्रीस रिसर्च जरनल, वोल्यूम-4 इशू-12, जनवरी 2015, पृ-4.*

4 *सिंह, डॉ. बृजेश कुमार, 2014 ''हिन्दू विवाह पर आधुनिकीकरण का प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'', राधा कमल मुकर्जी: चिन्तन एवं परम्परा, वर्ष 16, अंक 1, पृ. 15*

कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता : एक विकासात्मक अध्ययन

shodhshree@gmail.com

अनसुया शर्मा
शोधार्थी, बनस्थली विद्यापीठ, टोंक

डॉ. मुरलीधर मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर, बनस्थली विद्यापीठ, टोंक

व्यक्ति के विकास एवं लोकतंत्र की प्रगति हेतु शिक्षा अनिवार्य है। भारत में स्वाधीनता के बाद शिक्षा के विकास को एक महत्त्वपूर्ण साधन के रुप में मान्यता दी गयी थी। स्वाधीनता के पश्चात् से लेकर 20वीं सदी के अन्त तक भारत में शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर प्रयास किये गये हैं। शिक्षा के सार्वजनीनकरण के प्रयासों के क्रम में किये गये निर्णय के अनुसार 300 व्यक्तियों की आबादी वाली हर बस्ती के 1 किलोमीटर परिधि के भीतर एक औपचारिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। छठवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1993-1994 में देश की 83.4 प्रतिशत बस्तियों में 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर प्राथमिक विद्यालयीन शिक्षा सुविधायें थी (एनसीईआरटी, 1998)। जबकि 2002 तक की लगभग 87 प्रतिशत बस्तियों में 1 किमी की दूरी के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय था (एनसीईआरटी, 2005)। इससे स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता में पिछले कुछ वर्षो धीमी गति से सुधार हुआ है। सातवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि भारत में प्रमुख राज्यों के बीच पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता में व्यापक स्तर पर अंतर है।

पिछले 20 वर्षो में राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के प्रयास करने वाले प्रमुख राज्यों में राजस्थान भी एक रहा है। विभिन्न नीतिगत परिवर्तनों के चलते अनके कार्यपरक प्रयास करने वाले प्रमुख राज्यों में राजस्थान भी एक रहा है और राजस्थान के अलग-अलग जिलों में योजना निर्माण के साथ अनेक कार्यक्रम वहाँ की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार लागू किये गये हैं। राजस्थान में भी विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन द्वारा समन्वित रुप से कार्यक्रम चलाये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रयासों के फलस्वरुप राजस्थान के शैक्षिक कार्य की विकास की प्रक्रिया में तेजी आयी है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान प्रगतिशील राज्यों में से एक है। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर जो वर्ष 1991 में 39.3 प्रतिशत थी, वह 2001 में 61.03 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। राजस्थान राज्य संस्कृत शिक्षा दृष्टि से संपूर्ण देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। **चतुर्वेदी (1998)** के अनुसार तृतीय भाषा के रुप में अन्य भाषायी विकल्प भी हैं, फिर भी 98 प्रतिशत बालक संस्कृत को तृतीय भाषा के रुप में लेते हैं। यहाँ संस्कृत शिक्षा का पृथक् निदेशालय है जो पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक का प्रबन्धन करता है। संस्कृत शिक्षा निदेशालय ने संपूर्ण राज्य को पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्रशासन हेतु छः संभागों में विभक्त किया है।

राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के विकास की स्थिति को समझने हेतु कतिपय अध्ययन हुए हैं जिनमें **बुनकर (2006)** ने जयपुर मण्डल में स्थित प्रवेशिका स्तर के विद्यालयों की उपलब्धता का अध्ययन किया। **गुर्जर (2006)** ने टोंक मण्डल में स्थित प्रवेशिका स्तर के विद्यालय संख्या का अध्ययन किया व पाया कि यहाँ सरकारी विद्यालयों की संख्या कम एवं निजी विद्यालयों की संख्या अधिक है। **शर्मा (2006)** ने सवाई माधोपुर जनपद में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का अध्ययन किया व पाया गया कि सवाई माधोपुर

जनपद में विद्यालयों की स्थिति समीचीन नहीं है। **शर्मा (2006)** ने राजस्थान राज्य में स्थित वेदपाठशालाओं का **शर्मा (2006)** ने धौलपुर मण्डल में स्थित प्राथमिक से वरिष्ठोपाध्याय तक के विद्यालयों की की उपलब्धता अध्ययन किया। निष्कर्ष में पाया कि विद्यालयों में व्यवस्था एवं सुधार की आवश्यकता है। **शीशराम (2006)** ने पिलानी कस्बे में संस्कृत शिक्षा के संवर्धन में बिड़ला परिवार के योगदान का अध्ययन किया है व पाया कि बिड़ला परिवार के योगदान के कारण कस्बे में अनेकों विद्यालय/महाविद्यालय का निर्माण हुआ एवं संस्कृत भाषा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। **कुमावत (2007)** ने राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के विकास के संदर्भ में महाविद्यालयों के योगदान का अध्ययन किया। **सुमन (2007)** ने राजस्थान प्रान्ते में संचालित शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों की समस्याओं का अध्ययन किया। **बासुदेव (2007)** ने भरतपुर मण्डल में संस्कृत विद्यालयों की उपलब्धता का अध्ययन किया व पाया कि इस मण्डल में विद्यालय की स्थिति ठीक है। **पारीक (2008)** ने सीकर मण्डलान्तर्गत संस्कृत महाविद्यालयों का अध्ययन किया व पाया कि सीकर मण्डलस्थ महाविद्यालयों की स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

उपर्युक्त अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि विकेन्द्रीकरण के क्रम में राज्य के बजाय जिला तथा मण्डल स्तर को लक्ष्य मानकर पारम्परिक संस्कृत के शिक्षा के विकास को समझने के प्रयास किये जाने लगे हैं। सामान्य शिक्षा में जहाँ प्रशासन का विकेन्द्रीकरण जिला स्तर भी देखने को मिल रहा है वहीं पारम्परिक संस्कृत शिक्षा में यह संभाग स्तर पर है। राजस्थान राज्य में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा की नीतियाँ संभागीय स्तर पर बन रही हैं पारम्परिक संस्कृत शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रमों व योजनाओं की निर्मिति एवं क्रियान्वयन संभाग स्तर की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। इतने संकेन्द्रित प्रयासों द्वारा जब एक विकासशील राज्य में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं, मुख्यत: संभाग को ध्यान में रख कर की जा रही है। तब अध्ययन हेतु कतिपय प्रश्न उपस्थित होते हैं यथा- कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की प्रवृत्ति (1991 से 2009 तक) किस प्रकार की रही है? क्या इस अवधि में विद्यालयों की उपलब्धता में तेजी से सुधार आया है? क्या कोटा संभाग के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की प्रवृत्ति एक समान रही है? संभाग में संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभाव पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की प्रवृत्ति पर किस प्रकार का रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता द्वय ने कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता का अध्ययन करना निश्चित किया।

अध्ययन के उद्देश्य

सम्प्रत्ययात्मक पृष्ठभूमि तथा सम्बद्ध साहित्य के विवेचन के आधार पर इस अध्ययन के अग्रांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये-

1. कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की प्रवृत्ति (1991 से 2009 तक) का अध्ययन करना।
2. कोटा संभाग के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता में विकास की प्रवृत्ति (1991 से 2009 तक) का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. शैक्षिक कार्यक्रमों एवं विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर कोटा संभाग के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।

अध्ययन की परिसीमाएँ

समय एवं संसाधनों की सीमित उपलब्धता, क्षेत्र की व्यापकता, सुविधाओं, शोधकार्य की निरन्तरता, गहनता एवं एकाग्रता की दृष्टि से प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिसीमाएँ इस प्रकार निर्धारित की गयी-

1. प्रस्तुत अध्ययन कोटा संभाग में सत्र 1990-91 से 2008-09 तक) पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के औपचारिक शिक्षा के राजकीय व मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता का अध्ययन किया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन कुल एवं क्षेत्र के संदर्भ में ही किया गया है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की प्रवृत्ति का अध्ययन करना था। प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की प्रवृत्ति एवं उपलब्धता की प्रवृत्ति के संदर्भ को समझने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों से प्रदत्तों का संकलन किया गया है। अत: यह एक विकासात्मक अध्ययन है। आलोच्य अवधि (1991 से 2009 तक) में कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के विकास का वर्णन होने के कारण यह अध्ययन वर्णनात्मक प्रकार का है। कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता को अध्ययन की एक इकाई के रुप में लेने के कारण यह एक वैयक्तिक अध्ययन है। प्रस्तुत

अध्ययन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के प्रदत्तों का विश्लेषण करते हुए अध्ययन उद्देश्यों की पूर्ति की गयी है।

प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया

इस अध्ययन में मुख्यत: समय श्रेणी प्रदत्तों का प्रयोग किया गया है। कोटा संभाग में 1990 से 2008 पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता का विश्लेषण एवं व्याख्या स्थान (ग्रामीण व शहरी) के संदर्भ में करते हुए शोध निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं। इस हेतु आलोच्य अवधि (1990 से 2008 तक) के मात्रात्मक प्रदत्तों का सारणीयन संगणक (कम्प्यूटर) में किया गया है। संगणक की सहायता से इन सारणियों के प्रदत्तों का वर्गीकरण सुविधा के लिए तीन-तीन वर्षों के अन्तराल पर छ: समय श्रेणी बिन्दुओं (1990-91, 1993-94, 1996-97, 1999-2000, 2002-03, 2005-06, 2008-09) में किया गया। चूँकि अध्ययन की आलोच्य अवधि का विस्तार 1990 से 2008 तक थी, इसलिए दशकीय शैक्षिक विकास के अध्ययन के लिए आलोच्य अवधि को दो तार्किक कालखण्डों 1990-1999 को प्रथम/पहला दशक एवं 2000-2009 को द्वितीय दशक के रुप में वर्गीकृत किया गया। उपर्युक्त समय श्रेणी बिन्दुओं के आधार पर पार्श्व चित्रों (रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण) का निर्माण किया गया। शैक्षिक कार्यक्रमों एवं विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाओं कि आधार पर कोटा संभाग के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।

पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की कुल उपलब्धता

कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता से संबंधित समय श्रेणी प्रदत्तों के आधार पर रेखाचित्र 1 का विकास किया गया है।

रेखाचित्र 1
कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय

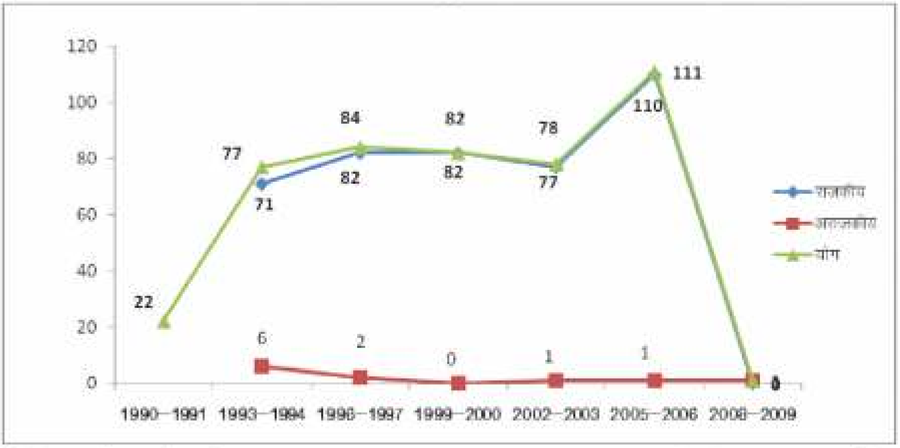

यदि हम 1990 में विद्यालयों की संख्या देखकर 2006-07 की संख्या पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि इन वर्षों में 92 विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 से लेकर 1999-2000 तक 60 शिक्षण संस्थाएँ बढ़ी, वहीं 2000-01 से 2006-07 तक कुल 32 विद्यालयों में वृद्धि हुई। 1990 में 22 शिक्षण संस्थाएँ थी, उसके बाद अगले वर्ष मात्र 2 विद्यालयों में वृद्धि हुई। तत्पश्चात् 1992-93 में 20 वर्षों में सर्वाधिक 39 विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई।

उपर्युक्त रेखाचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि 1990 से लेकर 1993-94 तक विद्यालयों की संख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है, उसके बाद के वर्षों में वृद्धि कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक रही। वर्ष 1998-99 में एवं 1999-2000 में विद्यालयों की संख्या समानान्तर रही। यही स्थिति 2001-02 एवं 2002-03 में भी रही। वर्ष 2006-07 तक धनात्मक-ऋणात्मक की स्थिति के साथ शिक्षण संस्थाएँ 114 हो गयी, किन्तु उसके बाद के दोनों वर्षों में शिक्षण संस्था घटकर मात्र 1 रह गयी।

कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों को स्थान के आधार पर ग्रामीण व शहरी विद्यालयों में वर्गीकृत करके विश्लेषित किया गया है। स्थान के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता से संबंधित समय श्रेणी प्रदत्तों के आधार पर रेखाचित्र 2 का निर्माण किया गया है।

रेखाचित्र : 2

कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय (स्थान के आधार पर)

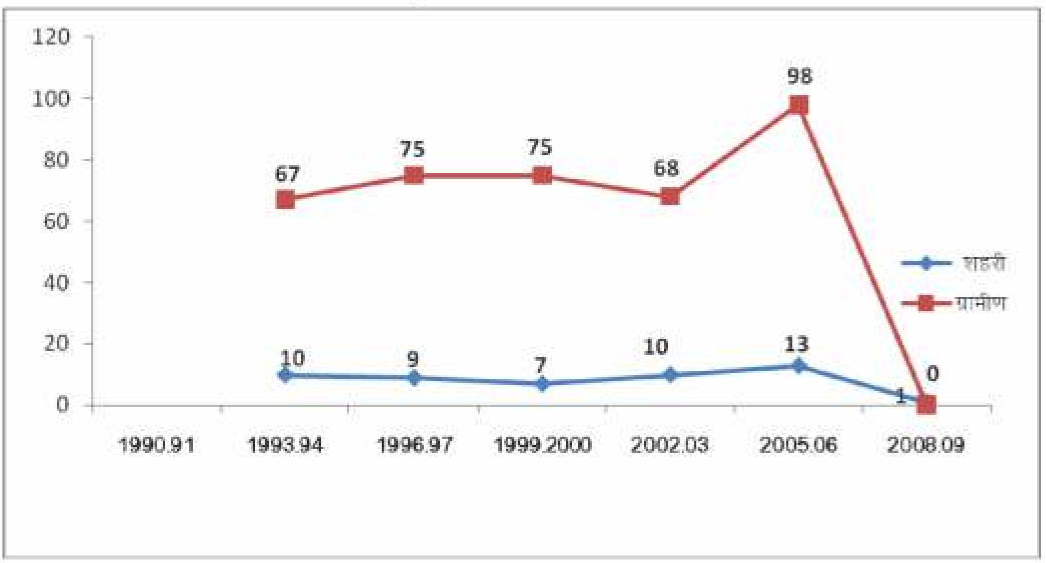

उपर्युक्त रेखाचित्र से यह पता चलता है कि कोटा संभाग के ग्रामीण क्षेत्र में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 1993-94 में 63 थी। वह संख्या 1996-97 में बढ़कर 74 हो गयी है। वही अगले वर्ष 1997-98 में 2 विद्यालयों की कमी के साथ विद्यालय संख्या घटकर 72 रह गयी। इसके बाद 1998-99 में विद्यालयों की संख्या 77 होने के साथ ही 1999 से 2003-04 तक यह संख्या वृद्धि लगातार ऋणात्मक रही है। वर्ष 2004-05 में विद्यालय संख्या पुन: 90 होकर 2005-06 एवं 2006-07 में क्रमश: बढ़कर 97 एवं 99 हो गयी एवं 2007-08 एवं 2008-09 में एक भी प्राथमिक राजकीय विद्यालय की उपलब्धता की नहीं रही। वहीं संभाग के शहरी क्षेत्र में वर्ष 1993-94 में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 8 थी। वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में एक विद्यालय की कमी के साथ विद्यालय संख्या घटकर 7 रह गयी। लेकिन वर्ष 1996-97 में विद्यालय संख्या बढ़कर पुन: 8 हो गयी, उसके बाद के दोनों वर्षो में राजकीय विद्यालयों की संख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक विद्यालय संख्या समानान्तर 7 रही। वर्ष 2002-03 में पुन: 3 विद्यालयों की बढ़ोतरी के साथ विद्यालय संख्या 10 हो गयी एवं इसके साथ ही शहरी क्षेत्र की विद्यालय संख्या में सर्वाधिक वृद्धि 2006-07 में हुई जब राजकीय विद्यालयों की संख्या 14 हो गयी। इसके बाद वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में पुन: विद्यालयों की संख्या घटते हुए शून्य पर पहुँच गयी एवं संभाग में एक भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता नहीं रही।

निष्कर्ष-विवेचना

इस अध्ययन के निष्कर्षानुसार वर्ष 2006-07 तक धनात्मक-ऋणात्मक की स्थिति के साथ शिक्षण संस्थाएँ 114 हो गयी, किन्तु उसके बाद के दोनों वर्षो में शिक्षण संस्था घटकर मात्र 1 रह गयी। एक साथ 113 संस्थाओं का लुप्त हो जाना, यह स्थिति अनेक प्रश्नों को उत्पन्न करती हुई चिन्ता का विषय बन जाती है। इन प्रश्नों पर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने पर यह बात सामने आयी कि इन प्राथमिक विद्यालयों का कम होना कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं थी, अपितु यह तात्कालीन राज्य सरकार की एक नीति थी। जिसके अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया। प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं नया प्राथमिक विद्यालय न खोलने के कारण प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पर विपरीत असर सामने आया। कोटा संभाग में प्राथमिक स्तर पर पारम्परिक संस्कृत शिक्षा का एक भी बालिका विद्यालय नहीं है। पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या नगण्य रही है। सरकार निजी प्रयासों को प्रोत्साहित नहीं कर पायी है। अराजकीय विद्यालय खोलने सम्बंधी प्रक्रिया जटिल है तथा पारम्परिक संस्कृत शिक्षा में मान्यता जिला या खण्ड स्तर के कार्यालय की अपेक्षा निदेशालय अथवा संभागीय स्तर पर कार्यालय द्वारा दी जाती है। जिससे बनाकर वहीं से अनुमति देने का प्रयास किया जाये। सरकार को कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। शैक्षिक बजट में नवीन पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों खोलने के लिए अविलम्ब वित्तीय प्रावधान करना चाहिए।

ISSN 2277-5587

कोटा संभाग के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता संख्या में अत्याधिक अन्तर रहने का कारण भी हमारे मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न उत्पन्न करता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस अंतर का मूल कारण भी संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की नीति ही रही है। विभाग ने उन्हीं क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले जहाँ सामान्य शिक्षा के विद्यालय उपलब्ध नहीं थे। चूँकि शहरी क्षेत्रों में सामान्य शिक्षा के विद्यालयों की भरमार थी। अत: ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर इलाकों में ही पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। शहरी क्षेत्र में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता में सुधार लाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोधकार्य से प्राप्त निष्पत्तियों के अग्रांकित शैक्षिक निहितार्थ हो सकते हैं –

1. पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक स्तर का अध्ययन करने पर यह बात सामने आयी कि कोटा संभाग में प्राथमिक स्तर के सभी विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया है। जिससे वर्तमान में एक भी (शहरी क्षेत्र के एक अराजकीय प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त) प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों की रिक्तता पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जहाँ विद्यालयों को क्रमोन्नत करना सराहनीय कदम माना जा सकता है वहीं प्राथमिक शिक्षा के वैशिष्ट्य को देखते हुए इस स्तर पर निरन्तर विद्यालय खोले जाने चाहिए।
2. कोटा संभाग में प्राथमिक स्तर पर पारम्परिक संस्कृत शिक्षा का एक भी बालिका विद्यालय नहीं है। अत: बालिकाओं को पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए राजकीय एवं निजी प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है।
3. पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या नगण्य रही है। अत: सरकार को निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अराजकीय विद्यालय खोलने सम्बधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा पारम्परिक संस्कृत शिक्षा में भी इस कार्य प्रणाली को निदेशालय अथवा संभागीय कार्यालय की अपेक्षा जिला या खण्ड स्तर पर कार्यालय बनाकर वहीं से अनुमति देने का प्रयास किया जाये।
4. सरकार को कोटा संभाग में पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। शैक्षिक बजट में नवीन पारम्परिक संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक विद्यालयों खोलने के लिए अविलम्ब वित्तीय प्रावधान करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 *बुनकर, सुनील कुमार (2006), जयपुरमण्डलान्तर्गतानां प्रवेशिका विद्यालयानां सर्वेक्षणात्मकमध्ययनम् शिक्षा संकाय, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर, अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध।*

2 *निष्पादन आय-व्ययक (2007-2008), संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान।*

3 *वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान*

4 *एन.सी.ई.आर.टी. (1998), सिक्स्थ आल इंडिया एजुकेशनल सर्वे (1993-94), एन.सी.ई.आर.टी., न्यू देल्ही.*

5 *एन.सी.ई.आर.टी. (2005), सेवंथ आल इंडिया एजुकेशनल सर्वे , प्रोविसिओनल स्टेटिस्टिक्स एज ओन सितम्बर 30, 2002. एन.सी.ई.आर.टी., न्यू देल्ही.*

6 *एन.सी.ई.आर.टी. (2006), नेशनल फोकस ग्रुप ओन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, पोजीशन पेपर, एन.सी.ई.आर.टी., न्यू देल्ही.*

7 *न्यूपा (2007), एजुकेशन इन इंडिया अट अ ग्लांस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू देल्ही.*

8 *शर्मा, अनसूया (2006) , सवाईमाधोपुर जनपदान्तर्गत संचालित पारम्परिक विद्यालयानां विकासयात्रा : एकाध्ययनम् अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर*

9 *शर्मा, कमलकान्त (2006), राजस्थान प्रान्ते विद्यमानानां वेदपाठशालां सर्वेक्षणात्मक अध्ययनम् , अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर*

10 *शशिराम (2006), बिड़ला परिवारस्य संस्कृत शिक्षा विकासे योगदानम्, अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर*

11 *कुमावत, सत्यनारायण (2007), राजस्थान प्रान्तीय आचार्य महाविद्यालयानां सर्वेक्षणात्मकम् अध्ययनम् , अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर*

12 *सुमन, शशांक (2007), राजस्थान प्रान्ते संचालित शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयानां सर्वेक्षणात्मक अध्ययनम्, अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर*

13 *वासुदेव (2007), भरतपुर मण्डलान्तर्गते संस्कृत विद्यालयानां सर्वेक्षणात्मकम् अध्यनम्, अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर*

''कैलाश मन्दिर'' की मूर्तिशिल्प परम्परा

नीतू यादव
शोधार्थी, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा (उत्तर प्रदेश)

shodhshree@gmail.com

भारतीय मूर्तिशिल्प में भारतवर्ष की संस्कृति और आध्यात्मिकता निहित है। इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक प्रकाश को प्रस्फुटित करना रहा है। यहाँ की अधिकांश मूर्तियों में देवी-देवताओं के विभिन्न स्वरुपों का अंकन किया गया है, इस प्रकार ये शिल्प भारतीय समाज, संस्कृति, व परम्परा का जीता जागता प्रतिबिम्ब है। जिसमें हिन्दू, बौद्ध तथा जैन आदि का धर्मो का अनूठा संगम है। सांस्कृतिक विकास में कलायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तुकला, मूर्तिकला में इसकी थाती दीर्घावधि तक सुरक्षित रहती है। चिन्तकों ने जीवन का चरम लक्ष्य आनन्द की अनुभूति माना है। अपना विकास करने के लिए मानव ने जिन साधनों को अपनाया उनमें से कला भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अपनी भावाभिव्यक्त को प्रकट करने के लिए मनुष्य ने अनेक गुफा चित्रों व मंदिरों का निर्माण किया। जिसका साक्ष्य हमें अनेक काल में निर्मित गुफा चित्रों व मूर्तिशिल्पों में देखने को मिलता है। जो अपने समय के कला परम्परा व संस्कृति की गाथा को आज भी जीवित रखें हैं। जिसका प्रमाण अजन्ता, एलोरा, बाघ, जोगीमारा, जैसी अनेक गुफा मन्दिरों से प्राप्त होतें हैं। जिनका कलात्मक स्वरुप विश्व विख्यात है। ऐसा ही रुप हमें 'एलोरा' गुफाचित्रों में दिखाई देता है।

भौगोलिक परिप्रेक्ष्य - एलोरा गुफा (9वीं शती 12वीं शती 'राष्ट्रकूट') भारत की प्राचीनतम् धार्मिक परम्पराओं के सहअस्तित्व का प्रतीक हैं। यह गुफा मंदिर प्राचीन धार्मिक परम्पराओं को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ हिन्दू, बौद्ध, जैन, धर्म के मंदिरों का विकास करके धार्मिक स्थापत्य की प्रगति में नया अध्याय जोड़ता है। काल विस्तार की दृष्टि से ये गुफाएँ ''छठी से लेकर दसवीं'' शती तक की भारतीय संस्कृति व कला का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ लगभग 600 वर्ष तक कई शासकों के संरक्षण में कार्य चलता रहा है। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 16 मील की दूरी पर है, और अजन्ता से 131 किमी दूरी पर है। यहाँ एक पूरी पहाड़ी को काटकर संसार भर में अद्वितीय मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार इसका प्राचीन नाम ''वेरुल'' है। बाद में एलोरा नाम से संबोधित किया जाने लगा। एलोरा में कुल 34 गुफाएँ हैं। जिनमें से 1 से 12 दक्षिण मुखी बौद्ध धर्म, 13 से 29 मध्य में हिन्दू धर्म, 30 से 34 उत्तरमुखी जैन धर्म की गुफाएँ है। यह गुफा मंदिर धर्मनिरपेक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

बौद्ध गुफा मंदिर - (350ई. से 700ई.) 1 से 12 तक गुफाओं में भगवान बुद्ध व बोधिसत्वों के विभिन्न मनोहर रुप दर्शायें गए हैं। जिसमें ध्यानस्त बौद्ध, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर तथा व्रजपाणि की विशाल प्रतिमाओं में अनन्त व शक्ति के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। गुफा संख्या 11 से 12 में कलात्मक अलंकरणों के दिवारों पर चित्र बने हैं। कला, धर्म और विज्ञान का संगम के ये मंदिर जो एक ही पत्थर को काटकर निर्मित किए गए हैं।

हिन्दू गुफा मंदिर - (छठी से आठवीं शती) 13 से 29 संख्या की गुफाएँ हिन्दू धर्म एंव संस्कृति को उजागर करने वाली हैं। इनमें हिन्दू धर्म शास्त्रों एंव पुराणों में वर्णित देवी-देवताओं का समावेश है। जिसमें दशावतार

 ISSN 2277-5587

मंदिर, कैलाश मंदिर, रावण की खाई, रामेश्वर मंदिर आदि गुफाएँ है।

जैन गुफा मंदिर – (9वीं से 10वीं शताब्दी) 30 से 34 गुफाएँ एलोरा गुफा श्रृंखला के अंतिम छोर पर एक साथ बनी हैं, जो दिगम्बर सम्प्रदाय से सम्बधित हैं। जिसमें गुफा संख्या 32 में इन्द्रसभा, 33 में जगन्नाथ सभा, 30 में छोटे कैलाश के नाम से जानी जाती हैं। इन गुफाओं की भित्तियों पर 'पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थकरों की मूर्तियाँ निर्मित हैं। जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ पूरी तरह शान्त, निश्चल और योगी के ध्यान व तपस्या की मुद्रा को अभिव्यक्त करती हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य – एलोरा का यह वास्तु शिल्प कैलाशनाथ मंदिर अथवा 'रंगनाथ' के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक शासकों में 'दन्तिदुर्ग प्रथम' ने लगभग (735-755 ई.) में चालुक्यों को पराजित कर स्वतंत्र ''राष्ट्रकूट'' सत्ता की स्थापना की। दन्तिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम (756-72ई) में शासक हुआ, इन्ही के काल में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय आठवीं शती में निर्मित होना आरम्भ हुआ और लगभग सौ वर्षों में तैयार हुआ।

मन्दिर की संरचना – कला का अद्‌भुत उदाहरण कैलाश मंदिर शिखर से तल तक सम्पूर्ण भाग एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, जो राष्ट्रकूट कला और स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह 143 फीट लम्बा, 21 फीट चौड़ा व 100 फीट ऊँचा है। कैलाश

मन्दिर वास्तु (कैलाश मन्दिर, एलोरा)

मन्दिर एक आयताकार प्रागंण में अत्यन्त ऊँची ''25 फीट'' कुर्सी पर स्थित है, जिसके किनारे-किनारे विशाल हाथियों की पंक्ति बनी है। ऐसा आभास होता है कि सम्पूर्ण मन्दिर इन्हीं हाथियों की पीठ पर बैठा है। इसके प्रवेश द्वार के दोनों ओर चट्टान काटकर हाथी निर्मित किए गए हैं। द्वार के दोनों तरफ दीप स्तम्भ हैं, मुख्य मंदिर में पहले छोटा बरामदा व मंडप, फिर सभा मंडप, अंत भाग में गर्भगृह है, जहाँ शिवलिंग स्थापित है, मंदिर के चारों ओर चौड़ा पथ है, तथा दाएँ-बाएँ कोठरियों की दुमंजिला पंक्तियाँ हैं जिन

पर अनेक मूर्तियाँ तथा अलंकरण उत्कीर्ण हैं। कैलाश पर्वत में उत्कृष्ट द्वार, झरोखे, सीढ़ियों तथा सुन्दर खम्भों की पंक्तियाँ बनी हैं। मंदिर का निर्माण पूर्णत: पहाड़ों से पृथक किया गया है, एलोरा में भीतर अधिक प्रकाश पहुँचाने के लिए मन्दिर को बहुत ऊँची चौकी पर बनाया गया है। यह विशाल मन्दिर वास्तु तथा मूर्ति दोनों का अद्‌भुत संगम का अप्रतिम उदाहरण है, कैलाश मन्दिर 'धर्मराज रथ' से प्रेरित होकर निर्मित है, तथा इसके वास्तु को उपयुक्त शैल के मुक्त स्वरूपों को बनाये रखने के लिए उसे स्तम्भों, भद्रिकाओं व अनेक प्रकार की उत्कीर्ण आकृतिओं से अंलकृत किया गया है।

वास्तु शैली – भारतीय वास्तुशिल्प के निर्माण में तीन मुख्य शैलियाँ हैं- 1- नागर 2- द्रविड़ 3- बेसर।

1. **नागर शैली** – ये मन्दिर प्राय: शिखर मन्दिर थे। नागर शैली में शंकु आकार की छत होती हैं, जिस पर कलश स्थापित किया जाता है। उत्तरी तथा मध्य भारत के मन्दिर इस शैली में निर्मित है।

2. **द्रविड़ शैली** – द्रविड़ शैली में छत क्रमश: गजपृष्ठाकार होती है, इनके विमान ऊँचे और बहुभौमिक गगन चुम्बी गोपुरों से अलंकृत है। जो स्तूप के समान निर्मित किया जाता है।

3. **बेसर शैली** – बेसर शैली में कुब्जपृष्ठशंकु छत होती है, जो सम्भवत: बौद्ध के चैत्यों की छतों की अनुकृति है। दक्षिण भारत में इसका अधिक प्रयोग है।

वस्तुत: एलोरा का यह कैलाश मन्दिर 'द्रविड़' शैली का सुन्दर समागम है, कलात्मक दृष्टि से यह मन्दिर अधिक उत्तम है। चार

खण्डों के इस मंन्दिर सभी भाग कलात्मक हैं। कैलाश मंन्दिर का मुख्य मण्डप 16 स्तम्भों पर आधरित है, जो सुन्दर आलेखनों से

अंलकृत किया गया है। इनकी शैली अजन्ता की परम्परा में निर्मित, किन्तु अजन्ता जैसा सौन्दर्य नहीं है। कैलाश मंदिर सुसज्जित है, जिनमें संहारक व उग्र दोनों प्रकार के भगवान शिव के स्वरुपों के निरुण में शिल्पी ने विषयों को अधिक नाटकीयता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। रावणानुग्रह, कल्याण सुन्दरम् तथा कई अन्य स्वरुपों की अलग-अलग मूर्तियों की देह रचना बाह्य सज्जा तथा भाव एंवम भंगिमाओं में स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है। कुछ मूर्तियाँ रचना की दृष्टि से पतली व हल्की हैं। यहाँ निर्मित हाथियों की विराट प्रतिमायें अत्यंत सुन्दर तथा सजीव हैं। इस मन्दिर के उच्चतम शिल्प का उदाहरण 'रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य' है। जिसमें भगवान शिव पार्वती सहित पर्वत पर विराजमान हैं, इस दृश्य में पूर्ण सजीवता है। ''धौली के अशोककालीन'' गज आकृति के समान सम्पूर्ण मन्दिर गजपृष्ठ पर स्थित दिखाया है।

ध्वजा स्तम्भ - ध्वजा स्तम्भ अपनी विशाल योजना, सुन्दर संयोजन एंव स्वरुपों के वैविध्य की दृष्टि से भारतीय स्थापत्य एवं मूर्तिकला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण है। स्तम्भ बाहर आंगन में निर्मित एक विशाल पौराणिक कथाओं से खुदा है।

चित्र सं.- 5 ध्वजा स्तम्भ

कैलाश मन्दिर के मूर्तिशिल्प - कैलाश मन्दिर का प्रत्येक भाग में विभिन्न प्रकार के कलात्मक मूर्तियों को निर्मित किया गया है। विशेष रुप से शैव प्रतिमाओं को निर्मित करने के साथ-साथ अन्य देवी-देवताओं को भी मुख्य रुप से उत्कीण किया गया है।

शिव ताण्डव - यह मूर्ति अष्टभुजी है, जिसके छ: हाथ खंडित है शिव की ताण्डव मुद्रा में अत्यधिक गति एवं शारीरिक भंगिमा में अतिशयता व मुख पर संयत भाव है। जिसमें पैरों सहित सभी अंग प्रभावित है, तथा आस-पास देवगणों का संयोजन है, शिव ताण्डव की इस प्रतिमा पर ऐलिफेण्टा की ताण्डव प्रतिमा का प्रभाव स्पष्ट रुप से है।

चित्र सं.- 6 शिव ताण्डव

यमान्तक - इस मूर्ति के दृश्य में यम गिरे होने के स्थान पर स्थानक रुप में शिव की प्रशंसा करते निरुपित हैं। शिव को चतुर्भुज मुद्रा में दिखाया गया है, कुछ हाथ तर्जनी व विस्मय मुद्रा में है। यम को भयभीत मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है। उनके हाथ से क्षमायाचना का भाव व्यक्त है।

कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण - इस मूर्तिशिल्प में रावण अपनी दोनों भुजाओं से कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयत्न कर रहा है,

चित्र सं.- 7 कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण

रावण की आकृति में शक्ति झलकती है। भगवान शिव गम्भीर मुद्रा में पार्वतीजी के विपरित दिशा में पालथी के समान पैर किए बैठें हुए हैं। पार्वती भयभीत होकर शिव का आलिंगन कर रही हैं। बादलों में आकाशचारी देवता आदि दिखाए गए हैं। प्रतिमा क्षत - विक्षत हो गई है, फिर भी शैली उत्तम है।

सप्त मातृकाएँ - सप्त मातृकाओं के शिल्पाकंन की परम्परा कुषाण काल से आरम्भ हुआ है। सप्त मातृकाओं का अंलकरण एलोरा,

चित्र सं.- 8 सप्त मात्रिकायें

एलिफेण्टा, खजुराहो आदि स्थानों पर किया गया है। इन मातृकाओं का चित्रण शास्त्रीय परम्परा के अनुरुप फलकों पर आयुधों व वाहनों सहित निरुपित किया गया है। कैलाश मन्दिर निर्मित सप्तमातृकाओं को सात-आठ समूहों मे दिखाया गया है, जिसमें वीरभद्र और गणेश के साथ चामुण्डा, इन्द्राणी, वराही, कौमारी, माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मणी मातृकाओं को उकेरा गया है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय है।

कल्याण सुन्दरम् - सामान्यत: इस मूर्ति को शिव पार्वती विवाह व पाणिग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पार्वती को पिता हिमावत और माता मैना के साथ उत्कीण किया गया है, यज्ञ के सम्मुख पुरोहित के रुप में ब्रह्मा तथा शिव के निकट विष्णु-लक्ष्मी एंव देवगण, नन्दी, गंगा, आदि का सुनियोजित रुप में उत्कीणन

चित्र सं. 9 कल्याण सुन्दर मूर्ति

हुआ है। जो विवरण की दृष्टि से एलिफेण्टा की कल्याण सुन्दरम् के समान है।

इसके अतिरिक्त कैलाश मन्दिर में विभिन्न प्रकार के भव्य एंवम् सौन्दर्यपूर्ण मूर्तिशिल्पों से उत्कीण किया गया है। जिसमें गंगावतरण, गजलक्ष्मी, वराह अवतार, शिव द्वारा अंधक असुर का वध, व भगवान शिव के स्वरुपों को निरुपित करने के साथ-साथ अन्य देवी देवताओं जैसे- ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, गंगा है। स्थान-स्थान पर हाथियों की आकृतियों तथा आलेखनों से उत्कीण किया गया है। अनेक मिथुन आकृतियाँ भी भित्तियों की शोभा बढ़ा रहीं है।

भारतवर्ष में मूर्तियों की पहली आवश्यकता धार्मिक पूजा-पाठ के लिए उत्पन्न हुई थी । इसी कारण भारतीय मूर्तिशिल्प की आधार शिला पूजा, परम्परा और ध्यान है। धार्मिक कला के तीन प्रभावशाली व महत्वपूर्ण स्वरुप है, शिव, विष्णु, शक्ति ये सारे संसार की महानतम् कलाकृतियों में गिने जाते हैं। देश के अनेक भागों में निर्मित ये मन्दिर हमारे धार्मिक संस्कृति व परम्परा को आज भी जीवित रखें हुए हैं। इसका ऐसा ही भव्य स्वरुप एलोरा गुफा में निर्मित कैलाश मन्दिर के दर्शन मात्र से ही लगता है। जो अपनी भव्यता कलात्मक वैभव व शिव शक्ति के प्रतीक के रुप में विश्व विख्यात है। जिसका अन्य कोई सानी नहीं है। हिन्दू धर्म संस्कृति का प्रतीक माना जाने वाला, पाषाणों से निर्मित सदियों पुराने ये मूर्तिशिल्प सजीवता के प्रतीक हैं। सामाजिक व व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाये तो ये मानव मूल्यों की प्रतिपूर्ति करते हैं। यह धर्म निरपेक्षता का भी प्रतीक है, साथ-साथ इसका कलात्मक स्वरुप भी महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अग्रवाल, गिर्राज किशोर : 2012, कला और कलम, अशोक प्रकाशन, अलीगढ़*
2. *तिवारी, मारुति नन्दन : 1997, मध्य कालीन भारतीय प्रतिमालक्षण, विश्व विद्यालय प्रकाशन प्रा. लि., वाराणसी*
3. *दास, रायकृष्ण : 1974, भारतीय चित्रकला, भारतीय भण्डार लीडर प्रेस, इलाहाबाद*
4. *वैश्य, रीता प्रताप : 2004, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान*
5. *Rajan, K.V. Soundara : 1988, The Ellora Monoliths, Gian Publishing House, Delhi, ISBN no. 81-212-01117-9*
6. *http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Ellora_cave29_Shiva-Parvati-Ravana.jpg*
7. *http://asi.nic.in/asi_monu_whs_ellora.asp*
8. *http://www.destination360.com/asia/india/ellora*
9. *http://commons.wikimedia.rog/wiki/file :elloracaves*
10. *http://www.destination360.com/asia/india/kailash-temple*

भारत में महिलाओं का वित्तीय समावेशन

डॉ. शालिनी चतुर्वेदी
असिसटेन्ट प्रोफेसर, कॉनोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर

SHODH SHREE
shodhshree@gmail.com

भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के 135.79 मिलियन वर्ग किमी. का लगभग 2.4 प्रतिशत (32,87,263 वर्ग किमी.) है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार यहां विश्व की 17.5 प्रतिशत (1,21,05,69,573) जनसंख्या निवास करती है। देश की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में 37.7 करोड़ शहरी क्षेत्रों में एवं शेष 83.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या अब 31.16 प्रतिशत तथा 68.84 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। अत: दृष्टिकोण से भारत की कुल जनसंख्या में 51.47 प्रतिशत पुरुष एवं 48.53 प्रतिशत महिलाएं हैं।

भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जिसमें समाज का एक भाग आज भी अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में असमर्थ है। आज भी गांवों एवं शहरों में करोड़ों व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन करते है। देश में निर्धनों की संख्या व निर्धनता अनुपात के सम्बन्ध में सुरेश तेंदुलकर समिति गठित की गई। तेंदुलकर रिपोर्ट (2009) के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में निर्धनों की संख्या 21.9 प्रतिशत हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत 13.7 है। समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रु. प्रतिमाह (27 रु. प्रतिदिन) तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रु. प्रतिमाह (33 रु. प्रतिदिन) से कम खर्च करने वालों को निर्धन स्वीकार किया। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट अत्यन्त विवादित रही, जिसके कारण समिति की पद्धति की समीक्षा हेतु डॉ. रंगराजन की अध्यक्षता में नवीन समिति का गठन योजना आयोग ने मई 2012 में किया।

रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश की 29.5 प्रतिशत (363 मिलियन) निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की स्थिति अधिक विकट है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में 30.9 प्रतिशत जनसंख्या (260.5 मिलियन) निर्धनता रेखा से नीचे है।वस्तुत: ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, जनसंख्या आधिक्य, परम्परागत समाज, कृषि पर अत्याधिक निर्भरता, दोषपूर्ण कृषि व्यवस्था, रोजगार का अभाव एवं अनौपचारिक संस्थानों (ब्याजखोर, जमींदार) से ऋण प्राप्ति आदि निर्धनता के प्रमुख कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत बढ़ रहा है तथा महिलाओं के संदर्भ में यह स्थिति अधिक विकट है।

भारत में महिलाओं की कुल संख्या 58.64 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 48.46 प्रतिशत है। आज भी महिलाएं शिक्षा, रोजगार तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर पुरूषों से तुलनात्मक रुप में काफी पीछे है। साक्षरता को विकास एवं मानव जीवन की गुणवत्ता का सूचक माना जाता है। परन्तु भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत मात्र 64.6 है, जो पुरुषों के 80.9 प्रतिशत से कम है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन **(एनएसएसओ)** के 68 वें चक्र की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 2012 को भारत में बेरोजगारों की संख्या 10.8 मिलियन थी, यह दर अखिल भारतीय स्तर पर 2 प्रतिशत है। बेरोजगारी की सर्वाधिक दर शहरी महिलाओं (12.8 प्रतिशत) में है। संयुक्त राष्ट्र की बाल विकास रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में बाल विवाह में भारत का द्वितीय स्थान है, जो निंदनीय सामाजिक स्थिति को परिलक्षित करता है।

ISSN 2277-5587

साथ ही महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा 35 राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों हेतु वर्ष 2006 में तैयार किए गए लिंग सम्बद्ध विकास सूचकांक (जीडीआई) 0.590 है, जो महिलाओं की निम्न विकास स्थिति को दर्शाता है। अत: उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे एवं विशेषत: महिलाओं के संदर्भ में निर्धनता अति व्यापक रुप में है, जो क्षेत्र तथा लैंगिक आधार पर असमानता को बढ़ावा दे रही है।

''मानवाधिकारों का उल्लंघन केवल आतंकवाद, दमन अथवा बन्धन द्वारा ही नहीं किया जाता, बल्कि वृहत असमानताएँ पैदा करने वाली अनुचित आर्थिक संरचना द्वारा भी होता है।''

- पोप फ्रांसिस प्रथम

इनवेंट इंडिया इनकम्स एण्ड सेविंग्स सर्वे 2008 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बेहतर तरीकों, प्रौद्योगिकी के प्रयोगों, अवसरों की विविधता, बाजार सहसम्बद्धता तथा बाजार मूल्यों एवं बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी अत्यन्त न्यून है। दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले ग्रामीण तथा निर्धन एवं महिलाएं इनसे पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। बैंकिंग सेवाओं के दायरे से अधिकांशत: वही लोग बाहर है, जो आर्थिक अथवा सामाजिक रुप से कमजोर वर्ग के है तथा शोषण का शिकार है।

भारत में अभी भी निर्धन वर्ग के साथ ही ग्रामीण जनता एवं महिलाओं को बैंकों से समुचित लाभ एवं अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंकों से सेवा एवं सुविधा प्राप्त करने के दो आधार-आय एवं प्रत्याभूति (गारंटी) आधार है, इनके अभाव में बैंकों की सेवाओं तथा सुविधाओं की प्राप्ति संभव नहीं है। साथ ही बैंकों द्वारा निर्धारित शर्तें एवं प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है, जिसके फलस्वरूप अशिक्षित, निर्धन व्यक्ति एवं ग्रामीण जनता व्यवस्था से एक दूरी बनाए हुए है। आज भी ग्रामीण जन धन/ऋण हेतु गैर-संस्थागत साधनों-जमाखोरों, साहूकारों आदि पर निर्भर है तथा ब्याज के दुष्चक्रों में फँसे हुए हैं।

अत: आवश्यक यह है कि समाज के इन वंचित एवं उपेक्षित वर्गो को वित्तीय मुख्य धारा से सम्बद्ध किया जाए, ताकि इनके आर्थिक स्तर में प्रगति हो अर्थात् ऋण के माध्यम से स्वरोजगार/उद्यमिता प्रारंभ करें तथा जीवन स्तर में सुधार हो। आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार अपेक्षित है। इस लक्षित वर्ग हेतु वित्तीय समावेशन अपरिहार्य है।वित्तीय समावेशन एक परिष्कृत, उदारवादी एवं व्यापक दृष्टिकोण है, जिसकी मूल अवधारणा ''आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को सहज एवं सुलभ रुप में पहुंचाना है।''वित्तीय समावेशन की दिशा में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, रिजर्व बैंक, बैंकिंग समूह तथा गैर-सरकारी संगठन प्रतिबद्ध हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह तथा बिजनेस करसपॉण्डेण्ट एवं बिजनेस फेसीलिटेटर मॉडल (व्यवसाय संवाददाता एवं व्यवसाय सुविधा प्रदाता प्रतिमान) की भूमिका उल्लेखनीय है।

स्वयं सहायता समूह

महिलाओं के वित्तीय समावेशन तथा सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ऋण एवं सब्सिडी योजना है, जिसमें स्थानीय क्षेत्र की, समजातीय आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध 10-20 सदस्य होते है। विविधीकृत एवं लाभकारी स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार अवसरों के प्रोन्नयन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारो की निर्धनता में कमी लाना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार ही इसके प्राथमिक उद्देश्य है।

बैंकिंग करसपॉण्डेण्ट एंड बिजनेस फेसीलिटेटर मॉडल

यह बैंकिंग समूहों द्वारा संचालित अभिनव प्रयास है। बैंकिंग को दूरस्थ जनसमुदायों तक पहुंचाने के लिए बिजनेस फेसीलिटेटर का उपयोग बैंकों द्वारा बृहद स्तर पर किया जा रहा है तथा आधारभूत बैंकिंग सेवाएं घर-घर तक पहुंचाई जा रही है।वित्तीय समावेशन के सिद्धान्त के तहत इस प्रकार की पहल आम जनता को बैंकों से जोड़ेगी तथा यहीं से वित्तीय नियोजन का आरम्भ होगा। वित्तीय समावेशन के माध्यम से स्वैच्छिक प्रयासों की श्रृंखला आरम्भ होगी, जो अंतत: वित्तीय संकट के दौर में अर्थव्यवस्था को उबारने में सहायक साबित होगी।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

''वित्तीय समावेशन'' शब्दावली का सर्वप्रथम 1993 में यूनाइटेड किंगडम के भूगोलशास्त्रियों द्वारा प्रयोग किया गया। 1998 के पश्चात् सर्वप्रथम इसका व्यापक रुप में प्रयोग किया गया, वे व्यक्ति जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित थी, उन व्यक्तियों की स्थिति को समझाने हेतु सर्वप्रथम इसको प्रयुक्त किया गया।

भारत के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन

भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा ने 2000 के प्रारंभिक वर्षो में महत्ता प्राप्त की। इंडियन बैंक के चेयरमैन के.सी. चक्रवर्ती ने 2005 में वित्तीय समावेशन को परिभाषित किया। मंगलम भारत का प्रथम ग्राम है, जहां के समस्त निवासियों को बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त है।

परिभाषा - वित्तीय समावेशन की सर्वमान्य परिभाषा संभव नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अनुसार ''समाज के वंचित, उपेक्षित एवं निम्न आय वर्गो को उचित एवं वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन है।''

यह बहिष्कार के विपरीत सकारात्मक, उदारवादी एवं परिष्कृत अवधारणा है। एक सभ्य एवं दक्ष समाज हेतु यह प्रथम शर्त है कि व्यक्तियों की सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सेवाओं तक बाधा रहित पहुंच हो। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में निम्नलिखित बातें स्पष्ट है

- वंचित एवं निम्न आय वर्गीय, कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नि:शक्तजन एवं महिलाएं) अभी तक बैंकिंग सेवाओं के दायरें में नहीं है, उन्हें उसमें सम्मिलित करना।
- बिना किसी जाति, धर्म, लिंग तथा आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत किये समाज के प्रत्येक वर्ग को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं ऐसी लागत पर उपलब्ध कराना, जो समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्ग को आसानी से प्राप्त हो।
- बैंकिंग तथा भुगतान सेवाएं सार्वजनिक परिसम्पत्ति का अभिन्न अंग है, इसलिए देश की जनता के समस्त वर्गो को बैंकिंग तथा भुगतान सेवाएं निर्बाध रुप से प्राप्त हो।
- वित्तीय समावेशन का प्रथम प्रयास है कि हर व्यक्ति का बैंक में जमा खाता हो।

भारत : सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण

भारत कृषि प्रधान विकासशील राष्ट्र है। भारत में विश्व की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या (121 करोड़) निवास करती है। संयुक्त राष्ट्र की ''वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस-2012 के अनुसार सन् 2008 के पश्चात् भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक होगी तथा भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा।'' परम्परागत समाज में जनसंख्या आधिक्य तथा संसाधनों एवं अवसरों की सीमितता सामाजिक स्थिति को चिंताजनक बनाते है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन-प्रत्याशा, प्रथाएं, उत्तम जीवन हेतु बुनियादी आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आवास, संचार) की पूर्ति ही सामाजिक जीवन का आधार है।

भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आधार पर विभिन्नता है। ग्रामीण क्षेत्र परम्परागत भारत एवं शहरी क्षेत्र इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, अत: यह समाज को विघटित करता है। अभी भी देश सामाजिक दृष्टि से अविकसित है, जिसके अन्तर्गत साक्षरता स्तर 73 प्रतिशत, स्वास्थ्य मानको के अन्तर्गत जीवन प्रत्याशा 66.21 वर्ष, जन्म दर 21.6 प्रति हजार, मृत्यु दर 70 प्रति हजार, प्रति महिला कुल प्रजनन दर 2.4, बाल मृत्यु दर 52 प्रति हजार, मातृत्व दर 178 प्रति हजार है। भूख व कुपोषण की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है। इस स्थिति के अध्ययन हेतु एनजीओ नंदी फाउंडेशन ने कॉरपोरेट समूहों के साथ मिलकर हंगर एण्ड मॉलन्यूट्रिशन रिपोर्ट तैयार की, जिसके अनुसार देश के 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आज भी स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़कों की समस्या गंभीर है। पर्वतीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में यह स्थिति अधिक विकट है। सामाजिक जीवन की अन्य समस्याएं - बाल विवाह, महिला शोषण, बाल श्रम, अपराध प्रवृति इसे अधिक दुष्कर बनाते हैं। यदि आर्थिक स्थिति उचित होती, तो स्थिति तुलनात्मक रुप से उत्तम होती।

आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है, जो विश्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विनिमय दर के आधार पर विश्व की 10वीं तथा क्रयशक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। परन्तु इसके साथ यह विरोधाभास ही है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय विकसित राष्ट्रों से कम है। (5150 डॉलर) मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत एचडीआई सूचकांक में 135वें स्थान पर है तथा 51.5 प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता के अन्तर्गत है।

महिलाओं के वित्तीय समावेशन हेतु सरकार के प्रयास एवं कार्यक्रम

भारत एक लोककल्याणकारी राष्ट्र है। समताधारित समाज की स्थापना इसका परम कर्त्तव्य है। अत: राष्ट्र की आधी आबादी के वित्तीय समावेशन हेतु सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए-

1. **महिला स्वयंसिद्धा योजना**

   महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया गया। यह योजना महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक उन्नति हेतु संचालित है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार हेतु वित एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।

2 **राष्ट्रीय महिला कोष**

   यह कोष 1993 में स्थापित किया गया था। इसे ''नेशनल क्रेडिट फण्ड फॉर वीमन'' भी कहा जाता है। इसका उपयोग गरीब एवं वंचित महिलाओं को स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु अल्प ब्याज एवं साख रहित ऋण देने में किया जाता है।

3 **स्वयं सहायता समूह**

   महिलाओं के वित्तीय समावेशन एवं सशक्तिकरण की दिशा में ऋण एवं सब्सिडी योजना है, जिसमें समजातीय सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं के समूह (10 से 20 सदस्य) गठित होते हैं। स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर महत्वपूर्ण प्रयास है।

ISSN 2277-5587

4 **सामाजिक बैंकिंग**

ऐसी बैंकिंग प्रणाली, जो पर्यावरणीय अथवा सामाजिक उद्देश्य से संबंधित परियोजनाओं हेतु ऋण देती है। ये निर्धनों एवं महिलाओं हेतु जीविका निर्वाह से संबंधित उद्यमों तथा लघु कार्यो हेतु वित्तीय व्यवस्था करते हैं।

5 **महिला बैंक की स्थापना**

महिलाओं को वित्तीय सुविधा सहजता से उपलब्ध कराने हेतु महिला बैंक की स्थापना की गई।

इसके साथ ही वर्तमान में संचालित भामाशाह योजना, आधार कार्डो की बैंकिंग सम्बद्धता तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना वित्तीय समावेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास है।

वित्तीय समावेशन हेतु बैंकिंग समूह द्वारा किए प्रयास -

1. **''नौ-फ्रिल'' खाते खोलना तथा खाताधारकों को लघु अधिविकर्ष की सुविधा उपलबध कराना -** ऐसे खाते शून्य अन्तिम शेष अथवा काफी कम अन्तिम शेष पर खोले जाते हैं तथा बैंक इन पर अर्थदण्ड नहीं लगाते।
2. **केवाईसी (अपने ग्राहकों को पहचानो) मानकों को उदार करना -** बैंक अपनी सन्तुष्टि हेतु कोई भी साक्ष्य स्वीकार करने हेतु स्वतंत्र है।
3. **बिजनेस करसपॉण्डेंट एवं बिजनेस फेसीलिटेटर मॉडल -** उक्त योजनाओं के अतिरिक्त बैंकिंग को दूरस्थ समुदायों तक पहुंचाने हेतु इस मॉडल का उपयोग वृहद स्तर पर किया जा रहा है तथा आधारभूत बैंकिंग सेवाएं जन-जन तक पहुंचाई जा रही है। 2006 से इसे प्रारंभ किया।
4. **स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम -** यह प्रायोगिक योजना 1992 में प्रारंभ की गई, जिसमें ऐसे व्यक्ति जो बैंकिंग सेवाओं के दायरे से बाहर है, उन्हें औपचारिक बैंकिंग सहायता दी जाती है। कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। लगभग 498 बैंक (वाणिज्यिक, सहकारी तथा क्षेत्रीय बैंक) इसमें संलग्न है।
5. **आदर्श ग्राम योजना -** बैंक विभिन्न ग्राम गोद लेकर उनके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी का वहन करेंगे।
6. **मित्र योजना -** इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय नियोजन से संबंधित परामर्श दिए जाएंगे।
7. **सामान्य साख कार्ड -** निर्धनों एवं साधनहीन लोगों को साख मुहैया कराने हेतु 25,000 रूपये तक के ऋण सामान्य साख कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
8. **प्रौद्योगिकी का प्रयोग -** बायोमीट्रिक तकनीक के माध्यम से अशिक्षित लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है।
9. **बैंकिंग सेवाओं से वंचित दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने की अनुमति।**

इस प्रकार बैंकिंग समूहों द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति -

1. बैंकों की संख्या में अभिवृद्धि हुई। 1,15,350 बैंकिंग आउटलेट 2013-14 खोले गए।
2. गत वर्ष में लगभग 5300 ग्रामीण बैंक शाखाएं खोली गई। इनमें से 4600 बैंक शाखाएं उन ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई, जहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
3. मार्च 2014 तक 60,730 बीसी आउटलेट शहरी क्षेत्रों में खाले गए।
4. बीसी मॉडल के सशक्तिकरण हेतु रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन्स जारी की, जिसमें 6 माह में समीक्षा तथा उच्चाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण (Monitoring) आवश्यक है।
5. रिजर्व बैंक द्वारा फाइनेंस लिटरेसी सेन्टर (FLCs) खोले गए तथा बैंको को माह में 1 बार वित्तीय साक्षरता के सन्दर्भ में जागरुकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। मार्च 2014 तक 942 फाइनेन्स लिटरेसी सेन्टर थे।
6. अक्टूबर 2013 के अध्ययन के अनुसार 23 राज्यों के 46 जिलों में अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुए, कि कैम्प के अधिकांश प्रतिभागी (89 प्रतिशत) औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े तथा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया।
7. वित्तीय शिक्षा की राष्ट्रीय रणनीति हेतु ''नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंस एजुकेशन (NCFC)'' गठित किया।

CRISIL सूचकांक के अनुसार ''ऑल इंडिया इन्क्लुसिव्स स्कोर 40.1 है।'' 618 जिलों की स्थिति में तुलनात्मक रुप से स्कोर में सुधार हुए। वित्तीय समावेशन की दृष्टि से 3 प्रमुख राज्य एवं संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी, चंडीगढ तथा केरल है।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य एवं महत्व

भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जिसमें व्यापक चुनौतियाँ एवं अवसरों, संसाधनों की सीमितता निहित है। स्वतंत्रता के 67 वर्ष पश्चात् भी निर्धनता, बेरोजगारी, अल्प-विकास तथा महिलाओं

की दयनीय स्थिति व्यापक स्तर पर मौजूद है। हाल ही में प्रकाशित "गैलप-हेल्थवेस ग्लोबल वैल-बिंग इन्डेक्स" के अनुसार भारत में मात्र 21 प्रतिशत भारतीय आर्थिक रूप से समृद्ध है, जबकि 49 प्रतिशत वित्तीय रुप से संघर्षरत है तथा 30 प्रतिशत कष्टमय स्थिति है। सरल शब्दों में 3 में से 2 भारतीय आज वित्तीय रुप से संघर्ष कर रहे हैं तथा दिन-प्रतिदिन के जीवन में आर्थिक कष्टों का सामना कर रहें हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी औपचारिक रुप से अर्थव्यवस्था में सहभागी होने में असमर्थ है, इसी कारण सामाजिक, भौतिक, वित्तीय, शैक्षिक स्तरों तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में पिछड़े हुए हैं। वित्तीय समावेशन बहुआयामी प्रयास है, जिसके माध्यम से समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग विशेषत: महिलाएं अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती हैं, अत: इसकी महत्ता निर्विवाद है -

1. वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के समस्त वंचित एवं निम्न आय समूहों का ऐसी लागत पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है, जो उन पर भार नहीं बनें।
2. वित्तीय समावेशन के माध्यम से वंचित वर्गों को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराके स्वरोजगार/उद्यमिता संचालन हेतु आत्मनिर्भर बनाना संभव है।
3. यह महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को यथार्थ रुप में देने में समर्थ है। स्वरोजगार के माध्यम से महिलाएं वित्तीय रुप से सक्षम हो सकती है। किसी भी समाज में आर्थिक सुदृढ़ता सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति का आधार होती है।
4. इसका मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास है।
5. वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्गों को वित्तीय रुप से साक्षर कर आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे स्थानीय कर दाताओं, जमाखोरों के ऋण दुष्चक्र से बचे।
6. समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय रुप से जागरुक करना, ताकि वे विभिन्न कल्याणकारी आर्थिक नीतियों के प्रावधान को समझे तथा उनके अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो।
7. स्वरोजगार एवं उद्यमिता संचालन से वंचित वर्ग भी औपचारिक रुप से बैंकिंग व्यवस्था से सम्बद्ध होंगे तथा देश की अर्थव्यवस्था में सहभागी होंगे।
8. वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंको में जमा खातों में अभिवृद्धि होगी, जिससे बचत-प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि संभव है।
9. महिलाओं के वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय है।
10. समावेशन के माध्यम से लघु-उद्योगों में वृद्धि होगी, जिससे आधारिक संरचना विकसित होगी तथा सामाजिक परिवर्तन संभव है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अग्रवाल, एस.एन (2006). ए पोर्टियट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंकर्स, दिल्ली, इण्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स*
2. *जयाशीला (2009). माइक्रोफाइनेन्स इन इण्डिया ए टूल फॉर वुमन एम्पावरमेंट, नई दिल्ली, सिरियल पब्लिकेशन्स*
3. *बसु, सी.आर. (2004). कॉमर्शियल बैंकस एण्ड क्रेडिट, दिल्ली अलाइड, पब्लिशर्स*
4. *भाटिया, अंजू (2009) वुमन डवलपमेंट एण्ड एनजीओ, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स*
5. *ललिथा (1992) रुरल वुमन इम्पावरमेंट एण्ड डवलपमेंट बैंकिंग, नई दिल्ली, कनिष्का पब्लिकेशन्स*
6. *सिंह, डॉ. मंजू (2011) द इन्स्टीट्यूशनल फाइनेंस इन रुरल डवलपमेंट, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स*
7. *क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंसियल इन्क्लुशन, रिजर्व बैंक, वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13*

ISSN 2277-5587

आधुनिक युग में भित्ति-चित्रों का उपयोग व विस्तार

दिव्या सिहं
शोधार्थी, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा (उत्तर प्रदेश)

shodhshree@gmail.com

भित्ति-चित्रों से तात्पर्य भित्ति या दीवार पर की गई चित्रकारी से है जिसे म्यूरल भी कहते हैं। म्यूरल चित्रकला की वह विधा है जिसका सम्बन्ध भवनों की दीवारों तथा छतों के अलंकरण से है। हिन्दी भाशा के अन्तर्गत म्यूरल पेन्टिग (Mural Painting) का पर्यायवाची शब्द भित्ति-चित्र है, परन्तु संस्कृत में भित्ति-चित्रों के लिए कुड्य शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है दीवाल(दीवार) पर प्लास्टर लगाना।

संसार में भित्ति-चित्रों का प्रारम्भ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। जिनके प्रमाण आज भी शैलाश्रयों में चित्रित शैलचित्रों के रुप में देखा जा सकता है जिसके प्रमुख उदाहरण मध्य भारत में भीमबेटका (विंध्याचल पर्वत माला में), दरकी चट्टान, चतुर्भुजनाथ नाला(भानपुरा- चम्बल में) है। समय के साथ इसका प्राचीन स्वरुप गुफा चित्रों (अजंता, एलौरा, बाघ आदि) के रुप में देखा जाता है। आधुनिक युग में कलाकार ने भित्ति-चित्रों को घर-घर तक पहुँचा कर इसका विकसित रुप मुखरित किया है।

Figure 1 Painting of Chaturbhuj Nathnala, Pastoral Period

म्यूरल पेन्टिग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इसका प्रचलन है। इस म्यूरल पेन्टिग का प्रयोग इन्टीरियल डिज़ाइन के लिए भी किया जाता है। फिर चाहे घर हो, दुकान, कम्पनी, शोरुम, मन्दिर, स्कूल, मार्केट, रेलवे स्टेशन, प्ले ग्राउण्ड, पार्क या हॉस्पीटल इत्यादि। म्यूरल पेन्टिग में थ्री-डी इफेक्ट होने के कारण ये दर्शकों को ज्यादा लुभाती है इसलिए इसकी माँग हर जगह है। आज के कलाकार इस क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे है, विभिन्न तकनीक व माध्यम से अपनी सृजन शक्ति को ज़ाहिर करते आ रहे हैं जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता इसको छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह उस जगह पर निर्भर करता है जहाँ यह चित्र बनाया जाना है। प्राचीन से लेकर आज तक कलाकार इनको विभिन्न स्वरुपों, विभिन्न तकनीक व विभिन्न माध्यम में बनाता आ रहा है। आज

Figure 2 Wall-Painting of the Bodhisattva Padmapani Ajanta Cave 1

के आधुनिक युग में म्यूरल के लिए मिक्स मीडिया का भी प्रयोग देखने को मिलता है।

म्यूरल पेन्टिग से कलाकार अपनी प्रतिभा को ज़ाहिर करता है। म्यूरल पेन्टिग कलाकार अपनी रुचि व आत्म संतुष्टि के लिए बनाता है। हर कलाकार अपनी कलाकृति सिर्फ उपयोग या बेचने के लिए नहीं बनाता। लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो इसको उपयोग में भी लाया जा सकता है- जैसे अपने ड्राइंग रुम को सजाने के लिए या घर को सुन्दर व आकर्षित बनाने के लिये म्यूरल पेन्टिग की मांग बढ़ रही है। म्यूरल बनाकर दीवारों को आकर्षित, सुन्दर व रॉयल बना सकते हैं। आज के समय में इन्टीरियल डिज़ाइनर सजावट के रुप में wall painting के रंग, उनके आकार, उनके स्वरुप व उद्देश्य के अनुसार इनको बनाया जाता है अगर स्कूल व कॉलेज में इसको बनाना हो तो Education से सम्बन्धित चित्रण किया जायेगा। अगर छाटे बच्चों के कमरे में बनाना हो तो आकर्षक रंग व कार्टून बनाकर दीवार को सजाया जा सकता है जबकि अगर किसी ऑफिस में इसे बनाना हो तो light colour या फिर डीसेन्ट कलर जैसे: काला, सफेद व नीला, ग्रे, आदि का इस्तेमाल करेंगे जो कि ज्यादा भड़काऊ न हो या फिर किसी बड़े आर्टिस्ट का वर्क भी दीवार पर लगाया जा सकता है जिससे ऑफिस की value बढ़ जायेगी। यदि बाजार में भित्ति-चित्रण करना हो तो अलग-अलग कम्पनी अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए अपने ही प्रोडक्ट से सम्बन्धित चित्रण करवा सकते हैं जिससे आते जाते लोग उन्हे देख कर उनके प्रति आकर्षित हो। आज के समय में मीडिया के अन्तर्गत, फिल्म, सीरियल, न्यूज चैनल, इन्टरव्यू चैनल, आदि सभी में यह ध्यान रखा जाता है कि पीछे की दीवारों पर किस प्रकार से चित्रण या रंग किया जाए जो कैमरे के सामने आकर्शित लगे इसके लिए भी इन्टीरियर डिज़ाइनर या विशेषज्ञ इनका निर्धारण करते हैं राजस्थान और अन्य स्थानों पर भित्ति-चित्रण के लिए अपनी संस्कृति से सम्बन्धित भित्ति-चित्रण कर दीवारों को सजाते हैं जो कि बहुत पहले से परम्परा चलती आ रही है और आज भी बरकरार है। इस प्रकार ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिनसे भित्ति-चित्रण को उपयोग में लाया जाता है।

भित्ति-चित्रण का विस्तार किसी विशेष समय व स्थान तक सीमित नहीं है यह विश्व में प्रारम्भ से लेकर आज तक विद्यमान है। बड़े-बड़े कलाकार चाहे वो भारतीय हो या अमेरिकन, फ्रान्सीसी, जापानी, रुसी, इत्यादि कहीं के भी हो, सभी ने अपनी प्रतिभा में इसको शामिल किया है। भित्ति-चित्रों के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये गए हैं जिसके माध्यम से इसके उपयोग को समझा जा सकता है-

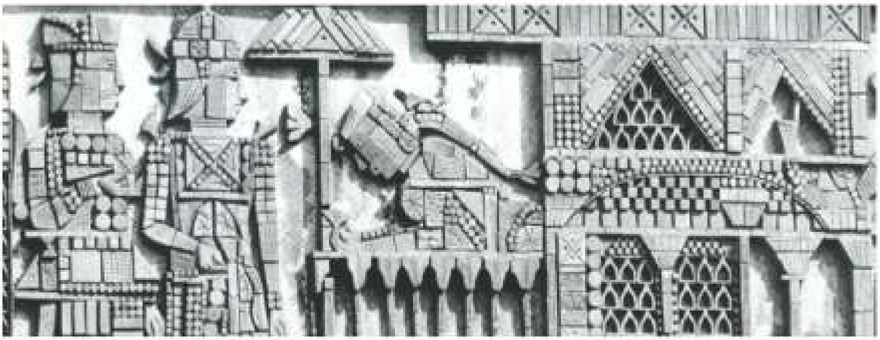

Figure 3 K.G. SUBRMANYAN: The King of the Dark Chamber (Partial)

Figure 4 Mural in The Home

Figure 5 Mural in the Kerala Temple

 ISSN 2277-5587

Figure 6 Mural on the Out Door Wall

Figure 7 Mural in The Bed Room

अत: यह कहा जा सकता है कि भित्ति-चित्रण विस्तृत रुप से हमारे समाज में विद्यमान हो चुका है जिसे लोगों ने दिल से स्वीकार किया है यह कलाकार के लिये आय का स्रोत है जिसके लिए बाजार में म्यूरल पेन्टिग के लिये क्रय विक्रय भी किया जाता है। आज के समय में भित्ति-चित्र को दर्शकों द्वारा अधिक पसंद किया जा रहा है जिसकी वजह से भित्ति-चित्र अधिक प्रचलन में है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Agrawal, O.P. Study of technique of Indian wall paintings, journal of Indian museum, 1969-70*
2. *Archer, W.G. Indian paintings, londan, 1956.*
3. *Chaitanya, Krishna The murals, New Delhi, 1976.*
4. *Ghosm, A.,lal B.B., Deshpande Ajanta murals, Archailogical survey of Indian, New Delhi, 1967.*
5. *Krishna, chaiting The mural tradition, publications New Delhi 1976.*
6. *www.encuastic.in*
7. *www.fresco.in*
8. *www.indianmural.com*
9. *www.Mozaicpainting.com*
10. *www.tempra.com*

सूफ़ीवाद परम्परा - अभ्युदय - वर्तमान में (सांगीतिक पक्ष)

डॉ. नासिर मोहम्मद मदनी
व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

shodhshree@gmail.com

भारतीय संस्कृति यद्यपि अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन सूफ़ीवाद न होता तो इसमें आज अध्यात्म दर्शन का मानवता वादी ओर उदारवादी विशेष रंग देखने को नहीं मिलता। सूफ़ीवाद ही हैं। जिसने उदारता व मानवता की राह दिखाई और आध्यात्म की इस धारा का उद्गम हुआ। अजमेर में जहाँ, आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व (52 वर्ष की उम्र में 1196 ई. में) ख्वाजा मोइनुददीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परम्परा के साथ सूफ़ीवाद की नींव रखी। आइने अकबरी में अबुल फज़ल ने चौदह (14) सूफ़ी चिलसिलों का उल्लेख किया है इसमें चिश्ती सुहरावर्दी, क़ादरी और नक़्शबंदी अधिक प्रसिद्ध रहे और भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला चिश्ती सिलसिला है, और इसी परम्परा की नींव शहाबुददीन ग़ौरी के समय में ख़्वाजा मोइनुददीन हसन चिश्ती द्वारा रखी गई। सूफ़ी खानक़ाहों का ज़ोर भारत में तेरहवी - चौदहवी शताब्दी में फैला। ईश्वर प्रेम और मानव सेवा का ध्येय लेकर अफग़ानिस्तान के रास्ते से अनेक सूफ़ी सिलसिलों के लोग भारत आये और उनके पवित्र आचरण ने भारत की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरुप इस चिश्तिया परम्परा की नींव रखने के पश्चात व अनेक स्थानों में भ्रमण करने के पश्चात ख़्वाजा साहब ने अपना स्थाई निवास स्थान अजमेर को ही बनाया क्योंकि वो अजमेर की परम्परा से अत्यन्त प्रभावित थे और आगे चलकर उनकी समाधि ही अजमेर ख़्वाजा साहब की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके बाद के ख़्वाजा बख़्तियार सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्तिया परम्परा में दीक्षित किया था। स्वयं ख़्वाजा साहब ने भविष्यवाणी की थी कि बाबा फरीद ऐसे दीपक हैं जो चिश्ती सिलसिले को नया प्रकाश देंगे।

अब प्रश्न उठता है कि सूफ़ीवाद क्या है? इस ''सूफ़ी'' शब्द को लेकर अनेक मत हैं लेकिन वास्तविक रुप में तसव्वुफ का अनुयायी और सारे धर्मो से प्रेम करने वाला सूफ़ी कहलाता है। एक सूफ़ी संत के अनुसार Principal of Sufism में- यह एक ऐसी खुशबू है जो हमारे दिल को छूती हुई सीधे आनंद की ओर मुड़ती है और, वही स्थान मौला का है, भगवान का है, जहाँ आनंद ही आनंद है जिसे अनुभव किया जा सकता है। सूफ़ी लोग आठवी व नवीं शताब्दी में अरब में दिखाई दिये थे जहां, काफ़ी समय तक उनकी पहचान उनके ऊनी लिबास से की जाती रही। 'सफ़' का अर्थ है ऊन या बकरी या भेड़ के बाल से बना ऊनी कपड़ा, इसलिये जो 'सफ़' से बना वस्त्र पहनता था वही 'सूफ़ी कहलाया। 'सफ़ा का अर्थ है पवित्रता या शुद्धता अर्थात जो लोग आचार-विचार से पवित्र थे, वे ही सूफ़ी कहलायें। यह भी मान्यता है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई मस्जिद के बाहर सफ़ा अर्थात मक्का की एक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली तथा खुदा की आराधना में लीन रहें वे सफ़ी कहलाये। सूफ़ी दर्शन सहज, सरल व विश्व बन्धुत्व के सिद्धान्तों पर विश्वास करता था और जहां तक सम्भव होता ये सूफ़ी संत अपने आप को सांसारिक गतिविधियों से दूर ही रखते थे, इनका निवास स्थान 'खानक़ाह' था। कुल मिलाकर साधक के लिये 'सूफ़ी' शब्द का प्रयोग ईसा की नवीं शताब्दी से प्रचलित होने का प्रमाण मिलता ह। ये सूफ़ीया सूफ़ी मनीषी किसी भी धर्म या व्यक्ति से बैर नहीं

 ISSN 2277-5587

रखते थे। चिश्ती परम्परा के लोग शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते थे, किन्तु कभी– ''वहदत-अल-वजूद'' सिद्धांत और हिन्दू विचारों को भी स्वीकार करते थे। यही कारण है कि भारतीयों की अध्यात्मिकता के वशीभूत होकर सूफ़ी यहां खिंचें चले आये और पूरी तरह से भारतीय हो गये। अत: सूफ़ीवाद एक खुशबू है, एक प्रकाश है, जिसे सब महसूस करते हैं, लेकिन उस पर क़ब्जा नहीं जमा सकते। मूल रुप से सूफ़ियों ने भारतवर्ष में आकर यहां के लोगों के आचार-विचार व उनके मनोभावों को समझा, समाज की दुर्बलताओं को समझा और अपने विचारों का प्रतिपादन उनकी भाषा के अनुसार किया।

सूफ़ीवाद के अंतर्गत इसके उदय होने का प्रश्नचिन्ह हमारे सामने उभर कर आता है। इस संबंध में रहस्यवाद ओर वैराग्य सम्भवत: रूढ़ीवादी परमार्थ विद्या के दो विकल्प थे जबकि सूफ़ीवाद मूलत: दार्शनिक व्यवस्था पर टिका था इसी कारण सूफ़ीवाद ने इस्लाम की कहरता से अलग रहस्यवाद की आंतरिक गहराई से नाता जोड़ा। इसका उदय ''बसरा'' जो तुर्की में स्थित सूफ़ी है, कहा जाता है कि पैगम्बर मोहम्मद का पैग़ाम लेकर आये। सूफ़ी संतों ने ही ईश्वर या ख़ुदा तक पहुंचने का रास्ता बताया। इसी आधार को लेकर सूफ़ी संतों ने क़ुरान और सुन्नत के भीतर से रास्ता निकाला, जिनका उद्‌देश्य था– ईश्वरीय प्रेम आराधना ही जीवन का सत्य है। इस संबंध में जलालुद्‌दीन रुमी जो कि अफग़ानिस्तान के ''बल्का'' के रहने वाले थे, इस्लाम धर्म के शास्त्रज्ञ हुये, जिन्होनें ईश्वरीय आनंद का मार्ग दिखाया तथा अंत में मक्का में अपना निवास स्थान बनाया। 24 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम धर्म के प्रचारक के रुप धार्मिक विश्व बंधुत्व प्रेम व भाइचारे की भावना को प्रोत्साहन देने लगे उनके अनुसार "From God we receive, to man we give, we keep nothing to our selves, (Ref: Sufi Music correct & Whirling, ceremong By the Sufi Group of Istanbuil Galata Mevelvi Lodge"-) वे नैसर्गिक रोशनी, आध्यात्मिक विचारों को लेकर इस्लाम धर्म का अनुसरण करते हुये मानवता का संदेश देते थे। यही मानवता इंसान की अच्छाइयाँ प्रेम, विश्वास, श्रद्धा ही हमें उस आनंदमय जगत या संसार में ले जाती है जहां जाकर कोई लौटना नहीं चाहता। उनके अनुसार "Man is the most honorable of all creation." अत: मानव के हृदय मे दया, माया, प्रेम, भक्ति, क्षमा का होना नितान्त ही आवश्यक है और इन सब में ईश्वर, व्याप्त हैं इससे कुछ भी अलग नहीं है। इसी लिये सूफ़ी भारतीय संगीत की ओर भी आकर्षित होते गये विशेष रुप से हिन्दू समाज द्वारा उपेक्षित दलित वर्ग को सूफ़ियों के दरबार में स्थान मिला और साथ ही इसी समय अरब देशों के गायक, वादक व शास्त्रज्ञ भी भारत आये। उन्होनें यहां के सूफ़ियों से संपर्क किया और सूफ़ी गायकों को प्रचलित धुनों की आवश्यकता हुई फलस्वरुप ईरानी – धुनों का भी प्रचार आरम्भ हुआ। उस समय के प्रसिद्ध सूफ़ी संत निजामुद्‌दीन औलिया थे। प्रजा पर उनका बहुत प्रभाव था। इसी समय जिस महान कवि, गायक, शास्त्रज्ञ, वादक ने अनेक गीतों के प्रकार, राग, ताल व वाद्यों का आविष्कार किया वे थे अमीर ख़ुसरो– इन्होनें सर्वप्रथम, कव्वाली का आरम्भ किया, मूल रुप से क़व्वाली ईरान से भारत वर्ष में आई – सूफ़ी धर्म के अनुसार – ''क़ल्ब व क़ौल'' आत्मा की उच्चतम स्थिति है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'वचन'। यह मूलत: सूफ़ी सम्प्रदाय की आराधना पद्धति का अहम हिस्सा है सूफ़ी संत इसे ईश्वर से अपने संवाद का माध्यम मानते हैं। अक्सर सूफ़ी क़व्वाल गाते गाते आत्मा की उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते थे और सीधे ईश्वर या मौला में रम या खो जाते थे। जहां तक सूफ़ीज्म का सम्बन्ध है वहां पर आनंद ही आनंद है सूफ़ी संतो के यहां मौता का तसव्वुर भी बड़ा खूबसूरत रुप लेता है। उनके अनुसार जो मरता है वह जी उठता ह। अंत को भी आनंद से जोड़कर तरह-तरह से अंत आनंद की बात करना सूफ़ीज़्म की विशेषता है। इसी तरह से क़व्वाली भी सूफ़ीज्म का अहम हिस्सा है।

सूफ़ी वाद के उत्थान की ओर दृष्टिपात के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि इस्लाम धर्म के अनुसार पैग़म्बर जो ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर है व आनन्दमय भक्ति में लीन है यही पैग़म्बर शताब्दीयों से इस धर्म का प्रचार करते रहे इसके अंतर्गत जिन सूफ़ियों का योगदान है वे इस प्रकार है-उवासीस-अल-कुरानी, हरम बिन ध्यान, हसन बसरी व सैयद इबनज़ल-मुहासिबी- ये सभी सूफ़ी संत इस्लाम धर्म के प्रथम वंशानुक्रमीय संत हैं। रबीया बसन ईश्वरीय रुह में समा जाते थे और वही उनकी दुनिया बसती थी। बयाजिद्‌ बरतानी ईस्लाम धर्म के शास्त्रज्ञ हुये और भरपूर ईश्वरीय ज्ञान, से ओत प्रोत थे। स्वयं 'फ़ना' व 'बंका' मौला (ईश्वर) का रुप मानते थे।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लगभग 800 वर्ष की परम्परा में सूफ़ीवाद का जन्म हुआ जिसका परिमार्जित रुप आज हमारे समक्ष है जो इस प्रकार है:-

वस्तुत: अरब देशों का सम्बन्ध भारत वर्ष से सहस्त्रों वर्षों पूर्व का है व इसका कारण समुद्री मार्ग से होने वाला व्यापार था और भारत आध्यात्मिकता की राजधानी होने के कारण बाहर से आने वालों के साथ नाता जुड़ता गया व सहज सरल स्वभाव के कारण आगन्तुकों को अपनाने लगे जिसके फलस्वरुप यहीं से सूफ़ीज्म फैलता गया जिसके कारण सूफ़ी संत यहां खिंचे चले आये और सूफ़ी दर्शन सहज सरल व विश्व बन्धुत्व के सिद्धान्तों पर विश्वास करता था। इसी कारण कहा जाता है कि ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ ही हिन्दुस्तान में पहली बार क़व्वाली लेकर आये। यहां की भौगोलिक स्थिति व रहन सहन के हिसाब से क़व्वाली ने लोगों तक सूफ़ीज्म को पहुचानें में सटीक भूमिका निभाई। क़व्वाली के द्वारा चिश्तिया

सिलसिले के लोग ख़ुदा के निकट पहुचनें की कोशिश करते हैं। आरम्भ में क़व्वाली कुछ ख़ास लोगों तक ही सीमित थी। परन्तु धीर-धीरे अपनी लोकप्रियता के कारण क़व्वाली खानक़ाहों व अन्य दरगाहों में भी प्रचलित हुई।

ग़रीब नवाज़ के दरबार में आज भी पूरे अदब के साथ '' महफ़िल-ऐ-समा'' ओोजित होती है। शाही क़व्वाल असगर हुसैन के बुज़ुर्ग कई सदियों से महफ़िल-ए-समा में सूफ़ियाना कलाम पेश कर दरगाह की खिदमत अंजाम दे रहें हैं। हुसैन के अनुसार यह उनके लिये बड़ी ख़ुशनसीबी है कि आज भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के है ओर उनके परिवार के 18 से अधिक सदस्य क़व्वालियाँ पेश करते हैं।

वारिस शाह का काव्य हो या नुसरत फतेह अली की क़व्वालियां इबादत पर सूफ़ीवाद का नशा चढ़ते ही सुर सुरुर हो जाते हैं और सुरुर देह, को पार कर रुह में समां जाती है। सूफ़ी अंदाज़ में मौला को पुकारों तो लगता ही नहीं कि सिदक़-सदाक़त की यह आवाज़ उस तक पहुंचती ही नहीं होगी। परवीन रंगीली शख़्सियते ख़्वाजा साहब की दरगाह में महफ़िल सजाती हैं तो क़व्वाली भर नहीं गाती बल्कि ख़्वाजा साहब की मार्फत मौला को पुकारती हैं और बंदे क़व्वाली की मार्फत मौला को बुलाते हैं। (अबुल, फ़जल कृत आईने अकबरी)

मध्य कालीन भारत मुस्लिम युग के दौरान जहां गायन की विभिन्न शैलियों का विकास हुआ उसी के साथ सूफ़ी संतो के ख़ानकाहों में क़व्वाली का प्रचार होने लगा। इन्होंने ख़्याल, क़ौल, कलबाना, नक़्श गुल व तराने विभिन्न तालों व वाद्यों का प्रचलन किया ईश्वरीय प्रेम और मानव सेवा की भावना को लेकर सूफ़ी लोग अफ़ग़ानिस्तान से भारत आये। 'आइने अकबरी' में अबुल फज़ल के अनुसार इसमें चिश्ती सुहरावर्दी, क़ादरी ओर नक़्श बंदी - लोग प्रसिद्ध रहे। सूफ़ीवाद का सबसे बड़ा मरकज़- दिल वली ख़्वाजा गरीब नवाज़ का दर है। यही वो दर है जहां से क़व्वाली का आगाज हुआ। सदियों पुरानी परम्परा को निभाने के लिये भले ही आज सैंकड़ों क़व्वाल हैं, लेकिन दरबार में महफ़िल-ए-समां का आगाज़ करने का शर्फ़ शाही असरार हुसैन की चौकी को ही जाता है। आज का युग सूफ़ी युग है और इसी सूफ़ीज्म ने अपनी रोशनी सर्वत्र फैलाई हुई है जिसके प्रकाश ने समस्त दिलों पर अपना अधिकार जमा रखा है। गायक कैलाश खेर, वडाली बंधु, हंसराज हंस, गुंडेचा बंधु, शुभा मुदगल, नुसरत फतेह अली खां, परवीन रंगीली, शंकर-शंभू, गुलाम फ़रीद साबरी, मकबूल साबरी, असलम साबरी विशेष रुप से स्मरणीय हैं। संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान ने सूफ़ी क़व्वाली-''ख़्वाजा मेरे ख़्वाजा'' सन् 2008 में बुम्बई फिल्म -'जोधा अकबर' में पेश की, इनको सुनकर यही अनुभव होता हैं कि हम सभी ईश्वर या ख़ुदा के दरबार में पहुंच चुके हैं। अब इसी सूफ़ीज़्म की रोशनी को फैलाने वाले सूफ़ी आर्ट फेस्टिवल का आयोजन ख़्वाजा साहब की दरगाह में किया गया, आयोजक सलमान साहब बताते हैं, इसमें ख़्वाजा साहब के संदेशो, सूफ़ी संगीत की कविताओं, सूफ़ी आर्ट ऑफ कैलीग्राफी और अध्यात्म की अवधारणा के प्रचार पर काम होता है। अजमेर से देशभर में प्रचलित हुये चिश्तिया सूफ़ी सिलसिले के बारे में सुलतान ने बताया कि 11 वीं शताब्दी में इस सिलसिले को अपना नाम अफ़ग़ानिस्तान के 'हैरात' शहर के पास मौजूद एक गाँव चिश्त-ए-शरीफ़ से मिला और इसके संस्थापक हज़रत अबू इश्क़ शामी ने मानवता की सेवा से लोकप्रियता पाई। सलमान कहते हैं कि सूफ़ी मत सर्वशक्तिमान से करीब होना सिखाता है साथ ही वह खिदतम-ऐ-खल्क यानि मानवता की सेवा पर भी ज़ोर देता है। इसमें अल्लाह को इतनी तनमयता से याद किया जाता है, कि दरवेश ख़ुद को उनके क़रीब महसूस करते हैं और संगीत के द्वारा समां की स्थिति में पहुचां जा सकता है। सलमान बताते हैं कि भारत में ख़्वाजा साहब के बाद- बख़्तियार काकी, बाबा फ़रीद, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसे सूफ़ी संतों ने चिश्तिया सिलसिले को आगे बढ़ाया वहीं फ़रीदी निज़ामी और साबरी जैसे सिलसिलों के ज़रिये ख़्वाजा साहब के संदेश आगे बढ़े। इसी सिलसिले में 'धिकार', 'हदूज', ख़लवा' को सूफ़ी संतों ने अपनाया और चिश्तिया परम्परा चलती रही। इसी संदर्भ में सिडनी में बसे बंगलादेशी 'मरु मारुफ' रहमान मुस्लिम सम्प्रदाय जेन एक्स को रिप्रेसेन्ट करते हैं। उन्होनें स्वयं दरगाह में जाकर यह अनुभव किया कि सूफ़ीज्म को समझाने के लिये अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बस चीजों को महसूस कीजिये तो अनोखा सुकून मिलेगा। उक्त प्रदर्शनी में अमेरिका से आई ओवा ने सूफ़ी सेन्टर- के द्वारा कैलिग्राफी और इमेजेस का प्रदर्शन किया इस फेस्टिवेल में ख़्वाजा साहब की दरगाह में आने वाले ज़ायरीन चिश्तिया सूफ़ी सिलसिले पर जानकारियां देती कैलीग्राफी, तस्वीरों, पेन्टिंग्स, सैकेंड प्रिंटस- आदि को देख सकते हैं। महफ़िल-ए-समां व क़व्वालियों का भी आयोजन होता है। फेस्टिवल के लिये तुर्की एम्बेसी अपने देश की राजधानी इस्तामबुल के तोपकापी सराय म्यूजियम से सेकेंड प्रिंट उपलब्ध करवा रही हैं। डॉ सैयद नजमुल चिश्ती की बनाई पेटिंग्स, एम.एफ. हुसैन और साहद उजबुदक की बनाई सूफ़ी आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, क़यामुद्दीन निजामी के सूफ़ी दर्शन पर आधारित ग्राफिक्स, शमीमां कुरैशी के अरेबिक कैलीग्राफी वाले सेरेमिक पॉट भी प्रमुख आकर्षण रहें। मूलरुप से इस आयोजन में देश-विदेश के सूफ़ी कलाकार और संग्रहकर्ता शामिल हुए अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि सूफ़ी संगीत का आज सर्वत्र प्रचार है और यह अपने सुरों की रोशनी को युगों -युगों तक फैलाता रहेगा।

सूफ़ीज्म के प्रचार के लिये प्रति वर्ष सघन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जैसे 'एकतारा भारत 2009' में

सूफ़ीज्म के अंतर्गत कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली शोध कार्य, डाक्युमेन्ट्री फिल्म्स, म्यूज़िक एलबम शैक्षणिक विधायें व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी वर्ष एकतारा संस्था द्वारा दो सघन कार्यशालाओं में सूफ़ी संगीत व क़व्वाली का आयोजन प्रसिद्ध संगीत शास्त्रज्ञों व संगीतज्ञों द्वारा हुआ जिसमें प्रो. मदन गोपालसिंह-दिल्ली, आत्माराम बकाई चण्डीगढ़, हयात ख़ान निज़ाम क़व्वाल फहीमुद्दीन डागर- ध्रुव सांगरी आदि ने भाग लिया साथ ही में संगीत शास्त्रज्ञ दिल्ली के सूफ़ी ''खानकाहों'' के दर्शनार्थ गयें। इसी प्रकार दूसरी कार्यशाला फरवरी 2010 में 6 से 14 फरवरी तक एकतारा संस्था द्वारा दिल्ली में सूफ़ी संगीत क़व्वाली पर आयोजित की गई। उसमें अमीर खुसरो और बुले शाह द्वारा लिखित सूफ़ी कवितायें जो उत्तर भारत व पाकिस्तान में प्रचलित है सुनाई गई। इस संस्था के अनुसार ये सूफ़ी कवितायें केवल भारत में ही नहीं वरन ऐशियाई देशों से भी हमारा सम्बन्ध बनाये रखेंगी।

इस प्रकार से सूफ़ीज्म से जुड़े कार्यक्रमों के द्वारा मनुष्य में विश्व बंधुत्व की भावना, प्रेम व श्रद्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा और इसका सर्वत्र प्रचार होकर रोशनी फैलती रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Sufi Music Correct & Whirling, Ceremony by the Sufi Group of Istanbul Galata Mevelvi lodge,*
2. *Aine-e-Akbari by Abul Fazal*
3. *Turkish Mystic Music & Dance.*
4 *Interview -Mr. Salman organiser Sufi Festival Ajmer and Mr. Asghar Hussein Shahi qawaal, Dargah Sharif Ajmer.*

अर्वाचीन संस्कृत गीतकार डॉ. रमाकान्त शुक्ल की कृति 'भाति मे भारतम्' में राष्ट्रीय चेतना

डॉ. ऋतु दीक्षित
प्रवक्ता, एल.एम.एस. डिग्री कॉलेज,
इशारा नगर, सकीट, एटा, (उत्तर प्रदेश)

shodhshree@gmail.com

साहित्य वह सागर है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आकर ज्ञान-विज्ञान की धारायें समाविष्ट हो जाती हैं। साहित्य में समाज के वे समस्त विषय-स्तम्भ समाहित हो सकते हैं, जिनका सम्बन्ध हमारे जीवन से है। विभिन्न जीवन संघर्ष, उत्थान-पतन, उन्नति-अवनति, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक आदि सभी स्थितियाँ उसमें समाहित हो सकती है। इन सभी स्थितियों में भावात्मकता, काल्पनिकता, बौद्धिकता तथा शैली इन चारों काव्य तत्त्वों का भी समावेश हो जाता है। काव्य में भावपक्ष की प्रधानता प्राचीन काल से चली आ रही है। इसमें जहाँ रसात्मकता सर्वप्रमुख रुप में स्वीकृत है, वहाँ भावुकता उसी से अनुस्यूत होने के कारण स्वत: समाहित हो जाती है। इस कारण देश प्रेम और राष्ट्रीयता जैसे भाव काव्य की शोभा का और भी वर्द्धन करते हैं, क्योंकि इनसे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की पूर्ति होती है।

डॉ. रमाकान्त शुक्ल अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के ऐसे समर्थ और सशक्त कवि हैं जिन्हें संस्कृत भाषा का राष्ट्रकवि भी कह सकते हैं। इन्होंने देश-प्रेम और राष्ट्रीयता से परिपूर्ण अनेक ग्रन्थ रत्नों का निर्माण किया है। उनमें 'भाति मे भारतम्' एक ऐसा गीतकाव्य है, जो राष्ट्रीय चिन्तन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखता है। इस काव्य में कवि ने एक सौ आठ छन्दों में अपने देश-प्रेम एवं राष्ट्रीय गौरव की व्यापक एवं सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की है। सन् 1980 में प्रकाशित इस रचना में कवि ने बारम्बार देश-प्रेम की भावना को अभिव्यक्त कर 'राष्ट्रदेव' के प्रति श्रद्धा अर्पित की है।

गीतकाव्य के आरम्भ में ही 'समर्पणम्' नामक शीर्षक में कवि का देशानुराग वर्णित हुआ है, वे कहते हैं-- भारत मेरा परम सहारा है, मैं प्यारे भारत का नित्य ही स्मरण करता हूँ, भारत से ही मेरा जीवन जीवन है, मेरी समस्त चेष्टाएँ भारत के लिए समर्पित हैं, भारत से ही मुझे भूतल भूतल दिखाई देता है। भारत की प्रतिष्ठा मेरे मन में समायी है, मैं तो भारत में विश्वेश्वर भगवान् का दर्शन करता हूँ। धरती के सिंगार भारत! तुझे नमस्कार है--

भारतं वर्तते मे परं सम्बलं,
भारतं नित्यमेव स्मरामि प्रियम्।
भारतेनास्ति मे जीवनं जीवनं,
भारतायार्पितं मेऽखिलं चेष्टितम्।।[1]

राष्ट्रीय भावना के विषय में कहें तो किसी एक निश्चित भू-भाग, एक भाषा, एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही संस्कृति के सूत्र में बँधे हुए लोगों में जो एकत्व की भावना होती है, वही राष्ट्रीय भावना कहलाती है।

आचार्य रमाकान्त शुक्ल जी ने 'भाति मे भारतम्' नामक गीत विधा में राष्ट्रीय भावना का स्वर सबल रखने में अपनी समस्त शक्ति का उपयोग किया है। ग्रन्थ के आरम्भ में उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को

ISSN 2277-5587

उद्घोषित करते हुए अपने देश भारत की प्रशस्ति की है। कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ अपने देश भारत की प्रशंसा में कहा है कि मनुष्यों के द्वारा अत्यन्त सम्मानित, दानवों के द्वारा अबाधित, देवताओं के द्वारा आराधित, सज्जनों के द्वारा आसाधित, पण्डितों के द्वारा पूजित तथा पक्षियों के द्वारा कूजित मेरा भारत भूतल में अनवरत सुशोभित हो रहा है, यथा--

मानवामानितं दानवाबाधितं,
निर्जराराधितं सज्जनासाधितम्।
पण्डितैः पूजितं पक्षिभिः कूजितं,
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्।।[2]

आचार्य रमाकान्त शुक्ल जी की देश प्रेम पद्धति में व्यापक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि उन्होंने इसकी विभिन्न विशेषताओं पर गम्भीरता से प्रकाश डाला है। यहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता में अभिन्नता की जो चमत्कृति विद्यमान है, उसे भी उन्होंने अपनी भावभूमि में उकेरा है। भारतीय आदर्शवाद तथा विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों से गौरवान्वित इस देश को उन्होंने भूतल का आदर्श माना है, उनकी दृष्टि में गंगा, यमुना तथा नर्मदा आदि विभिन्न सरिताएँ प्रेरणा का स्रोत हैं। हिमालय, विन्ध्याचल तथा सुमेरु आदि पर्वत हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं। विश्वनाथ, महाकालेश्वर तथा वेंकटेश्वर मन्दिर आदि हमारी आराधना के केन्द्र-बिन्दु हैं। यहाँ पर विभिन्न देवी-देवताओं की आराधना होती है और आस्था के विभिन्न रुप देखने को मिलते हैं। यहाँ अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष सभी की साधना होती है, भक्ति और ज्ञान के अद्भुत समन्वय की साधना यहाँ की विशेषता है।

अर्थकामान्वितं धर्ममोक्षान्वितं,
भक्तिभावान्वितं ज्ञानकर्मान्वितम्।
नैकमार्गैः प्रभुं चैकमाराधयद्
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्।।[3]

कवि ने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि यह वह देश है, जहाँ विविध भाषायें बोली जाती हैं, उनका पठन-पाठन होता है, उनके साहित्य का सम्मान होता है, यदि वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषायें हों अथवा तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ आदि आधुनिक दक्षिण भारतीय भाषाएँ अथवा अंग्रेजी आदि पाश्चात्य भाषाएँ हों, इन सभी से हमारा राष्ट्र भारत वृद्धि को प्राप्त होता है।

संस्कृतं प्राकृतं तामिलं तेलुगुं
कन्नड़ं कैरलीं वा लामा लाम्
वाचमन्यां च तां तां ध्रुपद वर्धते
राष्ट्रभाषायुतं मामकं भारतम्।।[4]

देश के सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण करते हुए कवि ने दिखाया है कि ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम्, कूचिपूडि, कथक, डाँडियारास, कथकली, गरबा तथा भांगड़ा नृत्य आयोजित होते रहते हैं, यथा--

ओडिसीं, मणिपुरीं कथक - गर्बादिकं
कूचिपूडिं च गिद्दां छऊं भडाम्।
कथकलीं डाण्डियां भरतनाट्यं दधद्
भूतले भातिमेऽनारतं भारतम्।।[5]

धार्मिक सहिष्णुता के विषय में कवि उल्लेख करते हैं कि यहाँ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर और आर्य समाज मन्दिर सभी में अपने-अपने ढंग से धर्म के रुप में जीवन के मर्म को समझने-समझाने की चेष्टा हुई है।

यह वह देश है जहाँ विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, शस्त्रविज्ञ, शास्त्रवेत्ता, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यासी अपने-अपने स्थान पर सुशोभित हैं। प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालते हुए कवि ने बताया है कि यह वह देश है जहाँ पर शक, हूण, म्लेच्छ, यवन आदि विभिन्न जातियाँ आकर लय हो गयीं। इस देश में स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी, स्वामी विवेकानन्द, योगीराज अरविन्द जैसे आधुनिक समाजसेवी, गोखले, बालगंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रप्रेमी उत्पन्न हुए।

कवि ने अपने देश के त्याग, बलिदान शौर्य भावना और विभिन्न आदर्शों का स्मरण करते हुए सत्यं, शिवं तथा सुन्दरं की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया है। उन्होंने अमर शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चन्द्र बोस तथा लाला लाजपत राय आदि देशभक्तों तथा उनकी वीरता का बड़े आदर के साथ स्मरण किया है।

साधकैस्सरिध्यात्मचिन्तापरै -
देशभक्तैर्विपश्चिरिपूजितम्
कर्षकैः कार्मिकैः स्विन्नगात्रैर्युतं,
भूतले भातिमेऽनारतं भारतम्।।[6]

कवि ने देश की विपन्न स्थिति का भी चित्रण किया है। सज्जनों की दुर्गति व गृह बधुओं की विपन्नता की स्थिति पर व्यथा प्रकट करते हैं। अपने देश में बेरोजगारों की समस्या देखकर उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है। भूखे, प्यासे, भोले-भाले दु:खी भारतीयों को देखकर उनके चित्त को आन्तरिक क्लेश हुआ, किन्तु ऐसे लोगों में भी स्वाभिमान सुरक्षित है, इस तथ्य का उल्लेख प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है--

यत्र नग्ना सुधार्ता अगेहा अपि
स्वाभिमानं जहत्येव नो मानवाः।
यत्र दृप्तं निरीहस्तृणं मन्यते
भूतले भाति तन्मामकं भारतम्।।[7]

इस प्रकार कविवर रमाकान्त शुक्ल ने 'भाति में भारतम्' काव्य में भारत देश के वैदिककालीन गौरव से लेकर अद्यतन गौरव की अत्यन्त सरस एवं प्रभावपूर्ण झाँकी प्रस्तुत की है। प्रत्येक पंक्ति में

उनका देशानुराग झलकता हुआ प्रतीत होता है। राष्ट्रप्रेम की इतनी वास्तविक भावपूर्ण अभिव्यक्ति निश्चय ही कोई देशानुरागी ही कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *भाति मे भारतम् : समर्पणम् : पृ. 3।*
2. *वही : श्लोक संख्या 3।*
3. *वही : श्लोक संख्या 22।*
4. *वही : श्लोक संख्या 23।*
5. *वही : श्लोक संख्या 33।*
6. *वही : श्लोक संख्या 70।*
7. *वही : श्लोक संख्या 84।*

 ISSN 2277-5587

पर्वतीय उच्च शिक्षा : समस्याएँ एवं समाधान

डॉ. अनीता सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, एम.बी.पी.जी. कालेज, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)

shodhshree@gmail.com

व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रीय जीवन में उच्च शिक्षा के असाधारण महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उस पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य को देखते हुए विचारशील तथा कौशलपूर्ण शैक्षिक व्यवस्थापन करने पर उच्च शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास को गति तथा दिशा प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा में मुख्यत: महाविद्यालयीन शिक्षा का समावेश होता है। इसमें भी स्थूल रुप में दो भेद हो सकते हैं। 1. पारंपरिक शिक्षा - जिसमें मूलभूत विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, वाणिज्य, भाषाविषयक शिक्षा तथा 2. तंत्रशिक्षा - जिसमें विज्ञान के सहारे मनुष्य का जीवन स्तर बढ़ानेवाला ज्ञान दिया जाता है, जैसे इंजिनियरिंग, मेडिकल, औषध निर्माण शास्त्र आदि का समावेश होता है।[1] पर्वतीय क्षेत्र में पारंपरिक विद्याशाखाएँ ज्यादा प्रचलित हैं। भविष्य के संकेतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक सजग होने की आवश्यकता है। अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता का विकास, परीक्षा पद्धतियों में सुधार, स्वायत्त महाविद्यालयों की निर्मिति, विश्वविद्यालय कानून में सुधार जैसे कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर उच्च शिक्षा का चित्र भविष्य में कुछ अलग हो सकता है। वैश्वीकरण के माहौल को देखते हुए उच्च शिक्षा के सामने खड़ी हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालयों को आधुनिक संकल्पनाओं को आत्मसात करते हुए उचित कृति कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। आज की वर्तमान पर्वतीय उच्च शिक्षा विशेषत: पारंपरिक शिक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ कृति कार्यक्रमों पर बल देने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा : संख्यात्मक वृद्धि

देश की स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा को लेकर भारतीय राजनीतिक तथा प्रशासकीय घटक उतने गंभीर नहीं थे। किंतु उच्च शिक्षा के महत्त्व को वह ज्यादा देर तक नजर अंदाज नहीं कर सके। उसी के परिणामस्वरूप आज उच्च शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। डॉ. सर्जेराव निमसे के अनुसार- ''भारतीय उपखंड में अंग्रजों ने उच्च शिक्षा की शुरुआत 1857 में मुंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे विश्वविद्यालय स्थापना कर की। उसके पहले बिलकुल कम मात्रा में उच्च शिक्षा की सुविधा थी। सन् 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तब बीस से भी कम विश्वविद्यालय और एक हजार से कम महाविद्यालय, इस देश में उच्च शिक्षा का कार्य कर रहे थे। आज अभिमत विश्वविद्यालय मिलाकर 450 से भी अधिक 1 विश्वविद्यालय, 20 हजार महाविद्यालय तथा 1 करोड़ 22 लाख से अधिक छात्र विविध विद्याशाखाओं में उच्च शिक्षा ले रहे हैं।''[2] स्पष्ट है कि संख्यात्मक दृष्टि से भारत ने उच्च शिक्षा में पर्याप्त प्रगति की है और भविष्य में भी यह प्रगति बरकरार रहेगी इसमें संदेह नहीं।

गुणात्मक वृद्धि

उच्च शिक्षा संस्थाएँ तथा छात्रों की संख्या में पीछले दस-पंद्रह सालों से काफी बढ़ोत्तरी हुई है किंतु संख्यात्मक वृद्धि करने के मोह में हम उच्च शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि की ओर नजर अंदाज कर रहे हैं यह

निश्चय ही भविष्य में विकास की दृष्टि से घातक सिद्ध हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पारंपरिक शिक्षा जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसी विधाशाखाएँ शिक्षा का कार्य करते हैं। किंतु उन संस्थाओं की अवस्था काफी निराशाजनक है। इस संदर्भ में नागनाथ कोत्तापले की टिप्पणी काफी मार्मिक हैं। वे कहते हैं –''नई शिक्षा संस्थाएँ सरकारी अनुदान के भरोसे महाविधालय निकालते हैं। पहले ऐसी संस्थाओं को हप्तों-हप्तों में अनुदान दिया जाता था। आज नहीं तो कल अनुदान मिलेगा इस विश्वास पर संस्थाचालक महाविधालय चलाते थे। अध्यापक भी बिना पारिश्रमिक लिए आधे पेट पढ़ाने का कार्य करते थे। किंतु पिछले कुछ सालों से 'स्थायी रुप से बिना अनुदानित' तत्व पारंपरिक महाविधालयों के लिए लागू किया है। इस कारण ऐसे महाविधालयों में एम.ए., एम.फिल. हुए छात्र कहीं बिना पारिश्रमिक लिए तो कहीं हजार-पाँच सौ पर पढाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अध्यापकों का शिक्षा में मन कैसे लगेगा? वह छात्रों को क्या पढाएँगे और छात्र भी क्या पढ़ेंगे ? ऐसे महाविधालयों में पढ़ने वाले छात्र पर्वतीय, ग्रामीण, दलित, शोषित समाज के हैं। उनके लिए इस तरह के सुविधा न होने वाले महाविधालय हैं। प्रयोगशालाएँ नहीं हैं। ग्रंथालय नहीं हैं। अध्यापकों का वेतन न होने के कारण वे त्रस्त हैं। ऐसे छात्रों को उपाधियाँ तो मिलती हैं किंतु इन उपाधियों का कोई उपयोग नहीं होता है। इस तरीके से उपाधि मिलने के कारण उनमें किसी प्रकार का आत्मविश्वास पैदा नहीं होता है जिसके कारण वे किसी निजी क्षेत्र या खुद के व्यवसाय में खडे नहीं हो सकते।''[3] अत: कहना होगा कि सरकार को 'स्थायी रुप से बिना अनुदानित' जैसे तत्त्व हमेशा के लिए बंद करने होंगे। तभी पर्वतीय क्षेत्र की उच्च शिक्षा में विशेषत: पारंपरिक शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।

रोजगाराभिमुख शिक्षा पर बल

चीन के एक तत्वज्ञ कन्फयुशियस का एक कथन है कि ''नौकरी की अपेक्षा न रखते हुए उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वाला कोई छात्र दिखाई देने की संभावना बिलकुल कम है।''[4] करीब 45 साल पहले इग्लेंड के उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वाले रॉबिन्स आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह कथन उद्धृत किया है। कहने का मतलब यह है कि उच्च शिक्षा लेने के पीछे नौकरी यह प्रेरणा और प्रयोजन प्रारंभ से आज तक रहा है। आज के उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा अगर कोई है तो यह कि इन छात्रों को नौकरी या रोजगार की दृष्टि से तैयार ही नहीं किया जाता। आज उच्च शिक्षा में आने वाले छात्रों का प्रमाण केवल सात प्रतिशत है जिस पर सभी को दु:ख होना स्वाभाविक है। अब यह प्रमाण पंद्रह प्रतिशत तक ले जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। इसके लिए नए महाविधालय तथा विश्वविधालय खोले जाएँगे। यह एक तरह से अच्छी बात है किंतु सात प्रतिशत में से ही अगर पचास प्रतिशत उच्च शिक्षित रोजगारविहीन है तो यह संख्या पंद्रह प्रतिशत तक जाने के बाद स्थिति क्या होगी इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की जरुरत है।

आज बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त छात्र निराश होकर रास्ते पर गर्दन झुकाएँ घुमते हुए दिखाई देते हैं। बी.एड., एम.फिल., पीएच्.डी. तथा सेट-नेट हुए छात्रों को लाखो रुपए संस्थाओं को दान दिए बगैर नौकरी नहीं मिलती। दलित, गरीब तथा वंचित छात्रों को इस स्थिति का गहरा सामना करना पडता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ उच्च शिक्षा में वृद्धि करने से कुछ नहीं होगा तो छात्र को अपने पैरों पर खड़े होने लायक शिक्षा देने की जरुरत है। स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। विशेषत: वैश्विकरण के युग में स्तरहीन शिक्षा के कारण युवाओं के हाथ में निराशा ही आएगी। इससे बचने के लिए आधुनिक काल में रोजगाराभिमुख शिक्षा के अलावा कोई अन्य पर्याय नहीं है। शासन के स्तर पर तथा पारंपरिक शिक्षा देनेवाली संस्थाओं ने इसके बारे में सचेत होने की सबसे अधिक जरुरत है।

शासन की भूमिका

उच्च शिक्षा में शासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है जिसके उचित निर्वाह की आवश्यकता होती है। शासन स्तर पर उदासिनता के कारण सारी शिक्षा संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है जिसके परिणामस्वरुप उच्च शिक्षा से पर्वतीय क्षेत्र के छात्र वंचित रह रहे हैं। साथ ही आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने हेतु तथा लोगों का सहभाग बढ़ाने के उद्देश्य से लाया 'बिना अनुदान' (Non Grantable) तत्त्व आज उच्च शिक्षा के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इन संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है जिसके कारण यह उच्च शिक्षा व्यवस्था विघातक रुप ले रही है। इस स्थिति पर गंभीरता पूर्वक सोचते हुए शासन को अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं फेरना चाहिए। वेतन के लिए पैसे नहीं है इस तरह के बहाने बनाकर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है जिसके परिणामस्वरुप उच्च शिक्षा का स्तर घट रहा है। विशेषत: की पर्वतीय क्षेत्र में इस समस्या ने गंभीर रुप धारण किया है। यह छवि बदलने के लिए शासन को आर्थिक स्तर पर उच्च शिक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा।

समाज के सभी घटकों के लिए अवसर

उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रगत और स्तरीय शिक्षा के साथ-साथ समाज के सभी घटकों को अवसर मिलने की आवश्यकता है। सदियों मुख्य धारा से वंचित समाज घटकों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए उच्च शिक्षा जैसा कोई माध्यम नहीं है। सामाजिक तथा आर्थिक दुर्बल घटकों तक उच्च शिक्षा पहुँचने के लिए उच्च शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की जरुरत है। आज व्यावसायिक शिक्षा का निजीकरण हुआ है जिसका रुप खुले बाजारीकरण ने

लिया है जिसके कारण दुर्बलों के लिए यह शिक्षा लेना मुश्किल बन गया है। उस पर तात्काल सामाजिक नियंत्रण लाने की शासन की जिम्मेदारी है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उपेक्षितों की शिक्षा में आनेवाली विविधांगी समस्याओं की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखने के निर्देश दिए हैं। आज तक उच्च शिक्षा में समान अवसर प्राप्त न हुए अनेक घटक हैं, वह उपेक्षित न रहे। इसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतू जनजाति, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटक आदि का समावेश होता है। इनका उच्च शिक्षा के प्रवाह में आना तथा अधिकाधिक उच्चस्तर तक जाना आवश्यक है। वंचितों को प्रोत्साहन के रुप में अनुदान, छात्रवृत्तियाँ देने की योजनाएँ बनानी चाहिए।

विश्वविधालय तथा ग्रामीण पर्वतीय महाविधालय - विचार, व्यवहार तथा कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता

राज्य स्तर के विश्वविधालय, पारंपरिक तथा ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र के महाविधालयों को भविष्य में विदेशी तथा अभिमत विश्वविधालयों का सामना करना है। साथ ही वैश्वीकरण तथा निर्जीकरण के माहौल को देखते हुए अपने परंपरागत विचार, व्यवहार तथा कार्य प्रणाली में अमूलाग्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जैसे-

1. महाविधालयों में जानकारी तथा तंत्रज्ञान का इस्तमाल करने के लिए सुयोग्य वातावरण तैयार करना होगा। 'राष्ट्रीय ज्ञान आयोग' (National Knowledge Commission) की शिफारिस के अनुसार सभी विश्वविधालय तथा महाविधालय ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हीटी से जोड़ने तथा सभी महाविधालयों में इंटरनेट की सुविधा की आवश्यकता पर बल दिया है जिसका अमल हर संस्था ने करना होगा।

2. अध्यापन पद्धति में परिवर्तन हो। सिर्फ 'जानकारी' पद्धति की शिक्षा देने के बदले उस विषय के ज्ञान के साथ-साथ छात्र का उस विषय में कौशल कैसे विकसित होगा इसके बारे में सोचना होगा।

3. पारंपरिक अध्यापन पद्धति की ओर छात्र आकर्षित नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण छात्रों की अनुपस्थिति की मात्रा बढ़ रही है। महाविधालयों में 'चॅलेंजिंग' तथा बुद्धि को चलाने वाली शिक्षा नहीं मिलती। इसके लिए अध्यापन में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग बड़ी मात्रा में करने की जरुरत है।

4. प्रचलित परीक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर बल देना होगा। सत्र परीक्षा, क्रेडिट पद्धति, अंतर्गत परीक्षा, ऑन लाईन परीक्षा आदि उपक्रम शुरु करने चाहिए।

5. समय-समय पर अपने पाठ्यक्रमों में कालानुरुप तथा उपयोगी घटकों के समावेश की आवश्यकता है। आज की प्रचलित विद्याशाखाएँ विशेषत: कला, वाणिज्य तथा विज्ञान शाखा के पाठ्यक्रमों में कुछ मात्रा में व्यावसायिकता लानी होगी।

6. महाविधालयों ने रोजगारपरक कार्यक्रमों पर बल देना चाहिए। कुछ छात्र बुद्धिमान होते हुए भी संभाषण जैसी कलाओं में पीछे होते हैं। अत: इन विषयों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन तथा भविष्य में विदेशी सेवाओं के अवसर को देखते हुए विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिलाना आदि कृति कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए।

7. अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएँ आदि के साथ-साथ अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्वविधालयों में मिलने वाली साधन सामग्री महाविधालयों में भी मिलने के लिए महाविधालयों ने प्रयास करने चाहिए। जितना हो सके अध्यापकों के लिए 'शैक्षिक स्वातंत्र्य' मिलना चाहिए तभी वे मन से अध्यापन तथा ज्ञान निर्मिति की प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं।

8. जब तक महाविधालयों को स्वायत्तता नहीं मिलती तब तक महाविधालय स्वयंपूर्ण नहीं होंगे। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अपेक्षित विविधता, प्रयोगशीलता प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने के लिए तथा युगानुरुप शिक्षा के लिए स्वायत्तता की जरुरत है।

9. महाविधालयों में भ्रष्ट मार्ग से नहीं बल्कि गुणवत्ताधारक अध्यापकों का चयन होना चाहिए। ज्ञानी तथा अच्छे गुणों से युक्त अध्यापकों की शैक्षिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

10. महाविधालयों ने ग्रंथालय, प्रयोगशालाएँ आदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त कैसी होंगी उस पर ध्यान देना होगा। छात्रों को विविध शैक्षिक साधन उपलब्ध करवाने होंगे। ग्रंथालय में स्तरीय संदर्भ ग्रंथ, क्रमिक पुस्तकें, ज्ञानकोश, विविध विषयों की अनुसंधानात्मक पत्रिकाएँ तथा प्रयोगशालाओं में आवश्यक और पर्याप्त साधन सामग्री उपलब्ध करवानी होगी।

11. छात्र तथा अध्यापकों की शैक्षिक प्रगति हेतु महाविधालयों में तज्ञ विद्वानों को आमंत्रित करना चाहिए। इसके लिए व्याख्यानमालाएँ, सम्मेलन हो।

12. छात्रों के व्यक्तिमत्व विकास हेतु विविध विषयों पर व्याख्यान, चर्चासत्र, विविध प्रतियोगिताएँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कार शिविर आदि का आयोजन होने की आवश्यकता है।

13. ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों ने भी अपनी मानसिकता

बदलनी होगी। शिक्षा के साथ-साथ अन्य उपयोगी आधुनिक कौशल उन्होंने प्राप्त करने चाहिए, जैसे-संगणक का ज्ञान, तंत्रज्ञान की मूलभूत जानकारी, अंग्रेजी संभाजन कौशल आदि।

14. ग्रामीण क्षेत्र के संस्थाचालकों ने भी सेवाभावी वृत्ति से ज्ञानदान को पवित्र कार्य समझकर उच्च शिक्षा की ओर देखना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शालिनी एस शर्मा, योजना, वर्ष : 58, अंक : 9, सितंबर 2013, पृ. 33*
2. *प्रो. नागोराव कुभार ,'विचारशलाका' 'त्रैमासिक', अक्तूबर 07 से जून, 08 संयुक्त अंक ,पृ. 21*
3. *प्रसाद कुलकर्णी, 'प्रबोधन प्रकाशन ज्योति, मासिक पत्रिका, अगस्त, 2008, पृ.11*
4. *प्रसाद कुलकर्णी,'प्रबोधन प्रकाशन ज्योति, मासिक पत्रिका, अगस्त, 2008, पृ. 34*

ISSN 2277-5587

मालाणी के सिद्ध पुरुष रावल मल्लीनाथजी

डॉ. भंवरसिंह
बाड़मेर

shodhshree@gmail.com

एक योगी के आशीर्वाद से सिद्धपुरुष मल्लीनाथजी का जन्म मारवाड़ के राव सलखा और उनकी ज्येष्ठ रानी जाणीदे के यहां ज्येष्ठ पुत्र के रुप में हुआ था।[1] वे बाबा रामदेवजी के समकालीन थे। इनके जीवनकाल के तथ्यों के सम्बन्ध में विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये हैं यथा: स्व. शिवसिंह चोयल ने मल्लीनाथ का जन्म वि.सं. 1385 ईस्वी में होना बताया है।[2] जबकि राठौड़ वंशावलीयों एवं प. विश्वेश्वरनाथ रेऊ के अनुसार मल्लीनाथ जी का जन्म वि. सं. 1415 में हुआ था।[3] इतिहासकार डॉ. हुकमसिंह भाटी के अनुसार इनका जन्म चैत्र वदी पंचमी वि. सं. 1374 में हुआ था तथा बैशाख सुदी सप्तमी वि सं. 1400 में इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की एवं चैत्र सुदी द्वितीया वि. सं. 1458 में उनका देहावसान हुआ।[4] विश्वेश्वरनाथ रेऊ एवं जगदीशसिंह गहलोत ने उनका वि. सं. 1456 में देहावसान होना बताया है।[5] जोधपुर राज्य की ख्यात के आधार पर राजस्थानी के विद्वान डॉ. भवानीसिंह पातावत मल्लीनाथ जी का जन्म वि. स. 1395 (1338 ई.) में बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील के गोपड़ी ग्राम में तथा वि. स. 1456(1399 ई.) में डोडीयाली जिला जालौर में स्वर्गवास होना मानते हैं।[6] जबकि नैणसी री ख्यात में सन् 1358 ई. में उनका जन्म होना बताया गया है।[7] उपर्युक्त स्रोतों से स्पष्ट होता है कि सिद्ध पुरुष मल्लीनाथजी का काल चौदहवी शताब्दी ईस्वी रहा है। इस युग में भारत में इस्लाम का प्रचार-प्रसार प्रबल था। हिन्दु समुदाय पर संकट के बादल छाये जा रहे थे। इस संक्रमणयुगीन प्रतिकूल परिस्थितियों में सिद्ध पुरुष मल्लीनाथजी के जन्म के बाद राठौड़ों के इतिहास में एक नया मोड़ आया और आगे चलकर मारवाड़ में स्थायी सत्ता (जोधपुर राज्य की स्थापना) कायम करने का सपना साकार हुआ। सिद्ध एवं चमत्कृत महापुरुष मल्लीनाथ का जन्म होते ही उनके पिता सलखाजी की भाग्य रेखाएं प्रकाशमान हो उठी। जनमानस में प्रसिद्ध है कि मल्लीनाथ के जन्म होने के पश्चात् जब उसकी 'आंवल' भूमि में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया उस समय वहाँ स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बड़ा चरु (पात्र) मिला था।

मल्लीनाथ को बाल्यावस्था में घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी के खेल प्रिय थे। शीघ्र ही वे युद्ध विद्या में प्रवीण हो गये। लेकिन 12 वर्ष की अवस्था में पिता का स्वर्गवास होने पर उन्हे गहरा धक्का लगा। पिता की मृत्यु के पश्चात् महेवा शासक चाचा कान्हड़दे के पास पहुंचे एवं चाचा कान्हड़दे के शासन कार्यो में हाथ बटाने लगे। मल्लीनाथ के बुद्धिचातुर्य, साहस एवं वीरता के कार्यो से कान्हड़दे काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कान्हड़दे से महेवा राज्य का तीसरा हिस्सा प्राप्त कर चाचा कान्हड़ का आशीर्वाद लेकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया।[8] उन्होंने कालान्तर में कान्हड़दे के उतराधिकारी त्रिभुवनसी को जालौर के खान की सहायता से पदच्युत कर दिया तथा 1374 ई. में वे सम्पूर्ण महेवा-खेड़ राज्य के स्वामी बन गए।[9] इसी दौरान दिल्ली के बादशाह से भेंट की एवं 'रावल' की उपाधि प्राप्त की।[10]

रावल की उपाधि उन्हे किसी योगी द्वारा भी दी गई थी।[11] रावल मल्लीनाथजी ने मंडोर, मेवाड़, आबू और सिंध पर आक्रमण कर मुसलमानों को खेदड़ना प्रारम्भ किया। तब फिरोज तुगलक के काल में मुसलमानों की एक विशाल सेना ने सन् 1378 ई. में तेरह दलों[12] के रुप गुजरात एवं मालवा सुबेदार निजामुदीन के नेतृत्व में महेवा राज्य पर आक्रमण किया। जिन्हे मल्लीनाथ ने बहादुरी से परास्त किया था। इस सम्बंध में वह दूहा आज भी प्रसिद्ध है:-

 ISSN 2277-5587

'तेरह तुंगा भांजिया माले सलखाणी।'[13]

उन्हानें अपने पराक्रम से स्वयं के राज्य का विस्तार किया। साथ ही अपने भाई वीरमदे के पुत्र चूंडा को भी आश्रय दिया तथा उसे काठा[14] (गुजरात) का प्रशासक नियुक्त किया। फिर सालोड़ी (मंडोर) की जागीर भी उसे सौंपी। उन्होंने अपने भतीज चूंडा को मंडोर एवं नागौर से मुसलमानों को खदेड़ने में भी सहायता की थी। चूंडा को मंडोर विजय के उपलक्ष में मल्लीनाथजी ने मंडोर पहुंचकर चूंडा को आशीर्वाद दिया एवं मंडोर की राजगद्दी पर बिठाकर मंडोर का शासक घोषित किया था।[15] इस सम्बन्ध में मल्लीनाथजी की यह उक्ति लोकप्रसिद्ध है:- ***माला रा मढे ने वीरम रा गढे।*** अर्थात् आज से मल्लीनाथ के वंशज मढ़ (धोरां वाला प्रदेश खेड़ महेवा) में एवं वीरम के वंशज गढ़ में रहेंगें। सिद्ध पुरुष मल्लीनाथजी का यह सद्वचन सत्य सिद्ध हुआ। कालान्तर में राव जोधा ने जोधपुर एवं राव बीका ने बीकानेर गढ़ स्थापित किये। मल्लीनाथजी ने अपने सम्बंधियों को सिवाना, खेड़ और ओसियां की जागीरें[16] प्रदान की तथा पड़ौसी राज्य जैसलमेर के तत्कालीन शासकों से वैवाहिक सम्बंध स्थापित कर सम्बंधों को ओर मजबूत किया। जैसलमेर के निर्वासित शासक घड़सी भाटी को मुसलमानों के विरुद्ध सहायता प्रदान करके पुन: राज्य दिलवाया।[17] उन्होंने बाबा रामदेवजी के पिता अजमालजी तँवर को भैरव राक्षस के तांडव से उजड़ा क्षेत्र पोकरण प्रदान किया था।[18] इस प्रकार उन्होने भाई-भाई के मध्य विवाद या झगड़ा पनपने का अवसर नहीं दिया। अपितु उनका स्नेह प्राप्त कर राठौड़ शक्ति के विकास में अर्पित किया और राठौड़ सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। वे दूरदर्शी एवं भविष्य दृष्टा थे, उन्होने दिल्ली सुल्तान द्वारा भेजे गए किरोड़ियों को जीवनदान दिया था तथा दिल्ली सुल्तान से भेंट करके राजनैतिक सम्बंध स्थापित कर साम्प्रदायिक सद्भावना स्थापित की थी।[19]

रावल मल्लीनाथ वीर योद्धा एवं कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ साहित्य एवं कला के संरक्षक भी थे। उन्होने विद्वान मेहा रोहड़िया एवं मोकल जी बारहठ को सांबरा और बागुण्डी तथा वि. सं. 1437 में बालजी बारहठ को गूंगा गांव दान में देने के अतिरिक्त चारण कवियों को बारह गांव दान में प्रदान किये थे।[20]

बारे गाम बगसिया, दिन हे के अवदाल।
चारण घणो चितारसी, महिपत रावल माल।।

वे धर्म सहिष्णुता के पोषक थे, उनके राज्य में जैन धर्म का काफी विकास हुआ था। उन्होनें खेड़ एवं उसके आस-पास कई स्थानों पर जैन देवालयों का निर्माण करवाया था जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। उनके राज्य में जैन आचार्यो ने चतुर्मासों का आयोजन भी किया था।[21]

उनका प्रथम विवाह देवड़ा राजकुमारी चन्द्रवल से तथा दूसरा दूधवा ग्राम (बालोतरा) के परमार राजपूत कृषक बाला बदरा की पुत्री रुपांदे से हुआ था। रुपांदे का मूल नाम 'यशोदा' था।[22] वह बाल्यावस्था से शिव की परमभक्त थी तथा जैसलमेर रावल के पुत्र एवं महान् सिद्धयोगी भाटी उगमसी की शिष्या थी। भक्त धारुमेघ उसका गुरु भाई था। शिकार के दौरान मल्लीनाथजी की रुपांदे से भेंट हुई थी। रुपांदे अत्यन्त रुपवती होने के साथ-साथ सिद्धयोगी उगमसी की शिष्या होने से अलौकिक बालिका थी।[23]

रुपांदे के अलौकिक कार्य से प्रभावित होकर मल्लीनाथजी ने उससे विवाह किया था।[24] रुपांदे के पिता ने कन्यादान में उसकी इच्छानुसार पाडल गाय, गंगाजल घोड़ा, नाग, करामाती काम्बड़िया, तन्दूरा (एकतारा) एवं गुरु भाई धारु मेघवाल को भेंट में दिया था।[25] शिकार हेतु आये मल्लीनाथ नवविवाहित पत्नि रुपांदे के साथ महेवा लौटे।[26] राणी रुपांदे ने विवाह के पश्चात् भी अपनी भक्ति एवं योग साधना जारी रखी। गुरु उगमसी की आज्ञानुसार प्रत्येक मास की शुक्ल द्वितीया को सात घरों से भिक्षा प्राप्त कर कामड़िया पंथ साधुओं को दीक्षा में देती रही। वह धारुमेघ के साथ सत्संग करती थी।

साध्वी रानी रुपांदे की प्रेरणा से ही सन् 1389 ई. में मल्लीनाथजी ने गुरू उगमसी से दीक्षा प्राप्त की और उनके शिष्य बने। लगभग एक मास तक गुरुजी को अपने महल में रखा एवं उनसे पूरी विद्या ग्रहण करने के पश्चात् विदा किया।[27]

राजसत्ता भोग के साथ-साथ आध्यात्मिक उत्थान हेतु पति-पत्नि दोनों ने निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति में आसक्त होकर सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने तत्कालीन युग में व्याप्त झूठी मर्यादाओं, सामाजिक कुरितियों, धार्मिक कट्टरता एवं बाह्य आडम्बरों का पर्दाफाश किया। बाबा रामदेवजी द्वारा प्रचलित कामड़िया पंथ में वे दीक्षित हुए एवं ईश्वर की सच्ची साधना की।[28]

राजस्थानी साहित्य के विद्वान डॉ. सोनाराम बिश्नोई के अनुसार रामदेवजी के चमत्कार एवं राणी रुपांदे की भक्ति-साधना से प्रभावित होकर उन्होने शैवमत की दीक्षा ली थी। तब से वे रावल माल से मल्लीनाथजी कहलाये।[29]

उन्होंने अपने अंतिम समय में सांस्कृतिक समन्वय हेतु सन् 1399 ई. में मारवाड़ के सन्तों को बुलाकर एक बृहद् हरि-कीर्तन[30] का महेवा में आयोजन करवाया तथा इसमें साधु-सन्तों को अथाह दान दिया था। उन्होने अपने सुयोग्य पुत्र जगमाल को राज-काज सुपुर्द कर उतराधिकारी चुना।[31]

हरिकीर्तन के पश्चात् लौटते समय लोगो नें परम्परागत यातायात साधनों (ऊंट घोड़ा बैल आदि पशुओं) का अप्रत्याशित रुप से क्रय-विक्रय किया गया। तब से मल्लीनाथ पशु मेले की नींव पड़ी जो कालान्तर में ''तिलवाड़ा पशु मेला'' के रुप में विख्यात हुआ। यह मेला तब से अब तक प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक आयोजित होता है।[32] इसी वर्ष वे अपनी बहिन से मिलने डोडीयाली (जालौर) गये थे। वहीं उनका स्वर्गवास चैत्र शुक्ला द्वितिया वि.सं. 1456 (1399 ई.) को हो गया।[33] डॉ. हुकमसिंह भाटी के अनुसार महेवा पर मुस्लिम आक्रमण के दौरान डोडीयाली गांव के पास उनकी मुस्लिम सेना से मुठभेड़ हुई थी वहीं से मल्लीनाथजी अपने अश्व सहित डोडीयाली के पहाड़ों में विलुप्त हो गये।[34] उनके पीछे राणी रुपांदे सती हुई

थी।[35] डोडीयाली के पहाड़ों में स्थित मल्लीनाथजी का प्राचीन मंदिर ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करता है। लोक विश्वास है कि मल्लीनाथजी एवं राणी रुपांदे ने अश्वारुढ़ होकर सदेह परलोकगमन किया था। तत्कालीन युग में देहसहित योग साधना एवं आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सिद्धपुरुष द्वारा परलोक गमन करना अर्थात चमत्कृत रुप से अदृश्य होने की घटना को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि कालान्तर में ऐसे उदाहरण लोकदेवी करणी माता, संत कबीर एवं मीरां बाई के भी मिलते हैं। मुहणोत नैणसी[36] के अनुसार मल्लीनाथजी ने लूणी नदी किनारे तिलवाड़ा में समाधि ली थी। जहां उनका विशाल मंदिर बना हुआ है।

मल्लीनाथजी के जीवनवृत से स्पष्ट है कि संक्रमणयुगीन समाज में एक सामान्य ठाकुर के घर में जन्म लेकर योग साधना, रण कौशल, वीरता, अदम्य साहस एवं भक्ति के बल पर सुदृढ़ राठौड़ सत्ता स्थापित करके विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों एवं लूट-खसौट से जन सामान्य की रक्षा की एवं दुर्बल व अछूत वर्ग को धर्मपरिवर्तन करने से रोक कर हिन्दू धर्म को संरक्षण प्रदान किया और गोधन की रक्षा की। (नाहटा, अगरचन्द : राणी रुपांदे री वात, (ह.लि) अ. सं. ला. बीकानेर)।

आमजन एवं असहाय वर्ग की पीड़ा को स्वयं की पीड़ा जानकर उनके दु:ख-दर्द में वे भागीदार बने। उन्होंने राजभोग के साथ-साथ सांसारिक मोह माया, बाह्य आडम्बरों, भेदभाव का त्याग करके निर्गुण निराकार ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया।[37]

भाईचारे की भावना एवं साम्प्रदायिक सद्भावना कायम की। उनके राज्य में आम जन की खुशहाली की पुष्टि इस दोहे से होती है:-

राज करें ध्रम रीत सूं, वध क्रीत सवाई।
घर घर आणंद व्हे घणा, थित मंगल थाई।।
महपत रावल माल रे, प्रजा फुलां छाई।
मंडलीको ज्युं मालदे, बंका बरदाई।।[38]

वे भविष्यद्रष्टा एवं चमत्कारी सिद्ध महापुरुष थे, उन्होने विदेशी आक्रान्ताओं से जनसाधारण की रक्षा कर संकट की घड़ी में जनता का मनोबल भी बढ़ाया।[39] वे मारवाड़, गुजरात व मालवा के जनमानस के हृदय में बस गये। जनमानस ने उन्हे लोकदेवता का स्थान प्रदान करके अपना आराध्यदेव मान लिया। लोकमानस द्वारा इनके कृतित्व पर आधारित अथाह लोक साहित्य, भजन, लोकगीतों रचे गये। संकटमोचक देवता के रुप में इनके मंदिरों का निर्माण हुआ। जहां पर उनकी पूजा-अर्चना होने लगी। मल्लीनाथजी का मुख्य मंदिर लूणी नदी किनारे (तिलवाड़ा) में है जहां पर पिछले 250 वर्षो से धार्मिक आयोजन के साथ-साथ विशाल पशु मेले का भी आयोजन होता है। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर एवं बीकानेर सहित सम्पूर्ण राजस्थान, गुजरात, मालवा में मल्लीनाथजी के मंदिर मिलते है[40] वहां शुक्ल पक्ष में चैत्र, माघ, भाद्रपद में जागरण आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इन्हे मेवा-मिठाई, नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है लेकिन मांस-मदिरा का निषेध रहता है। इन्हे सुख समृद्धि एवं मोक्ष-प्रदाता, पशु रोग निवारक लोकदेवता माना जाता है। लोकविश्वास है कि इनके नाम स्मरण मात्र से सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। इनके वंशज महेवा के राठौड़ ''महेचा'' कहलाते है[41] इनके वंशज (महेचा, पोकरणा) तथा मालानी क्षेत्र के लोग आपस में मिलने पर सम्बोधन स्वरुप जय मल्लीनाथ जी री से सम्बोधित करते है। राजस्थान के जनमानस में इनकी महता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि मारवाड़ के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नामकरण इन्ही के नाम पर ''मालाणी'' किया गया था।[42]

इस प्रकार स्पष्ट है कि मल्लीनाथ जी का जीवन चरित्र मात्र शौर्य का ही नहीं अपितु दृढ़ हरिभक्ति का भी परिचायक माना जाता रहा है। अपने पराक्रम एवं विजयों से एक ओर उन्होने जहां विदेशी आक्रान्ताओं से त्रस्त जनमानस के ध्वस्त मनोबल को प्रेरणा और नवीन उत्साह के आयाम प्रदान किये तो दुसरी ओर सत्संगति, हरि कीर्तन तथा योग-साधना के चमत्कार दिखाकर आत्मा के उद्धार हेतु भी प्रेरित किया। उनके लोकोपकारी कार्यो एवं आत्मोत्सर्ग के फलस्वरुप जनमानस ने उन्हे लोकदेवता के रुप में अपने ह्रदय में स्थान प्रदान किया।

मल्लीनाथ जी के चमत्कार

मुहणोत नैणसी के अनुसार ''मल्लीनाथ महान सिद्ध पुरुष ही नहीं थे, उनको देवताओं का चमत्कार भी प्राप्त था। वे भविष्य की घटनाओं को जान लेते थे। मारवाड़- गुजरात- मालवा में उन्हें अवतारी महापुरुष माना जाता है। विभिन्न स्थानों पर उनके मन्दिर बने हुए है। मल्लीनाथ जी ही विरले शासक थे जिन्हें सैकड़ों वर्षो के उपरान्त जनमानस द्वारा आराध्य देवता के रुप में मन्दिरों में पूजा की जाती है। लोकविश्वास है कि वे आज भी संकट में रक्षा करते हैं पशुओं की बीमारियां उनकी तांती बांधने, मनौति मांगने पर दूर हो जाती हैं। मल्लीनाथजी ने भी तत्कालीन युग में भी कुछ अलौकिक कार्य किये थे। जिनसे वे लोक देवता के रुप में प्रसिद्ध हुए तथा उनके चमत्कार दृष्टिगत हुए हैं जिनका विवेचन निम्नानुसार है :-

1. राजस्थानी भाषा में कहावत है कि ''पूत रा पग पालणे में ही दीख जावे'' अर्थात् सिद्ध पुरुष की पहचान उसके जन्म से ही हो जाती है। यह कहावत मल्लीनाथ जी पर भी खरी उतरती है कि मल्लीनाथ के जन्म उपरान्त आंवल गाड़ते समय स्वर्ण मुद्राओं भरा पात्र मिला था।[43] इससे स्पष्ट है कि सिद्ध पुरुष मल्लीनाथ नें धरती पर पांव रखते ही अपने परिवार माता-पिता की आर्थिक तंगी को दूर कर दिया था। यह उनका प्रथम चमत्कार माना जाता है।

2. मल्लीनाथ की बढ़ती हुई शक्ति जब आस-पास के राज्यों को चुनौती लगी तब दिल्ली सुल्तान की ओर से गुजरात एवं मालवा सुबेदार के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने तेरह दल बनाकर मल्लीनाथ को कुचलने के लिए महेवा राज्य पर आक्रमण किया। तब मल्लीनाथ ने अल्प साधनों एवं छोटी सी सेना के बल पर भी अपने अदम्य साहस एवं पराक्रम से मुसलमानों की

बहुत बड़ी फौज को परास्त किया। यह भी विजय भी मल्लीनाथ का चमत्कार मानी जाती हैं। जिसका वर्णन मल्लीनाथ के लोकगीतों में मिलता है।[44]

3. जैसलमेर रावल घड़सी का विवाह मल्लीनाथजी की पौत्री जगमाल की पुत्री कमलादे के साथ हुआ था। कमलादे के साथ उसकी बुआ विमलादे ने भी उसके साथ जाने का हठ किया। तब मल्लीनाथजी ने भुआ- भतीजी को सहर्ष घड़सी के साथ जाने की आज्ञा दी। तब रावल घड़सी ने बाल विधवा विमलादे के प्रति शंका जाहिर की थी तो मल्लीनाथ ने सद्वचन दिया की इनके कोई पुत्र नहीं होगा। आप निश्चिन्त रहें। सिद्ध पुरुष मल्लीनाथजी का यह वचन सत्य हुआ राजा धड़सी निःसंतान ही रहा।[45]

4. अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान सन् 1314 ई. में जैसलमेर शासक मूलराज और रतनसी साका कर वीरगति को प्राप्त हुए थे। जैसलमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया रतनसी के पुत्र घड़सी (निर्वासित राजा) नें जब मल्लीनाथजी के आश्रय में रहने के दौरान उसने एक दिन शाही सेवा में जाकर अपना राज्य (जैसलमेर) प्राप्ती के प्रयास की मल्लीनाथजी से आज्ञा चाही। तब मल्लीनाथजी ने उसे सहर्ष आशीर्वाद दिया। जो जैसलमेर का राज्य पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ था। अतः मल्लीनाथ का वचन सत्य सिद्ध हुआ।[46]

5. दिल्ली से निर्वासित तुंवर अजमालजी ने महेवा शासक मल्लीनाथजी से जागीर देने के लिए प्रार्थना की तो मल्लीनाथजी ने कहा कि, मैं तो राजा हूं, आप तो बादशाह (सम्राट) हैं। क्योंकि सभी राजाओं के स्वामी श्रीकृष्ण भगवान नर के रुप में आपके घर दसवां अवतार लेगें। अजमालजी ने यह बात घर आकर अपनी धर्मपत्नी मैणादे से कही तो मैणादे ने उन्हें कहा कि मल्लीनाथजी तो सिद्ध है उन्होंने सत्य ही कहा होगा। इस प्रकार मल्लीनाथजी को बाबा रामदेवजी के अवतार लेने का पूर्वाभास हो गया था।[47]

6. रावल मल्लीनाथ एक वचन सिद्ध एवं चमत्कारी पुरुष होने की चर्चा जब दिल्ली के सुल्तान ने सुनी तब उसने मल्लीनाथ को ससम्मान दिल्ली आमंत्रित किया एवं मल्लीनाथ के वहां पहुचनें पर सुल्तान ने अपने राज्य (दिल्ली, गुजरात, मालवा आदि) को अकाल संकट से उबारने की प्रार्थना की। तब मल्लीनाथ ने स्वयं को सामान्य व्यक्ति बताते हुए कहा कि अकाल-सुकाल तो ईश्वर के हाथ है, यथा:-

माली किसी हर री देह।
हर बरसावैं तो बरसे मेह।।

परन्तु सुल्तान द्वारा अनुनय- विनय जारी रखने पर मल्लीनाथजी ने वहीं समाधी लगाई और योग साधना शुरु की दुसरे दिन मूसलाधार बरसात हो गई। चारों तरफ खुशहाली छा गई। सुल्तान ने मल्लीनाथजी को सिद्ध पुरुष एवं पीर मानकर सहर्ष विदा किया था।[48]

7. मल्लीनाथजी ने अपने भतीज चूंडा को मण्डोर का शासक नियुक्त करके उसे शुभ आशीष दी थी कि *''माला रा मढ़े, नै वीरम रा गढ़ें।''* उनका यह सद्वचन भी सत्य सिद्ध हुआ। अतः मारवाड़ के राठौड़ों ने मल्लीनाथ को अवतारी पुरुष मानकर उनकी आराधना शुरु की। इसकी पुष्टी जोधपुर स्थित देवताओं की साल स्थित मल्लीनाथजी की अश्वारुढ़ विशाल मूर्ति से होती है।[49]

8. अपने अंतिम समय में देह त्याग से पूर्व ही अपनी बहन एवं साथियों को इस बारे में बता दिया था। तब उनकी बहन ने भाव-विभोर होकर अंतिम आदेश मांगा। तो मल्लीनाथजी ने तत्कालीन युग में भी जल के महत्व को बताते हुए कहा कि जल भरे मटकों पर ढ्क्कन मत लगाना अन्यथा उनमें किड़े पड़ जायेगें। यह चमत्कार भी सत्य सिद्ध हुआ। इससे पहले बहिन को बताया था कि रोटियाँ से भरे पात्र पर वस्त्र रखना अर्थात् अन्न को पर्दे में रखना तेरे पात्र से कभी भी रोटियाँ समाप्त नही होगी। यह सद्वचन् भी सत्य सिद्ध हुआ।[50] इस प्रकार उन्होनें प्रत्येक प्राणी के जीवन- यापन की प्राथमिक आवश्यकता अन्न-जल की पूर्ति हेतु सदुपदेश देकर युग-युग की समस्या का हल सुझाया था। जिसकी आज भी महती प्रासंगिता है।

9. मल्लीनाथजी द्वारा अश्वारुढ़ होकर सदेह परलोकगमन करना भी एक अलौकिक घटना थी।[51]

10. मल्लीनाथजी के चमत्कारों का क्रम उनके युग तक ही सिमित न होकर वर्तमान में भी जारी हैं। ऐसा लोक विश्वास है कि तिलवाड़ा में लूणी नदी का जल खारा है मगर मल्लीनाथजी के चमत्कार स्वरुप ही चैत्री पशु मेले के दौरान तिलवाड़ा में हाथ-डेढ़ हाथ गहरा गड्ढा खोदने पर मीठा जल मेलार्थियों एवं उनके पशुओं को पीने हेतु आसानी से उपलब्ध हो जाता हैं।[52] मल्लीनाथजी को शिव और रुपांदे को शक्ति का अवतार मानकर तिलवाड़ा एवं मालाजाल स्थित राणी रुपांदे मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ-साथ जागरण-जम्मा आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मेले में चोरी-धोखाधड़ी करने वालों को मल्लीनाथ बाबा सबक सिखाते हैं वहीं बीमार पशुओं को उनके नाम की तांती बांधनें पर स्वस्थ्य हो जाते हैं तथा अपने भक्तों कि मनौती पूर्ण करते है। हिन्दु उन्हे देवता मानकर पूजा करते हैं तो मुस्लिम पीर मानकर उनके मन्दिर पहुँचकर दुआ मांगते हैं। इस मेले में सभी सम्प्रदायों के लोग भाग लेते हैं तथा लाखों की तादाद में पशु लेकर लोग वहां पहुँचते हैं। मल्लीनाथजी के चमत्कार स्वरुप ही सुनसान ग्रामीण आंचल में यह विशाल पशु मेला सैकड़ों वर्षो से आयोजित हो रहा हैं।

ISSN 2277-5587

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 भाटी, हुकमसिंह : महेचा राठौड़ों का मूल इतिहास, पृ. 15-17

2 जसोल, नाहरसिंह एवं क्षीरसागर, डी.बी. : राजस्थान संत शिरोमणी राणी रुपांदे और मल्लीनाथ, पृ. 7 जोधपुर सन् 1997 ई.

3 रेऊ, विश्वेश्वरनाथ : मारवाड़ का इतिहास, भाग-1, पृ. 33

4 भाटी, हुकमसिंह : उपर्युक्त, पृ. 36,37

5 रेऊ, विश्वेश्वरनाथ : उपर्युक्त, पृ. 54 गहलोत, जगदीशसिंह : राजपूताने का इतिहास , पृ. 102

6 पातावत, भवानीसिंह : आस्था री उजास, पृ. 27,28, जोधपुर, 2009 ई. पाथेय कण (पाक्षिक) वर्ष 21(24) अंक 15, पृ. 28,29

7 मुंहणोत, नैणसी : नैणसी री ख्यात, भाग 2 पृ. 57

8 भाटी, हुकमसिंह : पूर्वोक्त, पृ. 19

9 रेऊ, प. विश्वेश्वरनाथ का निजि संग्रह- सुमेर प. ला. जोधपुर

10 राठौड़, विक्रमसिंह : राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 48, जोधपुर, 2004 ई. नाहरसिंह एवं क्षीरसागर, डी.बी. : राजस्थान संत शिरोमणी राणी रुपांदे और मल्लीनाथ, पृ. 9, जोधपुर सन् 1997 ई.

11 भादाणी, बी.एल. : मालाणी का इतिहास, पृ. 94

12 ढाढी बादर प्रणीत वीरवाण, पृ. 18

13 मल्लीनाथ रावल री निसांणी (ह.लि.) क्र. 40672 रा.प्रा.वि.प्र. जोधपुर

14 नाहरसिंह एवं क्षीरसागर, डी.बी. : पूर्वोक्त, पृ. 11,32,33

15 भाटी, हुकमसिंह : पूर्वोक्त, पृ. 29,30

16 रेऊ, विश्वेश्वरनाथ : पूर्वोक्त, पृ. 83

17 भादाणी, बी.एल. : मालाणी का इतिहास, पृ. 33,95

18 मुंहणोत, नैणसी : मारवाड़ परगना री विगत, पृ. 291

19 नाहरसिंह एवं क्षीरसागर, डी.बी. : पूर्वोक्त, पृ. 9

20 जसोल, नाहरसिंह : मल्लीनाथ वंश प्रकाश पृ. 36

21 वही, पृ. 43

22 नाहरसिंह एवं क्षीरसागर, डी.बी. : पूर्वोक्त, पृ. 23

23 रुपांदे री वात- एक दिन रुपांदे अपने पिता के लिए दोपहर का भोजन लेकर खलिहान गई। खलिहान में उसके पिता मोठ निकाल रहे थे। अपने कार्य में लगे पिताजी ने पांच-सात घुड़सवारों सहित रावल मल्लीनाथजी को आते दूर से ही पहचान लिया और उनके घोड़ों के दाना-पानी के खर्चे से बचने के लिए वे छुप गये। खलिहान पर पहुँचने पर रावल मल्लीनाथ व उनके साथियों का रुपांदे ने आदर सत्कार किया, घोड़ों को दाना-पानी दिया। सभी अतिथियों को भोजन करवाया। बालिका रुपांदे के छोटे से घड़े के पानी से सभी घोड़े पिये एवं एक व्यक्ति के लिए लाया गया भोजन भी कम न पड़ा। यह देखकर मल्लीनाथजी आश्चर्यचकित होकर प्रस्थान हुए। तब मन ही मन कुढ़ते हुए पिताजी ने आकर देखा तो मोठों का ढेर भी यथावत पाया। पानी का घड़ा भी भरा हुआ मिला, भोजन भी सुरक्षित देखकर पिताजी का क्रोध भी आश्चर्य में बदल गया। खलिहान से लौटते वक्त सांयकाल गांव में प्रविष्ट होने वाले मुख्य मार्ग पर दो सांडों के द्वन्द्व युद्ध को भी कोई नहीं छुड़ा न सका था। जिन्हे रुपांदे ने हाथ से सींग पकड़कर हटा दिया। इससे और वे प्रभावित हुए एवं मल्लीनाथजी ने अपने साथियों के माध्यम से रुपादे के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। रुपादे के पिता ने अपनी असमर्थता जताई मगर मल्लीनाथ ने सादगीपूर्ण विवाह करने का वादा किया तब उनके साथ रुपांदे का विवाह कर दिया गया।

शर्मा, मनोहर : रुपांदे री वात, अ. सं. ला. बीकानेर

24 राजस्थानी वात संग्रह, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 1984, पृ. 268 इसी बात को ''मल्लीनाथ पंथ में आयो तै री वात'' भी कहते हैं- द्रष्टव्य- बाबा रामदेव इतिहास एवं साहित्य: सोनाराम बिश्नोई पृ. 132

25 बांकीदास री ख्यात पृ. 5

26 नाहरसिंह एवं क्षीरसागर, डी.बी. : पूर्वोक्त, पृ. 24

27 चोयल, शिवसिंह : रुपांदे री बेल (ह.लि.) निजिसंग्रह सांकरिया, बद्रीप्रसाद : रुपांदे री बेल निजिसंग्रह (पद 68)

28 पातावत, भवानीसिंह : पूर्वोक्त, पृ. 28

29 बिश्नोई, सोनाराम : पूर्वोक्त, पृ. 70

30 राव, शिवनाथसिंह : कूंपावत राठौड़ों का इतिहास पृ. 51

31 जसोल, नाहरसिंह : मल्लीनाथ वंश प्रकाश, पृ. 45

32 पाथेय कण (पाक्षिक) जयपुर पृ. 28-29 (16 नवम्बर 2008 ई.)

33 रेऊ, विश्वेश्वरनाथ : पूर्वोक्त, पृ. 63

34 भाटी, हुकमसिंह : पूर्वोक्त, पृ. 36

35 उदय भाण चांपावत री ख्यात पृ. 310-11

36 मुंहणोत, नैणसी : नैणसी री ख्यात, भाग-2, पृ. 284

37 भाटी, हरजी : माल री महिमा, शोध पत्रिका भाग 2 अंक 2 पृ. 84-86, 2006 वि. स.

38 जसोल, नाहरसिंह : उपर्युक्त, पृ. 42

39 शुक्ल, दिनेशचंद्र, सिंह, ओंकारनारायण : राजस्थान की भक्ति परम्परा एवं संस्कृति, पृ. 47, जोधपुर, 1999 ई.

40 शर्मा, पुष्पलता : चारण साहित्य में भक्ति, पृ. 36 दिल्ली, 2009 ई.

41 भादानी, बी.एल. : पूर्वोक्त पृ. 36 दिल्ली 1999 ई.

42 राजपूताना गजेटियर, भा. 3, पृ. 199, 1909 ई.

43 भाटी, हुकमसिंह : पूर्वोक्त, पृ. 17

44 चूण्डावत, लक्ष्मीकुमारी : मालाणी के गौरव गीत, जयपुर

45 जसोल, नाहरसिंह : मल्लीनाथ वंश प्रकाश, पृ. 45

46 उदयभाण चांपावत री ख्यात पृ. 311 भाटी, हुकमसिंह : पूर्वोक्त, पृ. 23

47 बिश्नोई, सोनाराम : पूर्वोक्त, पृ. 313 - मोटा है सिद्ध मालजी, वां केयो सोच विचार। नेचै-नेचै सब होवसी, जै तूठे किरतार।।

48 क्षीरसागर, डी.बी. : संत शिरोमणी राणी रुपादे एवं मल्लीनाथ, पृ. 18

49 भादाणी, बी.एल. : पूर्वोक्त, पृ. 96 पाथेय कण (पाक्षिक), पृ. 28-29 जयपुर 16 नवम्बर 2008 ई.

50 क्षीरसागर, डी.बी. : पूर्वोक्त, पृ. 46

51 भाटी, हुकमसिंह : पूर्वोक्त, पृ. 36

52 बिश्नोई, सोनाराम : पूर्वोक्त, पृ. 70

राजस्थान जनसुनवाई कानून : क्रियान्विति एवं परिणाम

शान्ति लाल जैन
शोधार्थी, केरियर पॉइंट विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. विक्रान्त कुमार शर्मा
सहायक आचार्य, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

shodhshree@gmail.com

राजस्थान राज्य लोकप्रशासन में पारदर्शिता उत्तरदायित्व, संवेदनशील एंव ग्राहकोन्मुखी बनाने में अग्रणी राज्यों में है। राजस्थान से ही ''सूचना का अधिकार'' आंदोलन की शुरुआत हुई थी अन्तत: सूचना का अधिकार कानून - 2002 बनाया गया जो बाद में निरसित कर दिया गया। अन्तत: सूचना का अधिकार कानून 2005 लागू हुआ। इस कानून के आम जन के लिए व्यावहारिक उपयोग से उत्साहित होकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पारदर्शिता एंव उत्तरदायित्व हेतु अनेक वैधानिक प्रयास किये। जैसे - लोक सेवा कानून गारंटी : 2011 राजस्थान जनसुनवाई कानून : 2012, लोक उपापन में पारदर्शिता कानून : 2013 हालांकि उपर्युक्त सभी कानून सूचना का अधिकार के जैसे लोकप्रिय नहीं हुए। परन्तु जनसुनवाई अधिनियम 2012 राज्य सरकार ने गाँवों में रात्रि विश्राम, गुरुवार को चौपाल कार्यक्रम जिस में पंचायत मुख्यालयो पर सभी अधीनस्थ लोकसेवकों की सहभागिता से लोकप्रिय एवं जनउपयोगी साबित हुआ।संदर्भित शोध पत्र में राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 की सामयिक समीक्षा करते हुए जनसुनवाई के दो प्रकरण अध्ययन (Case Study) की विवेचना की गई है। साथ ही इस कानून की क्रियान्विति की सीमाओं के व्यवहारिक पक्ष को उजागर कर उनके निराकरण के अनुभव मूलक उपाय बतलाये गये है।

जनसुनवाई की अवधारणा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जनसुनवाई सरलतम व्याख्यातिक शब्द है जिसका अर्थ इसी में ही निहित है। मानव सभ्यता के प्रांरभ से ही समूह विशेष का एक मुखिया, नेता, संचालक होता था जिसके पास समूह के समस्त आम व खास जन उसके उनसे संबधित शिकायतों, समस्याओं के बारे में समूह प्रधान से चर्चा करते थे।वर्तमान मानव की लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व में विकसित होने की प्रमाणिकता है। मध्य पाषाणकाल में (8000 ईसा पूर्व) में मानव ने बढिया औजार विकसित किये तथा भोजन संग्रह करने लगा था। धारणा अनुसार ऐसा माना जाता है कि ईसा से 4-5 हजार वर्ष पूर्व संभ्य मानव कबीले, समाज, परिवार, तथा शासन व्यवस्था की संरचना से विज्ञ हुआ होगा। मेसोपोटामिया, चीन, सुमेर मिश्र तथा सिंधुघाटी का अस्तित्व लगभग 3500-1500 वर्ष ईसा पूर्व तथा मोहनजोदड़ो हड़प्पा लगभग 2300-1500 ईसा पूर्व के अवशेषों से ज्ञात होता है कि इस अवधि में मानव सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था समझ चुका था तथा नगरीय जनसुनवाई आदि नगरीय प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह होते रहे होगें जो निश्चित रुप से वर्तमान व्यवस्था का पूर्वाभ्यास था।

वैदिक काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था जिसमें लोक कल्याण का महत्व देने वाला राजा ही शासन कर पाता था, उत्तरवैदिक काल में राजा का पद पैतृक हो गया था। रामायण काल, महाभारत काल में आमजन की सुनवाई राज्य सभा में उपस्थित मंत्रियों, पुरोहितों द्वारा किया जाता था। कुशल शासन संचालकों द्वारा स्वयं राज्सभा में उपस्थित रह कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते थें तथा उन आदर्श निर्णयों का कालान्तर में अनुसरण किया गया। मौर्यकाल में आचार्य चाणक्य द्वारा रचित **अर्थशास्त्र** में 26 विभागों की स्थापना तथा 18 तीर्थ वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन तंत्र को संचालित

ISSN 2277-5587

करने हेतु राजा की सहायतार्थ लगाने का वर्णन प्राप्त हुआ है। ताकि जनसुनवाई एवं जनकल्याण संचालित हो सकें। सातवी सदी में भारत में व्यवस्थित शासन प्रणालियों को आघात पहुचने लगा। जागीर प्रथा में वृद्धि होने से सामन्तशाही पनपने लगी, नागरिकों की सुनवाई तथा अधिकारियों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था एवं न्याय व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। सल्तनत काल में शासक **सुल्तान** प्राय धार्मिक, निरंकुश तथा महत्वाकांक्षी प्रवृति के होते थें।

विलयम हॉकिन्स जो व्यवसाय से व्यापारी, समुद्री जहाज के कप्तान थें उन्होने जंहॉगीर के काल में सोने की चेन का जिक्र किया जिसका आखरी सिरे पर घण्टी लगी थी जो बादशाह के हरम (बेडरूम) में होती थी यदि किसी आदमी को शिकायत करनी होती तो वह इस चेन को खीचता था, बादशाह महल के झरोखे से फरियाद सुनता था तथा समाधान करता था, जनसुनवाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण था।

अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय जनमानस की सुनवाई नगण्य थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रारम्भ व्यापार में द्वारा कम्पनी के हितों को पूरा करना था।राजस्थान में **मजदूर किसान शक्ति संगठन** द्वारा उनके मंचों से जनसुनवाई की अवधारणा पर ग्रामीण अंचल की समस्याओं को उजागर किया तथा ब्यावर (अजमेर) के निकट लगातार 40 दिन का धरना देकर राष्ट्रीय सूचना का अधिकार कानून बनाने में अहम योगदान प्रदान किया गया । नतीजतन कई समस्यों का निराकरण मौके पर ही होने लगा । 21 मई 2012 में प्रथम जनसुनवाई अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

लोक सेवा गांरटी कानून के बाद 21 मई 2012 को राजस्थान जनसुनवाई कानून लागू हुआ। यह लोक सेवा की पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता का एक और अभिनव प्रयास रहा । इस कानून की शुरुआत में 'परिवाद' एवं ''सुनवाई के अधिकार'' को परिभाषित किया गया है।सुनवाई का अधिकार; नियत समय में किसी परिवाद पर नागरिकों को सुनवाई का अवसर और परिवाद में हुए निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार ही सुनवाई का अधिकार है।

लोकसुनवाई अधिकारी इस कानून के अन्तर्गत परिवाद पर 30 दिवस की अवधि में सुनवाई करेगा । इस हेतु वह अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता मांग सकेगा। नियत समय सीमा; जनसुनवाई अधिकारी अथवा उसके द्वारा नियत प्राधिकारी को 'परिवाद' प्राप्ति के दिन से होगी। जनसुनवाई के बाद जनसुनवाई अधिकारी परिवाद को स्वीकार करने की दशा में मागा गया फायदा एवं अनुतोष मंजूर करने के लिए उसे किसी सक्षम अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा एवं किसी वैकल्पिक विधि से लाभ सुझाते हुए या उसे खारिज करते हुए कारणों को लेखबद्ध करेगा।

''सूचना व सुगम केन्द्रों'' की स्थापना – जनता की शिकायत को त्वरित एवं प्रभावी तरीके से निराकरण हेतु तथा ''परिवादों'' को सहज रुप से प्राप्त करने हेतु ''सूचना'' एवं ''सुगम केन्द्रों'' की स्थापना की जाएगी।

अपील की व्यवस्था – कोई भी नागरिक जिसे नियत समय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला है अथवा लोक सुनवाई अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है। तो लोकसुनवाई अधिकारी के निर्णय की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। उक्त अपीलाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में वह प्रथम अपील के निर्णय दिनांक से तीस दिवस (30 दिन) में द्वितीय अपील कर सकेगा। औचित्यपूर्ण कारण होने पर द्वितीय अपीलाधिकारी 30 दिवस की समयावधि के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

कानून में यह भी प्रावधान है कि लोकसुनवाई अधिकारी; प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय को पालना नहीं करता है अथवा प्रथम अपीलाधिकारी नियत समय में निर्णय करने में असक्षम रहा है तो प्रकरण की द्वितीय अपील की जाएगी।

दण्डात्मक प्रावधान – द्वितीय अपीलाधिकारी की राय में लोकसुनवाई अधिकारी का निर्णय अपर्याप्त एवं निश्चित समयावधि में नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त अधिकारी पर न्यूनतम 500/- एवं अधिकतम राशि 5000/- की शास्ति अधिरोपित हो सकती है।यह भी प्रावधान है कि लोकसुनवाई अधिकारी अथवा प्रथम अपीलाधिकारी; द्वितीय अपीलाधिकारी की शास्ति अधिरोपित करने से असंतुष्ट होने पर अपील कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का मनोनीत प्रतिनिधि निर्णय कर सकेगा।

न्यायलयों की अधिकारिकता की निषेध – किसी भी सिविल न्यायलय को सुनवाई या कार्यवाई करने या किसी भी मामले की अवधारणा की अधिकारिकता नहीं होगी जो इस कानून के अधीन लोकसुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा सुने जाने वाले अथवा कोई विनिश्चय किये जाने हेतु अपेक्षित है।राज्य सरकार इस कानून के प्रयोजनों की क्रियान्विति के नियम बना सकेगी। सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम यथासंभव, राज्य विधानमण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन (14 दिन) से न्यून समय में एक सत्र या उत्तरोत्तर दो सत्रों में समाविष्ट हो करेगी।

कठिनाईयों का निदान :- इस कानून के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निर्णय कर सकेगी। इस धारा के अधीन बनाये गये नियम यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएगें।

विशेष प्रकरण अध्ययन -1

दिनांक 4 मार्च 2016 को डूंगरज्या गांव तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रशासन द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. रवि कुमार सुरपुर की अध्यक्षता में चौपाल कार्यक्रम

का आयोजन किया गया। जिसमें श्रीमान् डॉ विक्रान्त शर्मा शोध प्रबंधक तथा मेरे द्वारा (शांतिलाल जैन) चौपाल में संयुक्त रुप से सहभागिता की गई।

डूंगरज्या गांव कोटा जिले की दीगोद तहसील में स्थित है। यह गांव कोटा-बारां हाइवे से लगभग 3 कि.मी. अन्दर स्थित है।

जनसंख्या :- सन् 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की कुल जनसंख्या 1387 है। जिसमें 704 पुरुष एवं 683 महिलाएँ हैं। कुल 372 परिवार हैं।

साक्षरता दर:- गांव की साक्षरता दर 86 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 90 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 82 प्रतिशत है। अधिकांश परिवार कृषि पर निर्भर हैं।

स्थानीय विधायक महोदय के समक्ष गांव वालों ने निम्नलिखित समस्याएँ बतलाई-

- श्मशान का परकोटा कराने एवं टीनशेड आदि की व्यवस्था।
- गांव के सरकारी स्कूल में फर्नीचर का अभाव।
- सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी।
- टेल क्षेत्र तक सिंचाई का अभाव।
- उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एक ही कर्मचारी का होगा।
- 'गौरव पथ' एवं दीगोद जाने वाली सड़क के मध्य लगभग 100 मीटर का गेप आदि।

इन सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं अथवा लोक सेवकों एवं ग्रामीणों से मिलकर करने का प्रयास किया है।

जनसुनवाई में गांव वालों ने निम्नलिखित मुद्दे उठायें

- कचरा प्रबंधन के सुझाव पर पंचायत समिति सदस्य श्री मनीष शर्मा जी ने गांव के लिये एक साईकिल ट्रॉली की मांग की ताकि घर-घर से कचरा एकत्रित कर एक स्थान पर इकठ्ठा किया जा सके। जिसकी परिपूर्ति हेतु **स्वच्छता मिशन प्रभारी को अवगत करा दिया है।**
- संस्कृत महाविद्यालय खोलने हेतु विश्वविद्यालय को प्रयास करने चाहिए।
- सरपंच ने ट्यूबैलों हेतु 2-3 मोटर लगवाने की मांग की।

शमशान निर्माण हेतु निम्नलिखित कार्य निश्चित किये-

- श्मशान के चारों तरफ चार दिवारी का निर्माण मय गेट के।
- श्मशान में टीनशेड, प्रतिक्षा शेड, ट्यूबवैल, पानी की टंकी आदि का निर्माण कार्य।

'बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में 'विश्वविद्यालय'' द्वारा निम्नलिखित कार्य कराने के सुझाव दिये-

- विश्विद्यालय द्वारा 'शौचालय निर्माण' एवं 'स्वच्छता' हेतु ग्राम पंचायत के साथ मिलकर जागरुकता अभियान चलाया जाए।
- विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा गांव के विद्यालयों एवं शिक्षकों को 'विशेष अवसर' पर व्याख्यान दिये जायें।
- विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रुप से 'शिक्षा' 'स्वास्थ्य' एवं 'स्वच्छता' के कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
- गांव वालों को भी सकारात्मक सोच के साथ विश्वविद्यालय का सहयोग एवं सहभागिता की जायें।

गांव वालों ने भी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित मांग की गई-

- गांव में स्थान चिन्हित कर 'डस्टबिन' रखवाये जायें।
- गांव में कूड़ा इकठ्ठा करने के लिए दो-तीन ट्रॉली की व्यवस्था की जाये।
- गांव में प्रवेश वाले रास्ते में कृषि विभाग के सहयोग से जामुन, अमरुद, अशोक आदि के पेड़-पौधों ट्री गार्ड सहित लगाये जायें।

डूगंरज्या गॉव, आदर्श गॉव योजना के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा गोद लिया गया है। अत: विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी जनसुनवाई में सहभागिता करते हैं। उक्त चौपाल में गॉव विकास के लिए विश्वविद्यालय के लिए कई कार्य सौंपे गये है।

संदर्भित प्रकरण में गांव के सर्वांगीण विकास हेतु जनसुनवाई कार्यक्रम अत्यधिक महत्व रखता है। इस जन सुनवाईयां में ग्रामीण स्तर के सभी लोक सेवकों में सहभागिता की।

नागरिकों ने प्रत्यक्षत: उनके सामने समस्याओं को रखा। यही नहीं लोक सेवकों ने समस्याओं को मौके पर ही समाधान का प्रयास किया। कुछ समस्याओं को हल करने के सुझाव एवं तरीके बतलाये।

अव्यावहारिक मांगों को पूर्ण नहीं होने की जानकारी भी गांव वालों को प्रदान की गयी।

अत: जन सुनवाई कार्यक्रम ग्रामीण समस्याओं के हल एवं ग्रामीण विकास हेतु खुला मंच उपलब्ध कराते हैं। जिससे लोक सेवक एवं ग्रामीणों की समस्या का समाधान खोजते हैं।

विशेष प्रकरण अध्ययन - 2

जिले में जिला कलक्टर के माध्यम से जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान जयपुर के दिनांक 24.12.2014 द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक जिले में प्रत्येक माह प्राथमिकता के आधार पर उपखण्डों में पंचायत समिति तथा चयनित पंचायत समिति में ग्राम पंचायत विशेष पर जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिन में उस क्षेत्र का दौरा करते हैं, समस्याओं का मौके पर निराकरण करने का प्रयास करते हैं तथा समस्या का मौके पर समाधान नहीं होने की स्थिति में उसी दिन होने वाली रात्रि चौपाल में जिला प्रशासन के समक्ष आवश्यक

ISSN 2277-5587

इन्द्राज करवाकर प्रार्थना पत्र प्राप्त करते है जिसकी जानकारी व प्रार्थना पत्र क्रमांक ऑन लाईन उपलब्ध करवाया जाता हैं।

सामान्यता प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी जिस ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाता है उस पंचायत में स्थिति कार्यालयों/संस्थाओं का निरीक्षण करता है तथा कार्य प्रणाली की समीक्षा करता है। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी रात्रि चौपाल में प्राप्त प्रपत्रों को भरकर प्रभारी अधिकारी पी.जी. सेल कलेक्ट्रेट को प्रेषित करेगा। जिस गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन करवाया जा रहा है विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना/ पेंशन/ महानेरगा/ अन्य सुरक्षा योजना भामाशाह जीवन बीमा योजना एवं बी.पी.एल. सूची के नाम इत्यादि में लाभान्वित परिवार/व्यक्ति का ब्यौरा रखते है।जिन समस्याओं का निस्तारण मौके पर नहीं होता है उसका समाधान षीघ्र करने हेतु पंजीबद्ध करके सम्बन्धित विभागों को भिजवाया जाता है जिसकी सूचना चौपाल प्रभारी के पास होती है।

जन सुनवाई/रात्रि चौपाल के समय प्राप्त होने वाली परिवेक्षाओं का दर्ज कर निर्धारित प्रारुप में परिवादी को पावती देने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कलक्टर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी) की होती है। प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल कार्यक्रम के अन्त में पटवारी/ग्राम सेवक से लिखित में यह प्रमाण पत्र लेता है कि उक्त ग्राम/ग्राम पंचायत में राजकीय योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित होने वाला कोई व्यक्ति शेष नहीं रहा है।

ग्राम पंचायत गोपालपुरा, पंचायत समिति अकलेरा में दिनांक 12.02.2016 को जिला कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़ की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत के संरपच, पंच, ग्राम के प्रमुख नागरिक तथा समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत के नागरिक उपस्थित हुए तथा आवेदन पत्रों द्वारा रात्रि चौपाल में अवगत करवाया।रात्रि चौपाल के अन्त में श्रीमान जिला कार्यकारी अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आयोजकों को धन्यवाद दिया तथा चौपाल में प्राप्त समस्याओ को शीघ्र समाधान के निर्देश प्रदान करे एवं आगामी चौपालों को और अधिक प्रभावी ढंग से आयोजित करने के दिशा निर्देश प्रदान किये।

निष्कर्ष :- राजस्थान राज्य भारतवर्ष का सबसे बडा राज्य है। जहाँ पर जनसुनवाई कानून लागू होने से (1) नागरिकों का घर के निकट जनसुनवाई के निकट उपलब्ध हो गई है तथा ग्राम पंचायत, तहसील, उपखण्ड अथवा जिला स्तर पर संबधित विभाग को प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। (2) प्रत्येंक विभाग में जनसुनवाई अधिकारी तथा अपील अधिकारी पदस्थापित है । (3) निश्चित सीमा अवधि में प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित है । (4) यदि जनसुनवाई अधिकारी शिकायत का निवारण नहीं करने की स्थिति में दो स्तरीय अपील का प्रावधान है तथा निर्धारित समयावधि में शिकायतकर्ता को जवाब देना एवं समस्याओं का समाधन करना होगा। (5) त्रिस्तरीय कार्यवाही द्वारा लोक सेवकों पर दण्ड के प्रावधान से राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 अधिक प्रभावशाली तथा हितकारी सिद्ध हो रहा है। (6) जिला कलेक्टर एवं जिला स्तरीय लोकसेवकों की सामूहिक रुप से चौपाल आयोजित करना ग्राम वासियों की वास्तव में व्यवहारिक कठिनाईयों का निवारण करता है। जनसुनवाई के माध्यम से लोकसेवकों एवं नागरिको की परस्पर अन्त: क्रिया बढी है। (7) जिला प्रशासन तथा जिले के प्रभारी मंत्री एवं सांसद के माध्यम से भी जनसुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन राज्य में निरन्तर किया जा रहा है, विशेष कर जिला प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन करवाकर ग्रास रूट स्तर से समस्याओं के निवारण का प्रयास किया जा रहा है। जिससे आमजन की समस्याओं का निवारण होगा। (8) आमजन में नौकरशाही का भय कम हुआ है। नागरिक निडर होकर अपनी सामुदायिक समस्याओं के साथ साथ व्यक्तिगत समस्याये भी रखते है। प्रकरण अध्ययन 1 से इसकी तथ्यात्मक पुष्टि होती है। (9) जनसुनवाई के तहत रात्रि चौपाल द्वारा लोकसेवक ग्रामीण समाज की समस्याओं से अवगत हुए है। (10) जनसुनवाई के द्वारा सूचना के अधिकार तथा लोकसेवा गांरटी कानून का प्रभाव बढा है।

भविष्य में इन जनसुनवाईयों को व्यवस्थित तरीके से करना होगा तथा सतत् रुप से निगरानी (Monitoring) करनी होगी तथा प्रत्येक आगामी जनसुवाई में विगत् जनसुनवाईयों के लम्बित प्रकरणों का विवेचन करना आवश्यक है। साथ ही लम्बित होने के कारण तथा संन्दर्भित लोकसेवकों को जवाबदेही बनाना चाहिए।व्यवहार में जनसुनवाई कानून के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का समुचित समाधान किया जा रहा है। यह भारतीय लोक सेवा के सुखद भविष्य का द्योतक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कटारिया, सुरेन्द्र :- कार्मिक प्रशासन (जयपुर : आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 2005)*
2. *1-http//en.wikipedia.wg/wiki/Righttopublic-service-legislation*
3. *राजस्थान लोक सेवा गारण्टी कानून-2012 (ह.च. माथुर लोक प्रशासन संस्थान : जयपुर, 2012)*
4. *शर्मा, कालूराम एवं व्यास :- प्राचीन भारत का इतिहास (पंचशील प्रकाशन: जयपुर, 2008)*
5. *राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम, राज्य सरकार की वेबसाईट्स से साभार।*

झारखंड राज्य का निर्माण और नक्सल आतंकवाद

पूनम अग्रवाल
शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

shodhshree@gmail.com

झारखंड आन्दोलन 19वीं शताब्दी में हुए खूनी संघर्ष की तुलना में 20वीं शताब्दी के एक मध्यम दर्जे के आंदोलन के रुप में देखा जा सकता है। छोटा नागपुर टिनेंसी कानून 1908, जो कि इस क्षेत्र के निवासियों की भूमि को संरक्षण प्रदान करता है, के लागू होने के बाद जनजातीय नेता लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर मुड़ गए। 1914 में जात्रा ओरावन ने ताना आंदोलन प्रारंभ किया। 1920 में इस आंदोलन ने महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होना स्वीकार कर लिया और सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। 1915 में जनजातीय सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ। इस संगठन के उद्देश्यों में राजनीतिक लक्ष्य भी निहित थे। 1928 में जब साईमन कमीशन पटना आया, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा और जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए पृथक झारखंड राज्य की माँग रखी। साईमन कमीशन ने पृथक झारखंड राज्य की माँग को नकार दिया। इसके पश्चात थेबले ओरावन ने 1931 में किसान सभा का आयोजन किया।[1] 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का आपस में विलय हो गया जिसका कारण था कि दोनों संगठनों की सम्मिलित शक्ति राजनीतिक सामर्थ्य हासिल करने में मददगार साबित हो सकती थी।

झारखण्ड आंदोलन : भारत की स्वतंत्रता के पश्चात

लगभग छह दशक से झारखण्ड आंदोलन अपने पाँव जमाने के लिए हुलिया और योजनाएँ परिवर्तित करता रहा था। शनै: शनै: झारखंड दल मजबूत होते गए परंतु पृथक झारखण्ड की माँगों पर विचार करने के लिए अधिकृत आयोग इसे सिरे से नकारते रहे। अगस्त 1947 में ठक्कर आयोग ने इसे नकारा और टिप्पणी दी कि इस प्रकार का निर्णय आदिवासियों के हित में नहीं है। 1948 में डार आयोग ने पृथक झारखंड राज्य की माँग का परीक्षण किया और इसे भाषागत आधार पर बंद डिब्बे में डाल दिया। इन आयोगों की नकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद, झारखंड दल ने अपने अंतिम लक्ष्य पृथक झारखंड राज्य से नजरें नहीं हटाई। 1952 के चुनावों में झारखंड दल ने भाग लिया और एक जनजातीय मातृभूमि की माँग को मजबूती प्रदान करने के इरादे जाहिर किए तथा बिहार विधानसभा में 32 स्थानों पर कब्जा जमाया। 1957 के द्वितीय आम चुनावों में भी झारखंड दल ने 32 स्थानों पर विजय हासिल की और लगातार दो लोकसभा सत्रों के लिए सबसे बड़ा विपक्षी दल रहा। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन आया। यहाँ भी पृथक झारखंड राज्य की माँग नहीं मानी गई। 1962 के तीसरे आम चुनावों में झारखंड दल बिहार विधानसभा के केवल 23 स्थान पर ही काबिज हो सका। झारखंड दल के नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थो ने वरीयता हासिल करली। अगले ही वर्ष, झारखंड दल ने कांग्रेस को समर्थन दिया और जयपाल सिंह को बिहार में विनोदानंद झा की सरकार में मंत्री पद दे दिया गया। इस घटनाक्रम के साथ ही जनजातीय पृथक राज्य की माँग करीब एक दशक के लिए ठंडे बस्ते में चली गई।[2]

 ISSN 2277-5587

1967 में चौथे आम चुनावों में झारखंड दल का प्रदर्शन औसत से भी नीचे रहा और यह केवल आठ सीटें जीतने में कामयाब रह सका। उसके पश्चात इस दल के अनेक टुकड़े हुए और प्रत्येक टुकड़ा वास्तविक झारखंड दल होने का दावा करता रहा। इन दलों में कुछ इस प्रकार थे- बागुन सुमरोई के नेतृत्व में आल इंडिया झारखंड पार्टी, एन. ई. होरो द्वारा संचालित झारखंड पार्टी और जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में हुल झारखंड पार्टी जो कि बाद में फिर विभाजित हुई और इसका एक घटक बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी कहलाया और इसकी बागडोर सिबू सोरेन के हाथ में आई। इस आंदोलन में नई जान आई जब 1972 में मार्क्सवादी कोर्डिनेशन कमिटी के साथ संथाल नेता सिबू सोरेन ने अतिवाद का प्रदर्शन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना कर डाली। आरंभिक वर्षों में सोरेन की अगुवाई में जेएमएम ने औद्योगिक और खनन मजदूरों को अपने प्रभाव में लिया। ये मजदूर गैर-आदिवासी तबके के थे और दलित तथा पिछड़े समुदायों जैसे सुढ़ी, डोम, दुसाद और कुर्मी-महतो से ताल्लुक रखते थे। सोरेन के तत्कालीन कांग्रेस नेता एम. पी. ज्ञानरंजन से करीबी संबंध थे जिसके फलस्वरूप उनकी नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी से नजदीकियाँ बढ़ी। 1972 में उन्होंने दुमका लोक सभा सीट से विजय प्राप्त की। सोरेन की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों से चिढ़कर जेएमएम के कुछ युवा सदस्यों ने जमशेदपुर में एक संगठन बनाया और आल झारखंड छात्र संघ (एजेएसयू) की नींव रखी। इस कदम का जेएमएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जेएमएम ने 1991 के लोकसभा चुनावों में छह स्थानों पर कामयाबी हासिल की।

उसी वर्ष एक अन्य **विदेश में शिक्षित** नेता राम दयाल मुण्डा का उदय हुआ जिसने जनजातियों के बिखरे टुकड़ों को फिर से एकजुट कर झारखंड आंदोलन की मशाल को फिर से प्रकाशित कर दिया। उनके मार्गदर्शन में जून 1987 में झारखंड कोर्डिनेशन कमिटी का गठन हुआ जिसमें जेएमएम के खंडों को शामिल करते हुए 48 संगठन अथवा समूह थे। मुण्डा के कारण ही सोरेन, मंडल और एजेएसयू के नेताओं जैसे सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्के ने साझा राजनीतिक मंच पर शिरकत की। परंतु जेएमएम ने अपने आप को जेसीसी से पृथक कर लिया क्यों कि इसकी नजर में संयुक्त नेतृत्व एक परिहास के सिवा कुछ नहीं था। 1988-89 में जेएमएम, एजेएसयू और जेपीपी ने बंध और आर्थिक अवरोधों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसी मध्य भाजपा ने बिहार के 18 जिलों को समेकित कर पृथक वनांचल की माँग रखी क्यों कि उनका तर्क था कि महा झारखंड की माँग व्यावहारिक नहीं है।[3]

इसके प्रत्युत्तर में, बूटा सिंह, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, ने राँची विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति रामदयाल मुण्डा से झारखंड पर एक प्रतिवेदन तैयार करने का अनुरोध किया। मुण्डा ने सितंबर 1988 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें महा झारखंड को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। अगस्त 1989 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड मामलों पर एक समिति (सीओजेएम) का गठन किया जिसे इस मामले में जाँच के लिए अधिकृत किया। इसके पश्चात बिहार के मुख्य मंत्री सत्येंद्र नारायण सिंहा, केंद्र सरकार और झारखंड समूहों के मध्य अनेक वार्ताओं के दौर चले। सितंबर 1989 में सीओजेएम ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनेक विकल्पों को समाहित किया गया। इन संभावनाओं में महा झारखंड की स्थापना, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अथवा झारखंड जनरल परिषद की स्थापना शामिल थी। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद (जेएसीसी) की स्थापना हुई जो त्रिदलीय समझौते का परिणाम थी। इन तीन समूहों में राजेश पायलट, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि तत्कालीन गृह मंत्री, बिहार सरकार के नुमाइंदे, लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन बिहार मुख्यमंत्री और झारखंड नेता जैसे सोरेन, मुण्डा, मंडल, बेसरा और तिर्के शामिल थे। होरो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने जेएएसी को एक धोखा करार दिया और जनजातीय पृथक राज्य की माँग को जारी रखने की बात की। एजेएसयू और जेपीपी ने भी होरो के रुख का समर्थन किया।

झारखंड - एक पृथक राज्य

झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई जो कि पचास वर्षों से भी अधिक अवधि के लिए झारखंडी पहचान को सुविकसित करने के लिए लोगों द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का परिणाम था। इसकी वजह से अपने पक्ष में नीति प्रक्रम को प्रभावित करने और राजनीतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प सामाजिक संगठनों को खासा नुकसान हुआ। झारखंड भारत का 28वाँ राज्य बना। झारखंडी पहचान और स्वायत्तता की माँग केवल जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के विलक्षण होने पर आधारित नहीं थी बल्कि इस क्षेत्र के आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक हालात को ठीक करने के लिए प्रयुक्त विकास नीति का विफल होना इसके कारणों के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।

संसाधनों की गतिकी और विकास की नीतियाँ वर्तमान में भी झारखंड के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को प्रभावित करती हैं क्यों कि झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के दक्षिण में स्थित तुलनात्मक ढंग से अल्प विकसित भाग को पृथक कर किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार, इस राज्य की जनसंख्या करीब 20 मिलियन है जिसमें से 28 प्रतिशत आबादी जनजातीय है।[4] जबकि 12 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। झारखंड में 24 जिले, 260 खंड और 32620 ग्राम हैं जिनमें से केवल 45 प्रतिशत ही विद्युतीकृत हैं और केवल 8484 ग्राम ही सड़कों से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बाद, झारखंड देश का खनिज

संपदा दोहन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह राज्य खनिजों की विविध एवं प्रचुर संपदा से समृद्ध है जिसमें लौह अयस्क, कोयला, ताम्र अयस्क, माइका, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन और यूरेनियम प्रमुख है। झारखंड इसकी विशाल वन संपदा के लिए भी मशहूर है।[5]

प्रशासनिक जिले

इस राज्य का निर्माण पूर्व में दक्षिण बिहार के भाग 18 जिलो को मिलाकर किया गया। इन जिलों को पुनर्गठित कर छह नए जिले बनाए गए लातेहार, सराईकेला खारसावन, जमतारा, साहेबगंज, खुंटी और रामगढ़। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं :- राँची, लोहरडागा, गुमला, सिमडेगा, पलामु, लातेहार, गढ़वा, पश्चिम सिंहभूम, सराईकेला खारसावन, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जमतारा, साहेबगंज, पकुर, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडर्मा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, खुंटी और रामगढ़।[6]

नक्सल आतंकवाद

झारखंड नक्सलवादी-माओवादी अतिवाद के केंद्र पर स्थित है। 1967 में नक्सलियों के उत्थान के समय से नक्सलियों और पुलिस तथा इसके पैरामिलिटरी समूहों जैसे साल्वा जुडाम के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों में 6000 लोग मारे जा चुके हैं। झारखंड उन तेरह राज्यों में से एक है जहाँ नक्सलियों का खासा प्रभाव है।[7] 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय संसद के सदस्य सुनील महतो को उस वक्त गोली मार दी गई जब वे राज्य की राजधानी राँची के 160 किलोमीटर (99 मील) पूर्व में किशनपुर के पास हिन्दू त्यौहार होली क अवसर पर फुटबाल मैच देख रहे थे।[8]

भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.8 प्रतिशत और भारतीय जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत होने के बावजूद झारखंड 92000 वर्गकिलोमीटर लंबी नक्सल पट्टी का भाग है। यहाँ 20000 के लगभग लड़ाका है जो नक्सल पट्टी पर सर्वाधिक घनत्व है। इस समस्या के इस क्षेत्र मे भीषण होने का कारण इस क्षेत्र में खनिज और प्राकृतिक संपदा का प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होना और इस क्षेत्र के निवासियों का अत्यंत विपन्न परिस्थितियों में जीना है। गरीब और विपन्न होने के कारण साम्यवादी अतिवादियों को भर्ती में पर्याप्त लोग उपलब्ध हो जाते हैं। साम्यवादी आतंकवादी तर्क देते हैं कि वे संसाधनों के दोहन से होने वाले लाभों से सर्वाधिक वंचित और भूमिहीन निर्धनों की ओर से जंग लड़ रहे हैं।[9] संघीय सरकार का राज्य के उपसतही परिलाभों पर एकाधिकार है। अत: जनजातीय जनसंख्या को उनकी ही भूमि पर स्थित प्राकृतिक संसाधनों पर दावे से निरुद्ध कर दिया जाता है। इसकी प्रतिक्रिया में अतिवादियों ने एक नवीन अभियान प्रारंभ किया है जिसमें उन आधारभूत साधनों को लक्ष्य बनाया जाता है, जो भारतीय ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जीवंत संसाधनों जैसे कोयला आदि के दोहन और खनन से संबंधित हैं। अतिवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक नवीन योजना लागू की है जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों को सहयोग करने वाले ग्रामीणों को मोबाइल फोन देने का प्रावधान है।[10] यद्यपि जासूसी अधिकारियों को यह अंदेशा है कि सूचनाएँ अप्रमाणिक और गलत हो सकती हैं तथा आम ग्रामीणों को विद्रोहियों से पृथक कर उनकी पहचान करना लगभग नामुमकिन है।

सरकार और राजनीति

झारखंड के वर्तमान मुख्य मंत्री भारतीय भारतीय जनता पार्टी के रघुबर दास हैं जो 28 दिसंबर 2014 को वर्तमान पद पर आए। इनसे पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन थे जिन्होंने झारखंड के नवें मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया। 15 नवंबर 2000 में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से 2014 दिसंबर से रघुबर दास के कार्यकाल तक दस मुख्यमंत्रियों का होना राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का बड़ा प्रमाण है तथा नवीन राज्यों के निर्माण के पीछे राजनीतिक मजबूती का तर्क देने वाले तार्किकों को गलत साबित करता है। जहाँ खनिज संपदा के प्रचुर मात्रा में विद्यमान होने और प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद स्थानीय राजनीति में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने झारखंड को प्रत्याशित गति से विकास के मार्ग पर नहीं चलने दिया वहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में नक्सलवाद भी अपना डरावना चेहरा लिए झारखंड के लिए एक दु:स्वप्न साबित हो रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सिंह कुमार सुरेश, बिरसा मुण्डा एंड हिज मूवमेंट : ए स्टैडी ऑव ए मिलेनेरियन मूवमेंट इन छोटानागपुर, ऑक्सफाॅर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1983,*
2. *हॉफमैन जे. बी., ए मिशनरी सोसायटी वर्कर इन इंडिया, एडिट्रिस युनिवर्सिटा ग्रेगोरियाना, 1984*
3. *बेहरा, गौतम कुमार, दी अनरेस्ट एक्सल : एथ्नोसोशियल मूवमेंट्स इन ईस्टर्न इंडिया, मित्तल पब्लिकेशन्स 2008*
4. *भाषा अल्पसंख्यक आयुक्त प्रतिवेदन, 47वाँ प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, भारत सरकार, 2012*
5. *एशिया टाईम्स ऑनलाइन, 9 अगस्त 2006*
6. *दैनिक भास्कर 12 अगस्त 2006*
7. *बीबीसी न्यूज, 5 मार्च - 6 मार्च 2007*
8. *टेलीग्राफ, कोलकाता, 11 जनवरी 2008*
9. *टाईम्स ऑव इंडिया 14/09/2012*
10. *टाईम्स ऑव इंडिया 19/10/2012*

उच्च शिक्षा स्तर पर गुणवता एवं आवश्यकता

मिथलेश कँवर

शोधार्थी, मेवाड विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ

shodhshree@gmail.com

जीवन निर्माण के अनेक महत्वपूर्ण घटक है। उनमें से एक महत्वपूर्ण घटक है - शिक्षा। शिक्षा से जीवन बनता है, संवरता है और नव निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सब तभी संभव है, जब शिक्षा के उद्देश्य सही हो। शिक्षा कई युगों से चली आ रही सतत् प्रक्रिया है, जिसके अर्थ, उपयोग और उद्देश्य उस युग की आवश्यकता पर आधारित रहे हैं। जैसे वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य वेदों की क्लिष्ट ऋचाओं को समझना था। जबकि उत्तरोतर में शिक्षा दर्शन और जीवन दर्शन परस्पर पूरक बने और धर्म से नियंत्रित होने के कारण शिक्षा का उद्देश्य धर्ममय जीवन बना। शनैः शनैः शिक्षा का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना हुआ। परन्तु प्रत्येक युग में शिक्षा केवल सैद्धान्तिक न होकर व्यवहारिक और वास्तविक हुआ करती थी क्या वर्तमान में भी शिक्षा का वही स्वरुप देखने को मिल रहा है? अथवा नहीं।

स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ। लेकिन क्या यह हमारे देश की उच्च शिक्षा छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुयी है? यह एक बड़ा प्रश्न है। आज देश की समस्याओं में शिक्षा की समस्या भी समाविष्ट हैं। ज्ञान प्राप्त करना और सेवा के लिए समर्पित होना शिक्षा का मूलभूत आदर्श रहा है। इसकी विस्मृति होने के कारण सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही हैं।

जिस प्रकार व्यक्ति का चेहरा उसके दिल और दिमाग का आईना होता है उसी प्रकार किसी देश में शिक्षा का स्तर एवं उपलब्धियाँ उस देश के सामाजिक स्तर एवं विकास को प्रतिबिम्बित करती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत सफलताएँ प्राप्त कर आणविक शक्ति सम्पन्न छः देशों में अपना नाम दर्ज कराया है। सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र में महारत हासिल कर प्रक्षेपण तंत्र (Satellite Launching System) बनाने एवं सेटेलाईट भेजने के कार्यों में हम स्वावलम्बी हो चुके हैं। इसी प्रकार खाद्यान्न के क्षेत्र में भी स्वावलम्बी है।

उपरोक्त सभी उपलब्धियों के पीछे मुख्य कारण शिक्षा तंत्र का विकास ही है। अतः शिक्षा के महत्व का कम आंकलन करना एक बड़ी भूल होगी। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो देशवासियों में राष्ट्रीय, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का संवहन करता है व्यक्तियों को झूठी दुर्भावनाओं अनभिज्ञताओं से मुक्ति दिलाता है। उन्हें अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने, सुरक्षित रखने तथा अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति जागरुक कर सही पथ पर अग्रसर होने के लिये संवेदनशीलता प्रदान करता है। हमारे देश का सामाजिक क्षेत्र में विकास, उपलब्धियों एवं अन्य कई मानकों का रेखचित्र उत्साहर्वधक नहीं है अर्थात् इस क्षेत्र में हमें अभी भी कई कदम उठाने होंगे।समाज के हर क्षेत्र, वर्ग की उन्नति एवं गुणवत्ता में बढोतरी का सीधा संबंध गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर होता है। तो प्रश्न उठता है गुंणवत्ता क्या है? भारतीय मानक ब्यूरों के अनुसार किसी उत्पाद (Product) या सेवा में पूर्णरुपेण स्वरुप गुणों की विद्यमानता जो निर्दिष्ट मांग या आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हो।

इस परिभाषा का शिक्षा के संदर्भ में मनन करें तो प्रमाण-पत्र या डिग्री आदि प्राप्त करना या जीविकोपार्जन हेतु धन कमाना नहीं हैं इसका अर्थ उस कौशल अर्जन से भी नहीं है जिसमें व्यक्ति धन, आराम व मनोरंजन

प्राप्त कर सकें। शिक्षा जो प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक व नैतिक रुप से मजबूत बनाए अर्थात् ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को पर्यावरण स्नेही, वैचारिक रुप से व्यवहारिक, संवेगात्मक रुप से स्थिर, राजनैतिक रुप से जिम्मेदार, सामाजिक रुप से क्रियाशील व स्वीकार्य, आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर तथा नैतिक रुप से पवित्र व अनुकरणीय बनाने में सक्षम हो तथा वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का विकास कर सकें।

शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना, लिखना या मात्र किताबी ज्ञान नहीं है अपितु इसका अर्थ मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना होता है।

स्वामी विवेकनान्द के अनुसार – मनुष्य में पूर्व विद्यमान सम्पूर्णताओं को बाहर लाना ही शिक्षा है। गुणवत्ता का अर्थ:- गुणवत्ता से आशय है किसी भी वस्तु का सबसे अच्छा और उपयोगी स्वरुप। शिक्षा में गुणवत्ता अर्थ हैं बालक को जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान कर उसे सुसभ्य नागरिक बनाना।

आज आए दिन अखबार में आती है कि 5वीं के विद्यार्थियों को सामान्य गिनती का ज्ञान नहीं है। 8th and 9th के विद्यार्थी पुस्तक नहीं पढ पाते है। इन खबरों से पता चलता है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना बेहद आवश्यक है। चूंकि राजस्थान के साक्षरता के आंकडे देखे तो पता चलता है कि शिक्षा के स्तर में बढोतरी हुई है वर्ष 1951 में जहां साक्षरता 8.5 प्रतिशत थी वहीं 2011 में बढ़कर 66.1 प्रतिशत हो गई है परन्तु शिक्षा में अभी भी गुणवत्ता की महती आवश्यकता है। साक्षरता में गुणवत्ता के स्तर को कम करने के कई कारक है, जैसे – विद्यार्थियों की लापरवाही, शिक्षा का व्यवसायीकरण, बेरोजगारी, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, उच्च स्तर पर कक्षाओं का संचालन ढंग से नहीं होना, उच्च स्तर पर अध्यापक – विद्यार्थियों का संबंध, अध्यापक/अध्यापिकाओं का स्वार्थपूर्ण व्यवहार, विद्यार्थियों के घर का वातावरण जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके है आदि कारण है जिनके कारण निरन्तर साक्षरता में गुणवत्ता का स्तर नीचे गिर रहा है।

इन कारणों को देखते हुए हमें निम्न प्रयास करने होंगे, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता बनी रह सकें-

1. प्रशिक्षित अध्यापकों का चयन करके शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकेंगें।
2. पाठ्यक्रम में सहगामी-क्रियाओं को अनिवार्य बनाकर।
3. पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाकर शैक्षिक गुणवत्ता को बढा सकेंगें।
4. स्कूल व कॉलेज में कठोर अनुशासन बनाकर एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता करके।
5. एक शिक्षक के तौर पर स्वयं में परिवर्तन लाकर शिक्षा में गुणवत्ता की और कदम उठा सकेंगें।
6. उचित एवं उपयुक्त शिक्षण विधि को प्रयोग में लाकर।
7. अध्यापक अपने उचित एवं उपयुक्त व्यवहार द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता ला सकेंगें।
8. शिक्षक को अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी उसकी प्रतीक्षा करें।

गुणात्मक शिक्षा – एक राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं उत्तम शिक्षकों के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का अत्यधिक महत्व है ताकि भावी अध्यापक व अध्यापिकाओं को योग्य बनाया जा सकें। अध्यापक सत्यवादी, बुद्धिमान, ईमानदार, ऊर्जावान, बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला तथा शोध करने वाला होना चाहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था – ''एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थो में नहीं पढ़ा सकता, जब तक स्वयं सीख नहीं रहा हो। एक दीपक को कभी भी प्रज्जवलित नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी अपनी लौ ना जलती रहे।

विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को समय की आवश्यकता के अनुरुप संशोधित नहीं किया गया है। इसलिए उनकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगे रहते है। उच्च शिक्षा स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता भी संदिग्ध है।

उच्च शिक्षण स्तर पर गुणात्मक शिक्षा की बात की जाये तो निम्न पंक्तियों याद आती है-

काम री पूजा होवे
चमड़ी री नहीं।

अर्थात् आज के युग में काम करने वालों को पूजा जाता है, गोरे काले को नहीं।

आज के वैश्वीकरण के युग व प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में गुणात्मकता ही सब कुछ है। शिक्षा की गुणवत्ता की पहचान अध्यापक अप्रमापीकृत परीक्षण अर्थात् कक्षा-कक्ष अन्तक्रिया, प्रश्न पूछना, गृहकार्य देना आदि के द्वारा मौजूद परिस्थितियों के अनुसार करते हैं जिसकी विश्वसनीयता प्रमापीकृत परीक्षण से कम होती है।

किसी भी शिक्षण संस्था में शिक्षा का स्तर तीन बातों पर निर्भर करता है-

1. प्रबन्धन (Management)
2. शिक्षक (Faculty)
3. विद्यार्थी (Student)

यद्यपि तीनों का कार्य व दायित्व मे अलग-अलग है पर उद्देश्य एक ही है वह है शिक्षा में गुणवत्ता लाना।

शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर में बढोतरी के लिये निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित कर अथक प्रयास करने होंगें।

1. वर्तमान काल में लोग शिक्षण व्यवसाय को ही एक ऐसा व्यवसाय मानते हैं जो अन्य व्यवसायों से बड़ा व सुगम है। अत: शिक्षक को उतना उच्च स्थान प्राप्त नहीं है, जितना कि होना चाहिये। अत: इस व्यवसाय हेतु-

   अ. इस व्यवसाय में इच्छुक व्यक्तियों को ही नियुक्त किया

ISSN 2277-5587

जाना चाहिये जो इसमें विशेष रुप से रुचि रखते हैं ताकि वे पूर्ण लगन व परिश्रम से कार्य करेंगें।

ब. अच्छे अध्यापकों को तैयार करने हेतु उन्हें विशेष रुप से प्रशिक्षण दिया जाये ताकिवे अपने व्यवसाय में अनुभव प्राप्त कर सकें।

स. अध्यापकों को चाहिए कि इस व्यवसाय को सेवा के रुप में ले ताकि व्यवसाय के प्रति व्याप्त लोगों में अनास्था को भली भांति दूर किया जा सकें।

2. आज विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि उन पर पढाई का अत्यधिक बोझ डाल दिया गया है। प्रत्येक माता पिता अपेक्षा करते है कि उनकी संतान अधिकाधिक अंक से उत्तीर्ण हो। आशापूर्ण परिणाम न आने पर विद्यार्थी व माता पिता (दोनों) के मन और मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अत: शिक्षा तंत्र की पुन: संरचना आवश्यक हो गयी है हालांकि इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना होगा।

3. हर वर्ष निश्चित स्वरुप के प्रश्न, तीन घन्टे की परीक्षा में उन्हे विद्यार्थियों के द्वारा हल करना और उसके लिये रटे रटाये उत्तर लिखकर बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने की पद्धति कई वर्षो से निरन्तर चल रही हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में एक अवरोध है।

4. सूचना संप्रेषण तकनीक में हुए क्रान्तिकारी परिवर्तनों से कई स्थानों पर रटने की पद्धति से हटकर परस्पर संवाद शिक्षा पद्धति (Interactive Education) का प्रचलन हो रहा है पर रटने की पद्धति को हटाने के लिये बहुत कुछ कर के ही गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

5. तीन घन्टे की परीक्षा पद्धति में विद्यार्थियों के प्रदर्शन (Performance) के आधार पर आंकलन करने के स्थान पर उनकी कक्षा में सहभागिता, योजना कार्य (Project Work) सम्प्रेषण शक्ति (Communication Skill) अगुवाई करने के गुण (Leadership) पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी (Extra Curricular Activites) आदि के आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आंकलन करना अधिक व्यवहारिक ही न होकर विद्यार्थियों को सार्थक शक्ति प्रदान करेगा जो गुणवत्ता सुधार में एक अहम् कदम होगा।

6. विद्यालय स्तर पर ही विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसाय सहायक एवं शिल्पकलाओं के पाठ्यक्रमों के बारे में ज्ञान देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया जाये। सभी व्यवसायिक, शिल्पगत, विभिन्न विषयों एवं उनके विभिन्न प्रवाहों को पूर्ण सम्मान की दृष्टि से देखा जाये। प्राय: समाज में मेडिकल, इन्जिनियरींग, IIT, IIM, को उच्च दृष्टि से देखा जाता है एवं अन्य पाठ्यक्रमों को हीन दृष्टि से। यहां हमारी सेाच में बदलाव लाना होगा तथा हर विषय, धारा, प्रवाहों (Stream) व शिल्प को पूर्ण सम्मान व गरिमा प्रदान करनी होगी ताकि उन उप विषयों एवं धाराओं के विद्यार्थी गौरान्वित महसूस कर सके और उससे हर क्षेत्र की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

7. कक्षा दस के बाद विद्यार्थियों के सामने केवल तीन विकल्प होते है कला, वाणिज्य तथा विज्ञान। क्यों न हम हमारे तंत्र (System) में एक Major व एक Minor विषय दोनों साथ पढ़ने का विकल्प भी संचालित करें इससे विद्यार्थी रुचि के अनुसार विषय का चयन कर लगन व निष्ठा से पढाई कर पारंगतता प्राप्त कर सकेंगें एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में सहायक होगा।

8. शिक्षण पद्धति में उपरोक्तानुसार बदलाव एवं विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आंकलन उपरोक्त आयामों पर होने से शिक्षा और अधिक व्यवहारिक ही नहीं सार्थक भी होगी। बच्चों का ट्यूशन के प्रति आकर्षण भी कम हो जायेगा। एवं माता पिता द्वारा स्कूल एवं ट्यूशन कक्षाओं में होने वाले दोहरे खर्चे से मुक्ति ही नहीं मिलेगी अपितु सभी वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिलेगा।

अत: निष्कर्ष रुप में यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु केवल कागजी कार्यवाही नहीं व्यवहारिक परिवर्तन करना होगा। एक शिक्षक ही शिक्षक के कार्य व शिक्षा के महत्व को बखूबी जानता है। हम सभी आज यह प्रण ले कि इस दिशा में अवश्य कारगर कदम उठायेंगें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Kandu, C.L. Educational psychology, New Delhi, sterling Publishers Pvt. Ltd. 1986.*
2. *Reddy, K.N.V. : "Man, Values and Education" B.R. Corporation Delhi.*
3. *Ashok A, C'Cruz, : EDU TRACKS Vol. 7 Neel Kamla Publication Pvt. Ltd. Hyderabad.*
4. *Dr. Urmila Goel : Journal of Educational & Psychological Research, Education Society, Rewari (Harayana)*
5. *Dr. Beena Yadav: Journal of Educational & Psychologyical Research Education Society, Rewari (Harayana)*
6. *Dr. C.Shobha Rao: EDU TRACKS Vol. 7 Neel Kamal Publication Pvt. Ltd. Hyderabad.*
7. *भारतीय शिक्षा की समस्याएं- सिडाना, डॉ. आशोक*

कौटिल्य के मन्त्रीपरिषद् विषयक विचार

दिनेश कुमार चारण
व्याख्याता, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू

shodhshree@gmail.com

प्राचीन भारत में राष्ट्र संघटन की दृष्टि से मन्त्रीपरिषद् का महत्वपूर्ण स्थान था। उसकी उत्पत्ति वैदिक युग की राष्ट्रीय सभा से हुई, किन्तु बाद में हिन्दू राजाओं के अभ्युदय तथा उन्नयन की दृष्टि से मन्त्रीपरिषद् की उपयोगिता निरन्तर बढ़ती गई। धर्म, अर्थ, शासन और न्याय आदि विषयों पर लिखे गए ग्रन्थों में मन्त्रीपरिषद् पर इसलिए गम्भीरता से विचार किया गया कि एक चिरस्थायी एवं सर्वांगीण साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसकी आवश्यकता रहती है।[1] आचार्य कौटिल्य के अनुसार –

सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते ।
कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्तेषां च शृणुयान्मतम् ।।

अर्थात् 'जिस प्रकार एक पहिया, रथ को नहीं चला सकता है उसी प्रकार राज्य का संचालन अकेले राजा से नहीं हो सकता। राजा को राज्य कार्य के सफल संचालन मे सहयोग के लिए सुयोग्य अमात्यों के सद्परामर्श की आवश्यकता होती है।'[2] अमात्य, राजा को अनर्थकारी कार्य करने से भी रोकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी अमात्य, मन्त्री नहीं होते थे परन्तु मन्त्री, अमात्य अवश्य होता था। जब कोई अमात्य धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा आदि सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेता था तो वह राजा द्वारा मन्त्री नियुक्त किया जाता था। शेष अमात्य अपनी विशिष्टता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के विभागाध्यक्ष बनाए जाते थे।[3] इस प्रकार मन्त्री का पद अमात्य से अधिक महत्वपूर्ण था।

मन्त्री–परिषद् के सदस्यों की संख्या के विषय में अर्थशास्त्र में पूर्व विद्वानों के मतों का उल्लेख किया है। मनु के अर्थशास्त्रविद् अनुयायियों का इस सम्बन्ध में कहना है कि मन्त्री परिषद् में बारह अमात्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए।[4] बृहस्पति के अनुयायी विद्वान सोलह मन्त्रियों के पक्ष में है जबकि शुक्राचार्य सम्प्रदायी बीस मन्त्रियों की वकालत करते हैं।[5] इन्द्र की मन्त्रीपरिषद् में एक हजार ऋषि थे।[6] इस संदर्भ में कौटिल्य का कथन है कि मन्त्रियों की संख्या आवश्यकतानुसार होनी चाहिए।[7] संभवत: कौटिल्य की मन्त्रीपरिषद् में अठारह सदस्य रहे होंगे क्योंकि अर्थशास्त्र में तीर्थों की संख्या भी अठारह दी गई है। मन्त्रीपरिषद् के मुखिया को मन्त्रीपरिषदाध्यक्ष कहा गया है, जो कि आवश्यकता के समय परिषद् की बैठक का आयोजन करता है। अर्थशास्त्र में एक मन्त्रिण(आधुनिक कबिनेट) का भी प्रावधान किया है। जिसमें तीन या चार सदस्यों को ही उपयुक्त माना गया है। आचार्य कौटिल्य का मत है कि मन्त्रिण में राजा आपातकालीन एवं अति महत्त्वपूर्ण विषयों पर गुप्त मन्त्रणा कर उसके निर्णय पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें। सम्भवत: मन्त्रिण में प्रधानमन्त्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज ही सदस्य रहे होंगें। क्योंकि ये राज्य में सर्वोच्च वेतन प्राप्त करने वाले अमात्य थे।[8] कौटिल्य ने मंत्रियों की चयन प्रक्रिया पर विशेष बल दिया है। मन्त्रियों के लिए यह आवश्यक था कि अमात्योचित गुणों के अतिरिक्त अन्य वांछित परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण हो। कोई अमात्य ही मन्त्री बन सकता था, अत: मन्त्री का पहले अमात्य बनना अनिवार्य था।[9] कौटिल्य ने अमात्यों की नियुक्ति विषय पर पूर्व विचारकों के मतों का उल्लेख किया है।[10] आचार्य भारद्वाज का मत है कि राजा, अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, तो आचार्य विशालाक्ष इसे अनुचित मानते हुए कहते हैं

 ISSN 2277-5587

कि अमात्य उनको बनाना चाहिए जो गुप्त कार्यों में राजा के सहयोगी रहे हो।[11] आचार्य पराशर को भय है कि राजा, गुप्त राज का भेद खुलने के भय अमात्य के वश में हो जाएगा। इसलिए जो पुरुष राजा की प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करे, उनको अमात्य बनाना चाहिए।[12] यहाँ आचार्य पिशुन का मत है कि यह सेवाधर्म तो है परन्तु बुद्धि का प्रमाण नहीं है, जो कि अमात्य का सर्वोच्च गुण है।[13] अत: अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जो किसी कार्य में विशेषज्ञ हो।[14] आचार्य कौणपदन्त की दृष्टि में ऐसे लोग अमात्योचित गुणों से शून्य होते हैं। अमात्य पद पर जो वंश परम्परा से नियुक्त हो, उन्हीं के वंशजों को इस पर नियुक्त किया जाना चाहिए।[15] आचार्य वातव्याधि की मान्यता है कि इस प्रकार के अमात्य, राजा के सर्वस्व को अपने अधीन करके राजा के समान स्वतन्त्र वृत्ति वाले हो जाते हैं। अत: एक राजा नीतिकुशल नये व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करें।[16] नये अमात्य, दण्डधारी राजा की कभी भी अवमानना नहीं करते हैं। बाहुदन्तीपुत्र के मत से यह भी ठीक नहीं है। वे कहते हैं नीतिशास्त्र पारंगत किन्तु क्रियात्मक अनुभव से शून्य व्यक्ति राजकार्यों को नहीं कर सकता है। इसलिए जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर और राजभक्त हो, उनको अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए।[17] कौटिल्य के मतानुसार भारद्वाज से लेकर बाहुदन्तीपुत्र तक की विचार परम्परा अपने-अपने स्थान पर ठीक है।[18] राजा को चाहिए कि वह विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, दोष, देश, काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करें। राजा अपने सहपाठी की भी सर्वथा अवहेलना न करे, किन्तु उन्हें अपना मन्त्री कदापि न बनाए।[19] इस प्रकार चयनित अमात्यों की सामान्य पदों पर नियुक्ति करके राजा, मंत्री(इसका तात्पर्य प्रधानमंत्री से ही है) और पुरोहित के सहयोग गुप्त उपायों के द्वारा उनके आचरण की परीक्षा करे।[20] धर्मोपधा परीक्षा के अन्तर्गत राजा पुरोहित को किसी नीच जाति के यहाँ यज्ञ करने तथा पढ़ाने के लिए नियुक्त करे। जब पुरोहित इस कार्य के लिए विवशता प्रकट करे तो राजा उसे पदच्युत करें।[21] वह पदच्युत पुरोहित गुप्तचरों के माध्यम से अमात्यों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करे और उन्हे कहे कि यह राजा बड़ा अधार्मिक है।[22] इसके स्थान पर किसी पात्र व्यक्ति को राजा बनाए। यदि अमात्य पुरोहित के इस प्रस्ताव को नकार दे तो उसे पवित्र ह्रदय वाला समझना चाहिए।[23] अर्थोपधा परीक्षा के लिए राजा सेनापति को किसी निन्दनीय या अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए भेजे। जब सेनापति इसके लिए इन्कार करे तो राजा उसे पदच्युत कर देवे। वह अपमानित सेनापति गुप्तभेदियों के द्वारा अमात्यो को धन का प्रलोभन देकर राजा के खिलाफ उकसाने का कार्य करे। यदि अमात्य इसका विरोध करे तो समझ लेवे कि अमात्य अर्थोपधा परीक्षा में सफल रहा है।[24] कामोपधा नामक परीक्षा में राजा किसी गुप्तचर स्त्री को अन्त:पुर में बुलाकर उसका सत्कार करे। संन्यासिनी का भेष धारण करने वाली यह स्त्री एक-एक अमात्य के निकट जाकर कहे महामात्य, महारानी जी आप पर आसक्त है। आपके समागम के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। यदि अमात्य उसका विरोध करे तो उसे पवित्रचित समझना चाहिए।[25] भयोपधा में नौका-विहार के लिए एक अमात्य दूसरे अमात्य को बुलाये और इस प्रस्ताव पर राजा सबको दण्डित करे। तदन्तर राजा का एक गुप्तचर दण्डित अमात्य के निकट जाकर उससे यह कहे कि यह राजा बहुत बुरा है, इसका वध करके दूसरा राजा नियुक्त कर देते हैं। सभी अमात्यों को यह स्वीकृत है, आपकी क्या राय है। प्रत्युत्तर में यदि अमात्य विरोध करे तो उसको शुभचित समझना चाहिए।[26] इस प्रकार गुप्त भय सम्बन्धी उपायों द्वारा अमात्य की शुचिता की परीक्षा को भयोपधा कहते हैं।[27] कौटिल्य की नियुक्ति योजना के अन्तर्गत, जो अमात्य धर्मपरीक्षा में सफल रहे न्याय संबंधी कार्यों में तथा अर्थपरीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को समाहर्त्ता तथा सन्निधाता के पदों पर स्थापित करना चाहिए।[28] कामपरीक्षा में परीक्षित अमात्यों को विलास स्थानों तथा अन्त:पुर सम्बन्धी रक्षा की व्यवस्था में एवं भयपरीक्षा में सफल अमात्यों को राजा की निजी सुरक्षा में नियुक्त करना चाहिए।[29] सभी परीक्षाओं में असफल रहे अमात्यों को खदानों, हाथियों और जंगलों आदि की परिश्रम साध्य व्यवस्था का भार सौंपना चाहिए।[30] इसके अतिरिक्त जो अमात्य सभी परीक्षाओं में सफल रहे उन्हें मन्त्रि पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।[31]

अर्थशास्त्र में लिखा है कि मन्त्री नियुक्त करने से पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रमाणिक, सत्यवादी एवं आप्त व्यक्तियों के द्वारा उनके निवास स्थान, उनकी आर्थिक स्थिति, योग्यता, शास्त्रज्ञान, बुद्धि, स्मृति, चतुराई, वाक्पटुता, प्रगल्भता, प्रतिभा, उत्साह, प्रभाव, सहिष्णुता, पवित्रता, मित्रता, दृढ़ता, स्वामिभक्ति, शीलबल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति का पता लगाए और उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेषरहित प्रकृति की परीक्षा स्वयं राजा करे।[32] इन मन्त्रियों में प्रधानमन्त्री का पद अतिमहत्त्वपूर्ण था जिसे अर्थशास्त्र में मन्त्री[33], अमात्य[34] महामंत्री[35] आदि नामों से सम्बोधित किया है। कौटिल्य के अनुसार स्वदेशोत्पन्न, कुलीन, अवगुण शून्य, निपुण सवार, ललितकला विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, बुद्धिमान, स्मरणशक्ति सम्पन्न, चतुर, वाक्पटु, प्रगल्भ, प्रतिवाद तथा प्रतिकार करने में सामर्थ्य, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता-योग्य, दृढ़ स्वामिभक्त, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, धैर्यवान, निरभिमानी, स्थिर प्रकृति, प्रियदर्शी और द्वेषवृत्ति रहित पुरुष ही प्रधानमन्त्री के पद के योग्य होता है।[36] वास्तव में पद की महत्ता को देखते हुए इस पद पर आसीन होने के लिए अमात्य का श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना आवश्यक था। यद्यपि सभी नियुक्तियाँ राजा के द्वारा ही होती थी तथापि उपधा परीक्षा में प्रधानमन्त्री और पुरोहित का महत्त्वपूर्ण भाग होता था।[37] अर्थशास्त्र में मन्त्रीपरिषद् का प्रमुख कार्य मन्त्र (परामर्श) देना है।[38] राजा, मन्त्रणा के लिए तीन या चार मन्त्रियों का ही चयन करे।[39] संभवत: सेनापति के अतिरिक्त इन मन्त्रियों के पास कोई विभाग नहीं होते थे फिर भी वे अन्य विभागों

की देखरेख का कार्य करते थे। मन्त्रीपरिषद् के सदस्यों को अड़तालीस हजार पण वेतन मिलता था। यह वेतन मासिक था या वार्षिक, इसका कौटिल्य ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। परन्तु यह वार्षिक प्रतीत होता है, जो कि सर्वाधिक था। वेतन के अतिरिक्त इन्हें आवास की सुविधा भी प्राप्त थी।[40] निश्चित रुप से मन्त्रीपरिषद् में प्रधानमन्त्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज ही रहते होंगे। राज्य के महत्त्वपूर्ण कार्यो के सम्पादन में राजा के बाद इन्हीं का उल्लेख।

कौटिल्य के मतानुसार मन्त्रीपरिषद् की बैठक का स्थान चारों तरफ से बन्द होना चाहिए, यहाँ तक की पक्षी भी न देख सके और न सुन सके।[41] मन्त्रणा स्थान पर राजा की आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश न करने दिया जाए। यदि कोई मन्त्रणा के भेद प्रकट कर दे तो उसे समाप्त कर देना चाहिए।[42] कौटिल्य चाहते हैं कि सभी कार्यो को सम्पन्न करने से पहले राजा मन्त्रीपरिषद् में विचार करे।[43] बैठक एवं विचार का गोपनीय रहना आवश्यक है।[44] कौटिल्य के अनुसार मन्त्रीपरिषद् के प्रमुख कार्य इस प्रकार से है- राज्य की आन्तरिक और बाह्य स्थिति पर विचार करना, जिन कार्यो को प्रारम्भ नहीं किया गया उन्हें प्रारम्भ करना, लम्बित कार्यो को पूर्ण करना, पूर्ण कार्यों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिमार्जन करना एवं आज्ञाओं का पालन करना।[45] इसके अतिरिक्त विपत्तिकाल में राजपुत्र का अभिषेक करना भी मन्त्रीपरिषद् का प्रमुख कार्य है।[46] अत: कौटिल्य की राज्यव्यवस्था में मन्त्रीपरिषद् का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली स्थान था। मन्त्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति राजा की इच्छा पर निर्भर थी परन्तु राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। सामान्यत: मन्त्रियों की मन्त्रणा के बिना कोई कार्य प्रारम्भ नहीं होता था। कौटिल्य का कथन है कि गुरुजन और अमात्य वर्ग(मन्त्रीपरिषद) ही राजा की मर्यादा को निर्धारित करते हैं तथा अनर्थकारी कार्यो से रोकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित से संवर्धित, सर्वगुण सम्पन्न योग्य मन्त्रियों के परामर्श से अभिरक्षित और शास्त्रोक्त अनुष्ठानों का आचरण करने वाला राजा युद्ध के बिना भी अजेय एवं अलभ्य वस्तुओं को सहज में ही स्वायत्त कर लेता है।[47] अत: कहा जा सकता है कि राज्य की उन्नति एवं अवनति मन्त्रियों की ही योग्यता पर निर्भर रहती है, जिसकी प्रासंगिकता शाश्वत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *गैरोला, वाचस्पति : कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, भूमिका, पृष्ठ संख्या 33*
2. *वही : 1/6*
3. *वही : 1/9*
4. *वही : 1/14*
5. *शास्त्री, उदयवीर : कौटिलीय अर्थशास्त्र, 1/15/54-55*
6. *वही : 1/15/60*
7. *वही : 1/15/56*
8. *गैरोला, वाचस्पति : पूर्वोक्त, 5/3*
9. *वही : 1/9*
10. *वही : 1/7*
11. *शास्त्री, उदयवीर : पूर्वोक्त, 1/8/1-5*
12. *वही : 1/8/10*
13. *वही : 1/8/13*
14. *वही : 1/8/14*
15. *वही : 1/8/18*
16. *वही : 1/8/25*
17. *वही : 1/8/29*
18. *योगी, श्रीभारतीय : कौटिल्य अर्थशास्त्र, 1/8*
19. *शास्त्री, उदयवीर : पूर्वोक्त, 1/8/33*
20. *गैरोला, वाचस्पति : पूर्वोक्त, 1/9*
21. *शास्त्री, उदयवीर : पूर्वोक्त, 1/10/2*
22. *वही : 1/10/4*
23. *वही : 1/10/6*
24. *वही : 1/10/9*
25. *वही : 1/10/12*
26. *वही : 1/10/18*
27. *वही : 1/10/19*
28. *शास्त्री, उदयवीर : पूर्वोक्त, 1/10/21*
29. *वही : 1/10/23*
30. *वही : 1/10/25*
31. *शामशास्त्री, आर : कौटिल्या अर्थशास्त्रा, 1/10/16*
32. *गैरोला, वाचस्पति : पूर्वोक्त, 1/8*
33. *वही : 1/9*
34. *वही : 5/6*
35. *वही : 1/12*
36. *वही : 1/8*
37. *मिश्र, भुवनेश्वरीदत्त : कौटिलीय राजनीति, पृष्ठ संख्या 148*
38. *प्रसाद, ओमप्रकाश : कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पृष्ठ संख्या 201*
39. *शामशास्त्री, आर : पूर्वोक्त, 1/15/11*
40. *गैरोला, वाचस्पति : पूर्वोक्त, 2/4*
41. *वही : 1/14*
42. *शास्त्री, उदयवीर : पूर्वोक्त, 1/15/6*
43. *प्रसाद, ओमप्रकाश : पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 201*
44. *वही : 1/15/13*
45. *गैरोला, वाचस्पति : पूर्वोक्त, 1/14 एवं मिश्र, भुवनेश्वरीदत्त : पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 156*
46. *वही : 5/6*
47. *वही : 1/8*

Study on Behavior Problems of Individuals With Intellectual Disabilities Residing in a Residential Set Up.

Narendra Kumar
Sannidhi Institute for Disability Rehabilitation Koheda,
Hayathnagar Mandal, Rangareddy (Telangana)

shodhshree@gmail.com

Intellectual and developmental disabilities constitutes a major share of permanent handicapping conditions in young children. Also called 'mental retardation', these persons are characterized by appearance of being dull and slow, having slow rates of development since birth in all areas, discrepancy between physical and current mental ages, poor academic achievements with repeated failures at school; along with dependence on others in performance of daily activities like dressing, bathing, toileting, grooming, brushing, etc. They are slow in understanding, memory, attention-concentration, imagination, thinking, reasoning, problem solving, and decision making. They have difficulties in expression or understanding of language-verbal and non-verbal, in managing money, telling time, reading calendar and orientation within familiar surroundings. As adults, they show incompetence in performance of vocational activities expected for their age. At all age levels and ranges of severity they are inadequate in social skills like greeting, community orientation, manners and etiquette. Sometimes, not always, they have associated features like mental illness, fits, problem behaviors, etc (Khajevand & Venkatesan 2010). Many times children with mental retardation show behaviors that are considered as problematic, because of the harm or inconvenience them cause others or to the child himself the presence of problem behaviors in children puts great strain on teachers, parents and peer groups. Besides they may also interfere with learning in school and classroom setting. These problem behaviors could be due to a number of reasons. From behavioral point of view, it may be due to lack of communication skills, cognitive skills or problem solving skills etc. It may also be due to wrong handling by people in the environment of the child. It also occurs due to inadequate management (Venkatesan 2003). In recent years, there has been a good deal of attention focused on the occurrence of behavior problems in older children and adolescents with developmental disabilities, including those with mental retardation.

Review of Literature

Before addressing how behavior problems may develop in children with

developmental delays, it is useful to provide some background on the key issues associated with behavior problems in children and adolescents with developmental delays that set the stage for understanding how such problems may develop. Prevalence in the population as well as the descriptive data on the types of behavior disorders typically associated with developmental delay are especially important concerns for clinicians with interests in this population of children. The prevalence of psychopathology reported in the literature varies considerably, ranging from low estimates of less than 10% to high estimates of more than 80% across age groups (Borthwick- Duffy, 1994; Nezu, Nezu, & Gill-Weiss, 1992).

Across the childhood period, research indicates that the presence of behavior problems in children with developmental problems is substantial. For example, Jacobson (1990) reported a prevalence of 40% in children aged 5 to 17 years, with a wide range of diagnoses apparent. In a study of children with mental retardation and epilepsy, Steffenburg, Gillberg, and Steffenburg (1996) also found high rates of psychiatric diagnoses. Within the population of children diagnosed with mild mental retardation, the most common diagnoses were autism and autism-like disorders. Eighteen percent of the children with mild mental retardation were diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

It seems clear that children with developmental disabilities have a greater risk for behavior problems than the children who are typically developing, and children with mild delays are at somewhat greater risk overall. The full range of behavior disorders may be found in these children, and even young children show an array of difficulties that include oppositionality, anxiety, ADHD, and poor peer-related social competencies. Children with mild delays appear to be at greatest risk, as these children have the cognitive abilities to avail themselves of wider behavior choices, and individual differences in children remain important in determining the degree and extent of the behavior problems that surface. Although behavioral patterns characteristic of children with specific syndromes are growing in their popularity as explanations of problematic behavior, there are still a number of exogenous and endogenous factors that may be critical to the emergence of behavior problems early in children's lives (Crnic et. all. 2004).

The emergence of behavior problems in young children with developmental delays reflects an intricate transaction of factors merging across time. These factors likely include the endogenous indices of children's biologic condition that creates the developmental disability itself, and the child's temperamental reactivity. Exogenous factors of family functioning and parent-child relationships are also key determinants across time. Endogenous and exogenous factors combine to affect children's ability to regulate their behavior in the face of social and emotional challenge or ambiguity. Given decreased cognitive capacities, these young children struggle to adapt to the demands of emotionally and behaviorally challenging events, and the risk for behavior problems increases. These critical self-regulatory abilities include both emotional and behavioral facets (Eisenberg & Fabes, 1992). Emotion regulation involves extrinsic and intrinsic management of the intensive and temporal features of emotional expressiveness and arousal, whereas behavior regulation refers to the adoption and internalization of a set of standards to manage one's behavior (Kopp, 1992).

Research examining parent-child interactions in families with children with developmental delays has noted that these children pose unique parenting challenges that include intensified behavioral management issues (Baker, Blacher, Kopp, & Kraemer, 1997). Given that these increased demands on parenting may overtax parenting resources and leave parents feeling ineffective, one might expect that, over time, coercive exchanges like those described above

ISSN 2277-5587

might ensue. These exchanges might then predispose children with developmental delays to develop behavioral disorders, resulting in the greater prevalence of behavioral disorders among this group of children than in the general population.

Research has also indicated that parenting stress is an important predictor of children's behavior problems regardless of cognitive functioning (Crnic & Greenberg, 1990; Heller, Baker, Henker, & Hinshaw, 1996). However, given the typically higher levels of stress in families of children with developmental delays, stress can be expected to play an especially significant role in emerging behavior problems. For example, Baker et al. (2002) reported corroborating evidence that parents of children with developmental delays were more stressed than parents of children without delays. But Baker et al. also reported that in predicting parent stress in parents of children with developmental delays, child behavior problems accounted for significantly more of the variance than the children's level of cognitive functioning.

Thus the development of behavior problems in children with early developmental delays is likely the result of a complex transactional process that includes child characteristics that challenge parents as well as factors that can compromise parenting, thereby adversely affecting children's behavior (Crnic, 2001).

Present Study

This study consists of a longitudinal research design. A group of 52 individuals with Intellectual Disabilities from 8 to 31 years of age (20.65 ± 5.72) and IQ (53.83 ± 5.62) received behavioral intervention at immediately after joining at Sannidhi center for life skills. While taking case histories, parents were asked if their child had any behavioral problems. Often parents reported that children were stubborn, did not listen, cried all the time, bit people, fought, etc., the behavioral assessment scale for Indian Children with Mental Retardation (BASICMR) was administered on every child who was described as having a behavioral problem. The BASIC-MR lists 75 behavioral problems in 10 domains based on their nature. Peshawaria and Venkatesan (1992) at the National Institute for Mentally Handicapped, in India, developed this tool. In most settings, this tool is applicable for evaluating and treating behavioral problems in persons with ID. A decline in score is considered to be an improvement in behavior (reduced behavioral problems). Participants' behavioral progress was monitored and recorded periodically, at least every month by concern educator and every 3 months by rehabilitation psychologist. Behavioral interventions were performed in a residential group home setting. Children in the residential group home received medication for attention deficit hyperactivity disorder, epilepsy and mental illness, but they were not given any psychotropic medications for their behavioral problems. Behavioral outcomes were measured on each child using the BASIC-MR after 1 year of intervention was completed.

Behavioral problems reported by parents were recorded in the study participants' case files and behavioral goals were chosen during parental consultations. A behavior modification plan was prepared after conducting the functional behavior assessment, which provides a clinical function of behavior. In behavior modification, the function is considered to be the cause of the behavior and it is necessary to address the function of the behavior in order to address it. We applied a variety of behavioral modification techniques during interventions. These techniques were selected on the basis of the participant's specific behavioral problem, its function, the severity of the problem and the ability of parents to carry out and conform to the technique. Approximately 3-4 techniques were applied to each study participant at a time and the techniques used varied on a case-by-case basis. The behavioral techniques used are follows: **(a) Restructuring the Environment** - we tried to prevent the behavior from occurring by changing the setting; **(b) Extinction** - the regulating function of behavior was removed on the

occurrence of the behavior; **(c) Token Economy** - tokens, such as a star or cards, were given to participants, when they exhibited desired behavior, which could be redeemed for edible items at local shop; **(d) Over Correction** - participants were instructed to undo the exhibited behavior. For example, if an item was thrown by a child, the child was instructed to bring the item back and fix the damage or disturbance that occurred as a result of the undesired behavior; **(e) Response Cost** - earned privileges, such as tokens, were with hold if the participant exhibited the behavior; **(f) Differential Reinforcement for Incompatible/ Alternate Behavior** - behaviors that prevented the occurrence of the problem behavior were encouraged; **(g) Differential Reinforcement for Low-FrequencyBehavior** - positive behaviors that did not occur often were rewarded; **(h) Differential Reinforcement for Other** - any positive behavior in place of an undesired behavior was rewarded; **(i) Physical Restraining** - the child was physically restrained to stop the undesired behavior; **(j) Time Out** - the child was removed from the location where the unacceptable behavior was displayed. In addition to being exposed to behavioral interventions, study participants also underwent training on personal care skills, given a daily schedule to follow and were involved in household activities wherever possible.

Result & Discussion

The study participants categorized by using variety characteristics and shows statistical differences between groups (Table 1).

Table 1

Socio Economic Status					**N (52)**	
Middle Social Economic Status					25	
Poor					19	
Very Poor					08	
Age					**N (52)**	
08-13					07	
14-19					13	
20-25					21	
26-31					11	
Age	f	(x)	$f(x)$	$(x-\bar{x})$	$(x-\bar{x})^2$	$(x-\bar{x})^2 f$
08-13	07	10.5	73.5	-10.15	103.02	721.14
14-19	13	16.5	214.5	-4.1	16.81	218.53
20-25	21	22.5	427.5	1.9	3.61	75.81
26-31	11	28.5	313.5	7.9	62.41	686.51
$\sum$	n = 52		1074			1701.99
$\bar{x} = \sum f(x)/f$; 1074/52; 20.6						
$s = \sqrt{(x-\bar{x})^2 f/n}$; $\sqrt{1701.99/52}$; 5.72						
Level of Severity					**N (52)**	
Mild					16	
Moderate					21	
Severe					15	

We found that the majority of the study participants i.e., 48.1% of children in the study came from a family with middle socio-economic status, while all others either very poor (15.8%) or poor (35.5%). Categorizing participants by the severity of their ID showed that 16 children (30.8%) had mild ID, 21 (40.4%) had moderate ID, and 15 (28.8%) had severe ID. The presence of an additional disability along with ID, such as cerebral palsy, epilepsy, mental illness, or Down syndrome was present in 29 children (55.8%). Although their primary disability was

intellectual, children with such additional disabilities were considered to have multiple disabilities.

The number of behavioral problems ranged from 2 to 16. The baseline and post-intervention scores (overall scores and scores separated by domain) were compared using Wilcoxon matched-pairs signed-rank test. Post-intervention scores for each domains and the overall final BASIC-MR score were significantly lower than corresponding baseline scores (P ≤ 0.001), representing statistically significant behavioral improvements across the board [Table 2].

Table 2

Domain	N	%	Median		P = .005
			Base	Post	
Violent & destructive	29	55.8	6	1	0.000
Temper tantrum	36	69.2	6	2	0.000
Misbehaves with others	14	26.9	5	1	0.000
Self-injurious behavior	13	25.0	6	3	0.001
Repetitive behavior	14	26.9	4	1	0.000
Odd behavior	18	34.6	4	1	0.000
Hyperactivity	13	25.0	4	1	0.000
Rebellious behavior	06	11.5	3	1	0.000
Antisocial behavior	06	11.5	4	1	0.000
Fear	03	05.8	2	1	0.000
Overall Score	**52**	**100**			**0.000**

Behavioral intervention was found to be effective in interventional setting. However, improvements varied according to the level of ID, the presence of additional disabilities (multiple disabilities group). The age of participants did not affect behavioral outcomes in this study, which is inconsistent with some studies (Granpeesheh et.all 2009; Harris & Handleman 2000; and Lakhan 2014) and consistent with others (Howlin et.all 2009). The improvement level was found to be different depending on the severity of ID, which can be attributed to the different behaviors that are associated with different severities of ID Forster et.all 2001).

Parents having children with mild and moderate ID were more concerned about their behavioral problems. This concern was likely one reason that these particular parents focused more on their child's behavioral management than parents having children with severe and profound ID. Less dramatic behavioral improvements occurred in children with severe ID and in children who had multiple disabilities.

In parent meetings and trainings, we observed that parents having children with severe ID were somewhat withdrawn and less hopeful about the prognosis of their child's condition compared with other parents. They were more concerned about their child's personal needs, such as helping with eating, toileting, brushing and dressing, sitting, standing, walking and talking. Such parents were more immediately concerned with their child's basic survival, which is related to how well the child can take care of his or her basic personal needs independently.

Baseline and post-intervention BASIC-MR scores across all behavior domains of the scale declined significantly. Behavioral intervention was found to be clinically significant for reducing the frequency, magnitude and duration of poor behaviors. These findings are consistent with several studies that have demonstrated the positive effects of behavioral intervention. (Mancil 2006 & O'Reilly 2010).

Conclusion

Most studies of this nature are conducted with small sample sizes, mostly involve a single subject and apply few behavioral modification techniques (Brosnan & Healy 2001). Our study had comparatively a large sample size and included longitudinal research that employed a range of behavior modification techniques. Parental involvement was the key element of success in this program. In residential settings, other than behavioral management, we must encourage the parents to participate and acquire behavioral skills, change their negative attitudes toward their children and develop better adjustment and coping abilities. Psycho education and involvement of parents in the delivery of behavioral management are also suggested.

References

1. *Baker, B. L., Blacher, J., Crnic, K., & Edelbrock, C. (2002). Behavior problems and parenting stress in families of three-year old children with and without developmental*
2. *Baker, B. L., Blacher, J., Kopp, C. B., & Kraemer, B. (1997). Parenting children with mental retardation. International Review of Research in Mental Retardation, 20, 1–45.*
3. *Borthwick-Duffy, S. (1994). Epidemiology and prevalence of psychopathology in people with mental retardation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62(1), 17–27.*
4. *Brosnan J, Healy O. A review of behavioral interventions for the treatment of aggression in individuals with developmental disabilities. Res Dev Disabil 2011;32:437-46.*
5. *Crnic K., Hoffman C., Gaze C. & Edelbrock C. (2004). Understanding the Emergence of Behavior Problems in Young Children With Developmental Delays. Infants and Young Children. 17, (3), 223–235.*
6. *Crnic, K. (2001, March). Family, emotion, and regulation:Process in the emergence of dual diagnosis. Invited address at the Gatlinburg Conference on Mental Retardation and Developmental Disabilities, Charleston, SC.*
7. *Crnic, K. A., & Greenberg, M. T. (1990). Minor parenting stresses with young children. Child Development, 61, 1628–1637.*
8. *delays. American Journal on Mental Retardation, 107, 433–444.*
9. *Eisenberg, N., & Fabes, R. (1992). Emotion, regulation, and the development of social competence. In M. S. Clark (Ed.), Emotion and social behavior: Review of personality and social psychology (Vol. 14, pp. 119–150). Newbury Park, CA: Sage.*
10. *Forster S, Gray KM, Taffe J, Einfeld SL, Tonge BJ. Behavioural and emotional problems in people with severe and profound intellectual disability. J Intellect Disabil Res 2011;55:190-8.*
11. *Granpeesheh D, Dixon DR, Tarbox J, Kaplan AM, Wilke AE. The effects of age and treatment intensity on behavioral intervention outcomes for children with autism spectrum disorders. Res Autism Spectr Disord 2009;3:1014-22.*
12. *Harris SL, Handleman JS. Age and IQ at intake as predictors of placement for young children with autism: A four-to six-year follow-up. J Autism Dev Disord 2000;30:137-42.*
13. *Heller, T. L., Baker, B. L., Henker, B., & Hinshaw, S. P. (1996). Externalizing behavior and cognitive functioning from preschool to first grade: Stability and predictors. Journal of Clinical Child Psychology, 25, 376–387.*
14. *Howlin P, Magiati I, Charman T. Systematic review of early intensive behavioral interventions for children with autism. Am J Intellect Dev Disabil 2009;114:23-41.*
15. *Khajevand KA, Venkatesan S, Psychological Studies, 2010, 52, 1, 90-94.*
16. *Kopp, C. B. (1992). Emotion and its regulation in early development. New Directions for Child Development, 55, 41–56.*
17. *Lakhan R. Behavioral management in children with intellectual disabilities in a resource-poor setting in Barwani, India. Indian J Psychiatry 2014;56:39-45.*
18. *Mancil GR. Functional communication training: A review of the literature related to children with autism. Educ Train Dev Disabil 2006;41:213-24.*
19. *Narayanan HS, Girimaji SR, Gandhi DH, Raju KM, Rao PM, Nardev G. Brief in-patient famssily intervention in mental retardation. Indian J Psychiatry 1988;30:275-81.*

ISSN 2277-5587

20. Nezu, C., Nezu, A., Gill-Weiss, M. (1992). Psychopathology in persons with mental retardation: Clinical guidelines for assessment and treatment. Champaign, IL: Research Press.

21. O'Reilly M, Rispoli M, Davis T, Machalicek W, Lang R, Sigafoos J, et al. Functional analysis of challenging behavior in children with autism spectrum disorders: A summary of 10 cases. J Autism Spectr Disabil 2010;4:1-10.

22. Peshawaria R, Venkatesan S. Behavioral assessment scales for Indian children with mental retardation (BASIC-MR). Secunderabad, India: National Institute for Mentally Handicapped; 1992.

23. Russell PS, al John JK, Lakshmanan JL. Family intervention for intellectually disabled children. Randomised controlled trial. Br J Psychiatry 1999;174:254-8.

24. Steffenburg, S., Gillberg, C., & Steffenburg, U. (1996). Psychiatric disorders in children and adolescents with mental retardation and active epilepsy. Archives of Neurology, 53, 904–912.

25. Venkatesan S, Mysore, All India Institute of Speech and Hearing, 2003.

Energy Management for Domestic Requirement in Arid Villages

Dr. Niranjana Kumar Bohra
Assistant Professor
Maulana Azad University, Jodhpur

shodhshree@gmail.com

Energy is basic need for mankind for food cooking, water heating, lighting of houses at the domestic front while in agricultural sector energy is required in various field operations, such as pumping of water, spraying of insecticides, post harvest activities and running of agro-cottage industries. As many villages are yet not connected to electric gird and its irregularity the farmers are not able to avail its general benefits if and when required therefore, they look for alternate source. In the domestic front villagers use fuel wood, biomass, kerosene, coal and diesel as energy sources. The problems is more severe for the arid regions due to scarcity of biomass and non-availability of hydro-power. Although, there have been attempts to solve the energy problems through enhancement in electricity production, oil and natural gas explorations, import of petrol, diesel etc., there are concern regarding energy sources availability and its economy . The recent awareness towards environmental. Besides this It is considered necessary to use the available non-conventional energy resources efficiently and judiciously energy requirement and to meet the energy requirements.

Potential of Energy Resources

The arid region is blessed with various renewable non-conventional sources of energy like solar energy, wind power and biogas. The average available value of solar energy in arid region varies from 5.8 to 6.3 kWhm^{-2} day-1 (Garg and Krishnan, 1973; Mani and Rangarajan, 1982).

In an arid village the consumption of fuel for cooking was found to be 68.4 per cent of firewood and 28.6 per cent of animal dung (Gupta et al., 1990) causing an annual consumption of 960 tonne of firewood and 524 tonne of dry animal dung in that village. The availability of woody biomass in arid is limited having only 1.54 t ha -1 in arid zone of Rajasthan indicating the need to identify alternative to firewood and animal dung to save these scares/resources of the region.

Solar Energy Utilization

As mentioned earlier the sum energy is available in plenty in the arid region offers a best viable source of the energy required in the villages of the region.

ISSN 2277-5587

Various solar appliances developed by Central Arid Zone Research Institute(CAZRI) working in the related field have been designed in the group phases to efficiently utilized and economically manage the solar energy.

Cool Chamber

Maintenance of low temperature is a major problem particularly in desert region during summer season when the temperature is relatively very high and electricity is not assured or not available in rural areas. The high ambient temperature decreases shelf-life and spoils the vegetables, milk and milk products. A low – cost passive cool chamber based on the water evaporative cooling reduces temperature fluctuations and successfully preserve vegetables for short periods. It lowers the maximum temperature by about 15 C and maintains humidity over 90%. 3-5 days in summers and 4-7 days in winter. Shelf life of milk and milk product can also be extended for reasonable time. A small size cool chamber costs about Rs. 3000, which can preserve 30-50 kg vegetables fetching good market value of the vegetables besides reducing the spoilage. Skilled workers can easily fabricate cool chambers using local materials. Maintenance cost is negligible and electricity is not required.

Solar PV Pump Drip System

Solar PV pump operated drip irrigation system, comprising 900Wp PV array with 800 W dc motor-pump mono-block an OLPC drippers, economizes the use of water and eliminates practically all the problems that are associated with flood irrigation and is suitable for growing orchards in arid region. The system is based on water requirement of horticultural plants, energy need and compensation of verying pressure due to change in solar radition ensuring uniform application of water in the field. (Pande et.al 2003). The system can command 4-5 ha pomegranate orchard with benefit cost ratio of more than 2 and may prove to be a boon in farms where water and land are available but the area is devoid of electrical power. However, the irrigation.

Main Solar Appliances

(a) Solar Cookers

Considering the shortage of fuel for cooking and the deleterious effects of tree feeling and cow dung burning on the fragile ecosystem of arid region. The solar cooker can be used for boiling rice, lentil, vegetables; roasting groundnut, potato, etc. baking vegetable and preparing Bati and other local food dishes like kheech and kheer.

Types of Solar Cookers

(a) Two mirror box type solar cooker
(b) Solar cooker with tilted absorber
(c) Stationary Solar Cooker
(d) Community Solar Cooker
(e) Solar Cooker for animal feed

Use of such cookers can save about 30-40 per cent of fuel requirement for cooking purpose.

(b) Solar Dryers

The Solar dryer is a convenient device to dehydrate fruit, vegetables, grains and industrial products efficiently while eliminating the problems of open country-yard drying like dust contamination, insect infestation and spoilage.

Following force driven air blowing natural circulation type solar dryers have been designed developed.

Types of Solar Dryers

(a) Low Cost Solar Dryer
(b) A Solar Cabinet Dryer
(c) Solar Dryer With Chimney
(d) Inclined Solar Dryer
(e) The forced convection Dryer

The dryers are finding increasingly more acceptability due to export potential of dried product like garlic, onion, instant chatni, etc. An energy analysis indicated that one can save some 290 to 300 kWh m^{-2} equivalent energy by the use of these dryers.

(c) Solar Stills

Solar Stills are useful devices for production of distilled water, required in batteries and laboratories. It can be used to provide potable water in remote places from non-potable water

available in area. The double sloped solar stills produce 1-2 1 m-2 day -1 during winter months and 3-3.5 1 m-2 in summer. It provide about 3-3.5 1sq m-1 day-1 distilled water. Solar still developed has been installed in arid areas at various electric station for the maintenance of batteries (Thanvi and Pande, 1989c). The solar still developed at CAZRI have been adopted by Railways and Army units for getting distilled water.

(d) Solar Water Heaters

Hot water is required for different domestic purposes like bathing, washing of clothes and utensils. It is also needed in textiles and dairy industries. Collector-cum-storage and natural circulation type solar water heaters have also been developed at CAZRI. The device provide 100 L hot water of 50-60°C in the winter evening and 40-45°C next day morning after covering the device with insulating cover. The energy saved by use of such water heaters (100 L capacity) was equivalent to 2526 kg of firewood or 167 kg of LPG.

Minor Solar Applications

Besides above described main solar appliances CAZRI has also developed many other devices which help in economic upliftment of village dwellers of this area. Below are a few of them.

(1) Polyhouses

In a view to provide conductive conditions of optimum temperature and humidity for hardening saplings raised through tissue culture (Gupta et al., 1994), for growing mushrooms.

(2) Solar Candle Machine

Chaurasaia et al., (1983) designed, developed and optimized for melting wax a simple solar system, popularly called as solar candle machine to manufacture candles (This technology has been taken over by the National Research Development Corporation of India, New Delhi for its further exploitation and commercialization.

(3) Solar Device For Rose Water Production

A device for making rose water developed by Thanvi and Pande, (1989), has the following features : (i) Arrangement to keep the system at optimum tilt, (ii) especially designed stepped basin for keeping the rose petals and water conveniently even on inclined position and (iii) Open able cover which facilitates the cleaning operation., The device has an efficiency of 21.4 percent supplies 3.7 L of rose water in 3 days during winter. (Pande, 1999, Pande 2003c)

(4) Solar Device for Income Generation

The solar polish making machine, comprising a cylindrical melting chamber has especially designed stirrer-cum-heat exchanger that can be operated with ease. The design is such that it could be operated in stationary mode, providing sufficient temperature to melt different waxes, facilitating the addition of ingredients from outside and mixing for getting the desired texture of the polish. The cost of this novel solar machine is about Rs. 6000 only. A person can earn Rs. 3000 a month by its use for making polishes of all kinds.

Many solar gadget such as Solar Cooker cum Dryer, Solar Water Heater-cum-dryers, Solar Cooker cum water heater, Solar tea boiler, Solar cooker cum still & Solar multi purpose devices have also been developed by institution working in this field.

Since, country is heavily dependent on import of crude oil to about 34% of the total consumption cost therefore, the use of solar energy through the devices described in this paper may help to economically and viability utilized this natural energy sources. This besides solving the problems of energy requirement conserving the fragile in the arid zone environment, shall also help in the saving of the foreign exchange required to import the fossil fuel to add in the saving of national exchequer and help to national economy.

References

1. *Garg and Krishnan, 1973; Mani and Rangarajan, 1982.*
2. *Gupta et al., 1999*
3. *Thanvi and Pande, 1989*
4. *Thanvi and Pande, 1989*
5. *Gupta et al., 1994*
6. *Pande, 1999, Pande 2003c*

Water as a Element for Passive Cooling of Building

Ajaypal Singh Rathore
Research Scholar, MBM Engineering College,
Jai Narain Vyas University, Jodhpur

shodhshree@gmail.com

Architecture engages in a continual dialogue with its environment, and water is the one of the fundamental element of that dialogue. Water as an element for passive cooling was created, in all kinds of ways. Owing to its delightful qualities and lucid design, water as a element for passive cooling of building remained the state of art in Indian water management for more then . Rajasthan being a hot aired region, its water resource are among its most valuable natural assets in terms of sustaining human, plant and animal life, as well as making our communities healthy and attractive places in which to live.

The paper presents the psychological impact of water on human also what technology can do to enhance the use of water as element for passive cooling of building by making it an architecture symbol. My purpose of this research is to describe in a simple manner the unique feature of water elements and medium it offer, not only practical implication on improving the performance of human life on the surrounding of a water body as an everyday living environment but also spatial accommodation of different meaning.

The term "passive" implies that energy-consuming mechanical components like pumps and fans are not used.

Importance of Water as a Element for Passive Cooling of Buildings

Passive cooling building design attempts to integrate principles of Physics into the building exterior envelope to:

- Slow heat transfer into a building. This involves an understanding or the mechanisms of heat transfer: heat conduction, convective heat transfer, and thermal radiation (primarily from the sun).
- Remove unwanted heat from a building. In mild climates with cool dry nights this can be done with ventilating. In hot humid climates with uncomfortable warm / humid nights, ventilation is counterproductive, and some type of solar air conditioning may be cost effective.

Water can be seen and used in all forms: it has fluidity in confinement (liquid state), fluidity in no confinement (gaseous state) and absolute rigidity (ice state)

Much that we treasure I architecture in architecture has been built in direct relationship to water. This is no of surprise

Considering that a great proportion of our built environment has, the existence water - be that sea, lake or river. The properties of water in nature are unviable, and its physical behavior cannot be explained with simple equation. Two third of earth's surface is covered with water in various forms.

Analysis and Design Tips For A Hot Dry Climate

Many of the natural cooling methods described in this paper have been successfully utilised in traditional architecture in India. To a great extent the design of individual buildings depends upon the layout of the town and present day bye laws. New housing areas should be so planned that house builders can maximise the use of natural cooling methods.

The advent of electrical energy has raised the degree of thermal comfort in modern buildings to more than what was then acceptable in traditional buildings. If we have enough electrical energy available today to use air conditioners and make up the deficiency of building design and town planning, the advance can continue in the direction of total reliance on electrical energy. But there is no reason to believe that the source of this energy will be constantly abundant forever. If the present trends of energy production and consumption continue, the day may not be far when we shall be compelled once again to look elsewhere.

We have to accept that the degree of comfort will continue to rise, and not remain at its present level in modern society. To reconcile this rise in demand with diminishing sources of energy is the task. To achieve more economical and better comfort standards than prevalent, the new scientific developments and available electrical energy have, in future, necessarily to be harnessed totraditional methods of design which are in harmony with nature.

Ideally, buildings must act as environmental filter at minimum energy cost, and heritage buildings of the past are the best pointers in this regard and constitute outstanding evidence of being energy conscious. These buildings designed and built within contextual natural environment show that form fabric and fenestration help in energy conservation techniques and the intelligent use of spaces, building design and materials ensures optimal comfort from climatic factors invading indoors, without mechanical means, ie, heaters, fans, coolers, air conditioners etc.

What is essential is to take the wisdom of the past and if possible to formulate some conclusion and evolve a building form which will be more humanized, more climate responsive, more visually intricate and more eco-friendly buildings of tomorrow.

Design Tips For A Hot Dry Climate

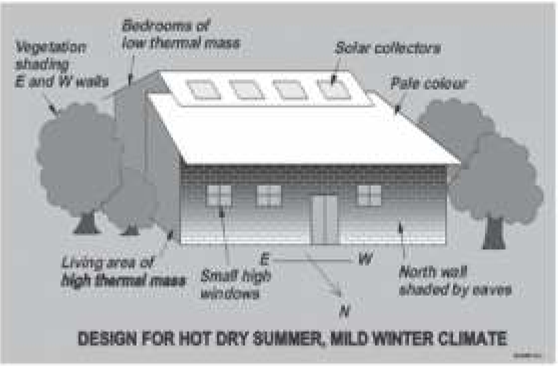

Because of The Intense Sunshine We Need

- Pale surfaces (especially the roof) to reflect the sun;
- Double roof;
- Reflective foil insulation in the roof and walls is essential;
- Small north-facing windows set high under wide eaves. The hotter the summer, the smaller the windows and the wider the eaves. There is a tradeoff, however: small windows reduce night ventilation.
- No windows on eastern or western side of the house;

 ISSN 2277-5587

- Shading for any south-facing windows, if house site is north of 23.5 degrees S;
- Vegetation and/or verandahs around the house, if water supply permits, to provide shade;
- Earth-sheltered and underground housing are ideally suited to this climate;
- This is the perfect climate for solar power.

Because of The Low Humidity of The Air

- Evaporative coolers work well in the dry atmosphere, and use little energy;
- The natural evaporative cooling effect of plants will be specially effective;
- Water features such as fountains and little garden pools are beneficial, if water supply permits.

Because of The Large Day/Night Temperature Swing

- Considerable heat-storage capacity (bricks, stone, concrete) is needed in living areas, to keep daytime temperatures down;
- Bedrooms should be of lighter construction, so they cool quickly at night;
- Through ventilation on summer nights is essential (check the prevailing wind direction on warm summer nights). Roof-mounted exhaust fans can cool buildings at night by extracting hot air via grilles in the ceiling and replacing it with cool air drawn in through open windows.

Because Blowing Dust Can Be A Problem In This Dry Climate

Vegetation around the house is desirable, to filter dust from the air, by impaction. Check with the Bureau of Meteorology office in your state. How common are dust-storms in the district; what is the usual wind direction when blowing dust is reported? Plant trees to block this wind, if blowing dust is a problem in the area.

A Tool for Passive Cooling Of Buildings

The increase of energy demand during the summer period due to the extensive use of air-conditioning systems, has urged the need for alternative ways to cool the buildings. Various passive cooling techniques have been modeled and tested in the frame of many research projects and applications. The present software tool, SUMMER (version 2.0), integrates various models of the performance of passive cooling techniques in a single user-friendly software tool. The SUMMER software is divided in two major parts that run as stand-alone applications. The first part (Techniques) deals with natural and passive cooling techniques, and is capable of simulating the performance of various of them. The second part (Building) deals with the building itself, and simulates its thermal performance with or without the inclusion of passive cooling techniques.

The two parts use identical in format climatic data files, which are extended TRY files. The user can also create his own climatic files.

On line help is available for both parts of SUMMER. Help is based on the Windows Help system and it is quick and easy to use. The present manual which accompanies the software, is giving all the information required about the installation and the execution of the application and also the basic physics upon the software is based.

Summer - Techniques

This part of the software (which runs only under Windows 95) performs simulations about seven natural and hybrid cooling techniques. From the main menu of the tool you can call the following applications:

EARTH (Earth Cooling simulation tool) : This model simulates the operation of a network of parallel underground buried pipes each one having maximum length of 70 meters. The model calculates the air temperature inside the pipes and the soil temperature at pre-defined soil nodes. Each pipe is divided in segments, one meter long each and the temperature is calculated for each segment throughout the simulation

SKY (Air) and SKY (Water) (Radiative Cooling simulation tools using an air-based or a water-based radiator plate respectively) : These models simulate the performance of radiative cooling systems, consisting of radiative heat exchangers (air or water based radiators) and thermal storage media (rock bed or water tank respectively). The models also calculate the sky temperature depression, which is the determinant parameter in evaluating the radiative cooling potential of a certain location.

WATER (Evaporative Cooling Simulation Tool) : This model simulates the performance of the main types of hybrid evaporative air coolers (direct, indirect and two-stages). It calculates the air temperature and relative humidity at the outlet of each cooler type. The calculations are based on the overall efficiency which is a design parameter of each system.

COMFORT (Ventilative Comfort Simulation Tool) : This model performs simulations for single zone, naturally ventilated buildings. It calculates the spatial distribution of indoor air velocities caused by external wind, as well as the degree of comfort caused by the air movement inside the zone. The model is applicable only to certain types of simple buildings. It calculates the minimum, maximum and mean indoor air velocities, as well the air velocity exceeded over a specified percentage of the zone. It also calculates the indoor comfort percentage, which is the percentage of the room area over which a specified comfort air velocity is exceeded.

AIR (Natural Ventilation Simulation Tool) : This model performs simulations for multi zone naturally ventilated buildings. It calculates the air ventilation rates for all the zones, as well as the flow characteristics for each of the external and internal openings of the building. The model calculates the incoming and outcoming air flow and the air changes per hour for all the zones. Also, it gives the upper and lower air flow in each of the external and internal openings as well as the neutral level for each opening.

SUN (Solar Control Simulation Tool) : This model performs simulations for the shading patterns on a window due to one or more shading devices, and for the received direct, diffuse or reflected radiation on a facade. The simulation is performed for a single day and produces hourly values.

Sensitivity Analysis

For some of the above described models, the software is capable to perform sensitivity analyses for various design parameters associated with the cooling techniques, in order to evaluate the effect of each variable upon the performance of the system. In each sensitivity analysis a series of simulations is performed, with all the parameters that affect the performance of the cooling technique kept constant, except one being studied. The value of this variable varies in a range of five fixed values. The results for all simulations are compared and illustrated in graphs.

The variables that can be subject to sensitivity analyses are different for each particular application, as shown below:

- Earth cooling: pipe length, velocity of air inside the pipes, depth at which ripe is buried and pipe radius.
- Radiative cooling (air based radiator) : radiator length, radiator emmisivity, duct height, velocity of air inside the duct and use of wind screen.
- Radiative cooling (water based radiator) : radiator length, radiator emmisivity, tubes diameter, number of tubes per meter of radiator width, water velocity inside the tubes and use of wind screen.
- Natural ventilation : dimensions of external and internal openings.
- Solar control : geometrical characteristics of shading devices and relative position of the devices regarding the geometry of the corresponding opening.

The Future of Passive Cooling

Rudimentary forms of passive cooling have been

used successfully for centuries and much-improved technology is available today. However, continued research and development suggest that even greater improvements will be possible in the future. As population increases in hot regions and as energy becomes scarcer and more costly, the demand for passive cooling increases. Although it is presently only a minor contributor to human comfort when compared with conventional cooling methods, the growing demand will create a large potential market. This will stimulate better design and more effective systems and equipment.

Better materials and equipment for use in passive cooling seem assured because of advances in allied fields, and the increasing focus on passive cooling technologies. Among these advances are:

- Improved heat rejecting metals and other materials
- Automatic movable insulation and shading devices
- Reversible chemical reactions for heat exchange
- Selective window glazing for heat rejection
- Improved desiccant materials

Those interested in passive cooling should guard against too high expectations, however. Passive cooling does not, and probably will not in the foreseeable future, compare in effectiveness with conventional electrical and mechanical cooling techniques. But to the hot and uncomfortable person for whom such equipment is out of reach, passive cooling can be a step up in comfort at a small price.

Conclusion

As a single element water is the most effective for passive cooling but if used in combination in the another elements the effectuation of the system/technique can be improved.

From this review work on passive cooling techniques, conclusions drawn are as follows:

- Developing countries needs a greater focus on cost effective passive cooling techniques.
- The needs of comfort in the rural masonry houses with low availability of electric power necessitates the use of passive cooling.
- The use of cost effective solar shading technique using locally available shading material like terracotta tiles, inverted earthen pots, hay, sania, date palm branches etc. can make this technique viable.
- On an average a depression of six degree centigrade in room temperature has been observed when solar shading techniques are adopted.
- The method of wetted roof involving evaporative cooling using gunny bag is one of the most effective technique giving maximum temperature drop of about ten degree centigrade in room.
- Wetted roof using gunny bags technique may be effectively used only where there is availability of water.
- Further experimental research in the area of solar shading needs to be done to identify locally available material with maximum effective.

References

1 *Sharan G. and Jadhav R. (2003). Soil temperature regime at Ahmedabad. Journal of Agricultural Engineering . (forthcoming)*

2. *Scott N.R.; Parsons R.A. and Kochler T.A. (1965). Analysis and performance of an earth-tube heat exchanger. ASAE paper no.65-840. St. Joseph, Michigan, ASAE.*

3. *Spengler R. W. and Stombaugh D.P (1983). Optimization of earth-tube heat exchanger for winter ventilation of swine housing. Trans ASAE, pp 1186 - 1193.*

4. *Santamouris M., Mihalakaha G. Balaras C.A. Argirioua Asimakopoulos D. and Vallinaras M. (1995). Use of Buried pipes for energy conservation in cooling of agricultural greenhouse. Solar Energy. Vol. 35 PP 111-124*

5. Baxter, D.O. (1992) Energy exchange and related temperature of an earth-tube heat exchanger in heating mode. Trans ASAE, 35 (1) : 275 - 285.

6. Baxter, D.O. (1994). Energy exchange and related temperature of an earth-tube heat exchanger in cooling mode. Trans ASAE, 37 (1) : 257 - 267.

7. Puri V.M. (1986). Feasibility and performance curves for intermittent earth-tube heat exchangers. Trans ASAE, 29(2). March-April, pp.526-532.

8. Goswamy D.Y. and Dhaliwal A.S. (1985). Heat transfer analysis in environmental control using an underground air tunnel. Journal of Solar Energy Engineering, vol.107, pp.141-145.

9. Sawhnay R.L, Budhi D. and Thanu N.M. (1998). An experimental study of summer performance of a recirculation type underground air-pipe air conditioning system, Building and Environment, 34, pp 189 - 196.

MNREGA For Women: A Comparative Study of Pauri & Beeronkhal Block of District Garhwal (Uttarakhand)

shodhshree@gmail.com

Abhay Kumar
Research Scholar, H.N.B. Garhwal University, Garhwal (Uttarakhand)

The first set of programmes, the National Rural Employment Programme (NREP) and the Rural Landless Employment Programme (RLEGP), began in the 1970s as clones of the Maharashtra EGS. NREP launched to use unemployed and underemployed workers to build community assets and RLEGP to provide 100 days of guaranteed employment to one member from each rural, landless household. In 1989, the Rajiv Gandhi government integrated two schemes into one, revamped the schemes and decided delivery would occur through the *Panchayati raj* institutions. Thus born of Jawahar Rozgar Yojana (JRY) was a historical moment. The funds in this scheme would be deposited in the accounts of each village institution responsible for planning development activities used to create employment, and overseeing implementation. The scheme began but it was never given a chance to succeed.

In 1993, the Employment Assurance Scheme (EAS) was launched to provide employment during the lean agricultural season. The Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana was launched as integrated programme for self employment of the rural poor w.e.f form April 1, 1999. The objectives of this scheme to bring the assisted poor families above the poverty line by organising them into Self-help-group (SHG) through the process of social mobilization, provision of income generating assets through a mix of bank credit and government subsidy.

In April 2002 another re-naming took place. This time the two schemes- JRY and EAS- were merged to create the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) and the name of JRY had been changed into the Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY).

In 2004, the National Food for Work Programme (NFFWP) was launched, targeting 150 backward districts of the country identified by the Planning Commission in the consultation with the Ministry of Rural Development and State government. The objective of the programme was to provide additional resources apart from the resources available under SGRY to 150 most backward districts of the country so that the generation of supplementary

wage employment and providing of food security through creation of need based economic, social and community assets in these districts is further intensified.

Then historical moment came when National Rural Employment Guarantee Scheme has been launched on February 2, 2006. The ongoing programmes of Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) and National Food for Work Progamme (NFFWP) were subsumed within the NREGS in the 200 districts identified in the initial stage. It was later extended to another 130 district in 2007-08 and eventually extended to cover all 593 districts in 2008. Implemented by the Ministry of Rural Development, National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) is flagship programme of the government that directly touches lives of the poor and promotes inclusive growth. The aim of the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) was to enhance the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing 100 days of wage-employment in a financial year to a rural household whose members volunteer to do unskilled manual work. This programme fully contributed to Mahatma Gandhi on 2nd October 2008 and known as MNREGA.

The Basic Objectives of MNREGA Are:

(i) Providing wage employment opportunities,

(ii) Creating sustainable rural livelihoods through regeneration of the natural resource base i.e. augmenting, productivity, and supporting creation of durable assets and

(iii) Strengthening rural governance through decentralization and processes of transparency and accountability.

Women Empowerment is infact the ability of women to exercise full control over one's actions. Empowerment gives women the capacity to influence in decision making process, planning, implementation and evaluation by integrating them in to the political system. Women's empowerment is not only empowerment but also crucial if development is to be sustainable. After 73rd amendment of Indian Constitution 33% reservation in Panchayati raj institution is opening new vistas for the development of women and improving their status. Again some states raised the quota from 33% to 50% to empower the women in Panchayats. This is the basic tier of socio, economic and political structure.

There are new perspectives of women's empowerment MNREGA promises. Most boldly, in a rural environment marked by stark inequalities between men and women – in the opportunities for gainful employment afforded as well as wage rates – MNREGA represents action on both these counts. The act stipulates that wages will be equal for men and women. It is also committed to ensuring that at least 33% of the workers shall be women. By generating employment for women at fair wages in the village, MNREGA can play a substantial role in economically empowering women and laying the basis for greater independence and self-esteem.

Objectives of The Study

1. To compare the pattern of work and expenditure through MNREGA in GPs of both the blocks.
2. To compare the profile of women of both the blocks.
3. To study the employment days gained through MNREGA in both the blocks.
4. To examine the income, saving and consumption pattern through MNREGA in Pauri and Beeronkhal blocks.

Review of Literature

Das (2001) in his paper concluded that MNREGA is providing opportunity to the poor and unskilled rural persons of India to earn their livelihood in a sustainable way and to create sustainable community assets by providing 100 days employment.

Vaidyanathan (2005) the recommendations on the NREGP call for basic changes in the concept and design envisaged in the draft bill. They are essential, indeed imperative, if the programme is to be effective and thus deserve strong support. Once again, women were at the forefront of the

movement which was a largely non-violent struggle for political empowerment and autonomy.

Jaiswal (2008) concluded in her study that NREGS is a very good step from the Government to reduce unemployment, but if the conditions will go like this and there will be so many drawbacks in implementation, it is not going to sustain.

Santosh Mehrotra (August 2008) pointed out in his article that MNREGA can serve as beacon of light for other rural development programmes, raise the stagnating rural wages, push up productivity, stem the tide of rural-urban migration.

Vikram (2009) found the corruption in MNREGA, he stated in his article that while having anti-corruption measures MNREGA has a lot of corruption in muster rolls, wage payment and execution of works.

Rao and Kumar (April 2010) pointed out some challenges for MNREGA in their convergence report that problem of understaffing in the line department in most of the states, delay flow of adequate funds, problems in maintaining 60:40 wage – material ratio are the main factors hindering the smooth execution of MNREGA.

Samarthan (2010) has been reported that wages were not being paid according to the norms. Not only were there delays but the wages were lower than the prescribed minimum wages.

M.S. Swaminathan (2012), the father of Green revolution suggested some initiatives to get the optimum benefit from this scheme as Environment Saviour Award, Set up a Technical Support Consortium for each district.

Methodology

Research Design

We used descriptive research design. We have compared the performance of MNREGA in the empowerment of women in these two blocks (Pauri and Beeronkhal) of District Garhwal. The study includes three Gram Panchayats (GPs) of each development blocks by using interview schedule.

Study Area

Pauri Garhwal, a district of Uttarakhand state encompasses an area of 5230 sq. km and situated between 29° 45' to 30°15' Latitude and 78° 24' to 79° 23' E Longitude. The District is administratively divided into nine tehsils, viz., Pauri, Lansdown, Kotdwar, Thalisain, Dhumakot, Srinagar, Satpuli, Dhumakot & Yamkeshwar and fifteen developmental blocks, viz., Kot, Kaljikhal, Pauri, Pabo, Thalisain, Bironkhal, Dwarikhal, Dugadda , Jaihrikhal, Ekeshwer, Rikhnikhal, Yamkeswar, Nainidanda, Pokhra & Khirsu. Population of Pauri district is 6, 86,527 (2011) in which males are 3, 26,406 and females are 3, 60,121.

The main occupation of the population is agriculture. Some large and small industrial units have been established around Kotdwara e.g. SIDCUL. Due to the lack of required infrastructure and the geography of the area, there are no major industries in the hilly part of the district.

The study area is situated in two blocks Pauri and Beeronkhal. On the one hand GPs (Raidul, Lwali and Srikot) from Pauri block which is situated near DHQ; on another hand GPs (Bavansa Malla, Thakulsari and Dhour) from the Beeronkhal block is situated far from DHQ in a hilly and backward region. Area of Pauri and Beeronkhal blocks are 149 sq.km. and 249 sq.km. and Population are 30,482 and 46,144 (2001) respectively.

Population and Sampling

Researcher has selected two development blocks of Pauri district namely Pauri and Beeronkhal block of district Garhwal (Uttarakhand). For the selection of blocks researcher used **purposive sampling.** Researcher selected Beeronkhal block because it is situated far away from district headquarter and in deep hilly region and on the other hand Pauri block is situated near district headquarter. In the Beeronkhal, we selected three GPs **Bavansa Malla, Thakulsari and Dhour** and three GPs from Pauri block namely **Raidul, Lwali and Srikot**. For the selection of Gram Panchayat, we used **random sampling.**

For this study our population is based on female job card holder of Gram Panchayat (GP). The total numbers of job card holders are in GPs of Beeronkhal block: Bavansa Malla 60, Thakulsari 72 and Dhour 82 and Pauri block Lwali 136, Raidul 175 and Srikot 130. We took only 12 samples among women from each GP. Thus the total number of sample is 72. The sample size is small due to the short period of study, it may be extended if time and money permit.

Data Collection Technique

Primary Data

The Primary data is collected from women job card holders of all the six GPs. The data is collected through the interview schedule. The interview schedule contains close-ended and open-ended questions.

Secondary Data

The secondary data is collected from Panchayat office of the villages, Block office of MNREGA, Books, Journals and Articles related to MNREA, Websites etc.

Data Analysis and Interpretation

1. Distribution of Women Job Card Holders in the Context of Age:

The women of different age groups are participating in MNREGA. We found in the survey that women who have less family responsibility and who have not children to serve are more participating in MNREGA. In both of the blocks conditions are appropriately same.

Table No.1.1 Participating Status of Women In Different Age Groups

Age Group	Beeronkhal		Pauri	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
20-30	8	22.2	7	19.4
30-40	15	41.7	6	16.7
40-50	5	13.9	8	22.2
50-60	6	16.7	12	33.3
60<	2	5.6	3	8.3
Total	36	100	36	100.0

Source: field survey

In table No.1.1 we see that the participation of 30-40 age group of women are highest in Beeronkhal block while in Pauri block the participation of 50-60 age group of women are highest.

1.**Educational Status:**

Educational status of rural women plays an important role about the provisions of MNREGA because the women who are illiterate have less knowledge about provisions of MNREGA. Though the literacy rate of women in rural areas is high but their education level is low.

Table No.1.2 Educational Status of Women Participants of MNREGA

Educational Status	Beeronkhal Block		Pauri Block	
	No. of Female	Percentage	No. of Female	Percentage
Illiterate	10	27.8	19	52.8
Literate	26	72.2	17	47.2
Total	36	100.0	36	100.0

Source : field survey

ISSN 2277-5587

Table 1.2 shows the data of of the education condition of the women participating in MNREGA. In the sample of 36 respondant in Beeronkahl block 26 or 72.2% women are literate and only 10 or 27.8% are illiterate. While in the Pauri block percentage rate of literate is less than illiterate. It means that the level of literacy of female job card holder in the Beeronkhal block is more than that of Pauri Block.

1.Purpose to Join The MNREGA

Women are participating in the MNREGA for different purpose. It mainly depends upon their financial condition. As the women who have lower financial conditions join the MNREGA job for the purpose of income generation and to improve their financial condition but some women who were in good financial condition join the MNREGA for utilize vacant time and participate for the development of village.

Table No.1.3 Percentage of Women's Purpose of Participation in MNREGA

Purpose of Participation	Beeronkhal Block		Pauri Block	
	No. of Female	Percentage	No. of Female	Percentage
Income Generation	24	66.7	26	72.2
Utilize Vacant time	3	8.3	3	8.3
For the Development of Village	9	25.0	7	19.4
Total	36	100.0	36	100

Source: field survey

From the above table it is clear that the purpose of participation of women job card holder is almost same in both blocks that most of the participants join MNREGA for the income generation. The table no.1.3 shows that participation of women in Pauri block is more than Beeronkhal block. Some women participant are concerning with development of their villages, this percent is very less in both of the blocks.

1.**Gained Employment Days Under MNREGA**

The women are getting employment under MNREGA. The more employment means more income and more income means good financial condition of women. The following table shows the gained employment days of women through MNREGA.

Table No.1.4 Employment Days Gained By Women in 2014-15

Group of days	Beeronkhal Block		Pauri Block	
	No. of women	Percentage	No. of women	Percentage
20-39	3	8.33	23	63.9
40-59	14	38.89	3	8.4
59-80	19	52.78	10	27.7
Total	36	100.00	36	100.0

Source: field survey

The table 1.4 compares the condition of provided employment of both the blocks. 52.78% women able to get maximum employment in Beeronkhal block and 27.7% in Pauri block in the age group of 59-80. It is evident from the table that Beeronkhal block provided more days of employment to women compared to Pauri block. The table reveals dismal of job availability in the working age group 20-39 in Beeronkhal block.

1. **Expenditure on Different Works Done Through MNREGA**

There are different types of works done under MNREGA. All these works are eco-friendly such as flood control, water conservation, renovation of water bodies etc. All these works are done by unskilled laborers because the MNREGA has the provision that all the works under it should be done by the unskilled unemployed person.

Table No.1.5 Works and Expenditure in The Year 2014-15

Name of the Block	Name of the G.P.	Total Works	Total Expenditure (in Lakh Rs.)
Beeronkhal	Bavansa Malla	17	5.26
	Thakulsari	13	2.40
	Dhour	14	5.28
	Total	44	12.94
Pauri	Lwali	8	12.96
	Raidul	3	4.38
	Srikot	7	6.86
	Total	18	24.2

Source:- nrega.nic.in

The table 1.5 shows the works and expenditures through MNREGA in the selected GPs of both the blocks. While the number of amount of expenditure is more in Pauri block than that of Beeronkhal block but number of works are more in Beeronkhal block than that of Pauri block.

1. **Role of MNREGA in the Empowerment of Women**

➢ **Increment in Income**

MNREGA is playing a crucial role in the empowerment of women. It provides income source to rural women who are not able to getting any job and not able to earn the money.

Table No.1.6 Responses of increment in income of women

Response of The Women	Beeronkhal Block		Pauri Block	
	No.of Female	Percentage	No.of Female	Percentage
Yes	35	97.2	33	91.7
No	1	2.8	3	8.3
Total	36	100.0	36	100.0

Source: field survey

Table No.1.6 shows that 97.2% in Beeronkhal block and 91.7% in Pauri block women respondent said there is an increment in their income after participating in MNREGA. It is clear that MNREGA is successful in increasing the income of women.

➢ **Increment in Consumption**

As MNREGA is providing income source to the rural women, the consumption of their family is increasing. This is empowering the women because the women now can earn money and increase their family consumption.

Table No.1.7 Responses of Increment In Consumption Of Women

Response of The Women	Beeronkhal Block		Pauri Block	
	No. of Female	Percentage	No. of Female	Percentage
Yes	22	61.1	21	58.3
No	14	38.9	15	41.7
Total	36	100.0	36	100.0

Source: field survey

The table 1.7 shows the increment in consumption of women through MNREGA in both the blocks. The women respondent in both block said yes, 61.1% and 58.3% in Beeronkhal and Pauri block respectively. The table 1.7 shows the increment in income, consequently consumption will raise as income will be increased.

➢ **Increment in Saving**

Due to lack of employment and income source in rural area, the consumption pattern in rural area is low and they spend their whole income on consumption.

Table No.1.8 Responses of Increment in Saving of Women

Response of the Women	BeeronkhalBlock		Pauri Block	
	No. of Female	Percentage	No. of Female	Percentage
Yes	21	58.3	4	11.1
No	15	41.7	32	88.9
Total	36	100.0	36	100.0

Source: field survey

In the table 1.8 shows that 58.3% women in Beeronkhal and 11.1% in Pauri block save after joining MNREGA and 41.7% in Beeronkhal and 88.9% in Pauri block said no increment at the time of field study. It means that the positive effect of MNREGA in saving is good in Beeronkhal block but there is a very few impact of MNREGA on the saving of women in Pauri block. At the time of survey we found that the women who have a good financial position before joining the MNREGA, have more saving than the other respondent.

Conclusions

1. MNREGA is reaching to needy and poor people of the villages as the basic objectives of the MNREGA.
2. Women are empowering through this scheme study reveals.
3. It gives equal job opportunity to men and women.
4. Through MNREGA, hill rural areas are developing.
5. It improves women status in family and society.
6. The performance of MNREGA in far rural areas is better than the performance of around DHQ.
7. The factors Literacy rate, Gain employment days, Increment in income, Increment in Consumption, Increment in saving is better in Beeronkhal block.
8. The women are aware in both the block after participating in MNREGA.

Suggestions

1 The work of MNREGA should not be on demand because many women do not know the process of demand for works.

2 In the survey, we found that many women do not have knowledge about important provision of MNREGA. So the government should run the awareness program for rural women so that they could know the important provisions of MNREGA.

3 The employment given by MNREGA for maximum 100 days and wage given is only Rs.120. Wage and employment is not enough for family expenditure so the people participating in this, are searching another source for employment. The government should increase the employment days and wage rate also.

4 According to MNREGA the 100 days of employment must be given to job card holders but due to low amount of works the participants are not getting 100 days of employment in a year. The government should take attention towards this fact.

5 The payment of MNREGA wage should be on time and regular but some exception are there.

6 The facility of worksite such as medical facility, facility of crèche etc. should be provided properly to workers when they have needed. At the time of visit to site we have not seen any such facilities provided to the beneficiaries.

References

1. *Das Keshab (2001): Endowments and Rural Infrastructure: Issues Today, India Infrastructure Report: Issues in Regulation and Market Structure, Oxford University Press, New Delhi.*
2. *Dreze, J (2008): Employment Guarantee: Beyond Propaganda, The Hindu, January, 11.*
3. *Jaiswal Namrata (2008): Study on the Provisions of NREGA and Its Implementation on Madhya Pradesh –With Special reference to Seoni and Khandwa District, Bhopal.*
4. *Mehrotra, Santosh (2009): NREG Two Years On: Where Do We Go from Here? Economic & Political weekly, Vol. XLII, No. 31, August 2008, pp. 25-27.*
5. *Madhuri N.V. & Dheeraja C. (2011): Factors Facilitating Participation of Women in Mahatma Gandhi NREGS, Research Highlights 2010-11, NIRD, Hyderabad, pp. 25-30.*
6. *Rao M.V. & Kumar, Saurabh (April 2010): Status Report on Convergence Initiatives of MGNREGA in India, National Institute of Rural Development, Hyderabad pp.51-52.*
7. *Samarthan – Centre for Development Support With Support from Poorest Area Civil*

   Society (PACS) Programme (2008): Status of NREGA Implementation, New Delhi.
8. *Websites:nrega.nic.in, uttra.gov.in, pauri.nic.in, epw.in etc.*

ISSN 2277-5587

QPO Detection for The Fast Spinning Transient Pulsar 4u0115+63 by RXTE Satellite

Shubhra Tiwari
Lecturer, S.M.B. Govt. P.G. College, Nathdwara

shodhshree@gmail.com

A transient pulsar 4U0115+634 is presumably a neutron star orbiting a Be-star in a moderately eccentric orbit; often called Be/X-ray binary system. Among its own class, it is one of the best studied Be/X-ray binary system hosting neutron star (Negueruela et.al., 1997), defined as an early-type luminosity class 3-5 star. In far infrared region, it emits Balmer series lines with excess infrared. The host companion neutron star, 4U0115+634 is a hard X-ray transient pulsar and its behavior is attributed to the accretion disc of circumstellar material on to it which is not continuous, but the present periodic outburst occurring at the time of periastron passage of compact object 4U0115+634 around the central Be-star. Further, it is speculated that the 4U0115+634 is then immersed in the disc at its periastron passage accreting matter directly from its companion Be-star which caused variation in the spin due to the apparent viscous phenomenon. However, many systems show irregular transient activity and their timing is not related to many orbital parameters. Such non-periodic outbursts are due to the mass ejection from the Be-star, showing a unique feature of Quasi-Periodic Oscillations (QPO).

Observational History of 4U0115+634:

According to the survey of literature for the Be/X-ray transient pulsars, 4U0115+634 was first reported in the `UHURU' satellite survey (Giacconi et.al., 1972, Forman, et.al. 1978), in 1971, January with 3.6 the seconds periodicity in the X-ray emission. After that, a new outburst was observed for the 4U0115+634 during December, 1977 to January, 1978 by the SAS 3, Ariel V. Later, Rappaport et.al. (1978) used SAS 3 timing observations to derive the orbital parameters $P_{orb} \sim 24.3$ d ; $e \sim 0.34$; $a_x sini \sim 140$ light second, together with the orbital period yielding the mass function of ~ 5 Solar mass and evidences for the spin-up states of 4U0115+634 (Kelly et.al. 1981). Subsequently, in one of the study, Rose et al. (1979) fitted power law model with the large changes in the index across the pulse and broad iron line at 6.6 keV for the data observed by the HEAO-1 satellite.

In December, 1980, another new outburst was detected by Ariel V1 for the 4U0115+634 (Ricketts et.al. 1981) and established a correlation between the optical and the X-ray behavior of the pulsar 4U0115+63. However, two of the optical outbursts of about 200 days rise time coincided with the X-ray bursts detected by GINGA (Tsunemi et.al. 1988, Tamura et.al. 1992), but the third optical outburst of 100 days duration in the winter of 1988 did not match with the X-ray activity. Later Nagase et.al. (1991) detected X-ray burst in 1990, February for the pulsar 4U0115+634 in the energy range up to 37 keV and confirmed the two cyclotron resonance absorption at 12 & 23 keV which had been reported in the earlier results by White et.al. (1983).

Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) covered an outburst of 4U0115+634 on March, 1999 as shown in fig 1. Nakajima et. al. (2006) observed the double harmonic cyclotron resonance absorption feature at ~ 11 keV and ~ 22 keV and supported the result obtained by Mihara et.al. (1995) using the GINGA.

Quasi-Periodic Oscillations (QPO) Observation for 4U0115+634:

According to literature, the first QPO was discovered in the X-ray flux of transient pulsar EXO2030+375 (Angelini et.al. 1989). Since then QPO have been detected in the timing analysis of the power spectra of almost a few dozen accretion powered pulsars. Soong & Swank (1989) reported a broad 0.062 Hz QPO in HEAO 1 observation of a state in the 4U0115+634 which did not fit into beat frequency model.

In the present work, we have investigated the QPO frequency of 4U0115+634 over a inclined phase of 1999 X-ray burst with the RXTE data as shown in Figure 2. It shows X-ray burst of the span of period of 80 days observed data of RXTE. Specially, data at $1.126*10^4$ day yielded a reasonable power peak of QPO in analysis and selected in subsequent section of power density spectrum of 4U0115+634.

Data Reduction:

To perform high resolution time variability studies of the emission from X-ray sources, the RXTE (Rossi X-ray Timing Explorer) satellite was launched on 30 December 1995. The data were obtained with the PCA (Proportional Counter Array) instrument, comprising of five identical co-aligned gas filled proportional modulus. These units give a collecting area of ~ 6500 cm^2, having an energy resolution of < 18 % at 6 keV and a time resolution of 1 micro second. To prevent the detection of photons with energies lower than 2 keV, each PCU is covered with a thin window of aluminized Mylar. There is also a collimator in each PCU for providing the same field of view for all the PCUs (~1°). A detailed description of the proportional counter array instrument can be found in Glasser, Odell & Senfert (1994). The All Sky Monitor (ASM) on board the RXTE satellite consists of three wide-angle Scanning Shadow Cameras (SSCs). These cameras are mounted on a rotating drive assembly, which covers ~ 70% of the sky every 1.5 h (Levine et. al. 1996)

In RXTE satellite, data can be packed in up to seven different modes, each mode suitable for a particular purpose. We used standard 1 mode, which provided binned data with a time resolution of 0.125 s but no energy resolution, as all 256 channels were combined into one. (Jahoda et.al. 1996).

Data reduction was carried out using FTOOLS whereas data analysis was done using the XRONOS and XSPEC packages (Arnaud 1996).

The observations of the source 4U0115+634 were taken from NASA's High Energy Astrophysics Science Archive Research Centre (HEASARC) Browse site ``heasarc.gsfc.nasa.gov". The data of the source reported here were made during March, 04 - April, 14, 1999 with the pointed mode instruments of the RXTE satellite.

S. No	Observation	Exposure time (Sec.)	Date of Observation	Start Time (UT)	Stop Time (UT)	Count Rate (sec^{-1})
1.	40411-01-02-00	1978	04-03-1999	13:08	13:41	2273
2.	40411-01-09-00	1921	11-03-1999	08:42	09:40	2459
3.	40411-01-10-00	792	12-03-1999	18:05	18:17	5146
4.	40411-01-11-00	899	13-03-1999	18:59	19:41	5162
5.	40411-01-12-00	715	14-03-1999	06:44	06:56	3962
6.	40411-01-13-00	1403	15-03-1999	07:53	08:17	2461
7.	40411-01-14-00	764	16-03-1999	09:33	09:46	2501
8.	40411-01-15-00	898	17-03-1999	14:33	14:48	5042
9.	40411-01-16-00	926	18-03-1999	07:49	08:05	4739
10.	40051-05-01-00	4611	19-03-1999	04:27	06:13	3448
11.	40411-01-17-00	1257	19-03-1999	12:52	13:12	2360
12.	40411-01-18-00	1359	20-03-1999	03:36	03:5 4	2135
13.	40051-05-02-00	5057	21-03-1999	06:27	08:33	4430
14.	40411-01-19-00	2336	21-03-1999	12:49	13:27	4344
15.	40411-01-20-00	3942	22-03-1999	04:24	05:26	1980
16.	40051-05-03-00	4927	23-03-1999	06:03	08:05	4087
17.	40411-01-21-00	858	23-03-1999	10:00	10:11	4002
18.	40411-01-22-00	2397	24-03-1999	12:43	13:21	2927
19.	40051-05-04-00	5997	25-03-1999	06:01	06:40	3147
20.	40411-01-23-00	947	26-03-1999	05:58	06:14	1591
21.	40051-05-05-00	5395	27-03-1999	07:53	11:01	3668
22.	40051-05-06-00	5381	28-03-1999	00:12	03:01	2658
23.	40051-05-07-00	5517	31-03-1999	04:12	04:23	2408
24.	40051-05-08-00	5036	02-04-1999	04:09	06:14	2701
25.	40051-05-09-00	4917	04-04-1999	04:09	06:11	2315
26.	40051-05-15-00	1072	05-04-1999	11:10	11:24	1223
27.	40051-05-10-00	5221	06-04-1999	02:25	04:28	1952
28.	40051-05-11-00	5574	08-04-1999	01:13	03:19	1388
29.	40051-05-12-00	5037	10-04-1999	04:00	06:05	1453
30.	40051-05-13-00	5755	12-04-1999	02:17	04:28	858
31	40051-05-14-00	5067	14-04-1999	01:15	03:10	852

Power Density Spectrum:

Power density spectra (PDS) were generated from the 0.125 time resolution data. The light curves were broken into segment of length 1024 s and the power density spectra obtained from each of these were averaged to produce the final PDS. A very prominent QPO feature is present around 0.05 Hz (fig 3). The continuum of power density spectra was fitted with the model consisting of power law in the frequency range 5 mHz to 2 Hz. The prominent QPO was modeled with Gaussian component. In 4U0115+634, there is also an evidence for the second QPO peak, which may be the harmonic of the fundamental QPO. The power density spectra shown in fig 3 is for observation ID 40051-05-04-00 which has power law index of -0.79 and the Gaussian component representing the QPO feature centered at 0.0408±0.002 Hz with a width of 0.0024 Hz. In PDS the regular pulsations and its harmonics of pulse period 3.61 sec are also present. To study the energy dependence of QPO feature, we generated power density spectra in 12 energy bands of 2-5 keV, 5-10 keV, 10-15 keV, 15-20 keV, 20-25 keV, 25-30 keV, 30-35 keV, 35-40 keV, 40-45 kev, 45-50 keV, 50-55 keV and 55-60 keV. But there was no evidence of QPO beyond 25-30 keV. The PDS in all the energy bands are identical and were fitted with the same model i.e.

a power law and a Gaussian component to describe QPO feature.

Also from individual power spectra for all observations we found that the QPO feature is prominent during the time of mid of declining phase of outburst and the QPO feature is faded as the outburst faded.

Discussions and Conclusions

We have discovered QPOs from observations of High Mass X-ray Binary (HMXB) pulsar 4U0115+634 during the declining phase of major outburst of March, 1999. There are several transient X-ray pulsars in which QPOs have been detected. The High Mass X-ray Binaries (HMXB) EXO 2030+375 (Angelini et. al. 1989), 3A 0535+262 (Finger et.al., 1996), XTE J1858+034 (Paul et.al. 1998, Mukherjee et.al. 2006), V0332+53 (Qu et.al. 2005), XTE J0111.2-7317 (Kaur et.al. 2008) and 4U0115+634 (Soong & Swank 1989) and the Low Mass X-ray binary (LMXB) is GRO J1744-28 (Zhang et.al. 1996). Several models have been proposed to explain the QPO generation mechanism in accretion powered X-ray pulsars. According to the Beat-frequency model (BFM), the observed QPO frequency ν_{QPO} is a beat frequency between the coherent spin frequency of the pulsar (ν_s) and the keplerian frequency (ν_K) of the innermost disk, $\nu_{QPO} = \nu_K - \nu_s$, at the magnetosphere boundary of the pulsar (Alpar & Shaham, 1985, Lamb et.al. 1985). Another model for QPOs is the Keplerian-frequency model (KFM), which interprets the QPOs as a result of the absorption of X-rays by inhomogeneities in the inner edge of the accretion disk and the observed QPO frequency as the frequency of the Keplerian motion $\nu_{QPO} = \nu_K$ (van-der Klis et.al., 1997). Since the KFM requires $\nu_s < \nu_{QPO} = \nu_K$, which is not always true for the case of AXBPs. Hence, the BFM explains QPOs as luminosity oscillations, the KFM explains QPOs as beaming oscillations. Third model is the magnetic disk precession model (Shirabaka & Lai, 2002). According to this model, the presence of QPOs in XBPs is due to the magnetically driven disk warping/precession, concentrated near the inner edge of the disk, at the magnetospheric boundary. The magnetic torques due to interactions of the stellar wind and the induced electric currents in the disk is responsible for warping and precession of the disk.

Both the Beat Frequency model and Keplerian Frequency model are applicable to 3A0535+262 and EXO2030+375. In some HMXBs like, V0332+52 and 4U0115+634 and several LMXBs like, Cen X-3, Her X-1, LMC X-4, 4U1626-67 and SMC X-1, the pulsation frequency is higher than QPO frequency and Keplerian Frequency model is not applicable for these sources.

A typical Be/X-ray binary transient has neutron star revolving around the Be star in a very wide orbit. At apastron it is very far away from the Be star to capture a significant amount of matter and, therefore, there is no X-ray emission. However, at periastron it comes inside circumstellar envelope of Be star and accretes matter, becoming a transient source. Accreting material has high specific angular momentum and cannot reach the neutron star until of its angular momentum is conserved forming accretion disk of in falling material. This results into an efficient machine for extracting gravitational potential energy and converting it into X-ray emission, though viscous dissipation process, determined by the balance between the magnetic pressure of the neutron stars magnetic field and pressure of the gas in the disk.

For rotation powered X-ray pulsars, the loss of rotational energy results in a slowing of pulsar spin period. The rotational energy decrease as the pulsar rotates as indicated by long term spin down behavior of virtually all single pulsars that have been observed so far for a sufficient long time e.g. Crab pulsar (33 ms), Vela pulsar (89 ms), PSR 0540-69 (50 ms). This model does not fit in our case because spin down in our orbital period.

The QPO phenomenon promises to understand the innermost region of accretion disks and the masses, radii and spin periods of pulsars although the various explanations of QPO remain controversial and provisional.

Often, QPO appears as a Lorentzian broader peak in power spectra evolved from several time intervals and then added together before the QPO can be seen to be statistically significant. QPO were thought to be a result of the combined rotation of the matter in the disk and the rotation of the compact star (beat frequency model) due to anisotropic burning on the surface and rotation of neutron star, its frequency is close to neutron star rotation frequency.

Accretion powered pulsars, generate pulses by the accretion flux stinking the neutron star. Most of the inner accretion disk in X-ray binaries is thought to be the origin of the QPO. The low magnetic field of neutron star interaction with inhomogeneous and hot blobs of matter in the inner disk reflects QPO in light.

QPO of 50 mHz = 20 second does not fit into beat frequency model and also supports the Soong and swank (1989) results observed in HEAO 1 observations. 50 mHz QPO may be attributed to the state when 4U0115+634 is about to enter in periastron position accreting matter from its companion Be-star which later slow down spin of 4U0115+634 due to apparent viscous phenomenon.

Acknowledgement: The authors are thankful to an anonymous referee for constructive comments to improve the presentation of this manuscript.

References

1. *Alpar, A., & Shaham, J., 1985, Nature, 316, 239.*
2. *Angelini, L., Stella, L., Parmar, A. N., 1989, Astrophysical Journal, 346, 906.*
3. *Arnaud, K.A., 1996, Astronomical Data Analysis Software and Systems V, A.S.P. Conference Series, 101, 17.*
4. *Finger, M.H., Wilson, R.B., Harmon, B.A., 1996, 459, 288.*
5. *Forman, W., Jones, C., Cominsky, L., Julien, P., Murray, S., Peters, G., Tananbaum, H., Giacconi, R., 1978, Astrophysical Journal Supplement, 38, 357.*
6. *Giacconi, R., Murray, S., Gursky, H., Kellogg, E., Schreier, E., Tananbaum, H., 1972, Astrophysical Journal, 178, 281.*
7. *Glasser, C.A., Odell, C.E., Senfert, S.E., 1994, IEEE Trans. Nucl. Sci., 41, 1343.*
8. *Jahoda, K., Swank, J.H., Giles, A B., Stark, M.J., Strohmayer, T., Zhang, W., Morgan, E.H., 1996, Proc. SPIE, EUV, X-ray and gamma ray instrumentation for Astronomy VII, 2808, 59.*
9. *Kaur, R., Paul, B., Kumar, B., Sagar, R., 2008, Astrophysical Journal, 676, 1184.*
10. *Kelley, R. L., Brodheim, M. J., Cominsky, L., Stothers, R., Rappaport, S., 1981, 4U0115+63", Astrophysical Journal, 251, 630.*
11. *Lamb, F.K., Shibazaki, N., Alpar, A., Shaham, J., 1985, Nature, 317, 681.*
12. *Levine, A.M., Bradt, H., Cui, W., Jernigan, J.G., Morgan, E.H., Remillard, R., 1996, Astrophysical Journal, 469, L33.*
13. *Mihara, T., Makishima, K., Nagase, F., 1995, American Astronomical society, 187th AAS meeting, 27, 1434.*
14. *Mukherjee, U., Bapna, S., Raichur, H., Paul, B., Jaaffrey, S.N.A., 2006, Journal of Astronomy and Astrophysics, 27, 25.*
15. *Nagase, F., Dotani, T., Tanaka, Y., Makishima, K., Mihara, T., Sakao, T., Tsunemi, H., Kitamoto, S., Tamura, K., Yoshida, A., Nakamura, H., 1991, Astrophysical Journal, 375, L49.*
16. *Nakajima, M., Mihara, T., Makishima, K.., Niko, H., 2006, Astrophysical Journal, 646, 1125.*
17. *Negueruela, I., Grove, J. E., Coe, M. J., Fabregat, J., Finger, M. H., Phlips, B. F., Roche, P., Steele, I. A., Unger, S. J., 1997, MNRAS, 284, 859.*
18. *Paul, B., Rao, A.R., 1998, Astronomy and Astrophysics, 337, 815.*
19. *Qu, J.L., Zhang, S., Soong, L.M., Falanga, M., 2005, Astrophysical Journal, 629, L33.*
20. *Rappaport, S., Clark, G. W., Cominsky, L., Li, F., Joss, P.C., 1978, Astrophysical Journal, 224, L1.*
21. *Ricketts, M. J., Hall, R., Page, C. G., Pounds, K. A., 1981, Space Science Review, 30, 399.*
22. *Rose, L. A., Marshall, F. E., Holt, S. S., Boldt, E. A., Rothschild, R. E., Serlemitsos, P. J., Pravdo, S. H., Kaluzienski, L. J., 1979, Astrophysical Journal, 231, 919.*
23. *Shirakawa, A., Lai, D., 2002, Astrophysical Journal, 565, 1134.*
24. *Soong, Y., Swank, J. H., 1989, ESASP, 296, 617.*
25. *Tsunemi, H., Kitamoto, S., 1988, Astrophysical Journal, 334, L21.*
26. *van der Klis, M., Stella, L., White, N., Jansen, F., Parmar, A.N., 1987, Astrophysical Journal, 316, 411.*
27. *White, N. E., Swank, J. H., Holt, S. S., 1983, Astrophysical Journal, 270, 711.*

28. Zhang, W., Morgan, E.H., Jahoda, K., Swank, J.H., Strohmayer, T.E., Jernigan, G., Klein, R.I., 1996, Astrophysical Journal, 469, L29.

Figures caption:

Fig. 1: The section of the RXTE-ASM between 10^4 to $1.4*10^4$ days showing the three 1999, 2000, 2004 X-ray outbursts in detail. The prominent X-ray outburst of 1999 is selected for study of QPO of the transient X-ray pulsar 4U0115+634.

Fig. 2: Full RXTE-ASM long term lightcurve for X-ray outburst observed in 1999 with binning of 1 day.

Fig. 3: The power density spectra of 4U0115+63 generated with 0.125 s time resolution data of observation ID 40051-05-04-00 over the entire energy band of the PCA. The line represents the best fitted model consisting of a power law and Gaussian component in the frequency range 5 mHz to 2 Hz. The figure in the inset is a log-log plot of the same

Fig.4: Pulse period of transient x-ray pulsar 4U0115+634 is plotted over the period of 30 days (from $1.125*10^4$-$1.128*10^4$ days) including one orbital period of 24.5 day (Rappaport et.al. 1978).

Fig-1

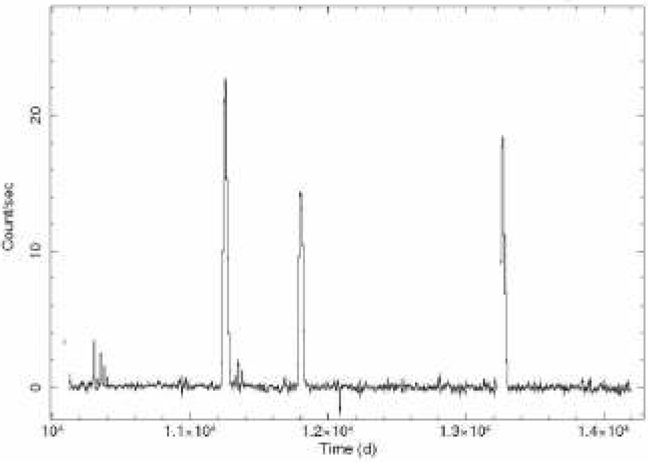

Fig-2

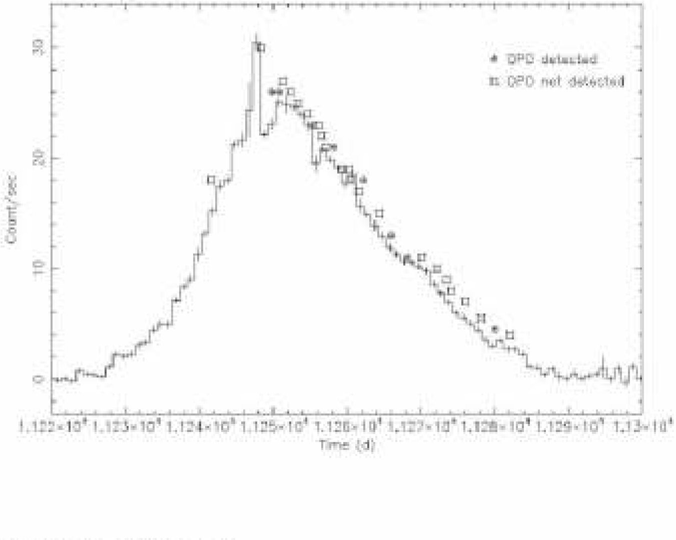

ISSN 2277-5587

Fig-3

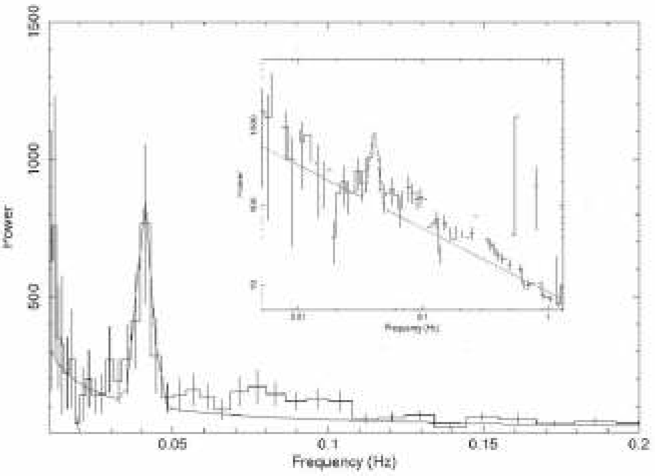
Power
Frequency (Hz)
1500
1000
500
0.05
0.1
0.15
0.2

Fig-4

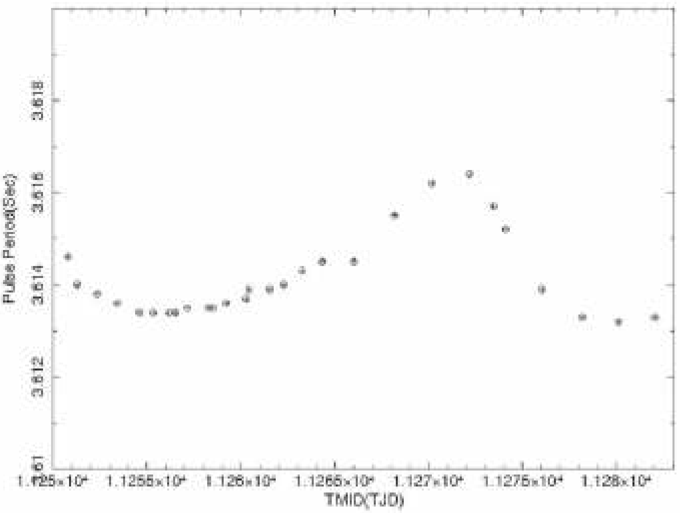
Pulse Period(Sec)
TMID(TJD)
3.618
3.616
3.614
3.612
3.61

Want to be a Good Leader? - "Lead by Example, Not by Extortion"

Mamta Jain
Research Scholar, Jai Narain Vyas University, Jodhpur

shodhshree@gmail.com

I got a short message in my mobile phone today morning which says, " If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader." This is the famous quote from former American President, John Quincy Adams. What a simple way of defining a " leader "! When we zoom in, it takes us to an interesting topic, " leading by example ".

As leaders, we have a choice either to lead by example or by extortion. Leadership by its nature bestows us with powers and many of us lead by enforcing the powers and influence we have. But we forget the fact that leadership by extortion don't make people to follow us but probably chase them away from us. When we set a good example through values, we illustrate the behavior we expect from others as they interact with each other and conduct their business.

We all have read the saying, "practice what you preach, do not preach what you do not practice". The statement explains it all when it comes to effectively leading by example. If we want to be efficient leaders, we need to "walk the talk" and not only "talk the talk". Interestingly, there are two types of leaders: Those that lead by their words, and those who lead by their actions. The ones who lead by their actions are leaders who lead by example, or getting people to follow them based on what they do, and not what they tell others to do.

Let me share with you today an inspiring true story from the life of Mahatma Gandhi which tells us how important it is to lead by example. The story is about Mahatma Gandhi trying to counsel a child for removing a bad habit.

One day a lady came to Mahatma Gandhi with her 10 year old son. She told Gandhiji, " my son has a bad habit of eating a lot of jaggery (a special kind of Indian sweet). I have been telling him to reduce eating jaggery but he does not listen to me. Mahatma ji, the whole nation listens to you and you are a revered personality. I am sure my son too will follow your advice. Please tell him not to eat too much of jaggery.[1]"

 ISSN 2277-5587

Mahatma Gandhi thought for a while and asked the lady to bring her son again after a week. After a week , the lady again took her son to Mahatma. Mahatma Gandhi put his hand on the head of the boy and told him, "My dear child, don't eat jaggery too much. It can be harmful[2]".

The conversation ended. The puzzled lady asked Mahatma, " Bappu, this was simple. You could have told him the same thing last week itself !! Why you made us come again after a week ?" Mahatma told the lady," I myself used to take jaggery till last week. I needed a weeks' time to quit eating jaggery so that I could counsel your son with conviction".

That's Mahatma Gandhi ! No wonder, he lead millions and walked our country to independence with his simple leadership style - leading by example! Many great leaders of the past walk the talk. Another example is Winston Churchill, who led his country to victory by uniting and inspiring the whole of Britain. The truth is, effective leadership does not come easy. An effective leader is someone who earns respect, not someone who demands it[3].

Mother Teresa

Mother Teresa of Calcutta, a Roman Catholic nun who founded the only Catholic religious order still growing in membership, was born Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje, Yugoslavia, on August 27, 1910. Her parents were Albanian grocers, and at the time of her birth Skopje lay within the Ottoman Empire. She attended public school in Skopje, and first showed religious interests as a member of a school sodality that focused on foreign missions. By the age of 12 she felt she had a calling to help the poor[4].

This calling took sharper focus through her teenage years, when she was especially inspired by reports of work being done in India by Yugoslav Jesuit missionaries serving in Bengal. When she was 18 Mother Teresa left home to join a community of Irish nuns, the Sisters of Loretto, who had a mission in Calcutta, India. She received training in Dublin, Ireland, and in Darjeeling, India, taking her first religious vows in 1928 and her final religious vows in 1937.

One of Mother Teresa's first assignments was to teach, and eventually to serve as principal, in a girls' high school in Calcutta. Although the school lay close to the teeming slums, the students were mainly wealthy. In 1946 Mother Teresa experienced what she called a second vocation or "call within a call." She felt an inner urging to leave the convent life and work directly with the poor. In 1948 the Vatican gave her permission to leave the Sisters of Loretto and to start a new work under the guidance of the Archbishop of Calcutta.

To prepare to work with the poor, Mother Teresa took an intensive medical training with the American Medical Missionary Sisters in Patna, India. Her first venture in Calcutta was to gather unschooled children from the slums and start to teach them. She quickly attracted both financial support and volunteers, and in 1950 her group, now called the Missionaries of Charity, received official status as a religious community within the Archdiocese of Calcutta. Members took the traditional vows of poverty, chastity, and obedience, but they added a fourth vow—to give free service to the most abjectly poor. In Mother Teresa's own view, the work of her group was very different from that of secular welfare agencies. She saw her nuns ministering to Jesus, whom they encounter as suffering in the poor, especially those who are dying alone or who are abandoned children[5].

Dedication to the Very Poor

Mother Teresa's group continued to expand throughout the 1970s, opening works in such new countries as Jordan (Amman), England (London), and the United States (Harlem, New York City). In 1971, on the occasion of visiting some of her sisters in London, she went to Belfast, Northern Ireland, to pray with the Irish women for peace and to meet with Ian Paisley, a militant Protestant leader. In the same year she opened a home in Bangladesh for women raped by Pakistani soldiers in the conflicts of that time. By 1979 her groups had more than 200 different operations in over 25 countries around the world, with dozens more ventures on the horizon. In

1986 she persuaded President Fidel Castro to allow a mission in Cuba. The hallmark of all of Mother Teresa's works—from shelters for the dying to orphanages and homes for the mentally ill—continued to be service to the very poor[6].

In 1988 Mother Teresa sent her Missionaries of Charity into Russia and also opened a home for AIDS patients in San Francisco, California. In 1991 she returned home to Albania and opened a home in Tirana, the capital. At this time, there were 168 homes operating in India. Later in 1995, plans materialized to open homes in China.

In the 1980s and 1990s Mother Teresa's health problems became a concern. She suffered a heart attack while visiting Pope John Paul II in 1983. She had a near fatal heart attack in 1989 and began wearing a pacemaker.

In August 1996 the world prayed for Mother Teresa's recovery. At the age of 86, Mother Teresa was on a respirator in a hospital, suffering from heart failure and malaria. Doctors were not sure she would recover. Within days she was fully conscious, asked to receive communion, and requested that the doctors send her home. When she was sent home a few weeks later in early September, a doctor said she firmly believed, "God will take care of me."

In late November of that same year, Mother Teresa was again hospitalized. She had angioplasty surgery to clear two blocked arteries. She was also given a mild electric shock to correct an irregular heartbeat. She was released after spending almost a month in the hospital.

In March 1997, after an eight week selection process, 63-year-old Sister Nirmala was named as the new leader of the Missionaries of Charity. Although Mother Teresa had been trying to cut back on her duties for some time (because of her health problems), she stayed on in an advisory role to Sister Nirmala.

In April 1997 filming began on the movie "Mother Teresa: In the Name of God's Poor" with actress Geraldine Chaplin playing the title role. The movie aired in the fall of 1997 on "The Family Channel" even though, after viewing the movie, Mother Teresa refused to endorse it. Mother Teresa celebrated her 87th birthday in August, and died shortly thereafter of a heart attack on September 5, 1997. The world grieved her loss and one mourner noted, "It was Mother herself who poor people respected. When they bury her, we will have lost something that cannot be replaced."

Mother Teresa's Own Ideas Spirit Her Life

In appearance Mother Teresa was both tiny (only about five feet tall) and energetic. Her face was quite wrinkled, but her dark eyes commanded attention, radiating an energy and intelligence that shone without expressing nervousness or impatience. Many of her recruits came from people attracted by her own aura of sanctity, and she seemed little changed by the worldwide attention she received. Conservatives within the Catholic Church sometimes used her as a symbol of traditional religious values that they felt lacking in their churches. By popular consensus she was a saint for the times, and a spate of almost adoring books and articles started to canonize her in the 1980s and well into the 1990s. She herself tried to deflect all attention away from what she did to either the works of her group or to the god who was her inspiration. She continued to combine energetic administrative activities with a demanding life of prayer, and if she accepted opportunities to publicize her work they had little of the cult of personality about them.

In the wake of the 1979 Nobel Prize for Peace she received many other international honors, but she sometimes disconcerted humanitarian groups by expressing her horror at abortion or her own preference for prayer rather than politics.[7] When asked what would happen to her group and work after her death, she told people that God would surely provide a successor—a person humbler and more faithful than she. The Missionaries of Charity, who had brothers as well as sisters by the mid-1980s, are guided by the constitution she wrote for them. They have their vivid memories of the love for the poor that created the phenomenon of Mother Teresa in the

ISSN 2277-5587

first place. So the final part of her story will be the lasting impact her memory has on the next generations of missionaries, as well as in the world as a whole.[8]

Nature of Leadership

Paramahamsa Sri Nithyananda says, Leadership is not a quality. It is an experience that an individual who has undergone personal growth and transformation radiates. He says, Leadership is a state not a status. Most of us achieve the status of a leader, but not the state. State is totally different from status. Status comes from society. When he use the word 'state' he mean our inner space. Our inner space should be matured enough to handle the responsibility, which we assume.

The question is, how do we most effectively lead by example? No doubt, leading by example boosts morale, and it helps us gain a sense of control over those we are managing. When we are willing to get our hands dirty to show others what has to be done, we are not only making people respect us, but we are helping others learn skills that they will need to be better employees as well[9].

Let me take you through some simple tips which can help us to lead by example.

1 Think Before We Talk : Think before we speak or act. As a leader, our words and actions will be looked upon and criticized or emulated by others. People want to believe in their leaders.

2 Believe In Ourselves : Believe in what we do and do what we love. If we don't believe in our goals, then convincing others that they should work towards them will be very hard.

3 Be Fair & Honest : Treat others as we would like them to treat us. If we treat others fairly and justly, we can expect that they will treat us the same. If we treat them unjustly, expect that they will treat us unfavorably. A good leader is honest and respectful.

4 Be Pro-Active : Create chances and be pro-active. Don't wait for opportunities to come to us. Being pro-active instead of reactive enables us to be ready for difficult situations and take advantage of positive circumstances.

5 Give Our Ears : Listen to others. Listening is a key communication tool. Showing others that we are interested in what they have to stay will help gain their respect. If they don't respect us, they won't want to follow our lead.

6 Decision Making : Stay firm in our decisions. If we aren't committed to our decisions, we can't expect others to be committed to theirs.

7 Be a Team Player : Stand behind our team. If a team member makes a mistake, take the blame for the mistake. Don't point fingers. Figure out why the mistake was made and how it could be prevented in the future.

8 Be a Role Model : We have to speak the part, dress the part, act the part, smile, be appropriate and do not complain. Sounds difficult, but we have to build up our reputation as a strong and well balanced leader that others will want to emulate.

9 Be Positive : Be consistent and do so with a positive attitude. Being fair with everyone and if someone needs to be corrected for something then do so in private.

10 Take Care of Ourselves : Of course to be productive as a leader then we want to take care of ourselves and find a healthy balance. That balance differs from one person to the next, so finding our own will be up to us. Take care of our mind, body and soul to create a positive person.

It is said that, great leadership takes strength of character and a firm commitment to do the right thing, at the right time, for the right reason. Which means doing what we say, when we say it. If our team can't trust us, we'll probably never lead them to greatness. I am sure leading - and living - by example isn't as hard as it might sound. It's really the easiest path. If our team knows that we'll also do whatever we expect from them, they'll likely work hard to help us achieve our goals[10].

Remember, great leaders model how they want to be, to their people thus developing a level of relationship which is truly astounding - be ourselves, be natural and enjoy our work and our life - and be prepared to show it!

How about making our organization filled up with "inspired people" in an "inspiring atmosphere" led by an "inspirational leader"? Let's be a leader who knows the way, goes the way and shows the way - A leader who leads by example not by extortion!

Reference

1. *Patil V.T. – Studies on Gandhi, Starling Pub. New Delhi, p.53*
2. *Patil V.T. – Studies on Gandhi, Starling Pub. New Delhi, p.55*
3. *Mathur B.S.- Gandhi Ji as an educationist, Metrojolitin, Delhi, p.98*
4. *Desmond Doig, Mother Teresa: Her People and Her Work, Harper & Row, Publishers, 1976, p.65*
5. *Meditations on The Way of the Cross, Mother Teresa of Calcutta and Brother Roger of Taizé, The Pilgrim Press, 1987,p.83*
6. *Edward Le Joly, Mother Teresa: A Woman In Love, Ave Maria Press, 1993 ,p.19*
7. *Edward Le Joly and Jaya Chaliha, Mother Teresa's Reaching Out In Love, Barnes & Noble Books, 2002, p.12*
8. *"I Loved Jesus in the Night", Teresa of Calcutta: A Secret Revealed published by Darton, Longman and Todd in February 2009 or Paraclete Press in September 2008, p.47*
9. *Fiedler, Fred, "A Theory of Leadership Effectiveness", McGraw-Hill, 1967.*
10. *Chemevs, Martin and Fiedler, Fred, "Improving. Leadership Effectiveness," Woley, 1984, p.87*

ISSN 2277-5587

Sexual Abuse of Children: Indian Legal Perspective and Challenges Before Law

Dr. Meenakshi Punia
Assistant Professor, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur

shodhshree@gmail.com

Sexual abuse of children is crime which can happen in four walls of house or when the child is exposed to strangers. The offences which are committed against children or in which the children are victim, are considered as crime against children. Children fall in category of vulnerable group due their tender age and understanding of the world.

Abuse and exploitation of children is happening across globe. There is considerable overlap between the terms "*abuse*" and "*exploitation*". Abuse is defined as "the process of making bad or improper use, or violating or injuring, or to take bad advantage of, or maltreat, the person," while exploitation literally means "using for one's own profit or for selfish purposes"[1]

The UN Convention on the Rights of the Child (UN CRC) (1989) is the most widely endorsed child rights instrument worldwide, which defines children as all persons up to the age of 18 years. Defining violence and children protection rights, the Convention declares "States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child."[2]

According to the Protocol[3], child trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of children for the purpose of exploitation. It is a violation of their rights, their well-being and denies them the opportunity to reach their full potential.

The World Health Organisation (WHO) has defineed 'Child Abuse' as a violation of basic human rights of a child, constituting all forms of physical, emotional ill treatment, sexual harm, neglect or negligent treatment, commercial or other exploitation, resulting in actual harm or potential harm to the child's health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power. 'Child Neglect' is stated to occur when there is failure of a parent/guardian to provide for the develop- ment of

the child, when a parent/guardian is in a position to do so (where resources available to the family or care giver; distinguished from poverty).[4]

In last decade there has been surge in crime against children especially in sexual abuse of children in India. Indian penal code and the various protective and preventive special and local laws specifically mention the offences wherein children are victims. The age of child varies as per the definition given in the concerned Acts and sections but age of child has been defined to be below 18 years as per The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000. Therefore an offence committed on a victim under the age of 18 years is construed as crime against children for the purpose of analysis in this chapter.[5] Children who are victims of sexual abuse often know the perpetrator in some way . Hence, the problem of child sexual abuse needs to be addressed through less ambiguous and more stringent punishment. The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 was formulated to effectively address the heinous crimes of sexual abuse and sexual exploitation of children. Legal provisions were made through implementation of the Criminal Law (amendment) Act, 2013 which amended the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, The Indian Evidence Act, 1972, and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. This Criminal Law (Amendment) Act 2013, also dictates punishment on stalking, voyeurism, disrobing, trafficking and acid attack.

Child sexual abuse victim need special care and attention hence trained personnel should interview the victim children. The language of the child is to be understood by the legal system. Under the present system the natural habitat of the victim is generally disturbed, which is a source of trauma to the child. The delays in the system at every stage further add to the trauma of the child victim. There are several cases pending in the courts as the trial goes on for years. In several cases the girls have become adults by the time the final judgment comes through. The investigation of trial of sexual offences have to be made time bound. Special courts need to be set up. There is a need for a special provision relating to medical examination of child victim in the Cr.PC. The absence of a proper medical report in the case of a sexual assault goes against the child assaulted the mental health of victim needs to be attended to, as the trauma has to be reduced.

Highlights of the 'Protection of Children from Sexual Offences Act 2012':[7]

- The Act defines a child as any person below the age of 18 years and provides protection to all children under the age of 18 years from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography.
- This is the first time that an Act has listed aspects of touch as well as non touch behaviour (eg: photographing a child in a obscene manner) under the ambit of sexual offences.
- The Act incorporates *child friendly procedures* for reporting, recording of evidence, investigation and trial of offences
- The *attempt to commit an offence* under the Act has also been made liable for punishment for upto half the punishment prescribed for the commission of the offence.
- The Act also provides for punishment for *abetment of the offence*, which is the same as for the commission of the offence. This would cover trafficking of children for sexual purposes.
- For the more heinous offences of Penetrative Sexual Assault, Aggravated Penetrative Sexual Assault, Sexual Assault and Aggravated Sexual Assault, the *burden of proof* is shifted on the accused.
- The media has been barred from disclosing the identity of the child without the permission of the Special Court.

ISSN 2277-5587

Under Section 67 of the Information Technology Act, 2000, publication and transmission of pornography through the internet is an offence.

The ordinary criminal laws failed to protect the children, who are victims of sexual abuse. Various Sections under Indian Penal Code do not include the common forms of child sexual abuse nor their impact on the children. The restrictive interpretation of "penetration" in the Explanation to Section 375 is an obstacle to cases of child sexual Abuse. Explanation to Section 375 does not treat forced sexual intercourse by a husband against the wife (above 15 years) as an offence. Section 376(A) also has the same reasoning. The Indian Penal Code needs to be reviewed.

The existing definitions of rape and molestation should be suitably amended to adequately address the various types of sexual assault on children. In fact, sexual assault on children should be made a specific offence requiring stringent punishment. There is no provision to deal with the trauma of the child. The testimony of the child victim is not recorded sensitively by the police/judge/prosecutor magistrate. The recording of the statements of child victims need a special provision in the CrPC. There is no such provision at present.

As observed by Shrishti Agnihotri and Minakshi Das in their review of PCSO[8] which serves the purpose when it come to know the shortcomings of the legislation .Upon a preliminary reading the POCSO Act may qualify as the ideal legislation to protect children from sexual offences. However, there are certain conceptual and intangible problems in it. For example, the Act does not give any room to the idea of consensual act by persons under 18.

This would mean that if a seventeen year old boy or girl had a nineteen year old sexual partner, the partner would be liable to be booked under the provisions of the POCSO Act. The Act also does not provide any clarity on what happens when two minors engage in any kind of sexual activity. Technically, they are both Children in Need of Care and Protection (CNCP) and Children in conflict with law (CCLs). In practice though, the police declare girls to be CNCPs and the boys to be CCLs.

Another problem is faced by the victims in proving the age of the child. Since the POCSO Act is silent on what documents are to be considered for determining the age of the child victim, the provisions of the Rule 12 of the Juvenile Justice Rules has been read by Courts as applying to child victims as well. This rule recognises only the birth certificate, the school certificate of the child, or the matriculation certificate. However, children who are only able to produce other documents – even a legal document such as a passport – have to undergo a bone ossification test. This test can give a rough estimate of the age of the child at best. There needs to be a clear provision in the POCSO Act that lays down what documents should be considered for proving the age of the child, and whether the benefit of the doubt should be given to the child if the ossification test cannot do an exact assessment.[9]

Challenges before POCSO Act, 2012:

Child sexual abuse is a multifaceted crisis having legal, social, medical and psychological social and cultural implications. There are certain drawbacks in the law around the following issues:[10]

***(a) Consent*:** If the child/adolescent refuses to undergo medical examination but the family member or investigating officer is insisting for the medical examination, the Act doesn't lay any guideline for it. The matter of consent is important as having evidentiary value hance this need to be clarified urgently. Although, it would be practicable to take informed consent from parent when the survivor is a child (below 12 yr) and consent from both parent and the victim, if the survivor is an adolescent (age group from 12 - 18 yr).

***(b) Medical Examination*:** There is a conflict between provisions of The POCSO Act and Criminal Law amendment Act, 2013 Section 27(2) of the POCSO Act, mandates that in case of a female child/adolescent victim, the medical examination should be done by a female doctor. However, the law mandates the available medical

officer to provide emergency medical care. On the other hand, the Criminal Law amendment Act, Section 166A of Indian Penal Code mandates the Government medical officer on duty to examine the rape victim without fail. This conflicting legal position arises when female doctor is not available.

***(c) Child Marriage*:** Child marriage and consummation of child marriage are considered illegal under the POCSO Act, 2012. In India even though child marriage is prohibited under secular law, it enjoys sanction under certain Personal Laws thus complicating matters . These issues need to be addressed when the law is open for amendment.

***(d) Training*:** Since it is crime with person of tender age and understanding hence needing special care and attention, therefore their is an urgent need to train the medical, teachers, judicial, advocates and law enforcing agencies in the POCSO Act, 2012. Research, information, monitoring and sensitizing the public are the biggest challenges.

Training all the stakeholders is one of the important variables in providing comprehensive care and justice. There is also an urgent need to train all the medical undergraduates and primary health care doctors in providing child friendly interview, structured assessment, collecting evidence, prophylaxis for sexually transmitted diseases and HIV, family counselling and regular follow up.

***(e) Treatment Cost*:** The law has put legal obligation on the medical fraternity and establishment to provide free medical care to the survivors. If there are no proper facilities or costly procedure is required, the State should take responsibility of reimbursing the cost; otherwise hospital may provide substandard medical treatment procedure or may deprive the survivor from comprehensive treatment.

***(f) Consented Sexual Intimacy*:** Sexual contact between two adolescents or between an adolescent and an adult are considered illegal under the POCSO Act 2012, because no exception has been granted in the Act under which an act of sexual encounter with a person under 18 is an offence irrespective of consent or the gender or marriage or age of the victim/the accused. Indian Penal Code concerning rape laws in 2013 clearly reports that the age of consent for sex has been fixed to18 yr, hence, anyone who has consensual sex with a child below 18 yr can be charged with rape, which may increase the number of rape cases. One more serious repercussion is that obstetric and gynaecologists need to report all the MTP (medical termination of pregnancy) cases performed on children (below 18 yr).

***(g) Reporting*:** It is well known that the cases of child sexual abuse are usually not reported. Further, knowing and reporting child sexual offence is highly difficult and highly personal decision for many family members and also for survivors. Both survivors and family members feel embarrassed and ashamed bearing the guilt, anger, frustration and emotional turmoil of the act. The fear of re-victimization because of medical examination, criminal justice system and poorly informed society members keeps them silent and undergo torture for long duration.

***(h) Role of Mental Health Professional*:** The definitive signs of genital trauma are seldom seen in cases of child sexual abuse . Hence, the evaluation of child sexual abuse victim requires special skills and techniques in history taking, forensic interviewing and medical examination. The role of mental health professional is crucial in interviewing the child in the court of law. Child sexual abuse can result in both short-term and long-term harmful mental health impact. Mental health professionals need to be involved in follow up care of the victim with regard to emergence of psychiatric disorders, by providing individual counselling, family therapy and rehabilitation.

Only the word of law cannot be taken, the legislation requires machinery and able mechanism so that it can serve the purpose for which it is enacted. Thorough research and urgent removal of any form of ambiguity in law is need of the hour. The society need to understand

ISSN 2277-5587

the crime and act forward to protect its children. POCSO is good legislation as it recognizes all form of sexual abuses against children. Since it's a multi faceted crime hence it needs various dimension to address and remove it from the society.

References

1. *These definitions are derived from the Oxford English Dictionary, Second Edition 1989.*
2. *https://www.med.or.jp/english/journal/pdf/2013_05/302_309.pdf*
3. *Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2000).*
4. *https://www.med.or.jp/english/journal/pdf/2013_05/302_309.pdf*
5. *http://ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2014/chapters/Chapter%206.pdf*
6. *MoirangthemSydney, Kumar,Naveen C. and Bada MathSuresh Child sexual abuse: Issues & concerns, The Indian Journal of Medical Research, Indian J Med Res. 2015 Jul; 142(1): 1–3.doi: 10.4103/0971-5916.162084, last accessed on 03/03/2016.*
7. *http://www.childlineindia.org.in/Child-Sexual-Abuse-and-Law.htmExcerpts from Dr. Asha Bajpai's chapter on 'Child Sexual Abuse and Law'**
8. *AgnihotriSrishti , DasMinakshi. Reviewing India's Protection of Children from Sexual Offences Act three years on. Available at http://www.kafila.org/2015/12/10/the-pocso-act-a-quick-review-srishti-agnihotri-and-minakshi-das/. Last accessed on 15/03./2016The POCSO Act was enacted in 2012 with the aim of protecting children from sexual offences. It also provides for the establishment of special courts for trial of child sexual abuse matters. However, the Act's implementation has been mired in mal practices and outdated legal proceedings. It is therefore imperative to conduct a critical empirical assessment of its implementation mechanism..*
9. *Agnihotri Srishti , Das Minakshi. Reviewing India's Protection of Children from Sexual Offences Act three years on. Available at http://www.kafila.org/2015/12/10/the-pocso-act-a-quick-review-srishti-agnihotri-and-minakshi-das/. Last accessed on 15/03./2016*
10. *Moirangthem Sydney, Kumar, Naveen C. and Bada Math Suresh Child sexual abuse: Issues & concerns, The Indian Journal of Medical Research, Indian J Med Res. 2015 Jul; 142(1): 1–3.doi: 10.4103/0971-5916.162084, last accessed on 03/03/2016.*

Diatoms: An Observation of Jait Sagar Lake of Bundi (Rajasthan)

Dr. Dilip Kumar Rathore
Lecturer, Government College, Bundi

Preeti Sharma
Lecturer, Eklavya College, Bundi

shodhshree@gmail.com

Diatoms live in almost all types of superficial waters. Depending on their habitats, diatoms are either planktonic (living suspended on the water), benthic (growing associated to a substrate), or both planktonic and benthic. Diatoms are important contributors to the primary production in aquatic ecosystems, sitting at the bottom of the food chain. They are eukaryotic algae, commonly unicellular, although they do exist as filamentous colonies and they are good indicators of the features of the water, they are used to monitor water quality.

Natural changes in environmental conditions, pollution and other human activities also disturb these community profiles significantly (Kaur *et al.*, 2001; Jarousha, 2002). Diatoms provide probably the most versatile and important biomonitoring tool for aquatic environments. They integrate changes in water chemistry, including pollutants, rapidly and at a fine scale, information that is not provided by aquatic or terrestrial vegetation indicators (Singh *et al.*, 2006; Kumar *et al.*, 2008, 2009 and Sengar *et al.*, 2009). They are the easiest indicator to sample, from streams, urban canals or wetlands, being generally equally represented across all surfaces at a single location.

Jait Sagar Lake has not only been a tourist resort with unparalleled scenic beauty but has also been the source of drinking water supply of the township of Bundi. During the year, large surface area of this lake becomes covered with *Nelumbo* and algal communities. It is an indication that the water is now rich in inorganic nutrient and organic matter. Biotic activities such as washing clothes, animals, bathing and also defecating on the banks of the lake add to its pollution. The river which had been dammed to create this lake passes through several crop fields with pesticide residues and fertilizers after the rains. All of these activities regularly increases nutrient rich conditions and develop phytoplanktonic communities with major algal species.

Material and Methods

The samples were collected by phytoplanktonic net. Samples collected were fixed and stored in marked plastic bottles. After collection, phytoplanktons were centrifuged and the supernatant liquid was siphoned off, the sedimented portion and other major algal forms being preserved in lugol solution. The

 ISSN 2277-5587

systematic identification of algae was done with the help of the standard works (Fritsch, 1935; Palmer, 1980; Bold and Wynne, 1978).

Result and Discussion

In Bacillariophyceae (Known as Diatom), a total 12 genera and 36 species were found in Jait Sagar lake. *Cymbella, Fragillaria, Achnanthes, Nitzschia, Synedra, Navicula, Pinnularia, Gomphonema* and *Mastigloia* have fluctuated and showed seasonal succession throughout the studied period. In diatoms, *Cymbell, Synedra, Nizschia, Navicula, Fragilaria, Achananthes* and *Gomphonema* were appear as dominated algae during Autumn, Winter and Spring seasons (Table 1). Nazneen (1980) has been observed that the species of Cymbella have been occurred throughout the year in Keenjhar lake with maximum populations in autumn and winter. . Kamat (1981) concluded that the presence of *Nitzschia* indicates waters of fairly high ionic contents which may be hard and this supports our observation too.

Algal Species	Summer (May to Aug)	Autumn (Sept to Nov)	Winter (Dec to Feb)	Spring (Mar to Apr)
Achnanthes lapponica	+	-	-	-
A. delicatula	+	+	-	-
A. lanceolata	-	-	+	+
A. coarctata	+	-	-	-
Anomoenies sphaerophora	+	-	-	-
Cyclotella comta	-	+	-	-
Cymbella tumida var. *ventricosa*	-	+	+	-
C. cistula var. *gracilis*	-	-	+	+
C. excise	+	-	+	-
C.tumescence	-	+	+	-
C. ventricosa	-	+	+	+
Fragilaria capucina var. *gracilis*	-	+	+	+
F. capucina	-	+	+	+
F. intermedia	+	-	+	-
F. vauecheriae	-	+	+	+
Gomphonema gracile	-	-	+	+
G. intricatum	-	+	-	+
G.lanceolatum	-	+	+	+
Navicula elegans	+	-	-	-
N. radiosa var. *tenella*	-	+	+	+
N. radiosa	-	+	+	+
N. lanceolata var. *tenella*	-	+	+	-
N. viridula	+	+	-	-
N. exigua	+	-	-	-
N. meniscus	+	+	-	-
Nitzschia amphibian	+	-	-	-
N. palae	+	-	+	+
N. recta	-	+	+	-
Pinnularia arosphaeria	-	-	+	+
Pleurosigma angulatum	+	-	-	-
Rhopalodia gibba	+	-	-	-
Synedra ulna	+	-	-	-
S. acus	-	+	+	-
S. delicatissima var. *angustissima*	-	-	+	+
S. parasitica	+	-	-	-
S. ulna var. *amphirhynchus*	-	+	+	+

(+ Present; - Absent)

Some of the species like *Niztschia palae, N. amphibian, Synedra ulna* var. *amphirhynchus, S. acus* var. *radians, Navicula radiosa, N. radiosa* var. *tenella, N. elegans, Fragilaria capucina* var. *gracilis* are observed in all seasons (Table 1). According to Palmer (1980), *Nitzschia, Synedra, Navicula and Gomphonema* are the indicators of pollution (Table 1). So that present study has supported also. Increasing temperature and light intensity are the chief factors involved in the spring blooming of diatoms. All of these observations have indicated that studied lake is more polluted and not suitable for human as drinking purposes.

Acknowledgement

The author extremely thankful to UGC for provided fund for success to this type of research work and Government College Bundi, Rajasthan for providing all facilities in laboratory.

References

1. *Bold, H.C. and Wynne, M.J. 1978. Introduction to the Algae. Prentice-Hall of India Privete Limited, New Delhi.*
2. *Fritsch, F.E. 1935. The Structure and Reproduction of Algae. Vol. I. Cambridge Univ. Press, London.*
3. *Jarousha, AKKH. 2002. Analysis of the polluting elements of Ramgarh lake of Jaipur (Rajasthan) India. Algal Biotechnology. Pointer Publishers, Jaipur. pp. 247-259.*
4. *Kamat, N.D. 1981. Diatoms and diatom populations indicating water quality and pollution, WHO workshop on Biological Indicators and Indices of Environmental Pollution, Cent. Ed. Prev. Cont. Water Poll. Osmania Univ., Hyderabad, India 70:103-118.*
5. *Kaur, H. N., Jerath, Kanwal, S. and Bath., K.S. 2001. Aquatic plant diversity of roper wetland. Indian. Jour. of Envior. Sciences, 6 (1): 23-26.*
6. *Kumar Anil, Sharma L.L. and Aery N. C. (2008). Physicochemical Characteristics and Diatoms as Indicators of Trophic Status of Kishore Sagar, Rajasthan. In. Proceedings of Taal 2007:12th World Lake Conference: 1804-1809.*
7. *Kumar, A., Sharma, L.L. and Aery N.C. (2009). Physicochemical characterstics and diatom diversity of JawaharSagar lake- a wetland of Rajasthan. Sarovar Saurabh, vol. 5(1) pp. 8 – 14.*
8. *Nazneen, S. 1980. Influence of hydrological factors on the seasonal abundance of phytoplankton in Keenjhar lake. Int. Rev. Ges. Hydrobiol., 65 (20): 269-282.*
9. *Palmer, C.M. 1980. Algae and water pollution. Castle House Publications Ltd. Pp 36-39.*
10. *Sengar, P, Singh, G.P. and Sharma K.P. (2009). Seasonal distribution of phytoplankton in Ramgarh reservoir, Jaipur, Rajasthan. Indian Journal of Enviornmental Sciences 13(2): 167-169.*
11. *Singh, R, Singh, R, Singh, R and Thakar M. K. (2006). Diatomological studies from three water bodies of Jaipur. Indian Internet Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol.4, Issue 3.*

PLATE-1 DIATOMS

Role of Department of Redress of Public Grievances in Rajasthan in Fight Against Corruption

Dr. Rajesh Bohra
Lecturer, Shri Pustikar Shri Purohit Suraj Raj
Roopa Devi Smiriti Mahila Mahavidhyalaya, Jodhpur

shodhshree@gmail.com

In our country India, which is a welfare state and also a developing nation, the importance of public administration has increased. Today Public Administration has acquired the status of nation builder and the most important instrument of socio economic transformation. According to Professor Donham "if our civilization breaks down, it will be mainly a breakdown of administration. "[1]But at the same time the discretionary powers, handed over to administration to coordinate with environment and taking suitable decisions, are generating mal-administration and corruption.

Today, in India the citizens seem to be facing two major problems, which are responsible for their grievances against administration. One of such problem is the problem of injustice meted out to a citizen through bureaucratic mal-administration. Absence of probity, fair play and integrity on the part of the public servants in their dealings with the citizens has led to such an injustice. Another akin problem is that of corruption. The problem of corruption in administration in India has assumed a great dimension. Corruption has become a "low risk-high reward" activity today. In 2015, out of 175 countries, India was ranked 76th in Corruption perceptions Index by Transparency International[2]. In broad terms according to the Santhanam Committee, corruption is any action or failure to take action in the performance of duty by a Government Servant for some advantage[3].

As far as fight against mal-administration and corruption in India is concerned, the Central Government and all the state governments have adopted various Institutions, Commissions, Boards and their specific departments for this purpose. In this reference the Department of Redress of Public Grievances in Rajasthan is playing an important role.

The Deport of Redress of Public Grievance in Rajasthan

The Government of Rajasthan established this top level department at secretariat on 26.07.1971 to redress public grievances regarding common people and Government Servants. The Head of this department is an officer of rank of Additional Chief Secretary, coming from Indian Administrative

Services and getting super time scale grade being Senior Officer. This department is playing important role in fighting against corruption in Rajasthan.

Jurisdiction of the Department

The jurisdiction of the Department of Redress of Public Grievance is mentioned in its Establishment order, which covers complaints which are related to corruption, bad conduct concerning to various government employees, public servants and Government Agencies. There may be complaint regarding corruption and misconduct as directed in allegations, complaints regarding administrative ignorance, affecting rights and interests of a person. This includes cases related to pay fixation of pensioners, cases of not getting salary for three months, non payment of insurance amount to dependent of confirmed government servants, case regarding confirmation of such employees who have not been confirmed for three years etc.

Besides above mentioned cases, complaints loged by Government Employee, in which there has been much delay in disposal by various departments of State Government can be taken up by this department.

In 1978 it was decided that all such complaints which were being distributed between Chief Minister's office and Department of Personnel (A-5) would be directed to this department[4]. From 9-1-1980, cases related to Municipal Boards, Municipality, Municipal corporation and UIT, cases of SC/ST, widows, cases of delay in fixation of salary of government servants, arrears, travelling allowances, PF, Insurances etc are also taken by this department.

This department is also authrozied for proposing necessary amendments in rules, processes, Acts etc for the purpose of quick disposed of cases and fast working. In 1985 it was decided that cases related to public grievances which were being referred to the Prime Minister's office would also be directed to this department. In May 1992 it was decided that cases received in public hearing by the Governor would also be taken up by this department for disposal[5]. Hence the department has become an important agency for resolving cases of public grievances in Rajasthan.

Organisation

For efficient disposal of cases, this department requires public servants of all levels. It comprises of officer's like Secretary, Deputy Secretary, Assistant Secretary and Section Officers, Clerks etc. The department is headed by an officer of rank of Additional Chief Secretary. Under him is SR Deputy Secretary, Deputy Secretary and Assistant Secretary. Under Assistant Secretary, there are section officers. These section officers look after matters of whole department which is divided into various cells. There are computer operator, Assistant, UDC's and LDC's Stenographer etc[6].

Functions

To achieve its aims and objectives, the Department of Redress of Public Grievance performs following functions.

a. Receiving complaints and their registration.
b. Impartial investigation into complaints.
c. Disposal of complaints.
d. Disciplinary actions.
e. Receiving records for the purpose of investigation.
f. Administrative functions.
g. Functions related to personnel Administration.
h. Annual Report.

Besides that this department executes both theoretical and practical administrative control over District Public Grievances and Vigilance Committees working at district level. All committees submit their working report to the Department of Redress of Public Grievances.

Working Procedure

To resolve the matters related to public grievances, this department follows a procedure which comprises of various steps.

A. **Receiving Complaints**

The first step, the department receives complaints related to departments which are under its jurisdiction. These complaints may be submitted ownself, through representative or through the secretaries of concerning departments. All these complaints are distributed according to their nature, in various cells.

B. **Preliminary Enquiry and Rejection of Complaints**

After receiving complaints through various sources, preliminary enquiry is carried out by the department to select cases falling under its jurisdiction and rejecting those cases which are either fabulous or anonymous and fall out of its jurisdiction.

C. **Disposal of Cases**

In this step, all the cases received with disposal point of view, are classified into three categories with respect to various cells, in the department.

In first category come those cases which are sent directly, as such, to the concerned department for necessary action. The concerned department conveys the final decision on that particular case to the applicant on its level.

The second category includes those cases which need dispartmental action. For these cases, a file is opened and all the concerning papers are filed in that by the office. On final disposal of case, the applicant is informed about the action. The Third category includes those cases, in which new files are opened.

The Department of Redress of Public Grievances may direct, concerned department related to public grievances, either to materialize the case in fix duration of time or make a comment on the case within fifteen days. If the Head of depart of Redress of Public Grievance, does not get satisfied with the action taken by the concerned department or comments made by that department then he may take over the process of enquiry or may appoint an officer from own department for enquiry of that case.

D. **Appointment of Investigation Officer**

The Head of department may carry out an investigation himself or may appoint an Investigation Officer for impartial investigation of any case. The cases against the Head of any department or a secretary is investigated by the Addition Chief Secretary himself and cases against any other officer are dealt by the Deputy Secretary.

If particular officer or department seems to be not cooperating with investigation officer or causing delay in redressing the case then the Department of Redress of Public Grievances may recommend to higher officers for disciplinary action against them. When investigation officer confirms that the case has been properly dealt and complaint has been redressed satisfactorily by concerned department then the complainant is conveyed final decision and that case file is closed.

E. **Report**

The Department of Redress of Public Grievances presents quarterly and annual reports about its performance, before the Chief Minister and the Chief Secretary. In this report, total number of cases received, total number of complaints redressed and total number of pending cases are mentioned. The Annual Report of the Department of Redress of Public Grievances is presented before the Cabinet. A special report about additional cases handed over to this department is also prepared.

Annual Report

In time period of one year from 01.01.2014 to 31.12.2014 this department received 13621

complaints which were registered online through Rajasthan Sampark Portal, out of these complaints 4769 complaints were sent, as such to the concerned departments for necessary action and action taken on 8767 complaints whereas 85 new files were opened and comments from concerned Head of department were demanded[7].

Total 205 meetings were orgainsed by District Public Grievance and vigilance committees working at district level. These committees registered 1597 new cases and in this time period these committee resolved 1703 case From 15 June 2015 a new web portal Rajasthan Sampark started to register online complaints. On this portal a complainant himself watch the status of action on his complaint. For this a unique number is provided to complainant. Upto date 31.12.2014, total 354049 complaints were registered at Rajasthan Sampark Portal. Out of which 302570 complaints had been resolved and 51479 complaints were pending[8].

Thus it can be concluded that in a welfare country like India, the most important essentiality of democratic society is to have adequate relation, dialogue and cooperation between administration and citizens and above that it is essential that public grievances are redressed in efficient manner and in short time period. Because administration does not exist for itself but for the citizens. The department of Redress of Public Grievances in Rajasthan is playing important role to make this true.

References

1. *Donham wallace "The Theory and Practice of Administration". Harward Business Review, 1936, Volume 14, P.409.*
2. *Corruption Perception Index 2015 table Transparency International Retrieved 2016-1-28.*
3. *Santhanam Committee Report on corrupting, 1964.*
4. *Annual Progress Report, 2001, Department of Redress of Public Grievances, Department of Rajasthan, P-2.*
5. *Ibid.*
6. *Information from organisation chart provided by Department of Redress of Public Grievances.*
7. *Annual Report 2014, The Department of Redress of Public Grievances. The Government of Rajasthan, Jaipur.*
8. *Ibid, Annual Report 2014.*

Corporate Governance and Market Reaction with Reference to Banking Sector

Dr. Neha Sarin
Assistant Professor, The IIS University, Jaipur

shodhshree@gmail.com

The thesis is mainly bases on the corporate governance practices in the banks and its market reactions i.e. impact on stock prices. This research work also shows the how good corporate governance practices help to banks in decreasing nonperforming assets and increasing the shareholders value.

This thesis is based on the deep study of previous studies on bank corporate governance, importance and objectives of corporate governance, benefits of sound governance and relation between corporate governance and stock market reactions etc.

Overview of Corporate Governance

"Corporate governance involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined."

"By the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)"

"Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled by the management in the best interest of the shareholders and others ensuring greater transparency and better and timely financial reporting. The boards of directors are responsible for governance of their companies."

What is Corporate Governance?

"Corporate governance is needed to create a corporate culture of consciousness, transparency and openness. It refers to combination of laws, rules, regulations, procedures and voluntary practices to enable the companies to maximize the shareholders long-term value. It should lead to increasing customer satisfaction, shareholder value and wealth."

- Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled.

- It deals largely with the relationship between the constituent parts of a company –
  - The Directors,
  - The Board (and its sub-committees) and;
  - The Shareholders.
- Transparency and accountability are the most important elements of good corporate governance. This includes:
  - The timely provision by companies of good quality information;
  - a clear and credible company decision - making process;
  - Shareholders giving proper consideration to the information provided and making considered judgments.

The basic objective of Corporate Governance would be "enhancement of the long-term shareholders value while at the same time protecting the interests of other stakeholders."

Overview of Bank Corporate Governance

Effective corporate governance practices are essential to achieving and maintaining public trust and confidence in the banking system, which are critical to the proper functioning of the banking sector and economy as a whole. Poor corporate governance may contribute to bank failures, which can pose significant public costs and consequences due to their potential impact on any applicable deposit insurance systems and the possibility of broader macroeconomic implications, such as contagion risk and impact on payment systems. In addition, poor corporate governance can lead markets to lose confidence in the ability of a bank to properly manage its assets and liabilities, including deposits, which could in turn trigger a bank run or liquidity crisis. Indeed, in addition to their responsibilities to shareholders, banks also have a responsibility to their depositors.

From a banking industry perspective, corporate governance involves the manner in which the business and affairs of banks are governed by their boards of directors and senior management, which affects how, they:

- Set corporate objectives
- Operate the bank's business on a day-to-day basis
- Meet the obligation of accountability to their shareholders and take into account the interests of other recognized stakeholders
- Align corporate activities and behavior with the expectation that banks will operate in a safe and sound manner, and in compliance with applicable laws and regulations; and protect the interests of depositors.

Basel Committee: An Introduction

The Basel Committee on Banking Supervision is a committee of banking supervisory authorities which was established by the central bank Governors of the Group of Ten countries in 1975. It consists of senior representatives of bank supervisory authorities and central banks from Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and the United States. It usually meets at the Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Switzerland, where its permanent Secretariat is located.

Basel II Committee Principles on Sound Corporate Governance

Principle 1

Board members should be qualified for their positions, have a clear understanding of their role in corporate governance and be able to exercise sound judgment about the affairs of the bank.

Principle 2

The board of directors should approve and oversee the bank's strategic objectives and corporate values that are communicated throughout the banking organization.

ISSN 2277-5587

Principle 3

The board of directors should set and enforce clear lines of responsibility and accountability throughout the organization.

Principle 4

The board should ensure that there is appropriate oversight by senior management consistent with board policy.

Principle 5

The board and senior management should effectively utilize the work conducted by the internal audit function, external auditors, and internal control functions.

Principle 6

The board should ensure that compensation policies and practices are consistent with the bank's corporate culture, long-term objectives and strategy, and control environment.

Principle 7

The bank should be governed in a transparent manner.

Principle 8

The board and senior management should understand the bank's operational structure, including where the bank operates in jurisdictions, or through structures, that impede transparency (i.e. "know-your-structure")

Description of the Problem

The study on *"Corporate Governance and Market Reaction in Special respect of Banking Sector"* is being conducted to get the solution of following problems of banking companies:

- Lack of Transparency in Banking operations
- Many banking companies do not follow proper code of conduct and governance
- Problem of insider trading by internal people
- Lack of proper accounting principles

Objectives of The Study

The objectives of my study on *"Corporate Governance and Market Reaction in Special respect of Banking Sector"* are as follows:

- To know, how effective governance effects the stock prices of the banks
- To know the impact of corporate governance on operations of banking companies
- To conduct comparative performance analysis of Nationalized and Privatized banks
- To know the importance of audit committee, board structures and role of independent directors in governing the banks
- To know the importance of corporate governance in banks
- To know the Basel committee norms

Database

Target

- Banks (Nationalized and Private)
- The research is based on secondary Data Collection
- The researcher will target the banks

Method of Data Collection

Secondary Data

Secondary data is the data that already exist which has been collected by some other person or organization for their use and is generally made available to other researchers. Sources of secondary data include websites, trade associations, journals, books etc.

Corporate Governance Practices in SBI

The Bank's Philosophy on Code of Governance

State Bank of India is committed to the best practices in the area of corporate governance, in letter and in spirit. The Bank believes that good corporate governance is much more than complying with legal and regulatory requirements. Good governance facilitates effective

management and control of business, enables the Bank to maintain a high level of business ethics and to optimize the value for all its stakeholders. The objectives can be summarized as:

- To enhance shareholder value.
- To protect the interests of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large.
- To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.
- To ensure accountability for performance and to achieve excellence at all levels.
- To provide corporate leadership of highest standard for others to emulate.

Corporate Governance Practices in ICICI

Vision

To be the leading provider of financial services in India and a major global bank.

Mission

We will leverage our people, technology, speed and financial capital to:

- Be the banker of first choice for our customers by delivering high quality, world-class products and services.
- Expand the frontiers of our business globally.
- Play a proactive role in the full realization of India's potential.
- Maintain a healthy financial profile and diversify our earnings across businesses and geographies.
- Maintain high standards of governance and ethics.
- Contribute positively to the various countries and markets in which we operate.
- Create value for our stakeholders.

Code of Commitment

ICICI Bank follows a voluntary Code, which sets minimum standards of banking practices when they are dealing with individual customers.

Privacy Policy

ICICI Bank is strongly committed to protecting the privacy of its customers.

Code of Conduct and Business Ethics

ICICI Group expects all its employees, officers and directors to act in accordance with high professional and ethical standards.

SBI	**2.9**
BOB	**2.57**
ICICI Bank	**2.3**
HDFC Bank	**1.4**

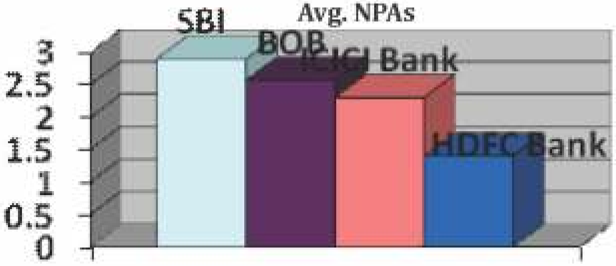

ISSN 2277-5587

Data Interpretation

As the above figure is showing the data of Average NPAs all the banks which are included in my study. SBI is having the highest NPA amongst the other studied banks. It can be evaluated that SBI is largest banking institution of the country so close control is not possible as compare to other banks which are not having wide operations as SBI has. HDFC has best corporate governance strategy as the governance of HDFC is rated best and it can be shown by the lowest average NPA i.e. 1.4%.

Average Share Price For the Year 2012, 2013 and 2014

SBI

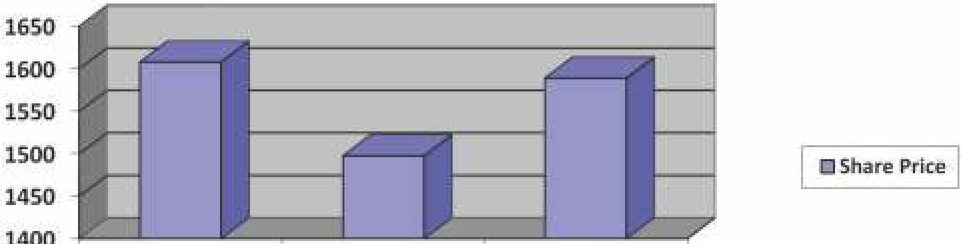

	2012	2013	2014
Share Price	1607.85	1497.55	1588.93

ICICI

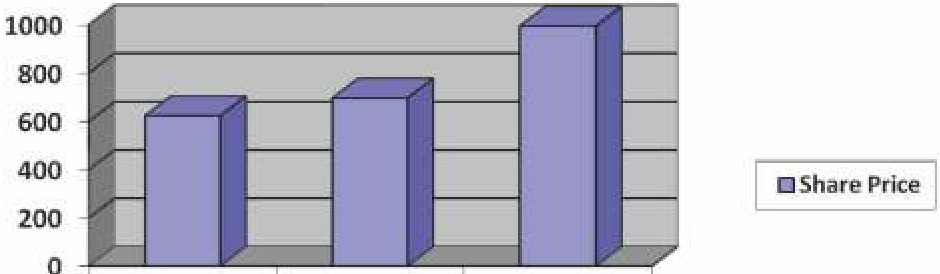

	2012	2013	2014
Share Price	622.04	695.4	992.88

Discussion of Implications

- As per the study conducted, corporate governance is directly related with market reaction. A significant improvement in share price of ICICI. On the other hand, due to lack of good governance it can be seen the remarkable decrease in share price of SBI.
- Good governance also helps in maintaining good market goodwill of the bank. As ICICI bank is not having the sound governance so at the time of recession, there were rumors in the market that ICICI can be bankrupt.
- Better governance helps in maintaining good relation with stakeholders and stakeholders are backbone of the company.
- Basel committee principle also helps in carrying smooth operations of the banks and helps in managing risks, helps in auditing etc.

Conclusions

The literature on corporate governance examines the efficacy of alternative structures of ownership and the boards of directors and various other governance structures. While there is increasing evidence of the failure of certain governance structures to control and motivate managers to increase firm performance, the empirical evidence to date is mixed and gives little coherent evidence for the shape of an optimal governance structure. One explanation is that existing theories have not been sufficiently complete to include all major determinants of good corporate governance.

Perhaps there will never be one optimal governance structure because no two firms, two markets, two legal regimes or two cultures are exactly the same, resulting in highly complex issue of corporate governance. Ultimately governance structure is determined by a combination of the above factors and their dynamics. A more likely and useful outcome of the on-going debate and research, perhaps, might be the increasing focus on shareholder interest and concerns, and identification of some widely accepted guiding principles, rather than trying to find some specific mechanisms which are universally applicable, for effective corporate governance.

We can conclude that there is direct impact of good governance on market price of securities in banking sector. Good governance helps in maintaining good relation with employees, customers, government and other stake holders. Basel norms have brought in paradigm shift in bank governance as it helps in maintaining transparency in each and every operation like compensation policy, auditing, insider trading etc.

References

1. *Rao Nageswara Kasturi, Banking: The Changing Landscape, First Edition, ICFAI University Press, 2005*
2. *Kaen R. Fred, A Blueprint for Corporate Governance, First Edition, AMACON Publications, 2003*
3. *Friedman, M., and A. Schwartz. 1963. A Monetary History of the United States, 1867-1960. Furfine, Craig H. 2001. "Banks as Monitors of Other Banks: Evidence from the Overnight Federal Funds Market." Journal of Business 74, no. 1: 33-57.*
4. *Weston J.F., Siu, J.A., Johnson, B.A., 2001. Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance. Prentice Hall, New Jersey, Third Edition.*
5. *Bhatia, N.L. and Sampat Jagruti. Taxman's Takeover Games and SEBI Takeover Regulations, New Delhi: Taxman Allied Services Pv t. Ltd. Oct. 2002*
6. *Bowman, Cliff. The Essence of Stretagic Management. New Delhi: Prentice Hall of India Pvt. Ltd., 1998*
7. *Collins, James C. and Jerry I. Poras. Built to Last. New York: Harper Business, 1997*
8. *Crainer, Stuart. Key Management IDEAS. New Delhi: MacLilan India Ltd. 1999*
9. *Damodaran, Mike. Corporate Finance-Theory and Practice. Canada: John Wiley & Sons, Inc.,1997*
10. *Devidson, Mike. The transformation of Management. London: MacMillan Press Ltd., 1995*
11. *Drucker, Peter F. Managing for results. New York: Harper Collins Publishers, 1993*
12. *Drucker, Peter F. Managing in the New Society.. New York: Trutman Talleys, Books and St. Martin's Press, 2002*
13. *Drucker, Peter F. The effective executive. New York: Harper Collins Publishers, 1993*
14. *Drucker, Peter F. The Initial Drucker. New York: Harper Collins Publishers, 1993*
15. *Drucker, Peter F. The Practice of Management. New York, Harper Business, 1954*
16. *Ferraro, Gary P. The cultural Dimensions of International Business. Prentice Hall*
17. *Gates, Bill. Business @ The Speed of Thought. New York: Warner Books, 1999*
18. *Hamer, Gary & C.K. Prahalad. Competing for the future. Boston: Harward Business School Press, 1994*
19. *Hill, W.L. Charles and Gareth R. Jones. Strategic Management. Chennai: Houghten Miflin Company, 2000*
20. *Hill, W.L. Charles. International Business Competing in the Global Market Price. Irwin-McGraw Hill, 1997*
21. *Hunger, David J. & Thomas L. Wheelen. Strategic Management. Delhi: Addison Wesley Longman. Inc., 1999*
22. *Kakakota, Ravi & Marcia Robinson. E-Business*

Roadmap for Success. New Delhi: Pearson Education Asia Pte. Ltd., 2000

23. *Balloun James & Gridley. Richard. "Post Merger Management": Undrstanding the Challenges. "Mckinsey Quarterly, Fall 1990*
24. *Bleeke Joel and Ernst. David. "Is your Strategic Alliance Really a Sales?" Harward Business Review, January-Fabruary 1995*
25. *Carroll, A.B. "A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performace" Academy of Management Review, October 1979*
26. *McCarthy Daniel J, Minichiello Robert J and Joseph R Curran. Business Policy and Strategy-Concepts and Readings. New Delhi: AITBS, 4th Edition 1996*
27. *McNamee, Patrick. Developing Strategy for Competitive Advantage. Oxford: Perganom Press, 1990*
28. *Miller, Alex. Dress G. Gregory. Strategic Management. New York: Irwin-McGrawhills 1996*
29. *Mintzberg, H. Structure in Fives. Prentice Hall. Inc., 1983.*
30. *Porter. Michael. E. competitive advantage of Nation. New York: The Free Press, 1985*
31. *Rappaport. A. creating shareholder Value. Newyork: The Free Press, 1985*
32. *Thompson. John L. Strategic Management. London: Capman & Hall, 1996*
33. *Van Horne, James C. Financial Management and Policy. NewDelhi: Prentice Hall India Pvt. Ltd., 2001*
34. *Subba Rao, P. Business Policy and Strategic Management., Mumbai: Himalaya Publishing House, 1999*
35. *www.wikipedia.com*
36. *www.beyondgreypinstripes.org/pdf/CGReport.pdf*
37. *www.indiajuris.com/presentations/CG.ppt*
38. *www.corporatecomplianceinsights.com*
39. *www.blogs.law.harvard.edu*
40. *www.economictimes.indiatimes.com/Markets/marketnew*
41. *www.oecd.org/dataoecd*
42. *rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/DOCs/59405.doc*
43. *ezinearticles.com/?Corporate-Governance-In-Indian-Banks*
44. *rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/81694.pdf*
45. *www.statebankofindia.com*
46. *www.bankofbaroda.com*
47. *www.hdfcbank.com*
48. *www.icicibank.com*

Prospects and Issues for Development of Tourism: A Case of Desert Circuit

Saurabh Gehlot
Research Scholar, Department of Architecture,
MBM Engineering College, Jai Narain Vyas University, Jodhpur

shodhshree@gmail.com

Tourism is described as the relationships and phenomenon arising out of the journeys and temporary stays of people traveling primarily for leisure or recreational purposes. For some people, travel provides entertainment, for others it serves as holidays and for yet other it is a means of understanding the people's way of life. All such travel is called tourism and the concerned person a tourist. The term tourist covers two segments of visitors' viz. foreign tourists and domestic tourists. Tourism may be regarded as economic activity of great importance where the consumer comes to the production end. Tourism is the largest service sector provider in India as per the 13th finance commission. With ongoing economic growth and emerging middle class, this sector is bound to grow in future.

Location Map of Desert Circuit

Present Scenario

Rajasthan has been a pioneer state in promoting tourism. Its share in total tourist in India accounts to 16 percent foreign and 4.3 percent domestic tourist. Tourism accounts 8 percent of SDP and 21percent of total jobs. It has diverse natural resources and cultural heritage.

The desert circuit (Jodhpur-Jaisalmer-Bikaner) has witnessed major impacts due to tourism. These include heritage, cultural, traditions, land-use, and

vernacular character, nature of spaces, infrastructure, environment, socio-economic aspects, and economy of the region, job creation and impact on other industries. There has been subsequent growth in no. of tourist in recent years. Due to unplanned growth of this sector the impacts are increasing.

Map 2: Potential Spots In The Circuit

Tourism development is more relevant in a place like desert circuit, where due to adverse geographical conditions development of other industries is not feasible. Despite rich cultural heritage growth rate of most popular spots is declining in terms of no. of tourist visitors. These places have reached their bearing capacity and new spots have to be developed to sustain the growth of tourism. Presently major focus is on heritage tourism while great potential for business, religious, rural tourism also exists, which can be integrated with each other.

Tourism profile

The desert circuit has witnessed a constant increase in number of tourist with as exception of year 2008-09 due to recession. Jaisalmer is the most preferred destination for foreign tourist, while maximum number of domestic tourist in desert circuit comes to Jodhpur. Almost 66% of the total tourists in 2009-10 were from middle income group, making them the major consumer. Hence the infrastructure development should be as per their needs. Major reason for lack of high income group in desert circuit is lack of airport and star hotels in Jaisalmer and Bikaner. The peak season for tourism in desert circuit is from October to March. Most of the tourist comes around Diwali, Christmas, New Year and desert festival. The lack of infrastructure is clearly visible during these times.

All the three cities showed a distinctive character of expenditure pattern of tourist according to the available services. Tourists at Jodhpur and Bikaner had maximum expenditure on accommodation because of shortage of hotels and easy accessibility of other services for tourist. In Jaisalmer expenditure on other services is more due to shortage of supply of goods and diverse nature of demand (maximum foreign tourist from different countries there).

Prospects and Issues

The three major destinations of desert circuit have different issues. Jodhpur and Bikaner are mainly transit destinations which are used to reach the final destination of Jaisalmer. Jodhpur has better connectivity and infrastructure as compared to the other two, the tourists expressed their desire to stay more here but there are no new spots. Thus potential spots around Jodhpur have been identified where tourists can go and come back, increasing their stay period to one more night.

There has been increase in celebrity marriage and other events in Jodhpur. Spots have been identified for development of event tourism. There is a greater scope of business tourism in Jodhpur. Its sandstone, handicraft, spices, accessories are popular in domestic and international market. Spots at Mandore and Osia have been identified for development of business tourism.

Jaisalmer is being most explored destination in desert circuit. There have been significant cultural impacts on the place due to increased interaction of locals with the tourist (especially the foreigners). Its economy majorly depends on tourism as there are no other major sources of earning income, and majority of its population is involved in tourism trade some way or the other. Due to over exploitation, this place is losing its

charm and the very image for which it is popular. It has exceeded its limits to sustain the amount of tourists it can cater, so the need here is to maintain the originality of the place by not increasing the no. of tourist.

Due to the presence of ample land in form of sand dunes and historical temples, adventure and religious tourism can be promoted here. Potential spots for adventure tourism have been identified at Tanot, Sum and religious tourism at Ramdeoa, Ludhraa and Tanot. Bikaner is the least explored destination of the desert circuit, although it has potential. There is need to develop tourism infra structure, and maintaining existing tourist spots in and around the city. Initiatives like heritage walk in the old city should be taken for supporting the infrastructure. Since it is less explored, its villages still have the original rural ambiance, which can be used as a potential. A great scope of eco tourism due to the presence of wild life sanctuary in the area, which lies along the route of the desert circuit, also exists.

The need for the whole circuit is to get out of the cities and focus on nearby spots between or around the cities. There is a need to lengthen the average stay by providing different types of tourist experience. For that rural, adventure and fairs and festivals are envisaged. Most favorable condition for local economy is to promote independent tourists. Attracting tourists to the rural areas will best serve the economy. For development of facilities initiatives are required from both government and private stakeholders. The whole idea should be to diversify various tourist spots in the whole region rather than focusing only on cities. This will be helpful for the locals of the desert and trickle down the growth of this sector to a wider region.

Reference

1. *Tourism: Friend or foe of heritage and local wellbeing, Yojana, may 2010*
2. *Tourism a tool to boost local economy, ITPI Journal, Dec 2002*
3. *C. Michael Hall, Allan M. Williams, and Alan A.Lew ,Tourism: Conceptualization, Intitutions, and Issues,Blackwell publication(2004)*
4. *Stephen L.J. Smith), The measurement of global tourism: Old Debates, New Consensus and Continuing challenges. Blackwell publication(2004)*
5. *Richard Prentice, Tourism Motivation and typologies, Blackwell publication, (2004)*
6. *Dr. S. Sasikala,Growth and development of Indian tourist industry,Sonali publications, New Delhi(2009)*
7. *Richard butler, Modern Tourism and its development in Post modern world,SAGE Publications(2008)*
8. *Utkarsh Panday, (1998), Strategies for Tourism Development in KuchchhThesis, School Of Planning, CEPT, Ahmedabad*
9. *Basuroy . Aindrilla, (2001), Tourism Development Strategies for Kutch, GujaratThesis, School Of Planning, CEPT, Ahmedabad*
10. *Arvind pratap singh, (2001) :Development Strategies for Heritage Tourism – A Case of Shekhawati Region, Rajasthan, School Of Planning, CEPT, Ahmedabad*

Websites

11. *www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/un/unpan003880.pdf*
12. *www.freewebs.com/rrajan01/india-asean.pdf*
13. *www.Tourism.gov.in/AnnualReport04-05.pdf*
14. *www.mapsofindia.com/maps/images/rajasthan*
15. *www.tourismofindia.com/hi/daofglory.html*

Importance of Planning and Development in Tourism

Dr. Bindu Jain
Associate Professor, University of Rajasthan, Jaipur

Omika Bhalla Saluja
Senior Research Fellow, University of Rajasthan, Jaipur

shodhshree@gmail.com

When we hear the word tourism then the relaxing experience of a wonderful time spent on a holiday spree crosses the mind. For some tourism relates to exploring the cultural heritage, to others it may relate to wildlife and adventure, to yet others it may be a simple get away from the busy routine life.

In today's world, tourism is an important socio-economic activity. Tourism promises a number of social and economic paybacks. Tourism not only helps to bring together diverse segments of society and develops trust, but also pushes infrastructural reforms and employment options. It is one of the most important sources of earning foreign exchange and encourages the local art, handicraft, culture and business.

It has been observed in various researches that mostly people from developed nations travel to destinations in developing nations. This creates a flow of funds from the rich developed countries to the ones which are in need of funds. Thus it contributes towards reducing the gap between the two. Not only do the funds flow, but also the culture, lifestyle and improved technology passes on to the developed nations.

Exceptional Nature of Tourism Industry

Tourism Requires Supporting Goods and Services

Ancillary services are other service or products required by tourists. They refer to organisations that do not have a direct role in travel and tourism, but play a supporting role, perhaps offering related products and services. These could be travel insurance, currency exchange, car hire, luggage, theatre and events etc. They are additional businesses which support travel and tourism.

Tourism Regarded as a Fragmented Product

Tourism is characterized by the presence of a wide range of stakeholders including government, public sector as well as private sector etc. this implies the existence of a very high level of interdependence and need for collaboration between various sectors.

Perishable Nature of Tourism

Tourism is perishable in nature as the experience cannot be stored or resold. For example – experience in a flight on a particular day on a particular seat cannot be stored or resold.

Tourism as an Industry of Invisible Exports

International tourism involves movement of tourists from one country to another for the fulfillment of their needs. Therefore it is considered to be an export. The tourists cannot bring to their home country the experience that they felt momentarily on their quest of need satisfaction. This is the reason why tourism is not considered to be an import. As this experience is intangible it is considered to be an invisible export.

Tourism is Subject to Unpredictable External Influences

There are a numerous external factors which can influence tourism. Some of them may be Political in nature. Example: Political Turmoil in various countries, War, Terrorism etc. Taxation policies of a country in various stages of its economy cycle like in the period of Recession there may be a hike in cost of fuel, Increased air passenger duty, Exchange rates may change drastically.

On Social front external influences may be the outcome of the culture of the country, ideas prevailing in Social media, Changing attitudes, Trends, Events. Changes may be in Technological factors like flights taking long haul, easy and fast Internet connection which helps tourists with more info and access to online booking systems. Legal influences like Visa requirements, Crime levels also influence tourism. Then there are Environmental factors like Climate change, Pollution levels, Risks of natural disasters, Health issues etc which may influence the entire tourism industry of a country.

Tourism planning and Development

Planning is a dynamic process in which goals are finalized and course of action is decided to achieve those goals. It also involves implementation of the course of action chosen and its evaluation. Planning is done with due respect to the environmental, social, political factors. In context of Tourism also planning means the same thing. Tourism planning includes goal setting, finding alternatives to satisfy goals, choosing the most viable alternative, implementation of the same and taking corrective actions if needed.

With so many allied organizations associated with tourism industry and the wide impact it casts over the economic well being of a nation, planned development effort towards tourism is a must. Every country has its natural or manmade resources which must be cherished and maintained in order to attract tourists. Associated organizations and stakeholders must ensure that visitor's experience is the best possible so that they visit again or spread a word about their rich experience and motivate others to visit.

Tourism Policy Goals for Development

The first step to plan tourism involves setting up of tourism goals. Some of these goals are discussed below.

Increased Tourist Satisfaction – With the quality experience that visitors get, they will be motivated to visit again or extend their stay or motivate others to come. This is the same as customer satisfaction which will create a better goodwill for the tourism industry of the country.

Better Scope for Business and Thereby Improved Economy – As tourism gets a boost, all the related industries and organizations will also reap the benefits. This will result in growth in foreign exchange and thereby overall economy.

Sustainable Use of Resources - All resources are precious and must be used very wisely so that the tourist destinations may be preserved. The trend today calls for great energy conservation and recycling of waste. This is one of the very important goals of tourism planning and development.

Community Integration – "vasudhaiva kutumbakam" means that "world is one family". Tourism planning and development aims to integrate all the visitors and local community

ISSN 2277-5587

together to generate the feeling of fraternity creating harmony and tolerance.

Key Components of Tourism Development

To understand the various parameters of development in tourism lets understand a few key components that have to be addressed in order to encourage tourism.

Tourism Attractions and Activities

This comprises of all the natural, geographical, cultural, social and unique features of an area which attract tourists to visit the area.

Accommodations

It is one of the basic needs for any tourism activity. Travelers and tourists need lodging for rest, while they are on a tour. It is the first thing that a tourist looks for. Hotels with good hospitality management play important role in enhancing tourist satisfaction.

Other Facilities and Services

After accommodation need is satisfied a tourist looks for good and healthy fooding. At this point heath agencies have to ensure that adequate food quality standards are met at such destinations. Moreover, local handicraft markets for souvenir, medical facilities etc. must be in good condition.

Transportation Facilities and Services

Transportation reflects the style of living in the country. Neatly maintained air and rail terminals with well planned and developed routes and alternate routes reflect the disciplined lifestyle. Easy and safe transportation facilities for tourists make their stay more comfortable. Depending upon the geographical position, transportation means may vary from place to place. Some destinations even attract tourists with their unique means of transport like "Victorias of Mumbai".

Overall Infrastructure

The strong connection between infrastructure and tourism has been emphasized in a numerous researches. Tourism generates additional use of public facilities such as parks, gardens, pools, stadiums and museums. Apart from that the basic infrastructure concerning water supply, sewerage system, power supply system, telecommunication system must be in the best condition to avoid any bad tourist experience. Their maintenance to foster tourism is very important.

Importance of Careful Planning is Discussed as Under

Planning is helpful in determining as to what is the optimum level of tourism that should be attracted so that there may not be any side effects on the natural environmental conservation. It ensures the preservation and conservation of the invaluable natural or cultural resources. Many a times tourism becomes a platform for market integration, a careful planning is required to ensure that marketing of products may be done without compromising on the socio – cultural and environmental objectives of the host country. Tourism can lead to better ties in terms of socio cultural integration, but it may sometimes create problems due to socio cultural differences. Plan of action is necessary to combat with this situation.

Consequences of Lack of Planning

If not planned tourism may result in damage or mutilation of the physical environment, defacement of some historical or cultural resource, overcrowding and congestion due to wrong estimate of tourist inflow, air, water or soil pollution resulting in a permanent damage to the environment, traffic issues, poor quality of facilities and services. Lack of good planning may result in over emphasis on tourist facilities creating antipathy among local people. Lack of good hospitality skills among tourism employees may create a bad image among tourists. There may be lack of efforts to promote the benefits of tourism for the development of the entire area. Most of these problems are not because of the intrinsic nature of tourism industry, but they are because of careless and lackluster planning efforts.

Faulty or Misdirected Tourism Planning and Development

Tourism is a unique Industry which has high

social and environmental consequences. If resources are utilized beyond their capacities they will get depleted and eventually wiped out all together. So it is very important to exploit resources only to a certain extent not beyond it. Many nations find tourism as a quick fix solution to their economic problems. This results in over exploitation of their resources. Over crowding , overbuilding of hotels and facilities leads to a permanent damage to the goodwill of the places of attraction. Nature's beauty can be permanently damaged with a large number of people flocking towards it. Excess of people bring excess of pollution in the form of wastages like plastic bags , bottles etc which can ruin the flora and fauna of the region. The host must educate the visitors about the expected behavior and the code of conduct .Warning against the possible legal consequences must be issued to visitors if they pollute the environment.

Prosperity and wealth prospect at a tourist place not only attracts marketers and related business, but also attracts criminal activities like kidnaping, snatching, terrorism etc. So even if all other things are properly planned, tourist places are subject to such unforeseen dangers. Despite these threats tourism continues to be one of the fastest growing industries worldwide.

Conclusion

Tourism is one of the most dependable sources of foreign exchange if it is capitalized wisely. With some planning done before hand to handle uncertainties tourism can result in a lot of prosperity. Host nation must be prepared to handle any threat of ecological imbalance, any sudden disease outbreak, congestion and other technical inefficiencies, local resentment and criminal activities. All these issues can be wisely handled with controlling visitor flow management, proper fencing of the sites, proper road/route planning, Educating tourists and hosts to limit socio-cultural damage and encouraging more positive local involvement in tourism activities.

Where on one hand a healthy tourism can pull up the nation's wealth substantially, dissatisfied tourists circulate a bad word in the tourist market hampering the market share of the destination. So in the words of Alan Lakein, "Failing to plan is planning to fail".

Reference

1. *Cruz. Reil G. (2014)"Tourism planning and development", Manila Publication.*
2. *Clare A. Gunn (1994), "'Tourism Planning: Basics, concepts, cases", Taylor & Francis Publication.*
3. *Clare A. Gunn (2004), " Prospects of Tourism Planning: Issues and Concerns", Journal of Tourism Studies, Vol. 15.*
4. *Bramwell Bill & Bernard Lane (2010), "Sustainable Tourism: An evolving global approach", Journal of Sustainable Tourism.*
5. *Harrill, Rich (2004),"Residents' attitudes toward tourism development: A literature review with implications for tourism planning." Journal of Planning Literature.*
6. *http://india.gov.in/topics/travel-tourism.*

Provisions of The Panchayat (Extension To The Schedule Areas), Act 1996

Poonam Kanwar Rathore
Research Scholar, Jai Narain Vyas University, Jodhpur

shodhshree@gmail.com

The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 ushered in a national framework for local self-governance by creation of Panchayati Raj Institution. This national framework was more or less uniformly applicable in all the states except Schedule Areas prescribed in the constitution of India. The parliament enacted PESA – The Provision of the Pancayat (Extension to the Schedule Ares) Act, 1996 in conformity with the traditional tribe practice of local governance to cover those Schedule Areas. It is one of the indigenous rights of the tribes over their natural resources.

Background of The Act

According to census data 2011, tribes constitutes 8.6% of the nation's total population. There is very high concentration of tribal population in the country in the Fifth Schedule and Sixth Schedule Areas. These are described in the Constitution of India as Scheduled Areas and Tribal Areas respectively. These tribal communities have their own such tradition and culture.

Predominantly distributed in the hilly and forest regions, they are very much dependant on nature. Since their life and livelihood is very much depending on nature, they have traditionally playing the role of protector of flora and fauna. Obviously, they deserve the right over the natural resources and also management thereof. Their traditional decision making process by the communally is truly democratic in nature considering their typical social characteristic, mainstream Panchayat system has to be in sync with their own culture and tradition of governance, if we want to establish the system there at all. When the mainstream Panchayat system was about to roll out across the nation, Government of India felt that need. Central government was bound to making provisions in the Constitution of India beyond 73rd Constitutional Amendment Act, 1992. With regard to fifth Scheduled Areas, under Article 243 M of the Constitution of India. Parliament is required to pass legislation for extending the provision of Part IX of the areas. Accordingly, Government of India set up a committee under the leadership of Deleep Singh Bhuria for inviting suggestions. The committee proposed some recommendations to the government which were less accepted. On the basis of the recommendations

of the committee, PESA Act was passed by the Parliament. It came into effect on 24th December, 1996 for areas mentioned in the fifth schedule of the Constitution of India. Introduction of PESA brought about change in approaches in forest governance by highlighting the role of Gram Sabha in making decisions and recognizing the rights of tribal population over their natural resources PESA not only recognized the rights of tribal population over land, water and forest but also land the ground for future law making concerning the tribes in scheduled areas.

Distinctive Features of The Act

This Act extends Panchayat Act to the tribal areas of eight states namely, Andhra Pradesh, Orissa, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan, aims to enabling tribal communities to control over their own destiny and to preserve and conserve their traditional rights over natural resources. Following are some of the distinctive features of the Extension Act.-

(1) Any legislation on the Panchayats in Vth Scheduled Area shall be in consonance with the customary law, social and religious practices and traditional management practices of the community resources of its inhabitants.

(2) Power vested in Gram Sabha for :

(a) Ownership of Minor Forest Produce

(b) Approval of Development Plans

(c) Selection of beneficiaries under various programmes

(d) Be consulted on land acquisition

(e) Manage minor water bodies

(f) Control minor minerals

(g) Regulate/prohibit sale of intoxicants

(h) Prevent alienation of land and restore unlawfully alienated land of STs.

(i) Manage Village Markets

(j) Control money lending to STs

(k) Control institutions and functionaries in all social sectors

(l) Give utilization certificate of funds used for the Projects and Programmes of social and economic development etc. to the Village Panchayats.

(3) Reservations of seats for the scheduled tribes at all tiers of the PRS shall not be less than half of the total number of seats. Reservation for other communities indicated in Part-IX of the Constitution shall be in proportion to the population of these communities.

Problems of Implementation of The Extension Act

All nine states having scheduled areas amended their existing Panchayat Acts to comply with the provisions of PESA broadly. Even the newly formed state of Jharkhand framed their Panchayat Act in line with the major provisions laid down in the Central Act. But still certain critical gaps exists. There are certain provisions in the State Panchayat Acts which are not defined clearly by making subsequent Rules – leaving the scope of ambiguity. In addition to that, there are certain subject laws and rules regarding money lending forest and minor forest produce, mining and excise, which need to be reframed. Though the provisions in such laws which are in conflict with the provisions of PESA have become null and void after December 23, 1997, they continue to be followed by departments and their functionaries because of the simple ignorance of their governments. Contentions issues like the ownership of minor forest produce, planning and management of minor water bodies and prevention of alienation of tribal lands have remained unsettled though recognized as traditional rights in PESA. Apart from that, transfer of fund and functionaries to the lower level government has not taken place after devolving statutory powers to the gram sabha and panchayats.

(4) The chairpersonship of all levels of PRS shall be reserved for the STs.

(5) In case the STs do not have representation at intermediate or district level Panchayats, the

State Government shall nominate such un-presented scheduled tribes, but such nomination should not exceed one tenth of the total elected members of the Panchayats.

(6) State legislatures, while developing powers and authority to Panchayats to enable them to functions as institutions of self government, should ensure that the Panchayats at the higher level do not assume the powers and authority to any lower level Panchayats or the Gram Sabha.

(7) The State legislature shall endeavour to follow the pattern of the sixth schedule to the constitution while designing the arrangements in the Panchayats at district level.

Certain major gaps between the central legislation and provisioning at the state level are enumerated below :

(i) Existing state laws regarding money lending forest excise etc. continue without any change.

(ii) Transfer of ownership of minor forest produce and planning and management of minor water bodies to gram Panchayats and Gram Sabhas have taken place incompletely.

(iii) Adequate actions have not been taken on preventing alienation of tribal lands recognized in PESA.

(iv) As in the case with Panchayati Raj in general, devolution of functions the Gram Sabha and the Panchayats have not been followed by subsequent devolution of fund and functionaries.

State Subject Laws Which are Not in Compliance With PESA

States	Land Acquisition	Excise	Forest Produce	Mines and Minerals	Village Markets	Money Lending
Andhra Pradesh	X	X	X	X	X	X
Chhattisgarh	√	√	X	√	√	√
Gujarat	X	√	X	√	√	√
Himachal Pradesh	√	√	√	√	X	X
Jharkhand	X	X	√	X	X	X
Orissa	√	√	√	√	X	√
Maharashtra	X	X	X	X	X	X
Madhya Pradesh	√	√	X	√	√	X
Rajasthan	X	X	X	√	X	√

Consequently, ex-facto compliance with PESA remains incomplete and perfunctory. Over the years request have been made to states repeatedly to gear up the process of implementation of PESA and the matles has been discussed in the meeting of Ministry of Panchayati Raj (MOPR) and Performance Review Committees, but too little available revealed by several evolutions commissioned before 2004 by the Ministry of Rural Development.

The Way Forwards

Discontent is brewing up in the tribal belt of the country and effective implementation of PESA would be a definite legal as well as political solution to redress the discontent. Difficulties in implementing PESA can be broadly categorized into two (i) Legal difficulties and (ii) Political difficulties. Legal difficulties are related to the (a) definition of village (b) gaps and inconsistence between the Central and the State Acts (c) Clash between PESA and pre existing laws, (d) lack of clarity about customary practices and cultural identity etc.

Where as political problems include (a) lack of political will (b) ignorance about PESA among different segments, (c) fragmentation of well-knit tribal society because of electoral competition

etc. So a multi pronged strategy needs to be adopted by the government to overcome those difficulties from different aspects.

All nine States having scheduled areas have enacted or amended their state acts but not in consonance with the better and spirit of the central PESA. In this juncture, central government has to play productive role to implement the Act across the nine states. State governments need to take the steps taken by central government positively. Civil society has to work more vibrantly on right based approach to protect the rights of the tribal population of the country. As per the recommendation of different working groups engaged by the central government, the following measures may be taken by all concern:-

(1) The Ministry of Panchayat Raj has issued guideline for implementation of PESA on 21.05.2010 which is generic in nature. A detailed state specific guideline considering existing conflicting laws should be in place incorporating the suggestions from already engaged expert agencies. It should also be guided by a definite time frame.

(2) The MoPR should play proactive role to involve Ministry of Tribal Affairs to issue guidelines to the states before preparation of respective state plans. All issues concerning the lives of tribes in scheduled areas should be taken care of during preparation of plan.

(3) Government of India should specific direction in accordance with proviso 3 of part A of the fifth schedule in any state fails to implement PESA in better and spirit.

(4) The Central Government should direct the states to gear up the process of amendments to existing laws so that it follows the provisions of PESA better and spirit.

(5) A High Power Committee at the central level may be formed to oversee the progress of the concerned states regarding implementation of PESA. This committee can play advisory role with concrete suggestions to restrict deviations by the States.

(6) Though there is provision for taking annual reports from Governors on regular basis but it is not given due importance. The process should be taken up seriously. The report should be made available to be public by uploading in the website in a time bound manner.

(7) Traditional tribal councils are dominated by mail by and large in all respective States. Hence, in order to ensure active participation of women in tribal governance, special attention should be given.

(8) There is also an urgent need to amend the Indian Forest Act, Land Acquisition Act and other related Act so that the ownership of minor forest produce, water bodies and land resources are explicitly handed over to the gram sabhas of the PESA areas.

Conclusion

PESA is a most powerful legislation which can play an instrumental role in recognizing the rights of the tribal population in scheduled areas over natural resources thus transforming their quality of life. It is almost true that due to lack of political will, their rights have been disregarded strategically. Though central government has taken several measures to implement the Act, in better and spirit, lack of initiative from concerns state government is quite evident. A multi-pronged strategy to address the issue from different aspects is the need of the hour.

References

1. *The Gazette of India – The Provisions of Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996, Act 40, Dec. 1996*

2. *Ministry of Panchayati Raj Government of India, Report of the B.D. Sharma, Sub Committee, 2006.*

3. *Ministry of Panchayati Raj Government of India, B.N. Yugandhar Committee Report, 2003.*

4. *Ministry of Panchayati Raj Government of India, Annual Report 2009-10, 2010-11, 2011-12 and State of Panchayati Raj Report, 2006-07, 2007-08.*

Shodh Shree

(International Referred Journal of Multidisciplinary Research)

ISSN 2277-5587 RNI No. RAJHIN / 2011 / 40531

54A, Jawahar Nagar Colony, Tonk Road, Jaipur - 302018
Shodhshree@gmail.com

Individual Subscription Form

Name ....

Designation ....

Name of Organization ....

....

Address ....

....

District ....

State

....

Pin ....

Tel. No. (R) ....

Mobile ....

e-mail ....

Date (Signature)

Frequency	:	Shodh Shree is Published four time in a year (Quarterly) i.e. January, April , July & October.
Mode of Payment	:	Subscription fee can be deposit through online Banking.
Bank Details	:	Virendra Sharma, OBC Bank, Adarsh Nagar, jaipur SB A/C No. 06722151002965, IFSC Code ORBC 0100672, MICR Code 302022005 Subscription Fees 1300 Rs

Membership No. .... Date ....

(For Office Use only)

DECLARATION FORM FOR CONTRIBUTORS

I...

hereby declared that the paper entitled'..

.....................................'is unpublished original paper which is not sent any where for publication.

This paper is prepared by me/jointly with..

....which is exclusively for your journal entitle 'Shodh Shree'.

I/We will not demand any honorarium for the same expect one copy of the Journal in which this paper will appear. Please send copy of the Journal at the address of author whose name is appeared at first,

Copy right of matter is with Shodh Shree. I/We will not reproduce it in any other journal of book except prior permission of the Chief Editor.

Signature ....

Name ....

Designation ....

Official Address ....

....

Residential Address ....

....

....

Phone No. .... Pin No. ....

e-mail Address ....

Shodh Shree

(International Referred Journal of Multidisciplinary Research)

ISSN 2277-5587 RNI No. RAJHIN / 2011 / 40531

54A, Jawahar Nagar Colony, Tonk Road, Jaipur - 302018
Shodhshree@gmail.com

Institutional Membership Form

The Editor
Shodhshree
Jaipur

Dear Sir
I want to become a member of this Journal for -

☐ 1 year (Rs. 1000/-)	☐ 2 years (Rs. 1800/-)	☐ 3 years (Rs. 2500 /-)

I am sending here with Rs............ through online banking/cash for membership of your Journal.

Name of Institution ....

....

Address...

.... Pin Code...........................

Phone/Mobile No. ....

E-mail ID ....

Date: Signature

For Office Use Only

Membership No.___________ Date___________

Frequency : Shodhshree is Published four time in a year(Quarterly) i.e. January, April, July, October.

Mode of Payment : Subscription fees can be deposit through online Banking.

Bank Details : **Cheque /DD must be in Favor of Virendra Sharma** ,OBC Bank, Adarsh Nagar, Jaipur

SB A/C NO.06722151002965

IFSC Code ORBC0100672, MICR Code 302022005

Guidelines for the Contributors

1. All research paper must be typed in Microsoft Word and use KRUTI DEV 010 font for Hindi or Times New Roman Font for English can submit by C.D. or through e-mail.
2. A separate list of references should be given at the end of the paper. Footnotes may be given on the same page if any technical term needs some explanation.
3. Table, Model, Graph or Chart should be on separate pages and numbered serially with appropriate heading.
4. Maximum word limit of research paper up to 1500 words.
5. Special care must be taken to avoid spelling errors and grammatical mistakes in the paper, otherwise it will not be accepted for publication.
6. The author(s) should certify on a separate page that the manuscript is original and it is not copyrighted.
7. The copyright is Reserved for 'Shodhshree' for All Research papers and Book Reviews, published in this journal.
8. Publication of research paper would be decided by our editorial board or subject specialist.

Book Review : For Book Review to be included in this journal only reference books and research publications are considered. One copy of each such publication must be submitted to the Editor.

Note : Shodh Shree have copyright on papers published in the journal therefore, prior permission is necessary for reproduction of paper, anywhere by author or other person. However, papers published in the journal may be freely quoted in further study. All disputes are subject to jaipur jurisdiction.

Research Paper may be sent to our e-mail: shodhshree@gmail.com
For any assistance, Please Contact Dr. Ravindra Tailor - 09413224134

To,

प्रिन्टेड मैटर
If undelivered please return to :

शोध श्री (त्रैमासिक)
54-ए, जवाहर नगर कॉलोनी
टोंक रोड, जयपुर-302018

स्वात्त्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक, प्रधान सम्पादक – वीरेन्द्र शर्मा के लिए मुद्रित व 54-ए,
जवाहर नगर कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर-302018 मो. 9460124401 से प्रकाशित।
मुद्रण स्थल आकृति एड्वरटाईजर्स, जयपुर